बहारे शरीअ़त

11 से 20

मुसन्निफ

सदरुश्शरीअ़ा मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा

मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर

क़ादरी दारुल इशाअ़त

दो मीनार मस्जिद

[illegible], पुराना शहर बरेली

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ

(اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہاں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا)



किताब को पढ़ने से पहले
इस किताब को स्कैन करने वाले
और इस काम मे हिस्सा लेने वालो के हक़ में

दुआ फरमाएं

अल्लाह अज़्ज़वजल हमारे तमाम
सगीरा व क़बीरा गुनाहों को मुआफ़ फ़रमाये
और ईमान पर इस्तेक़ामत अता फ़रमाये!

आमीन

PDF BY :
WASEEM AHMED RAZA KHAN
AZHARI & TEAM
+91-8109613336
https://t.me/Ahlesunnat_HindiBooks

बहारे शरीअ़त

बीसवां हिस़्सा

मुस़न्निफ़
सदरूश्शरीआ़ मौलाना अमजद अ़ली आज़मी रज़वी अ़लैहिर्रहमा

हिन्दी तर्जमा
मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नाशिर
क़ादरी दारूल इशाअ़त
मुस्तफ़ा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली—53
Mob:—9219132423

पेशे लफ़्ज़

यह किताबुल मीरीस् का वह हिस्सा है जिस के लिये फ़क़ीहुल'अस्र अ़ल्लामा हज़रत सदरुश्शरीआ मुफ़्ती अमजद अ़ली साहब रज़वी आज़मी हन्फ़ी क़ादरी कुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़ ने **बहारे शरीअ़त के** सत्रहवें हिस्से में वसियत फ़रमाई है कि "बहारे शरीअ़त को आख़िरी हिस्सा थोड़ासा बाक़ी रहगया है जो ज़्यादा से ज़्यादा तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होगा अगर तौफ़ीके इलाही सआदत करती और यह बक़िया मज़ामीन भी तहरीर में आजाते तो फ़िक़ह के तमाम अबवाब पर मुश्तमिल यह किताब होती और किताब मुकम्मल होजाती और अगर मेरी औलाद या तलामिज़ा या उलमाए अहले सुन्नत में से कोई साहिब इसका क़लील हिस्सा जो बाक़ी रहगया है उसकी तकमील फ़रमादें तो मेरी ऐन ख़ुशी होगी"।

अलहम्दु लिल्लाह कि हज़रत मुसन्निफ़ अ़लैहिर्रहमा की वसियत के मुताबिक़ मैंने यह सआदत हासिल करने की कोशिश की है और इस में यह एहतिमाम किया है कि मसाइल के मआख़ज़ कुतुब के सफ़हात नम्बर भी लिख दिये हैं ताके अहले इल्म को मआख़ज़ तलाश करने में आसानी हो। अकस्र कुतुबे फ़िक़ह के हवालाजात नक़्ल करदिये हैं जिन पर आज कल फ़तवा का मदार है। हजरत मुसन्निफ़ अ़लैहिर्रहमा के तर्ज़े तहरीर को हत्तल'इमकान बरक़रार रखने की कोशिश की गई है फ़िक़ही मुशिगाफ़ियों और फ़ुक़हा के क़ील व क़ाल को छोड़कर सिर्फ़ मुफ़ताबिह अक़वाल को सादा और आम फ़हम ज़बान में लिखा है ताकि कम तालीम याफ़्ता सुन्नी भाईयों को भी उस को पढ़ने और समझने में दुश्वारी पेश न आये तसहीहे किताबत में हत्तल'मक़दूर दीदा रेज़ी से काम लिया है फिर भी अगर कहीं अग़लात रहगईं हों तो उसके लिये क़ारेईने किराम से माज़िरत ख़्वाह हूँ। आख़िर में मुहिब्बे मुकर्रम हज़रत अ़ल्लामा अ़ब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी मद्दज़िल्लहुल'आली शैख़ुल'हदीस् दारुलउ़लूम अमजदिया व मिम्बर क़ौमी असम्बली व अज़ीज़े मुकर्रम मौलाना हाफ़िज़, क़ारी रज़ाउल'मुस्तफ़ा आज़मी सल्लमहू ख़तीब न्यू मेमन मस्जिद बोल्टन मार्केट,कराची का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन हज़रात ने अपने वालिद माजिद हज़रत मुसन्निफ़ अ़लैहिर्रहमा की वसियत की तकमील के लिये मेरा इन्तिख़ाब फ़रमाया मैं अपनी इस हक़ीर ख़िदमत को हज़रत सदरुश्शरीआ बदरुत्तरीक़ा उस्ताज़ुनल'अ़ल्लाम अबुल'उ़ला मुहम्मद अमजद अ़ली साहब रज़वी कुद्दिस सिर्रुहुल'अ़ज़ीज़ मुसन्निफ़ **"बहारे शरीअ़त"** की बारगाह में नज़रानए अक़ीदत पेश करता हूँ और बारगाहे रब्बुल'इ़ज़्ज़त में दस्त ब'दुआ हूँ कि इस किताब को मक़बूल फ़रमाये। आमीन!

मुहम्मद वक़ारुद्दीन क़ादरी रज़वी बरेलवी
मुफ़्ती व नाइब शैख़ुल'हदीस् दारुलउ़लूम अमजदिया
आलमगीर रोड कराची–5
जनवरी 1985

अनुवादक
मुहम्मद अमीनुलक़ादरी बरेलवी
मो0:– 09219132423

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُہٗ وَ نُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ ط

آیات قرآنی ــــ بسلسہ ــــ وراثت

﴿ یُوْصِیْكُمُ اللّٰهُ فِیْۤ اَوْلَادِكُمْۗ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۚ
وَ اِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُؕ وَ لِاَبَوَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌۚ فَاِنْ لَّمْ
یَكُنْ لَّهٗ وَلَدٌ وَّ وَرِثَهٗۤ اَبَوٰهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُۚ فَاِنْ كَانَ لَهٗۤ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْۢ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُّوْصِیْ بِهَاۤ اَوْ دَیْنٍؕ
اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَیُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًاؕ فَرِیْضَةً مِّنَ اللّٰهِؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِیْمًا حَكِیْمًا۝۱۱ وَ لَكُمْ نِصْفُ
مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِنْ لَّمْ یَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌۚ فَاِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْۢ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُّوْصِیْنَ
بِهَاۤ اَوْ دَیْنٍؕ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِنْ لَّمْ یَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌۚ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ
وَصِیَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَاۤ اَوْ دَیْنٍؕ وَ اِنْ كَانَ رَجُلٌ یُّوْرَثُ كَلٰلَةً اَوِ امْرَاَةٌ وَّ لَهٗۤ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُۚ
فَاِنْ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِی الثُّلُثِ مِنْۢ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُّوْصٰى بِهَاۤ اَوْ دَیْنٍۙ غَیْرَ مُضَآرٍّۚ وَصِیَّةً مِّنَ
اللّٰهِؕ وَ اللّٰهُ عَلِیْمٌ حَلِیْمٌؕ۝۱۲ (1)

یَسْتَفْتُوْنَكَؕ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیْكُمْ فِی الْكَلٰلَةِؕ اِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَیْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّ لَهٗۤ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ
وَ هُوَ یَرِثُهَاۤ اِنْ لَّمْ یَكُنْ لَّهَا وَلَدٌؕ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَؕ وَ اِنْ كَانُوْۤا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّ نِسَآءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِؕ یُبَیِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْاؕ وَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ۠۝۱۷۶ ﴾ (2)

तर्जमा:– "अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर है। और फिर अगर निरी लड़कियाँ अगर्चे दो से ऊपर तो उनको तर्के की दो तिहाई और अगर एक लड़की हो तो उसका आधा और मय्यित के माँ बाप में हर एक को उस के तर्के से छटा अगर मय्यित के औलाद हो फिर अगर उस की औलाद न हो और माँ बाप छोड़े तो माँ का तिहाई फिर अगर उस के कई बहन भाई हों तो माँ का छटा बाद उस वसियत के जो कर गया और दैन के, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम क्या जानो कि इन में कौन तुम्हारे ज्यादा काम आये। यह हिस्सा बान्धा हुआ है अल्लाह की तरफ़ से बेशक अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला है"।

तर्जमा:– और तुम्हारी बीवियाँ जो छोड़ जायें उस में से तुम्हें आधा है अगर उनकी औलाद न हो फिर अगर उनकी औलाद हो तो उन के तर्के में से तुम्हें चौथाई है। जो वसियत वह कर गई और दैन निकाल कर और तुम्हारे तर्के में औरतों का चौथाई है। अगर तुम्हारे औलाद न हो तो उनका तुम्हारे तर्के में से आठवाँ जो वसियत

तुम कर जाओ। और दैन निकाल कर और अगर ऐसे मर्द और औरत का तर्का बटता हो जिस ने माँ बाप और औलाद कुछ न छोड़े और माँ की तरफ से उस का भाई या बहन है तो उन में से हर एक को छटा। फिर अगर वह बहन भाई एक से ज़्यादा हों तो सब तिहाई में शरीक हैं मय्यित की वसियत और दैन निकाल कर जिस में उस ने नुकसान न पहुँचाया यह अल्लाह का इरशाद है और अल्लाह इल्म वाला हिल्म वाला है''।

तर्जमाः– ''ऐ महबूब तुम से फतवा पूछते हैं तुम फरमादो कि अल्लाह तुम्हें कलाला में फतवा देता है अगर किसी मर्द का इन्तिक़ाल हो जो बे औलाद है और उस की एक बहन है तो तर्के में उसकी बहन का आधा है और मर्द अपनी बहन का वारिस् होगा अगर बहन की औलाद न हो। फिर अगर दो बहनें हों तर्के में उनका दो तिहाई और अगर भाई बहन हो मर्द भी और औरतें भी तो मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर। अल्लाह तुम्हारे लिये साफ बयान फ़रमाता है कि कहीं बहक न जाओ और अल्लाह हर चीज़ जानता है''।

हदीस् (1) बुख़ारी व मुस्लिम इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रावी हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया फ़र्ज़ हिस़्सों को फ़र्ज़ हिस़्से वालों को देदो और जो बच जाये वह मय्यित के क़रीब'तरीन मर्द को देदो।

हदीस् (2) बुख़ारी व मुस्लिम हज़रत उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा रावी रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया ''मुसलमान काफ़िर का वारिस् न होगा और काफ़िर मुसलमान का वारिस् नहीं होगा''।

हदीस् (3) तिर्मिज़ी व इब्ने माजा हज़रत अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ''क़ातिल वारिस् नहीं होता है''।

हदीस् (4) अबूदाऊद हज़रत अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने दादी के लिये छटा हिस़्सा मुक़र्रर फ़रमाया जब माँ न हो।

हदीस् (5) तिर्मिज़ी व इब्ने माजा हज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़ैस़ला फ़रमाया कि ''वसियत से पहले क़र्ज़ अदा किया जायेगा और हक़ीक़ी भाई बहन वारिस् होंगे न अ़ल्लती भाई बहन''।

हदीस् (6) अह़मद तिर्मिज़ी अबूदाऊद व इब्ने माजा हज़रत जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं कि हज़रत स़ाद इब्ने रबीअ़ की बीवी स़ाद से अपनी दो बेटियों को रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में लाई और अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह यह दोनों स़ाद की बेटियाँ हैं उनका बाप आप के साथ उहुद में शहीद होगये और उन के चचा ने कुल माल लेलिया है उनके लिये कुछ नहीं छोड़ा और जब तक उनके पास माल न हो उन की शादी नहीं की जासकती तो हुज़ूर स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इस बारे में अल्लाह तआ़ला फ़ैस़ला फ़रमादेगा तो आयते मीरास् नाज़िल होगई और रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उन लड़कियों के चचा के पास यह हुक्म भेजा कि स़ाद की दोनों बेटियों को दो सुलुस् (दो तिहाई) देदो और लड़कियों की माँ को आठवाँ हिस़्सा देदो और जो बाक़ी बचे वह तुम्हारा है।

हदीस् (7) हज़ील बिन शुरह़बील से रावी कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊ़द रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से सुवाल किया गया कि मय्यित की एक बेटी और एक पोती और एक बहन को तर्का किस त़रह तक़सीम किया जायेगा तो उन्होंने फ़रमाया कि वही फ़ैस़ला करूँगा जो नबी स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने फ़ैस़ला किया था बेटी का निस़्फ़ है पोती का छटा हिस़्सा (تکملۃ الثلثین) और जो बाक़ी बचा वह बहन का है।

हदीस् (8) इमाम मालिक व अह़मद व तिर्मिज़ी अबूदाऊद व दारमी व इब्ने माजा हज़रत क़बीसा बिन ज़ुवैब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी हैं कि हज़रत मुग़ीरा बिन शोअ़बा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैं रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर था कि हुज़ूर ने दादी को छटा हिस़्सा दिया था।

हदीस् (9) इब्ने माजा व दारमी हज़रत जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब बच्चा ज़िन्दा पैदा हो तो उस

पर नमाज़ भी पढ़ी जायेगी और उस को वारिस् भी बनाया जायेगा।

हदीस् (10) इमाम मालिक व अहमद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व दारमी व इब्ने माजा हज़रत क़बीसा बिन ज़ुवैब रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी हैं कि एक दादी ने हज़रत अबूबक्र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से अपनी मीरास् के बारे में सुवाल किया था तो आप ने सहाबा किराम से मालूमात की तो हज़रत मुग़ीरा इब्ने शोअ़्बा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मौजूदगी में दादी को छटा हिस्सा दिया था। तो हज़रत अबूबक्र रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने यही फ़ैसला किया और हज़रत उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु के पास भी एक दूसरी दादी ने अपनी मीरास् का सुवाल किया था तो आप ने फ़रमाया वही छटा हिस्सा दादियों का है अगर दो होंगी तो दोनों उस में शरीक होजायेंगी और एक होगी तो उसे मिल जायेगा।

हदीस् (11) दारमी हज़रत उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी हैं कि उन्होंने फ़रमाया फ़राइज़ को सीखो इस लिये कि वह तुम्हारे दीन में से है।

हदीस् (12) दारमी ने हज़रत उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत किया कि उन्होंने फ़माया जब किसी औरत के मरने के वक्त उस का शौहर और माँ बाप हों तो शौहर को निस्फ़ मिलेगा और माँ को बाक़ी का तिहाई।

हदीस् (13) दारमी ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत किया कि शौहर के मरने के वक़्त जब उस की बीवी और माँ बाप हों तो बीवी को चौथाई और माँ को बाक़ी का तिहाई मिलेगा।

हदीस् (14) दारमी असवद बिन यज़ीद से रावी हैं कि हज़रत मुआज़ इब्ने जबल रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने एक बेटी और एक बहन वारिस् होने की सूरत में यह फ़ैसला किया कि बेटी को निस्फ़ और बहन को निस्फ़ मिलेगा।

हदीस् (15) दारमी में हज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है ख़ुन्सा के बारे में कि जब उस में मर्द और औरत दोनों के अअ्ज़ा हों तो जिस उ़ज़ू से पेशाब करेगा उस के एअ़्तिबार से तर्का दिया जायेगा।

हदीस् (16) दारमी में रिवायत है कि हज़रत ज़ैद इब्ने सा़बित रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फ़रमाया कि जब चन्द लोग दीवार गिरने या डूब जाने की वजह से एक साथ मर जायें तो वह आपस में एक दूसरे के वारिस् न होंगे ज़िन्दा लोग उन के वारिस् होंगे।

हदीस् (17) दारमी में हज़रत अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि "मामूँ उस मय्यित का वारिस् है जिस का और कोई वारिस् न हो"।

उन हुक़ूक़ का बयान जिनका तअ़ल्लुक़ मय्यित के तर्का से है

मसअला.1:– जब कोई मुसलमान इस दारे फ़ानी से कूच कर जाये तो शरअ़न उसके तर्के से कुछ अहकाम मुतअ़ल्लिक़ होते हैं यह अहकाम चार हैं (1)उसके छोड़े हुए माल से उसकी तज्हीज़ व तकफ़ीन मुनासिब अन्दाज़ में की जाये। (मुहीत ब'हवाला आलमगीरी स.447) इसका तफ़सीली बयान इस किताब के हिस्सा चहारुम में मौजूद है।

(2)फिर जो माल बचा हो उससे मय्यित के क़र्ज़े चुकाये जायें क़र्ज़ की अदायगी वसियत पर मुक़द्दम है क्योंकि क़र्ज़ फ़र्ज़ है जब कि वसियत करना एक नफ़ली काम है फिर हज़रत अ़ली रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को देखा आप ने क़र्ज़ वसियत से पहले अदा कराया। (इब्ने'माजा दारे क़ुत्नी व बैहक़ी)

मसअला.2:– क़र्ज़ से मुराद वह क़र्ज़ है जो बन्दों का हो उसकी अदायगी वसियत पर मुक़द्दम है।

मसअला.3:– अगर मय्यित ने कुछ नमाज़ों के फ़िदया की वसियत की या रोज़ों के फ़िदया की या

कफ़्फ़ारा की या हज्जे बदल की तो तमाम चीज़ें अदायगी–ए–कर्ज़ के बाद एक तिहाई माल से अदा की जायेंगी और अगर बालिग़ वुरसा इजाज़त दें तो तिहाई से ज़्यादा माल से भी अदा की जा सकती हैं।

वसियतः– अदाइगी–ए–कर्ज़ के बाद वसियत का नम्बर आता है कर्ज़ के बाद जो माल बचा हो उस के तिहाई से वसियतें पूरी की जायेंगी हाँ अगर सब वुरसा बालिग़ हों और सब के सब तिहाई माल से ज़ाइद से वसियत पूरी करने की इजाज़त दे दें तो जाइज़ है। (खानिया ब'हवाला आलमगीरी स.447 जि.6)

मीरास्ः– वसियत के बाद जो माल बचा हो उसकी तक़सीम दर्जे'ज़ैल तर्तीब के साथ अमल में आयेगी (1)उन वारिसों में तकसीम होगा जो कुर्आन हदीस् या बिल'इजमाअ् उम्मत की रु से असहाबे फराइज़ (मुकर्ररा हिस्सो वाले) हैं। और अस्हाबे फराइज़ बिल्कुल न हों या उनके बाद भी कुछ माल बचा हो तो दर्जे ज़ैल वारिसों में अलत्तर्तीब तक़सीम होगा।

(2)अस्बाते नस्बिया (3)अस्बाते सबबिया (यानी आज़ाद कर्दा गुलाम का आक़ा) **(4)**अस्बा–ए–सबबी का नस्बी अस्बा फिर सबबी अस्बा **(5)**ज़विलफुरूज़ुन्नसबिया को उनके हुकूक़ की मिक़दार में दोबारा दिया जायेगा ज़विल'अरहाम **(7)**मौलल'मवालात **(8)**फिर वह शख़्स जिसके नसब का मरने वाले ने किसी दूसरे पर इस तरह इकरार किया हो कि उसका नसब उसके इकरार की वजह से साबित न होसका यानी जिसपर नसब का इक़रार किया हो उसने तस्दीक़ न की हो बशर्ते कि इक़रार कुनन्दा (इक़रार करने वाला) अपने इक़रार पर मरा हो मस्लन मरने वाले ने एक शख़्स के बारे में यह इक़रार किया कि यह मेरा भाई है अब उस इक़रार का मफ़हूम यह हुआ कि उस शख़्स का नसब मेरे बाप से साबित है और बाप उसको अपना बेटा तस्लीम नहीं करता है। **(9)**फिर जो बचा हो वह उस शख़्स को दिया जाये जिस के लिये मय्यित ने कुल माल की वसियत की थी। **(10)**और फिर भी बचे तो बैतुल'माल में जमअ् होगा।(आलमगीरी जि.6 स.447) इस ज़माने में बैतुल'माल का निज़ाम नहीं है इस लिये सदक़ा करदिया जाये। वाज़ेह रहे कि यह दस क़िस्म के वारिस् हैं उनकी तफ़सीलात आयेंगी।

मीरास् से महरूम करने वाले अस्बाब

बाज़ अस्बाब ऐसे हैं जो वारिस् को मीरास् से शरअन महरूम कर देते हैं और वह चार हैं।

(1)गुलाम होना यानी अगर वारिस् गुलाम है ख़्वाह कुल्लियतन गुलाम हो या मुदब्बर हो या उम्मे वलद हो या मुकातिब हो तो वह वारिस् न होगा। (शरीफ़िया स.10 व आलमगीरी जि.6 स.452)

(2)मूरिस् का क़ातिल होना इस से मुराद ऐसा क़त्ल है जिसकी वजह से क़ातिल पर क़िसास् या कफ़्फ़ारा वाजिब होता हो उन उमूर की तफ़सीलात इस किताब के अठारहवें हिस्से में मज़कूर हैं।

(3)दीन का इख़्तिलाफ़ यानी मसुलमान काफ़िर और काफ़िर मुसलमान का वारिस् न होगा आम सहाबा रदियल्लाहु तआला अन्हुम और अली व ज़ैद रदियल्लाहु तआला अन्हुमा का यही फ़ैसला है नीज़ यह हदीस् भी है لَا يَتَوَارَثُ اَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتّٰى यानी दो मुख़्तलिफ़ मिल्लतों के अफ़राद एक दूसरे के वारिस् न होंगे। (सुनने दारमी अबूदाऊद वगैरा)

मसअ्ला.1ः– अगर कोई मुसलमान मुर्तद होगया मआज़ल्लाह तो मुर्तद होने की वजह से उसके अमवाल उसकी मिल्कियत से ख़ारिज होजाते हैं फिर अगर वह दोबारा इस्लाम ले आये और कुफ़्र से तौबा करले तो मालिक होजायेगा और अगर कुफ़्र ही पर मरगया तो ज़माना–ए–इस्लाम के जो अमवाल हैं उनसे ज़माना–ए–इस्लाम के क़र्ज़े अदा किये जायेंगे। और बाक़ी अमवाल मुसलमान वुरसा लेलेंगे और इर्तिदाद के ज़माने में जो कमाया है उससे इर्तिदाद के ज़माने के क़र्ज़े अदा किये जायेंगे और अगर कुछ बच जायेगा तो वह गुरबा पर सदक़ा कर दिया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.455)

मसअ्ला.2ः– गुमराह और बिदअ़ती लोग जिनकी तकफ़ीर न की गई हो वह वारिस् भी बनेंगे और मूरिस् भी।

मसअ्ला.3ः– क़ादयानी भी मुर्तद हैं उनका भी यही हुक्म है।

मसअला.4:— मुर्तद औरत जब अपने इर्तिदाद पर मरजाये तो उसके ज़माना—ए—इस्लाम और इर्तिदाद के ज़माने के तमाम अमवाल उसके वारिसों पर तक़सीम कर दिये जायेंगे।(आलमगीरी स.455 जि.6)

मसअला.5:— वह लोग जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की सरीह तौहीन के मुरतकिब हों या शैख़ैन रदियल्लाहु तआला अन्हुमा को गालियाँ दें वह भी वारिस् न होंगे।

(4)मुल्कों का इख़्तिलाफ़ यानी यह कि वारिस् और मूरिस् (मरने वाला शख़्स कि जिसकी मीरास् तकसीम होगी) दो मुख़्तलिफ़ मुल्कों के बाशिन्दे हों तो अब यह एक दूसरे के वारिस् नहीं होंगे।

मसअला.1:— मुल्कों के इख़्तिलाफ़ से शरअन मुराद यह है कि दोनों मुलकों की अपनी अलग अफ़वाज हों और वह एक दूसरे का ख़ून हलाल समझते हों। (शरीफ़िया स.20 आलमगीरी जि.6 स.404)

मसअला.2:— मुल्कों का इख़्तिलाफ़ ग़ैर मुस्लिमों के हक़ में है यानी यह कि अगर एक ईसाई मुसलमानों के मुल्क में है और उसका रिश्तेदार दूसरे मुल्क में है जो दारुल'हर्ब है तो अब यह एक दूसरे के वारिस् होंगे। (आलमगीरी जि.6 स.404)

मसअला.3:— अगर तिजारत की ग़र्ज़ से या किसी और ग़र्ज़ से दारुल'हर्ब में चला गया और वहीं मरगया या मुसलमान को हर्बियों ने क़ैदी बनाकर रख लिया और वह दारुल'हर्ब में मरगया तो इस के रिश्तेदार जो दारुल'इस्लाम में हैं उसके वारिस् होंगे। (शरीफ़िया स.21 आलमगीरी स.454 जि.6)

मसअला.4:— पाकिस्तान के मुसलमान और वह मुसलमान जो हिन्दुस्तान, अमेरिका, यूरोप या कहीं और रहते हों एक दूसरे के वारिस् होंगे।

मसअला.5:— अगर वारिस् और मूरिस् मुसलमानों के दो गिरोहों से तअल्लुक़ रखते हों जो आपस में नबर्दआज़मा हैं और दोनों की अलग फ़ौजें हैं तब भी वह एक दूसरे के वारिस् होंगे। (शरीफ़िया स.21)

मसअला.6:— मुस्तामिन अगर हमारे मुल्क में मरजाये और उसका माल हो तो हम पर लाज़िम है कि उसका माल उसके वारिसों को भेजें और अगर ज़िम्मी मरजाये और उसका कोई वारिस् न हो तो उसका माल बैतुल'माल में जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.454)

मसअला.7:— कुफ़्फ़ार के मुख़्तलिफ़ गिरोह मस्लन नसरानी, यहूदी, मजूसी, बुत'परस्त सब एक दूसरे के वारिस् होंगे। (आलमगीरी स.454 जि.6)

अस्हाबे फ़राइज़ का बयान

यह हिस्से जिनका ज़िक्र हुआ शरई तौर पर बारह क़िस्म के अफ़राद के लिये मुक़र्रर हैं उनको अस्हाबे फ़राइज़ कहते हैं उनमें से चार मर्द और आठ औरतें हैं।

मर्द यह हैं (1)बाप (2)जद्दे सहीह यानी दादा, पर'दादा (ऊपर तक) (3)माँ जाया भाई (4)शौहर।

औरतें यह हैं (1)बीवी (2)बेटी (3)पोती (नीचे तक) (4)हक़ीक़ी बहन (5)बाप शरीक बहन (6)माँ शरीक बहन (7)माँ (8)और जद्दा—ए—सहीहा।

मसअला.1:— जद्दे सहीह उस दादा को कहते हैं कि जिस की मय्यित की तरफ़ निस्बत में मुअन्नस (स्त्री) का वास्ता बीच में न आये जैसे बाप का बाप और दादा का बाप। (आलमगीरी स.448 जि.6)

मसअला.2:— जद्दे फ़ासिद उसको कहते हैं जिसकी मय्यित की तरफ़ निस्बत में मुअन्नस् का वासिता आये जैसे माँ का बाप, जिसको हम नाना कहते हैं या माँ के बाप का बाप या दादी का बाप।

मसअला.3:— जद्दाए सहीहा वह दादी है जिसकी निस्बत मय्यित की तरफ़ की जाये तो दरम्यान में जद्दे फ़ासिद का वासिता न आये लिहाज़ा बाप की और माँ की माँ दोनों जद्दाए सहीहा हैं।

मसअला.4:— जद्दाए फ़ासिदा वह दादी या नानी है जिसकी मय्यित की तरफ़ निस्बत में जद्दे फ़ासिद आजाये। जैसे नाना की माँ दादी के बाप की माँ। (शरीफ़िया स.23)

मसअला.5:— जद्दे सहीह और जद्दाए सहीहा अस्हाबे फ़राइज़ में से हैं जब कि जद्दे फ़ासिद और जद्दाए फ़ासिदा असहाबे फ़राइज़ में से नहीं हैं बल्कि ज़विल अरहाम में से हैं उनका मुफ़स्सल बयान ज़विल अरहाम की बहस में आयेगा।(शरीफ़िया स.23)

बाप के हिस्सों का बयान

मसअ्ला.1:– बाप की तीन मुख़्तलिफ़ हालतें हैं और हर हालत में उसका अलग हिस्सा है जब बाप के साथ मय्यित का कोई बेटा या पोता (नीचे तक) हो तो बाप को कुल माल में से सिर्फ़ छठा हिस्सा मिलेगा यानी $\frac{1}{6}$ (आलमगीरी जि.6 स.448)

मसलन–1 मसअ्ला 6

बाप	बेटा
1	5

या (2) मसअ्ला 6

बाप	पोता
1	5

मसअ्ला.2:– अगर बाप के साथ मय्यित की बेटी या पोती (नीचे तक) है तो बाप को छठा हिस्सा बतौर साहिबे फ़र्ज़ के मिलेगा और अगर तक़सीम के बाद बच जायेगा तो वह बाप को बतौर अस्बा के मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.248)

मस्लन 1–मसअ्ला 6

बाप	बेटी
1+2=3	3

या–2 **मसअ्ला 6**

बाप	पोती
1+2=3	3

मसअ्ला.3:– जब बाप के साथ मय्यित का बेटा या बेटी या पोता या पोती (नीचे तक) न हो तो बाप को सिर्फ़ बतौर अ़सूबत अस्हाबे फ़राइज़ से बच जाने के बाद ही मिलेगा और इस सूरत में कोई मुअय्यन हिस्सा नहीं बल्कि जो कुछ बचा होगा वह सब बाप को मिलेगा। (सिराजी स.7)

मस्लन= **मसअ्ला 3**

माँ	बाप
1	2

जद्दे सहीह के हिस्सों का बयान

मसअ्ला:– जब बाप न हो तो दादा (जद्दे सहीह) सिवाए चन्द सूरतों के बाप ही की तरह है (सिराजी स.7)

मिसाल.1 **मसअ्ला 6**

दादा	बेटा
1	5

मिसाल.2 **मसअ्ला 6**

दादा	पोता
1	5

मिसाल.3 **मसअ्ला 6**

दादा	बेटी
2+1=3	3

मिसाल.4 **मसअ्ला 6**

दादा	पोती
2+1=3	3

मिसाल.5 **मसअ्ला 3**

माँ	दादा
1	2

मसअ्ला.2:– बाप की माँ, बाप के होते हुए मीरास से महरूम होगी मगर दादा के होते हुए महरूम न होगी। (शरीफ़िया स. 24)

मिसाल.1 **मसअ्ला 1**

दादी	बाप
महरूम	1

मिसाल.2 **मसअ्ला.6**

दादा	दादी
5	1

मसअ्ला.3:– अगर शौहर या बीवी का इन्तिक़ाल होजाये और दोनों में से कोई एक ज़िन्दा हो और

उसके साथ मय्यित के माँ बाप भी हों तो इस सूरत में बाप तो माँ के हिस्से को घटा देगा कि शौहर या बीवी के हिस्से के बाद जो बचेगा वह उसका तिहाई पायेगा और अगर बाप की जगह दादा हो तो वह माँ का हिस्सा नहीं घटा सकता बल्कि माँ, दादा के होते हुए पूरे माल का तिहाई पायेगी उस को मिसाल से यूँ समझना चाहिए।

मिसाल.1

मसअला.6

बाप	माँ	शौहर
2	1	3

इस की तौज़ीह यह है कि शौहर को निस्फ़ मिला और माँ को शौहर का हिस्सा निकालने के बाद जो बचा था उस में से तिहाई मिला हालांकि माँ का हिस्सा कुल माल का तिहाई है और इस की वजह यह कि अगर हम माँ को कुल माल का तिहाई देते तो इस का हिस्सा बाप के बराबर हो जाता जो दुरुस्त नहीं इस लिये बाप ने माँ के हिस्से को घटा दिया जब कि दादा एक वासिता हो जाने की वजह से ऐसा नहीं कर सकता मिसाल मुलाहिज़ा हो। (मुसन्निफ)

मिसाल.2

मसअला.12

माँ	बीवी	दादा
4	3	5

इस सूरत में माँ को पूरे माल का तिहाई मिलेगा यही इमाम अबूहनीफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु का क़ौल है।

मसअला.4:– हक़ीक़ी भाई बहन हों या अल्लाती (बाप शरीक) हों या अख़्याफ़ी (माँ शरीक) सब के सब बाप के होते हुए बिल'इत्तिफ़ाक़ महरूम हो जाते हैं जब कि दादा के होते हुए भी इमाम अबूहनीफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु के नज़्दीक महरूम होते हैं फ़तवा इसी पर है। (आलमगीरी जि.48 स.6 सिराजी)

मिसालें मुलाहज़ा हों

मिसाल.1

मसअला.1

बाप	हक़ीक़ी बहन	हक़ीक़ी भाई
1	महरूम	महरूम

मिसाल.2

मसअला.1

दादा	भाई	बहन
1	महरूम	महरूम

मसअला.5:– बाप के होते हुए दादा महरूम रहेगा क्योंकि रिश्तेदारी में अस्ल बाप ही है।

मिसाल.

मसअला

बाप	दादा
1	महरूम

माँ शरीक भाईयों और बहनों के हिस्सों का बयान

मसअला.1:– अगर माँ शरीक भाई या बहन सिर्फ़ एक है तो उसे छठा हिस्सा मिलेगा $\frac{1}{6}$ (आलमगीरी जि.6 स.448)

मिसाल

मसअला.6

शौहर	माँ शरीक भाई	चचा
3	1	2

मसअला.2:– अगर माँ शरीक भाई या बहन दो या दो से ज़ाइद हों तो वह सब एक तिहाई $\frac{1}{3}$ में

शरीक हो जायेंगे और उन भाई बहनों को बराबर हिस्सा मिलेगा। (सिराजी 7)

मिसाल

मसअला.12

बीवी	माँ शरीक भाई	माँ शरीक बहन	चचा
3	2	2	5

मसअला.3:– माँ शरीक भाई या बहन मय्यित के बेटा बेटी, पोता पोती (नीचे तक) बाप या दादा के होते हुए महरूम हो जायेंगे। (आलमगीरी जि.6 स.45)

मिसाल:1

मसअला.1

बाप	माँ शरीक भाई
1	महरूम

मिसाल:2

मसअला.1

दादा	माँ शरीक भाई
1	महरूम

नोटः– माँ शरीक बहनें भी आम हालतों में माँ शरीक भाईयों की तरह हैं।

शौहर के हिस्सों का बयान

मसअला.1:– शौहर को कुल माल का आधा $\frac{1}{2}$ उस सूरत में मिलेगा जब कि उसके साथ मय्यित का कोई बेटा बेटी या पोता पोती (नीचे तक) न हो। (आलमगीरी जि.6 स.450 दुर्रे मुख़्तार जि.676 स.5)

मिसाल.

मसअला

शौहर	बाप
1	1

मसअला.2:– अगर शौहर के साथ मय्यित का कोई बेटा बेटी या पोता, पोती (नीचे तक) हो तो इस सूरत में शौहर को चौथाई हिस्सा मिलेगा $\frac{1}{4}$ (आलमगीरी जि.6 स.45 दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676)

मिसाल.1

मसअला.4

बेटा	शौहर
3	1

मिसाल.2

मसअला.4

बेटी	चचा	शौहर
2	1	1

मिसाल.3

मसअला.4

शौहर	पोता
1	3

बीवियों के हिस्सों का बयान

मसअला.1:– अगर मय्यित की बीवी के साथ मय्यित का बेटा बेटी या पोता पोती न हो तो इस को कुल माल का चौथाई $\frac{1}{4}$ मिलेगा (आलमगीरी जि.6 स.45)

मिसाल.

मसअला.4

बीवी	भाई
1	3

मसअ्ला.2:– अगर मय्यित की बीवी के साथ मय्यित का बेटा बेटी या पोता पोती हो तो उसको आठवाँ हिस्सा मिलेगा $\frac{1}{8}$ (आलमगीरी जि.6 स.450 स. दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.674)

मिसाल

मिसाल

मसअ्ला.8

बेटा	बीवी
7	1

मसअ्ला.8

पोता	बीवी
7	1

हक़ीक़ी बेटियों के हिस्सों का बयान

मसअ्ला.1:– अगर सिर्फ़ एक बेटी हो तो उसको आधा $\frac{1}{2}$ मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.448, दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676)

मिसाल:–

मसअ्ला.6

बाप	बेटी
2+1=3	3

मसअ्ला.2:– अगर बेटियाँ दो या दो से ज़ाइद हों तो उन सब को दो तिहाई $\frac{2}{3}$ मिलेगा और उन में बराबर बराबर तक़सीम होगा। (आलमगीरी जि.6 स.448, दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676)

मिसाल.

मसअ्ला.3

बेटी	बेटी	भाई
1	1	1

मसअ्ला.3:– और अगर बेटी के साथ मय्यित का लड़का भी हो तो बेटी और बेटा दोनों अ़स्बा बन जायेंगे और माल बतौर अ़सूबत दोनों में इस तरह तक़सीम होगा कि बेटों को ब'निस्बत बेटी के दोगुना दिया जायेगा। (आलमगीरी जि.6 स.448, दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676)

मिसाल.1

मसअ्ला.4

शौहर	बेटी	बेटा
1	1	2

मिसाल.2

मसअ्ला.4,24

शौहर	बेटी	बेटी	बेटा	बेटा
1/6	3	3	6	6

पोतियों के हिस्सों का बयान

मसअ्ला.1:– अगर मय्यित के बेटा बेटी नहीं सिर्फ़ एक पोती है तो इस को आधा $\frac{1}{2}$ मिलेगा। (आलमगीरी)

मिसाल.

मसअ्ला.8

बीवी	चचा	पोती
1	3	4

मसअ्ला.2:– अगर मय्यित का बेटा बेटी नहीं है दो पोतियाँ हैं या दो से ज़ाइद तो वह दो तिहाई में शरीक होंगी। (आलमगीरी जि.6 स.448, दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676)

मिसाल

मसअ्ला.12

शौहर	चचा	पोती	पोती	पोती	पोती
3	1	2	2	2	2

मसअ्ला.3:– अगर मय्यित की एक बेटी है तो पोती एक हो या एक से ज़ाइद वह सब की सब छटे हिस्से $\frac{1}{6}$ में शरीक होंगी ताकि लड़कियों का हिस्सा दो तिहाई पूरा होजाये उस से ज़ाइद न हो क्योंकि क़ुर्आन करीम में लड़कियों का हिस्सा दो तिहाई से ज़ाइद किसी सूरत में नहीं है अब आधा तो हक़ीक़ी बेटी ने क़ुव्वते क़राबत की वजह से ले लिया तो सिर्फ़ छठा हिस्सा ही बाक़ी रहा जो

पोतियों को मिलजायेगा। (शरीफिया स.34, आलमगीरी जि.6 स.448, दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676)

मिसालः– मसअला.12

शौहर	बेटी	पोती	पोती	चचा
3	6	1	1	1

मसअला.4:– पोतियाँ मय्यित की दो हक़ीक़ी बेटियों के होते हुए महरूम हो जायेंगी बशर्तेकि मय्यित का कोई पोता, पर'पोता (नीचे तक) मौजूद न हो। (आलमगीरी जि.6 स.448, दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676)

मिसालः– मसअला.24

बीवी	बेटी	बेटी	पोती	चचा
3	8	8	म	5

मसअला.5:– अगर पोतियों के साथ मय्यित की दो हक़ीक़ी बेटियाँ भी हों और पोता या पर'पोता (नीचे तक) हो तो पोतियाँ, पोते या पर'पोते के साथ अ़स्बा हो जायेंगी। (आलमगीरी जि.6 स.448)

मिसाल.1 मसअला.3,9

बेटी	बेटी	पोती		पोता
1/3	1/3	1	(1/3)	2

मिसाल.2 मसअला.3,9

बेटी	बेटी	पोती		पर'पोता
1/3	1/3	1	(1/3)	2

मसअला.6:– पोतियों के साथ अगर मय्यित का बेटा हो तो पोतियाँ महरूम होजायेंगी(आलमगीरी जि.6 स.448)

मिसालः मसअला

पोती	पोती	बेटा
म	म	1

हक़ीक़ी बहनों के हिस्सों का बयान

मसअला.1:– अगर बहन एक है तो उसे आधा $\frac{1}{2}$ मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.448, दुर्रे मुख़्तार जि.5 स.676)

मिसाल – मसअला .2

बहन	चचा
1	1

मसअला.2:– अगर बहनें दो या दो से ज़ाइद हैं तो वह दो तिहाई 2/3 में शरीक होंगी(आलमगीरी जि.6 स.448)

मिसाल – मसअला.3

बहन	बहन	चचा
1	1	1

मसअला.3:– अगर मय्यित की बहनों के साथ मय्यित का कोई भाई भी हो तो वह उसके साथ मिलकर अ़स्बा हो जायेंगी और तक़सीमे माल "लिज़्ज़क्रे मिस्लु हज़्ज़िल उनस्यैन" की बुनियाद पर होगी यानी मर्द को दो औरतों के बराबर हिस्सा मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.448, दुर्रेमुख़्तार जि.5 स. 676)

मिसाल – मसअला.4

बहन	बहन	भाई
1	1	2

मसअला.4:– अगर बहनों के साथ मय्यित की कोई बेटी, पोती या पर'पोती (नीचे तक) हो तो अब बहन अ़सबा बन जायेगी, यानी जो कुछ बाक़ी बचेगा वह लेगी, क्योंकि हदीस में फ़रमाया बहनों को बेटियों के साथ अ़स्बा बनाओ। (दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676, बहरुर्राइक़, तबईन)

मिसाल – मसअला.6

बेटी	पोती	बहन
3	1	2

बाप शरीक बहनों के हिस्सों का बयान

मसअला.1:– अगर बाप शरीक बहन एक हो और हक़ीक़ी बहन कोई न हो तो उसे आधा मिलेगा (आलमगीरी जि.6 स.450 दुर्रे मुख़्तार जि.5 स.676)

मिसाल – मसअला.2

बाप शरीक बहन	चचा
1	1

मसअला.2:– अगर दो या दो से ज़ाइद बाप शरीक बहनें हों तो वह दो तिहाई $\frac{2}{3}$ में शरीक होंगी।

मिसाल – मसअला.3

बाप शरीक बहन	बाप शरीक बहन	चचा
1	1	1

मसअला.3:– अगर मय्यित की बाप शरीक बहन या बहनों के साथ एक हक़ीक़ी बहन हो तो बाप शरीक बहन या बहनों को सिर्फ़ छठा تكملة للثلثين मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.450 दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676)

मिसाल – मसअला.6

बहन	बाप शरीक बहन	चचा
3	1	2

मसअला.4:– अगर बाप शरीक बहन के साथ मय्यित की दो हक़ीक़ी बहनें हों तो उसको कुछ न मिलेगा इस लिये कि दो तिहाई जो ज़ाइद से ज़ाइद बहनों का हिस्सा था वह पूरा हो चुका (आलमगीरी जि.6)

मिसाल – मसअला.3

बहन	बहन	बाप शरीक बहन	चचा
1	1	महरूम	1

मसअला.5:– अगर बाप शरीक बहन के साथ मय्यित की दो हक़ीक़ी बहनें हों और बाप शरीक भाई भी हो तो हक़ीक़ी बहनों के हिस्से के बाद जो कुछ बचेगा वह उनके दरम्यान लिल्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िलउनसयैन की बुनयाद पर मुन्क़सिम होगा।(बज़ाज़िया अली आलमगीरी जि.6 स.404 आलमगीरी जि.6 स.450)

मिसाल – मसअला.3

बहन	बहन	बाप शरीक बहन		बाप शरीक भाई
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	1	$(\frac{1}{3})$	2

मसअला.6:– अगर बाप शरीक बहनों के साथ मय्यित की बेटियाँ या पोतियाँ (नीचे तक) हों तो यह बहनें उनके साथ अ़सबा होजायेंगी।(आलमगीरी जि.6 स.450, दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676)

मिसाल – मसअला.2

बेटी	बाप शरीक बहन
1	1

मसअला.7:– हक़ीक़ी भाई बहन हों या बाप शरीक सब के सब बेटे या पोते (नीचे तक) और बाप के होते हुए बिल इत्तिफ़ाक़ महरूम रहते हैं और इमाम अबू हनीफ़ा के नज़्दीक दादा के होते हुए भी महरूम होजाते हैं और फ़तवा इसी पर है। (आलमगीरी जि.6 स.450, दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676)

मिसाल – मसअला.1

बेटा	हक़ीक़ी भाई	हक़ीक़ी बहन	बाप शरीक भाई	बाप शरीक बहन
1	महरूम	महरूम	महरूम	महरूम

मिसाल.2 — मसअला.1

बाप	हक़ीक़ी भाई	हक़ीक़ी बहन	बाप शरीक भाई	बाप शरीक बहन
1	म	म	म	म

मसअला.8:—बाप शरीक भाई या बहन, हक़ीक़ी भाई के होते हुए महरूम होजाते हैं। (आलमगीरी जि.6 स.450)

मिसाल —मसअला.1

हक़ीक़ी भाई	बाप शरीक भाई	बाप शरीक बहन
1	महरूम	महरूम

माँ के हिस्सों का बयान

मसअला1:— अगर मय्यित की माँ के साथ मय्यित का कोई बेटा या बेटी या पोता, पोती हो तो माँ को छठा हिस्सा मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.449, दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.539)

मिसाल — मसअला.6 / 18

माँ	बेटा		बेटी
$\frac{1}{3}$	10	$\frac{5}{15}$	5

मसअला.2:— अगर मय्यित की माँ के साथ मय्यित के दो भाई बहन हों ख़्वाह वह हक़ीक़ी हों, बाप शरीक हों या माँ शरीक हों तो माँ को इस सूरत में भी छठा हिस्सा 1/6 मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.449)

मिसाल — मसअला.6 / 18

माँ	भाई		बहन
$\frac{1}{3}$	10	$\frac{5}{15}$	5

मसअला.3:— अगर माँ के साथ मय्यित के मज़कूरा रिश्तेदार न हों तो माँ को कुल माल का तिहाई हिस्सा 1/3 मिलेगा। (आलमगीरी जि.6 स.449)

मिसाल — मसअला.3

माँ	चचा
1	2

मसअला.4:— अगर माँ के साथ शौहर और बीवी में से भी कोई एक हो तो पहले शौहर या बीवी का हिस्सा दिया जायेगा फिर जो बचेगा उसमें से एक तिहाई माँ को दिया जायेगा और यह सिर्फ दो सूरतों में है। (आलमगीरी जि.6 स.449, दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.675)

मिसाल.1 — मसअला.6

माँ	बाप	शौहर
1	2	3

मिसाल.2 — मसअला.4

माँ	बाप	बीवी
1	2	1

मसअला.4:— अगर मज़कूरा सूरतों में बजाय बाप के दादा हो तो माँ को कुल माल का तिहाई मिलेगा $\frac{1}{3}$ (आलमगीरी जि.6 स.450)

मिसाल — मसअला.12

माँ	बीवी	दादा
4	3	5

दादी के हिस्सों का बयान

मसअला.1:— जद्दाए सहीहा जिसका बयान हो चुका है उसको छठा हिस्सा मिलेगा दादियाँ और नानियाँ एक से ज़ाइद हों और सब दर्जे में बराबर हों तो वह भी हिस्से में शरीक होंगी।

मिसाल.1—मसअला.6

दादी	चचा
1	5

मिसाल—2—मसअला.6

दादी ($\frac{1}{2}$)	नानी	चचा
1	1	5
		10

मसअ्ला.2:— अगर दादी व नानी के साथ मय्यित की माँ भी हो तो दादी व नानी दोनों महरूम हो जायेंगी। (आलमगीरी जि.6 स.450 दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676)

मिसाल.1—मसअ्ला.12

बीवी	माँ	नानी	नानी	चचा
3	4	म	म	5

मिसाल.2— मसअ्ला.12

बीवी	माँ	दादी	चचा
3	4	म	5

मसअ्ला.3:— वह दादियाँ जो बाप की त़रफ़ से हों वह बाप के होते हुए भी महरूम हो जायेंगी(आलमगीरी)

मिसाल— मसअ्ला.6

बेटा	बाप	दादी (बाप की माँ)
5	1	महरूम

मसअ्ला.4:— वह दादियाँ जो बाप की त़रफ़ से हों और दादा से ऊपर हों वह दादा के होते हुए साक़ित होजायेंगी लेकिन बाप की माँ साक़ित न होगी क्योंकि उसकी रिश्तेदारी दादा के वास्ते से नहीं। (दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.676)

मिसाल.1 : मसअ्ला.4

बीवी	दादा	दादा की माँ (पर दादी)
1	3	महरूम

मिसाल .2 : मसअ्ला.12

बीवी	दादा	दादी (बाप की माँ)
3	7	2

मसअ्ला.5:— क़रीब वाली दादी व नानी दूर वाली दादी और नानी को महरूम करदेगी।

मिसाल: 1. मसअ्ला .4:—

बीवी	बाप की माँ	दादा	नानी की माँ
3	2	7	महरूम

अ़सबात का बयान

मसअ्ला.1:— अ़सबात से मुराद वह लोग हैं जिनके मुक़र्रर शुदा ह़िस्से नहीं अलबत्ता अस़ह़ाबे फ़राइज़ से जो बचता है उन्हें मिलता है और अगर अस़ह़ाबे फ़राइज़ न हों तो तमाम उन्हीं में तक़सीम हो जाता है। (आलमगीरी जि.6 स.451, दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.677)

अ़सबात की दो क़िस्में हैं अ़सबाते नसबी[1] और अ़सबाते सबबी[2]

मसअ्ला.2:— अ़सबाते नसबी से मुराद वह रिश्तेदार हैं जिन के मुक़र्ररा ह़िस्से नहीं हैं बल्कि अस़ह़ाबे फ़राइज़ से अगर कुछ बचता है तो उन्हें मिलता है अ़सबा नसबी की तीन क़िस्में हैं (1)अ़सबा बिनफ़्सिही, (2)अ़सबा बिग़ैरिही (3)अ़सबा मअ् ग़ैरिही। (शरीफ़िया स.45)

मसअ्ला.3:— अ़सबा बिनफ़्सिही से मुराद वह मर्द है कि जब उसकी निस्बत मय्यित की त़रफ़ की जाये तो दरम्यान में कोई औरत न आये अ़सबा बिनफ़्सिही की चार क़िस्में हैं।

पहली क़िस्म:— जुज़्वे मय्यित य़ानी बेटे पोते (नीचे तक)

दूसरी क़िस्म:— असले मय्यित य़ानी मय्यित का बाप, दादा (ऊपर तक)

तीसरी क़िस्म:— मय्यित के बाप का जुज़ य़ानी भाई फिर उनकी मुज़क्कर औलाद दर औलाद(नीचे तक)

चौथी क़िस्मः– मय्यित के दादा का जुज़ यानी चचा फिर उनकी मुज़क्कर औलाद दर औलाद(नीचे तक)

मसअ्ला.4:– उन चारों क़िस्मों में विरासत बित्तरतीब जारी होगी और तर्तीब वही है जो हमने तक़सीम में इख़्तियार की है यानी अगर पहली क़िस्म के लोग मौजूद हैं तो दूसरी क़िस्म के लोग असबा नहीं बनेंगे और दूसरी क़िस्म के होते हुए तीसरी क़िस्म के असबा नहीं बनेंगे और तीसरी क़िस्म के होते हुए चौथी क़िस्म के नहीं बनेंगे। (दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.677)

मिसाल–1. मसअ्ला.12

शौहर	बेटा	बाप
3	7	2

मज़कूरा सूरत में बाप को बतौर असूबत कुछ नहीं मिला है 1/6बतौर फ़रज़ियत दिया गया है,

मिसाल.1 मसअ्ला .4:–

शौहर	बेटा	चचा
1	3	महरूम

मसअ्ला.5:– असबात में तर्तीब व तरजीह का एक उसूल तो हमने ज़िक्र कर दिया कि रिश्तेदारी का क़ुर्ब देखा जायेगा इसके बाद दूसरा उसूल यह है कि क़ुव्वते क़राबत को देखा जायेगा यानी दोहरी रिश्तेदारी वाले को इकहरी रिश्तेदारी वाले पर तरजीह होगी इस में मर्द व औरत की भी तफ़रीक़ नहीं।

मिसाल.1 मसअ्ला.4

बीवी	हक़ीक़ी भाई	बाप शरीक भाई
1	3	महरूम

मिसाल.2 मसअ्ला .8:–

बीवी	बेटी	बाप शरीक भाई	हक़ीक़ी बहन
1	4	म	3

मसअ्ला.6:– असबा बिग़ैरिही चार औरतें हैं, यह वह औरतें हैं जिनका मुक़र्ररा हिस्सा निस्फ़ या दो तिहाई है यह औरतें अपने भाईयों की मौजूदगी में असबा बन जायेंगी और बजाय फ़र्ज़ के सिर्फ़ बतौर असूबत जो मिलेगा वह लेंगी, वह औरतें यह हैं (1)बेटी (2)पोती (3)हक़ीक़ी बहन (4)बाप शरीक बहन। (दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.679)

मिसाल.1 मसअ्ला .4:–

शौहर	बेटा	बेटी
1	2	1

मिसाल.2 मसअ्ला .2, 6

शौहर	भाई	$(\frac{1}{3})$	बहन
1/3	2		1

मसअ्ला.7:– वह औरतें जिनका फ़र्ज़ हिस्सा नहीं है मगर उनका भाई असबा है वह अपने भाई के साथ असबा नहीं होंगी। क्योंकि क़ुर्आन करीम में सिर्फ़ बेटियों और बहनों को ही अपने भाईयों के साथ असबा क़रार दिया गया है। (दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.679)

मिसाल.1 मसअ्ला.4

जौज़ा	चचा	फ़ूफ़ी
1	3	महरूम

इस सूरत में बाक़ी कुल माल चचा को मिलेगा और उसकी बहन जो मय्यित की फ़ूफ़ी है महरूम रहेगी।

मसअ्ला.8:– अ़सबा मअ् गै़रिही से मुराद वह औरत है जो दूसरी औरत के साथ मिलकर अ़सबा बन जाती है जैसे हक़ीक़ी बहन या बाप शरीक बहन बेटी के होते हुए अ़सबा बन जाती है।

मिसाल: मसअ्ला.8

बीवी	हक़ीक़ी बहन	बेटी
1	3	4

मसअ्ला.8

ज़ौजा	बाप शरीक बहन	बेटी
1	3	4

मसअ्ला.9:– सबबी अ़सबा मौलल'इताक़ा है अगर हमें किताब के ना'मुकम्मल रह जाने का ख़तरा न होता हम मौलल'इताक़ा की बहस को हज़फ़ कर देते क्योंकि अब दर हक़ीक़त इसका कोई वजूद नहीं बहर हाल इस से मुराद वह शख़्स है जिसने कोई गुलाम आज़ाद किया हो और वह गुलाम मरगया हो और गुलाम का कोई रिश्तेदार न हो सिर्फ़ उसको आज़ाद करने वाला शख़्स हो अब उसका आक़ा उसको आज़ाद करने के सबब उसकी मीरास् का मुस्तहक़ होगा क्योंकि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है

(الولاءُ لحمة كلحمة النسب)

"वला का तअ़ल्लुक नसबी तअ़ल्लुक़ ही की तरह है"(दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.680)

मसअ्ला.10:– अगर आज़ाद करने वाला भी ज़िन्दा न हो तो माल उसके अ़सबात को उसी तर्तीब के मुताबिक़ मिलेगा जो हम अ़सबात की तर्तीब में बयान कर आये हैं अल्बत्ता फ़र्क़ यह है कि आज़ाद करने वाले के अ़सबात में अगर औरतें हैं तो उनको कुछ न मिलेगा इस लिये कि हुज़ूर स़ल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ़रमाया है (ليس للنساء من الولاء)"औरतों के लिये विला नहीं" यानी उन्हें इस सबब से मीरास् न मिलेगी कि उनके किसी रिश्तेदार ने किसी शख़्स को आज़ाद किया था और अगर किसी औरत ने ख़ुद गुलाम आज़ाद किया था तो वह उस की मीरास् ले लेगी। (शरीफ़िया 51 व दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.681)

हज्ब का बयान

मसअ्ला.1:– इल्मे फ़राइज़ की इस्तिलाह में हज्ब से मुराद यह है कि किसी वारिस् का हिस्सा किसी दूसरे वारिस् की मौजूदगी की वजह से या तो कम होजाये या बिल्कुल ही ख़त्म होजाये इस की दो क़िस्में हैं हज्बे नुक़सान और हजबे हिरमान। (शरीफ़िया 57)

मसअ्ला.2:– हज्बे नुक़सान यानी विरासत के हिस्से का कम होजाना पाँच क़िस्म के वारिसों के लिये है (1)शौहर के लिये:–

मिसाल.1 मसअ्ला.4

शौहर	बेटा
1	3

शौहर का हिस्सा निस्फ़ $\frac{1}{2}$ था मगर मय्यित की औलाद की वजह से चौथाई $\frac{1}{4}$ होगया। (2)बीवी का भी यही हाल है।

मिसाल.2 मसअ्ला.8

बीवी	बेटा
1	7

बीवी को अगर औलाद न हो तो चौथाई मिलता है मगर औलाद हिस्सा कम कर देती है यानी बजाए चौथाई के आठवाँ मिलेगा।

(3)माँ का हिस्सा भी औलाद या दो भाई बहनों की मौजूदगी में बजाए तिहाई के छठा रह जाता है।

मिसाल.3 मसअ्ला .6:–

माँ	बेटा
1	5

(4)पोती, पोती का हिस्सा एक हक़ीक़ी बेटी की मौजूदगी में निस्फ़ से कम होकर छठा रह जाता है
(5)बाप शरीक बहन उसका हिस्सा एक हक़ीक़ी बहन की मौजूदगी में निस्फ़ के बजाए छठा रहजाता है।

मिसाल.4 मसअला.6

बेटी	पोती	चचा
3	1	2

मिसाल.5 मसअला .6:–

बहन	बाप शरीक बहन	चचा
3	1	2

मसअला.3:– हज्ब हिरमान यानी किसी वारिस् को दूसरे वारिस् की वजह से महरूम होजाना(सिराजिया 51)
मसअला.4:– हर वह शख़्स जिसको मय्यित से किसी शख़्स के ज़रिआ से तअल्लुक़ हो वह इस दरम्यानी शख़्स की मौजूदगी में विरासत से महरूम रहेगा अल्बत्ता माँ शरीक बहन और भाई इस क़ानून के इतलाक़ से मुस्तस्ना हैं मसलन दादा, बाप के होते हुए महरूम रहेगा।

मिसाल.1 मसअला.4

बीवी	बाप	दादा
1	3	महरूम

मिसाल.2 मसअला.12

बीवी	माँ	नानी	भाई
3	4	म	5

मसअला.5:–क़रीबी रिश्तेदार दूर वाले रिश्तेदार को महरूम कर देता है।

मिसाल.1 मसअला.8

बीवी	बेटा	पोता
1	7	म

पोता ख़्वाह इस बेटे से हो या दूसरे बेटे से हो महरूम रहेगा क्योंकि बेटा ब'निस्बत पोते के ज़्यादा क़रीब है।
मसअला.6:– जो वारिस् खुद मीरास् से महरूम होगया है वह दूसरे वारिस् का हिस्सा कम या बिल्कुल ख़त्म कर सकता है।

मिसाल.1 मसअला.6

बाप	भाई	भाई	माँ
5	म	म	1

अब भाई के होते हुए महरूम हैं मगर इसके बा'वजूद उन्होंने माँ का हिस्सा तिहाई से कम कर के छठा कर दिया।

मिसाल.2 मसअला .4

बीवी	दादी	बाप	नानी की माँ
1	म	3	मै

इस सूरत में दादी बाप की वजह से महरूम है मगर उसने पर'नानी को महरूम कर दिया।

हिस्सों के मख़ारिज का बयान

मसअला.1:– इस्तिलाहे फ़राइज़ में मख़रज से मुराद वह छोटे से छोटा अदद है जिसमें से तमाम वुरसा को बिला कस्र (बिना तोड़े) उनके हिस्से तक़सीम किये जा सकें। (दुर्रेमुख़्तार जि.5)

मिसाल. मसअला .6

माँ	बेटी	पोती	चचा
1	3	1	1

यहाँ छः इस्तिलाह में मख़रजुल'मसअला है, अगर्चे मसअला 12 से भी बिला कस्र दुरुस्त था और चौबीस से भी मगर छः सब से छोटा अदद है, लिहाज़ा यही मख़रजुल'मसअला है।
मसअला.2:– हम पहले बयान कर चुके हैं कि मुक़र्ररा हिस्से छः हैं जिनको दो किस्मों पर मुन्कसिम

किया गया है,

पहली क़िस्म आधा,चौथाई, आठवाँ **दूसरी क़िस्म** दो तिहाई, तिहाई, छठा,

अब अगर किसी मसअ्ला में एक ही फ़र्ज़ हिस्सा हो तो उसका मख़रज उस हिस्से का हमनाम अदद होगा। (शरीफ़िया 61) मस्लन अगर छठा है तो मख़रज मसअ्ला 6 क़रार पायेगा। आठवाँ है तो आठ क़रार पायेगा। और आप ने मिसालों में देख लिया कि मख़रज मसअ्ला वारिसों के ऊपर खींचे जाने वाले ख़त पर दायें जानिब लिखा जाता है आधा हिस्सा अगर हो तो इसका मख़रज दो है और दो तिहाई हो तो उसका मख़रज तीन है।

मिसाल. मसअ्ला .3

बेटी	बेटी	चचा
1	1	1

मसअ्ला.3:— अगर किसी मसअ्ला में एक से ज़्यादा हिस्से जमअ् होजायें मगर वह एक ही क़िस्म के हों(उन दो क़िस्मों में से जो हमने बयान की हैं)तो सब से छोटे का मख़रज होगा वही तमाम हिस्सों का होगा।

मिसाल.1 मसअ्ला .6

माँ	हक़ीक़ी बहन	हक़ीक़ी बहन	चचा
1	2	2	1

इस मिसाल में माँ का छठा हिस्सा है और दो बहनों का दो तिहाई है मगर छठा दो तिहाई से कम है लिहाज़ा हमने छठे के हमनाम अदद को मख़रजे मसअ्ला क़रार दिया है।

मिसाल.2 मसअ्ला .7

माँ	हक़ीक़ी बहन	हक़ीक़ी बहन	माँ शरीक बहन	माँ शरीक बहन
1	2	2	1	1

इस मिसाल में दूसरी क़िस्म के तमाम हिस्से जमअ् होगये हैं लिहाज़ा जो सब से छोटे हिस्से का मख़रज था वही तमाम का मख़रज क़रार पाया।

मसअ्ला.4:— अगर पहली क़िस्म का निस्फ़ $\frac{1}{2}$ दूसरी क़िस्म के किसी हिस्से के साथ आजाये या सब के साथ आजाये तो मसअ्ला छः से होगा।

मिसाल.1 मसअ्ला.6, 10

शौहर	माँ	हक़ीक़ी बहन.2	माँ शरीक बहन
3	1	4	2

इस मिसाल में शौहर का हिस्सा निस्फ़ है जो दूसरी क़िस्म के तमाम हिस्सों के साथ आ गया है यानी $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$ के साथ इस लिए मसअ्ला 1/6 से होगा फ़िर मोअव्वल होकर 10 से हो जायेगा।

मिसाल.2 मसअ्ला.6,(7)

शौहर	बहनें.2
3	4

मिसाल.3 मसअ्ला .6

शौहर	माँ शरीक बहनें.2	चचा
3	2	1

मिसाल.4 मसअ्ला.6

माँ	बेटी	चचा
1	3	2

मिसाल.5 मसअ्ला .6

शौहर	हक़ीक़ी बहनें.2	माँ
3	4	1

मसअ्ला.5:— अगर चौथाई दूसरी क़िस्म के किसी हिस्से या तमाम हिस्सों के साथ जमा हो जाये तो मख़रज मसअ्ला 12 होगा। (शरीफ़िया स.63)

मिसाल.1 मसअ्ला.12 (17)

बीवी	माँ	हक़ीक़ी बहनें.2	माँ शरीक बहनें.2
3	2	8	4

इस मिसाल में चौथाई 1/4 के साथ $\frac{1}{6}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$ सब ही जमा हैं इस लिये मख़रज मसअ्ला 12 है।

मसअ्ला.6:— अगर आठवाँ हिस्सा दूसरी क़िस्म के तमाम हिस्सों या बाज़ हिस्सों के साथ आजाये

तो मख़रज मसअ्ला 24 होगा।

मिसाल.1 मसअ्ला.24

बीवी	बेटियाँ.2	माँ	चचा
3	16	4	1

इस मिसाल में आठवाँ, दो तिहाई और छठे के साथ आया है इस लिये मसअ्ला चौबीस से किया गया है।

मिसाल.2 मसअ्ला.24

बीवी	बेटियाँ.2	चचा
3	16	5

औल का बयान

मसअ्ला.1:– औल से मुराद इस्तिलाहे फ़राइज़ में यह है कि मख़रज मसअ्ला जब वुरसा के हिस्सों पर पूरा न होता हो यानी हिस्से ज़ाइद हों और मख़रज का अदद हिस्सों के मजमूई आदाद से कम हो तो मख़रज मसअ्ला के अदद में इज़ाफ़ा कर दिया जाता है इस तरह कमी तमाम वुरसा पर उनके हिस्सों की निस्बत से हो जाती है। (दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.537)

मसअ्ला.2:– औल का फ़ैसला सब से पहले सय्यदिना उमर फ़ारूक़ रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़रमाया उनके अहद में दर्जे ज़ैल मसअ्ला पेश आया आपने सहाबा से मशवरा किया तो इब्ने अब्बास ने औल का मश्वरा दिया।

मसअ्ला.6, 8

शौहर	माँ	बहन
3	2	3

इस पर किसी ने इन्कार न किया (दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.688) फिर बाद में यही तरीक़ा राइज होगया अब इस मसअ्ला में हिस्सों की तअ्दाद आठ है जब कि मख़रज छः है लिहाज़ा दो अदद का इज़ाफ़ा कर दिया गया है और एक निशान जो ع औल का मुख़फ़्फ़फ़ (छोटा करदेना) है लगा दिया गया है।

मसअ्ला.3:– छः का औल ताक़ अदद (बेजोड़ अदद) में भी होता है और जुफ़्त (जोड़े वाले अदद) में भी मगर यह औल सिर्फ़ दस तक होता है। (दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.689)

मिसाल.1 मसअ्ला.6, (7)ع

शौहर	बहन	बहन
3	2	2

मिसाल.2 मसअ्ला .6, (8)ع

माँ	शौहर	बहन	बहन
1	3	2	2

मिसाल.3 मसअ्ला .6, (9)ع

माँ	शौहर	बहन	बहन	माँ शरीक भाई
1	3	2	2	1

मिसाल.4 मसअ्ला.6,(10)ع

माँ	शौहर	बहन	बहन	माँ शरीक भाई	माँ शरीक भाई
1	3	2	2	1	1

मसअ्ला.4:– बारह का औल सत्रह तक होता है मगर यह औल जुफ़्त अदद (जोड़ अदद) में नहीं होगा सिर्फ़ ताक़ में होगा। (दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.689 शरीफ़िया स.57)

मिसाल.1 मसअ्ला.12,(13)ع

बीवी	बहन	बहन	माँ
3	4	4	2

मिसाल.2 मसअ्ला .12,(15)ع

बीवी	बहन	बहन	माँ	माँ शरीक भाई
3	4	4	2	2

मिसाल.3 मसअला.12, (17)ع

बीवी	बहन	बहन	माँ	माँ शरीक भाई	माँ शरीक भाई
3	4	4	2	2	2

मसअला.5:– चौबीस का औल सिर्फ़ सत्ताईस है। (दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.689)

मिसाल.1 मसअला 24 (27)ع

बीवी	बेटी	बेटी	माँ	बाप
3	8	8	4	4

अअ्दाद के दरम्यान निस्बतों का बयान

तख़रीज मसाइल के वक़्त मुरत्तबा की तअ्दाद उनके हिस्सों की तअ्दाद मख़रज मसअ्ला का अदद सब ही को मद्दे नज़र रखना होता है फिर उन अअ्दाद की बाहमी निस्बतें भी तख़रीजे मसाइल के सिल्सिले में बुनयादी हैसियत रखती हैं हम उन निस्बतों का ज़िक्र करते हैं।

तमासुल:– अगर दो अदद आपस में बराबर हैं तो उनमें तमासुल की निस्बत है जैसे 4=4

तदाखुल:– दो मुख़्तलिफ़ अददों में से छोटा अदद अगर बड़े को काट दे यानी बड़ा छोटे पर पूरा पूरा तक़सीम होजाये तो उन दोनों में निस्बत तदाखुल है जैसे 16 और 4

तवाफ़ुक़:– दो मुख़्तलिफ़ अददों में से अगर छोटा बड़े को न काटे बल्कि एक तीसरा अदद दोनों को काटे तो उन दोनों में निस्बते तवाफ़ुक़ होगी जैसे 8 और 20 कि उन्हें 4 काटता है उन दोनों में तवाफ़ुक़ बिर्रुबअ् है और 5 बीस का अदद वफ़्क़ है जब कि दो आठ का अददे वफ़्क़ है।

तबायुन:– अगर दो मुख़्तलिफ़ अदद इस क़िस्म के हों कि न तो वह आपस में एक दूसरे को काटें और न ही कोई तीसरा उनको काटे तो उनमें निस्बते तबायुन है जैसे 9 और 10

निस्बतों की पहचान

दो अददों में मुमासलत और मसावात तो ज़ाहिर ही होती है अल्बत्ता तदाखुल और तवाफ़ुक़ और तबायुन की पहचान का क़ायदा मअ्लूम होना ज़रूरी है और वह यह है।

दो अददों में अगर छोटा अदद बड़े अदद को पूरा पूरा तक़सीम करदे तो यह तदाखुल है और अगर पूरा पूरा तक़सीम न करे तो छोटे अदद को बड़े अदद से तक़सीम करें और उसका जो बाक़ी बचे उससे छोटे अदद को तक़सीम करें फिर उसका जो बाक़ी बचे उससे पहले के बाक़ी को तक़सीम करें उसी तरह एक को दूसरे से तक़सीम करते रहें यहाँ तक कि बाक़ी कुछ न बचे तो अगर आख़िरी तक़सीम करने वाला अदद एक है तो उन दो अददों में तबायुन है और अगर एक से ज़्यादा दो, तीन, चार वग़ैरा कोई अदद है तो उनमें तवाफ़ुक़ है और उस अदद के नाम की मुनासबत से इस तवाफ़ुक़ का नाम भी होता है।

मस्लन आख़िरी तक़सीम करने वाला अदद दो था तवाफ़ुक़ बिन्निस्फ़ और तीन था तो तवाफ़ुक़ बिस्सुलुस् और चार था तो तवाफ़ुक़ बिर्रुबोअ् है। इस की मिसालें यह हैं।

13 और 45 को और 10–16 को और 15–9 को इस तरह तक़सीम किया जाये।

```
9) 15 (1        10) 16 (1        13) 45 (3
   9               10               39
  6) 9 (1         6)10(1           6) 13 (2
  3) 6 (2           6                 12
     6            4) 6 (1           1) 6 (6
                     4                 6
                  2) 4 (2
                     4
```

पहली मिसाल में आख़िरी तक़सीम करने वाला अदद एक है लिहाज़ा 13 और 45 में तबायुन है। दूसरी मिसाल में आख़िरी तक़सीम करने वाला अदद दो है लिहाज़ा 10 और 16 में तवाफ़ुक़

बिन्निस्फ़ है और तीसरी मिसाल में आख़िरी तक़सीम करने वाला अ़दद तीन है लिहाज़ा 9 और 15 में तवाफ़ुक़ बिस्सुलुस् है।

तवाफ़ुक़ की सूरत में उन दोनों अ़ददों को तक़सीम करने वाले अ़दद से उन दोनों को तक़सीम करके जो अ़दद हासिल होगा वह उसका वफ़्क़ कहलाता है मस्लन 16 और 10 को दो से तक़सीम किया तो 16 का वफ़्क़ 8 है और 10 का वफ़्क़ 5 है और 9 और 15 को 3 से तक़सीम किया तो 9 का वफ़्क़ 3 है और 15 का वफ़्क़ 5 है।

तस्हीह:– अगर वारिसों की तअ़दाद और अस्ल मसअला से मिलने वाले हिस्सों में कस्र वाक़ेअ़ हो जाये तो इस कस्र के दूर करने को तस्हीह कहते हैं। (ज़ौउरिसराज हाशिया शरीफ़िया 72) और कभी हिस्सों के कम अज़ कम अ़दद से हासिल करने को भी तस्हीह कहते हैं (शरीफ़िया 72) यानी अस्ल मसअला पर भी तस्हीह का इतलाक़ होता है इस सिलसिले में मजमूई तौर पर सात उसूल कार फ़रमा हैं। तीन तो हिस्सों और अअ़दादे रुऊस (यानी जो लोग हिस्सा पाने वाले हैं उनकी तअ़दाद) के दरम्यान हैं और चार ख़ुद अअ़दादे रुऊस के दरम्यान हैं।

मसअला.1:– अगर हर फ़रीक़ के हिस्से उस पर बिला कस्र के मुन्क़सिम हो रहे हैं तो तस्हीह की कोई ज़रूरत नहीं। (शरीफ़िया 72)

मिसाल.1 मसअला.6

माँ	बाप	बेटियाँ.2
1	1	4

अब यहाँ वारिसों के तीन फ़रीक़ हैं और हर फ़रीक़ को पूरा पूरा हिस्सा बिग़ैर कस्र के मिल गया दो बेटियाँ जो एक फ़रीक़ हैं उनका मजमूई हिस्सा 4 है जिस में से दो, दो हर एक को मिल गये।

मसअला.2:– अगर एक फ़रीक़ पर कस्र वाक़ेअ़ हो और उनके अ़दद सिहाम (हिस्सों की तअ़दाद) और अ़ददे रुऊस में निस्बते तवाफ़ुक़ हो तो इस फ़रीक़ के अ़ददे रुऊस का अ़ददे वफ़्क़ निकाल कर उसे अस्ल मसअले में ज़र्ब देंगे और अगर मसअला आइला है तो इसके औल में ज़र्ब देंगे अब जो हासिल होगा वह तस्हीहे मसअला है। फिर इसी अ़ददे वफ़्क़ को हर फ़रीक़ के हिस्से में ज़र्ब दी जायेगी इस तरह इस फ़रीक़ का हिस्सा बिला कस्र निकल आयेगा। अब रहा फ़रीक़ के हर हर फ़र्द का हिस्सा तो उसकी तख़रीज का तरीक़ा हम बाद में बयान करेंगे।

मिसाल.1 मसअला .6त30 अल'मजरूब 5

माँ	बाप	बेटियाँ 10 (5)
$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{4}{20}$

सूरते मज़कूरा में कस्र सिर्फ़ एक फ़रीक़ पर थी यानी बेटियों पर उनके अ़ददे रुऊस 10 और अ़ददे सिहाम 4 में तवाफ़ुक़े बिन्निस्फ़ है यानी दोनों को काटने वाला अ़दद 2 है। लिहाज़ा इस का अ़ददे वफ़्क़ 5 निकला। अब इस को हमने अस्ल मसअला (जो 6 से है) में ज़र्ब दिया तो तीस हासिल ज़र्ब निकाला यह तीस तस्हीहे मसअला है जिस को "त" से ज़ाहिर किया गया है जो तस्हीह का मुख़फ़्फ़फ़ है फिर उसी मज़रूब 5 को हर फ़रीक़ के हिस्से से ज़र्ब दी गई जिस से हर फ़रीक़ का हिस्सा बिला कस्र मअ़लूम होगया।

मिसाल.2 मसअला .12,15 त45 अलमज़रूब 3

शौहर	माँ	बाप	बेटियाँ 6	(3)
$\frac{3}{9}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{8}{24}$	

इस सूरत में हिस्से मख़रज मसअला से बढ़ गये थे लिहाज़ा मसअला आइला होगया फिर सिहाम और रुऊस में निस्बत देखी गई तो सिर्फ़ एक ही फ़रीक़ पर कस्र थी, वह बेटियाँ हैं उनके और उनके हिस्सों के दरम्यान निस्बते तवाफ़ुक़ बिन्निस्फ़ है लिहाज़ा हमने अ़ददे रुऊस के अ़ददे वफ़्क़ को औल मसअला में ज़र्ब दी और इस तरह हासिल ज़र्ब मख़रज मसअला बन गया। फिर

उसी मज़रूब को हर फ़रीक़ के हिस्से से ज़र्ब दे दी गई।

मसअ्ला.3:– अगर कस्र एक ही फ़रीक़ पर हो मगर उनके अ़ददे सिहाम और अ़ददे रुऊस में निस्बते तबायुन हो तो तस्हीह का तरीक़ा यह है कि जिस फ़रीक़ पर कस्र है उसके कुल अ़ददे रुऊस को अस्ल मसअ्ला में या औ़ल मसअ्ला में (अगर मसअ्ला आइला हे) ज़र्ब दें और उसी तरह हर फ़रीक़ के हिस्से में।

मिसाल.1 मसअ्ला 6 त18 अलमज़रूब 3

शौहर	दादी	अख़्वातुलउम 3
3/9	1/3	2/6

मिसाल.2 मसअ्ला 6,(7) 35 अलमज़रूब 5

शौहर	बहनें
3/15	4/20

मसअ्ला.4:– मज़कूरा तीनों उसूल उस वक़्त जारी होंगे जब कस्र एक फ़रीक़ पर हो लेकिन एक से ज़ाइद फ़रीक़ों पर कस्र होने की सूरत में मुन्दरजा ज़ैल चार उसूलों से काम लिया जायेगा।

मसअ्ला.5:– अगर कस्र एक से ज़ाइद फ़रीक़ों पर हो तो रुऊस के दरम्यान निस्बत देखी जायेगी अगर अअ्दादे रुऊस आपस में मुतमासिल हों तो किसी एक अ़दद को अस्ल मसअ्ला में या इस के औ़ल में (अगर मसअ्ला आइला हो) ज़र्ब देंगे फिर इसी मज़रूब को हर फ़रीक़ के हिस्से में ज़र्ब देंगे।

मिसाल.1 मसअ्ला .6, त18 अलमज़रूब 3

बेटियाँ.6	दादियाँ.3	चचा.3
4/12	1/3	1/3

तौज़ीह इस की यह है अस्ल मसअ्ला 6 से हुआ जिसमें से 6 बेटियों को दो तिहाई यानी 4 मिले अब चूंकि चार, छः पर पूरी तरह तक़सीम नहीं होता और 4, 6में तवाफ़ुक़ है, लिहाज़ा 6 का वफ़्क़ अ़दद 3 होगया और तीन दादियों को एक और तीनों चचों को एक मिला जो उन पर पूरा तक़सीम नहीं होता अब हमारे पास यह अ़ददे रुऊस हैं 3,3,3,इनमें तमासुल है, लिहाज़ा किसी एक अ़दद को अस्ल मसअ्ला में ज़र्ब देंगे और फिर मज़रूब को हर फ़रीक़ के हिस्से से ज़र्ब दी जायेगी।

मसअ्ला.6:– अगर कस्र वारिसों के एक से ज़ाइद फ़रीक़ों पर है मगर उनके अअ्दादे रुऊस में आपस में निस्बते तदाख़ुल है तो जो बड़ा अ़दद है उसे अस्ल मसअ्ला में ज़र्ब देंगे या अगर आइला है तो उसके औ़ल में देंगे।

मसअ्ला.7:– अगर कस्र वारिसों के एक से ज़ाइद फ़रीक़ों पर हो और उनके अ़ददे रुऊस में तवाफ़ुक़ हो तो इसका तरीक़ा यह है कि एक अ़ददे रुऊस के वफ़्क़ को दूसरे फ़रीक़ के कुल अ़ददे रुऊस में ज़र्ब देंगे। फिर हासिल ज़र्ब की निस्बत तीसरे फ़रीक़ के अ़ददे रुऊस से देखेंगे अगर उनमें तवाफ़ुक़ हो तो एक के वफ़्क़ को दूसरे के कुल में ज़र्ब देंगे। और अगर हासिल ज़र्ब और तीसरे फ़रीक़ के अ़ददे रुऊस में तबायुन की निस्बत हो तो पूरे एक अ़दद को दूसरे में ज़र्ब दे लेंगे फिर हासिल ज़र्ब को चौथे फ़रीक़ के अ़ददे रुऊस के साथ उसी तरह देखेंगे। अगर तवाफ़ुक़ होगा तो एक के पफ़्क़ को दूसरे कुल अ़दद में ज़र्ब देंगे और अगर तबायुन हो तो एक अ़दद को दूसरे से ज़र्ब देंगे। इसी तरह जितने फ़रीक़ में कस्र होगी, करेंगे। आख़िर में जो हासिल ज़र्ब होगा उसको अस्ल मसअ्ला में या औ़ल वाले मसअ्ला में औ़ल से ज़र्ब दे देंगे और उसी अ़दद को हर फ़रीक़ के हिस्से में भी ज़र्ब दे देंगे।

मिसाल. मसअ्ला .24, त4320 अल मज़रूब180

बीवियाँ 4	बेटियाँ.18 (9)	दादियाँ.15	चचा 6
3/540	16/2880	4/720	1/180

जैसा कि आप वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं इस मसअ्ला में हर फ़रीक़ पर कस्र है लिहाज़ा हम पहले तो अअ्दादे सिहाम और अअ्दादे रुऊस की निस्बत देखेंगे, तो 3, 4 में तबायुन है लिहाज़ा यह अअ्दाद यूँही रहेंगे,16,18में भी तवाफ़ुक़ बिन्निस्फ़ है लिहाज़ा 18 का अ़दद वफ़्क़ निकालेंगे जो 9 है

अब गोया यह अदद 9 ही है और रुऊस के दरम्यान निस्बत देखते हुए 18 का लिहाज़ न होगा बल्कि 9 का ही होगा. 4, 6 में निस्बते तवाफ़ुक है तो उनमें से किसी एक का अददे वफ़्क निकाल कर दूसरे में जर्ब दे सकते हैं यहाँ 6 का अददे वफ़्क निकाला तो 3 निकला अब 4 को 3 में जर्ब दी तो 12 हासिल हुए अब 12 और 9 में भी निस्बते तवाफ़ुक बिस्सुलुस की है तो 9 का अददे वफ़्क निकाला जो 3 है और 12 को 3 में जर्ब दी 36 हासिल आया. अब 36 और 15 में भी तवाफ़ुक बिस्सुलुस है लिहाज़ा 15 के अददे वफ़्क 5 को 36 में जर्ब दी तो 180 हासिल हुए अब उसको अस्ल मसअ्ला 24 में जर्ब दी तो 4320 'चार हजार तीन सौ बीस' हासिल आया जो मखरज मसअ्ला है फिर उसी मजरूब 180 को हर फरीक के हिस्से में जर्ब दीगई तो वह हासिल आया जो हमने हर एक फरीक के नीचे लिख दिया है।

मसअ्ला.8:– अगर कस्र एक से जाइद फरीकों पर हो और अअ्दादे तबायुन में तबायुन हो तो किसी एक को दूसरे अददे रुऊस में जर्ब दी जायेगी फिर उसकी निस्बत दूसरे अददे रुऊस से देखी जायेगी अगर तबायुन की निस्बत हो तो उसको दूसरे अददे रुऊस से जर्ब देंगे और बिल आखिर जो हासिल होगा उस को अस्ल मसअ्ला में ज़र्ब देंगे।

मिसाल. मसअ्ला .24, त5040 — अल मजरूब 210

बीवियाँ 2	दादियाँ 6 (3)	बेटियाँ 10 (5)	चचा 7
3 / 630	4 / 840	16 / 3360	1 / 210

तौज़ीह:– अब 3, 2 में तबायुन है लिहाजा यह इसी तरह रहेंगे और 4, 6 में तवाफ़ुक बिन्निस्फ है तो 6 का अददे वफ्क 3 निकाल लिया गया। इस तरह 16, 10में तवाफ़ुक बिनिस्फ़ है तो 10 का अददे वफ़्क निकाल लिया जो 5 है और 1, 7 में तबायुन है लिहाज़ा वह अपनी जगह रहा। अब हमारे पास यह अअ्दादे रुऊस हैं 2, 5, 7 यह सब आपस में मुतबाइन हैं लिहाज़ा 2 को 3 में जर्ब दी तो हासिल 6 हुआ इस को 5 में ज़र्ब दी तो 30 हासिल हुआ। उसको 7 में ज़र्ब दी तो हासिल 210 दो सौ दस आया। अब उस को 24 अस्ल मसअ्ला में ज़र्ब दी तो हासिल 5040 'पाँच हज़ार चालीस' आया और यह मखरज मसअ्ला है फिर इसी मज़रूब 210 को हर फ़रीक़ के हिस्से में जर्ब दी तो वह हासिल आया जो हर फ़रीक़ के नीचे लिखा है,

मसअ्ला.9:– इस्तिकरा (गौर व फ़िक्र) से यह बात साबित है कि चार फ़रीक़ों से ज़ाइद पर कस्र नहीं आ सकती।

हर वारिस् का हिस्सा मालूम करने का उसूल

हर फ़रीक़ या वारिसों के हर ग्रुप का मजमूई हिस्सा मालूम करने का तरीक़ा तो हम बयान कर चुके अगर हर ग्रुप के हर फर्द का हिस्सा मालूम करना हो तो उसके कई तरीक़े हैं चन्द हम ज़िक्र करते हैं।

(1)हर फ़रीक़ के हिस्से को (जो उस फ़रीक़ को अस्ल मसअ्ला से मिला है) उनके अददे रुऊस पर तक़सीम करदें फिर जो ख़ारिजे क़िस्मत (तक़सीम से निकला हुआ) है उसे इस अदद में ज़र्ब दें जिस को तस्हीह के लिये अस्ल मसअ्ला में ज़र्ब दिया था, अब जो हासिल होगा वह इस फ़रीक़ के हर फ़र्द का हिस्सा होगा।

मिसाल. मसअ्ला. 24, त.5040 — अल मज़रूब 210

बीवियाँ 2	दादियाँ 6	बेटियाँ 10	चचा 7
3 / 630	4 / 840	4 / 3360	1 / 210
लिकुल्लि वाहिद 315	लिकुल्लि वाहिद 140	लिकुल्लि वाहिद 336	लिकुल्लि वाहिद 30

तौज़ीहः– अब इस मसअ्ला में बीवियों को 3 मिले जब कि अ़ददे रुऊस 2 है लिहाज़ा हमने 3 को दो पर तक़सीम किया तो ख़ारिजे क़िस्मत $1\frac{1}{2}$ निकाला फिर इस को अल'मज़रूब 210 में ज़र्ब दिया तो हासिल 315 आया जो हर बीवी का हिस्सा है उसको क़ायदे के मुताबिक़ फ़रीक़ के हिस्से के नीचे लिकु.. 315 लिख दिया गया लिकु... दर अस्ल 315 आया जो हर बीवी का हिस्सा है उसको क़ायदे के मुताबिक़ फ़रीक़ के हिस्से के नीचे लिकु.. 315 लिख दिया गया लिकु.... के मअ्ना (हर एक का) है, इस तरह बेटियों का मजमूई हिस्सा 16 है और अ़ददे रुऊस 10 है लिहाज़ा 16 को 10 पर तक़सीम किया गया, $1\frac{3}{5}$ फिर उसको मज़रूब 210 में ज़र्ब दिया गया तो 336 हासिल हुआ और यही हर बेटी का हिस्सा है, यही अ़मल तमाम फ़रीक़ों के साथ क़िया जायेगा।

दूसरा तरीक़ा यह है कि अलमज़रूब को फ़रीक़ के अअ्दादे रुऊस पर तक़सीम कर दिया जाये फिर ख़ारिज क़िस्मत को उसी फ़रीक़ के हिस्से में (जो अस्ल मसअ्ला से उन को मिला है) ज़र्ब दे दिया जाये तो हासिल हर फ़र्द का हिस्सा होगा, अब मज़कूरा मिसाल ही को लेलें इस में बीवियों का हिस्सा 3 है और उनकी तअ्दाद 2 है, जब मज़रूब (जिसको अस्ल मसअ्ला में ज़र्ब दी थी) 210 को 2 पर तक़सीम किया, तो 105 एक सौ पाँच हासिल हुआ, अब उस को बीवियों के मजमूई हिस्से 3 से ज़र्ब दी तो 315 हासिल हुआ जो हर बीवी का इन्फ़िरादी हिस्सा है यही अ़मल दूसरे फ़रीक़ों के साथ किया जायेगा।

तीसरा तरीक़ा यह है कि हर फ़रीक़ के हिस्से को (जो अस्ल मसअ्ला से उस को मिला है) उनके अ़ददे रुऊस से निस्बत दें फिर उस निस्बत के लिहाज़ से मज़रूब से उस फ़रीक़ के हर फ़र्द को देदें, मस्लन उसी मसअ्ला में जब बीवियों के हिस्सा 3 को अ़ददे रुऊस 2 से निस्बत दी $1\frac{1}{2}$ की निस्बत निकली अब उसी निस्बत के एअ्तिबार से मज़रूब से हर बीवी को दिया तो 315 आया यही अ़मल हर एक फ़रीक़ के साथ किया जायेगा उसके एलावा और तरीक़ा भी है जो हिसाब दाँ हज़रात के लिये मुश्किल नहीं।

वारिसों और दूसरे हक़दारों में तर्का की तक़सीम का तरीक़ा

जो कुछ माल मय्यित ने छोड़ा हो उसकी तक़सीम उसी तर्तीब पर होगी जिसका ज़िक्र शुरूअ् किताब में हुआ अब वारिसों और दूसरे हक़दारों में तर्का तक़सीम करने का तरीक़ा ज़िक्र किया जाता है।

(1)अगर तर्का और तस्हीह में मुमासलत हो तो ज़र्ब वग़ैरा की ज़रूरत नहीं और मसअ्ला दुरुस्त है।

मिसाल — मसअ्ला. 6 — तर्का 6 रूपया

माँ	बाप	बेटियाँ.4
1	1	4

तौज़ीहः– अब तर्का यानी वह माल जो मय्यित ने छोड़ा है उसका अ़दद 6 है जो 6 से मुमासलत रखता है इस लिये पूरा पूरा तक़सीम होगया।

मसअ्ला.1:– अगर मय्यित के पास कुछ नक़्द रूपया हो और कुछ दूसरा माल तो सब की मुनासिब क़ीमत लगाई जाये फिर तक़सीम किया जाये।

मसअला.2:– अगर तर्के और तसहीह में तबायुन हो तो वारिस के सिहाम को जो उसे तसहीह से मिले हैं कुल तर्के में ज़र्ब दें और हासिल ज़र्ब को तसहीह से तक़सीम करें जो जवाब होगा वह उस वारिस का हिस्सा है।

मसअ्ला .6 — तर्का 7 रूपये

बिन्त(लड़की)	बिन्त	माँ	बाप
2	2	1	1

तौज़ीहः– इस सूरत में तसहीह का अ़दद छः है और तर्का सात रूपया है छः और सात में तबायुन है इस लिये एक लड़की के हिस्से यानी दो को सात में ज़र्ब दिया तो हासिल ज़र्ब चौदह हुआ इस को छः से तक़सीम किया तो $2\frac{1}{3}$ रूपया बेटी का हिस्सा हुआ और बाप का तर्का एक है उस को 7 से ज़र्ब दिया तो 7 हुए उस को 6 से तक़सीम किया तो $1\frac{1}{6}$ रूपया बाप का हिस्सा हुआ।

मसअ्ला.3:– अगर तर्का के और तसहीह में तवाफुक़ हो तो वारिस् के सिहाम को तर्के के वफ़्क़ में ज़र्ब दें और हासिल ज़र्ब को तस्हीह के वफ़्क़ से तक़सीम करें जो जवाब होगा वह उस वारिस् का हिस्सा है।

मसअ्ला.6, 2 — तर्का 15 रूपया, 5

बाप	माँ	बेटी
2	1	3

तौज़ीह :– तसहीह का अ़दद छः है और तर्का पन्द्रह रूपया, छः और पन्द्रह तवाफुक़ बिस्सुलुस् है छः का वफ़्क़ दो हुआ और पन्द्रह का वफ़्क़ पाँच। लिहाज़ा बाप के हिस्से यानी दो को पन्द्रह के वपक पाँच में ज़र्ब दिया हासिल ज़र्ब दस हुआ। दस को छः के वफ़्क़ दो से तक़सीम किया तो पाँच जवाब आया, यह बाप का हिस्सा है। बेटी के हिस्से तीन को पन्द्रह के वफ़्क़ पाँच में ज़र्ब दिया तो पन्द्रह हुआ उसे छः के वफ़्क़ दो से तक़्सीम किया तो $7\frac{1}{2}$ बेटी का हिस्सा हुआ। माँ के हिस्से एक को पाँच पर ज़र्ब दिया तो जवाब पाँच हुआ। उस को दो से तक़सीम किया तो जवाब $2\frac{1}{2}$ हुआ यह माँ का हिस्सा है।

क़ायदा:– अगर तर्के और तसहीहे मसअ्ला में तदाख़ुल हो तो छोटे अ़दद से बड़े अ़दद को तक़सीम करने के बाद जो जवाब आयेगा उसको उस अ़दद का वफ़्क़ मानकर वही अ़मल किया जायेगा जो तवाफुक़ की सूरत में किया जाता है यानी अगर तर्के का अ़दद तसहीह से ज़्यादा है तो तसहीह से तर्के को तक़सीम करने के बाद जो अ़दद हासिल होगा उसको हर वारिस् के सिहाम में ज़र्ब दे देने से उस वारिस् का हिस्सा मालूम होजायेगा और अगर तस्हीह का अ़दद तर्के से ज़्यादा है तो तर्के से तसहीह को तक़सीम करके जो अ़दद हासिल होगा वह तसहीह का वफ़्क़ होगा इस से हर वारिस् के सिहाम को तक़सीम करने से उस वारिस् का हिस्सा मालूम होजायेगा।

मसअ्ला .6 — तर्का 18रूपये 3

बाप	माँ	बेटी
2	1	3

तौज़ीह:– तसहीह मसअ्ला छः और तर्का अठारह रूपया में तदाख़ुल है तो छः से अठारह को तक़सीम किया तो तीन जवाब आया। तीन को बेटी के हिस्से यानी तीन सिहाम को अठारह के वफ़्क़ तीन में ज़र्ब दिया तो नौ रुपये बेटी का हिस्सा होगया उसी त़रह दूसरे वारिसों का निकाल दिया जायेगा।

मसअ्ला .2, 24 — तर्का 12रूपये

बाप	माँ	बेटी	ज़ौजा
5	4	12	3

तौज़ीह:– तसहीह के अ़दद चौबीस और तर्का के अ़दद बारह में तदाख़ुल है तो बारह से चौबीस को तक़सीम किया जवाब दो आया यह चौबीस का वफ़्क़ है। बेटी का हिस्सा जो बारह सिहाम था उसे दो से तक़सीम किया तो लड़की का हिस्सा छः रुपये होगया और बाप के पाँच सिहाम को दो से तक़सीम किया तो $2\frac{1}{2}$ रुपये बाप का हिस्सा हुआ माँ के चार सिहाम को दो से तक़सीम किया तो दो रुपये माँ का हिस्सा हुआ। बीवी के तीन सिहाम को दो से तक़सीम किया डेढ़ रुपया बीवी का हिस्सा होगया।

मसअ्ला.4:– अगर हर फ़रीक़ का हिस्सा मालूम करना हो तो उसका तरीक़ा यह है कि हर फ़रीक़ को जो कुछ अस्ल मसअ्ला से मिला है तो तवाफुक़ की सूरत में उसे तर्का के वफ़्क़ में ज़र्ब दें और हासिल ज़र्ब को तस्हीह मसअ्ला के वफ़्क़ पर तक़सीम करें अब जो ख़ारिज होगा वह इस फ़रीक़ का हिस्सा है।

मिसाल. मसअ्ला .6 तअ़व्वुल इला 9 (3) तर्का 30 (10) रूपये

शौहर	बहनें 4	माँ शरीक बहनें 2
3	4	2
10	$13\frac{1}{3}$	$6\frac{2}{3}$

तौज़ीह:– बहनों को अस्ल मसअ्ला से मजमूई तौर पर 4 मिले थे चार को तर्का के वफ़्क 10 में ज़र्ब दी तो हासिल 40 आया अब इस 40 को वफ़्क मसअ्ला पर तक़सीम किया तो ख़ारिज किस्मत $13\frac{1}{3}$ आया यही चार बहनों के तर्का से मजमूई हिस्सा है यही हाल बाक़ी फ़रीक़ों का है।

मसअ्ला.5:– अगर तसहीह और तर्का में तबायुन की निस्बत हो तो हर फ़रीक़ के हिस्से को कुल तर्का में ज़र्ब देंगे और हासिल को कुल तसहीह पर तक़सीम कर देंगे अब ख़ारिज किस्मत उस फ़रीक़ का मजमूई हिस्सा होगा।

मिसाल. मसअ्ला .6 तअ़व्वुल इला 9 तर्का 32 रूपये

शौहर	बहनें 4	माँ शरीक बहनें 2
3	4	2
$10\frac{2}{3}$	$14\frac{2}{9}$	$7\frac{1}{9}$

मसअ्ला.6:– अगर फ़रीक़ के हर हर फ़र्द का हिस्सा करना हो तो उसका तरीक़ा भी वही है जो ऊपर मज़कूर हुआ सिर्फ़ फ़र्क़ इतना है कि बजाए फ़रीक़ के हिस्से को ज़र्ब देने के हर हर फ़र्द के हिस्से को ज़र्ब दी जायेगी।

मिसाल. मसअ्ला .6 तअ़व्वुल इला 9 (3) तरका 30रूपये (10)

शौहर	बहनें 4	माँ शरीक बहनें 2
$\frac{3}{10}$	4	2
	$13\frac{1}{3}$	$6\frac{2}{3}$
	लिकु. $3\frac{1}{3}$	लिकु. $3\frac{1}{3}$

तौज़ीह:– अब मिसाले मज़कूर में शौहर का हिस्सा तो वाज़ेह है, एक बहन का हिस्सा अगर मालूम करना हो तो एक बहन के हिस्से को वफ़्के तर्का में ज़र्ब देंगे, यानी एक को दस में देंगे तो हासिल दस आया अब दस को तीन पर तक़सीम किया तो हासिल $3\frac{1}{3}$ आया

क़र्ज़ ख़्वाहों में माल की तक़सीम

मसअ्ला:– अगर मय्यित का माल इतना है कि हर क़र्ज़ ख़्वाह को उसका पूरा पूरा हक़ मिल सकता है जब तो ज़ाहिर है किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं लेकिन अगर सूरत यह हो कि कर्ज़ ख़्वाह ज़्यादा हैं। और तर्का कम है अब किसी एक को पूरा अदा करना और बाक़ी को कम देना इन्साफ़ के तक़ाज़ों के ख़िलाफ़ है। इस लिये एक ऐसा तरीक़ा वज़अ् किया गया है कि हर कर्ज़ ख़्वाह को इन्साफ़ से मिलजाये और वह यह कि हर क़र्ज़ ख़्वाह का दैन ब'मन्ज़िला सिहाम के तसव्वुर किया जाये और तमाम क़र्ज़ ख़्वाहों के क़र्ज़ का मजमूई ब'मन्ज़िला तसहीह यानी मख़रज मसअ्ला के तसव्वुर किया जाये और फिर वही अ़मल किया जाये जो तर्का की तक़सीम में होता है।

मस्लन: एक शख़्स मरगया और तर्का 9 रुपये छोड़े जब कि उस पर एक शख़्स के 10 रुपये थे दूसरे के 5, तो मजमूआ़ 15रू. हुआ उसको ब'मन्ज़िला मख़रज मसअ्ला के किया और 9 व 15 में तवाफ़ुक़ बिस्सुलुस् है अब हमने दस वाले को (जो एक शख़्स का कर्ज था) 3 में (जो वफ़्के तर्का है) ज़र्ब दी तो हासिल तीस आया अब इस हासिल को वफ़्के तसहीह 5 पर तक़सीम किया तो ख़ारिज दस वाले का हिस्सा क़रार पाया और वह 6 है।

मिसाल. मसअ्ला 15 (5) तर्का 9 रूपये(3)

क़र्ज़ जैद 10	क़र्ज़ ख़ालिद 5
10	5
6 रूपये	3 रूपये

इस पर क़यास करते हुए तबायुन की सूरत का हल कुछ मुश्किल न होगा।

तख़ारुज का बयान

इससे मुराद यह है कि वारिसों में कोई या कर्ज़ख़्वाहों में से कोई, तक़सीमे तर्का से पहले मय्यित के माल में से किसी मुअ़य्यन चीज़ को लेना चाहे और उसके एवज़ अपने हक़ से दस्त'बर्दार हो जाये ख़्वाह वह हक़ उस चीज़ से ज़्यादा हो या कम और उस पर तमाम वुरसा या क़र्ज़ ख़्वाह मुत्तफ़िक़ होजायें तो उसका नाम फ़िक़्ह की इस्तिलाह में "तख़ारुज" या "तसालुह" है, इस सूरत में तरीक़े तक़सीम यह है कि इस शख़्स के हिस्से को तस्हीह से ख़ारिज करके बाक़ी माल तक़सीम कर दिया जाये। (शरीफ़िया स.85 दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.565)

मस्लनः एक औरत ने वुरसा में शौहर, माँ और चचा छोड़े, अब शौहर ने कहा मैं अपना हिस्सा महर के बदले छोड़ता हूँ, इस पर बाक़ी वुरसा राज़ी होगये तो माल इस तरह तक़सीम होगा।

मिसालः मसअ्ला. 3

माँ	चचा
2	1

तौज़ीहः— अब अस्ल मसअ्ला शौहर के होते हुए 6 था, जिस में से 3 शौहर को मिलना थे और तिहाई 2 माँ को मिलना थे, जब कि 1 चचा का था, इस लिये शौहर का हिस्सा महर के एवज़ साक़ित होगया और बाक़ी वारिसों के हिस्से हस्बे साबिक़ रहे ख़ुलासा यह कि वारिसों को वही हिस्से मिलेंगे जो तख़ारुज से क़ब्ल होने वाले वारिस् की मौजूदगी में मिलते थे।(दुर्रेमुख़्तार जि.5, स.565)

रद्द का बयान

मसअ्लाः— रद्द औ़ल की ज़िद है क्योंकि औ़ल में हिस्से मख़रज से ज़ाइद होजाते हैं और मख़रज मसअ्ला में इज़ाफ़ा करना पड़ता है जबकि रद्द में हिस्से घट जाते हैं और मख़रज मसअ्ला में कमी करना पड़ती है, अब अगर यह सूरत वाकेअ् हो कि मख़रज से अस्हाबे फ़राइज़ को उनके मुक़र्ररा हिस्सों के देने के बाद भी कुछ बच जाये और कोई अ़स्बा भी मौजूद न हो तो बाक़ी मान्दा (बचे हुए) को असहाबे फ़राइज़ पर उनके हिस्सों की निस्बत से दोबारा तक़सीम किया जायेगा।(शरीफ़िया स.86)

मसअ्ला.2:— शौहर और बीवी पर रद्द नहीं किया जायेगा जमहूर सहाबा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम का यही क़ौल है। (शरीफ़िया स. 86 व मुहीत सर्ख़सी बहवाला आ़लमगीरी स. 469 जि.6)

इस ज़माने में बैतुल'माल का निज़ाम नहीं है इस लिए ज़ौजैन पर रद्द कर दिया जायेगा जब कि और कोई वारिस् न हो। (शामी व दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.689)

मसअ्ला.3:— रद्द के मसाइल चार अक़साम पर मुश्तमिल हैं पहली क़िस्म यह है कि मसअ्ला में उन वारिसों में से जिन पर रद्द होता है सिर्फ़ एक क़िस्म हो और जिन पर रद्द नहीं होता है यानी (ज़ौजैन) में से कोई न हों इस सूरत में मसअ्ला उनके अ़ददे रुऊस से किया जायेगा क्योंकि माल सब का सब उन्हीं को देना है और चूंकि रुऊस व मख़रज में तमासुल है इस लिये मज़ीद किसी अ़मल की ज़रूरत नहीं। (आ़लमगीरी जि.6 स.469, तबईनुल'हक़ाइक़ जि.6 स.247)

मिसाल.1 रद्द के साथ मसअ्ला. 2

बेटी	बेटी
1	1

मिसाल.2 रद्द के साथ मसअ्ला.2

बहन	बहन
1	1

मसअ्ला.4:— अगर मसअ्ला में एक से ज़ाइद अजनास (चीज़ें) उन वारिसों की हैं जिन पर रद्द होता है और जिन पर रद्द नहीं होता है वह नहीं हैं तो मसअ्ला उन के सिहाम से किया जायेगा(आ़लमगीरी)

मिसाल.1 रद्द के साथ मसअ्ला.2

माँ शरीक बहन	दादी
1	1

तौज़ीहः— इस मसअ्ला में दादी का हिस्सा छठा है और माँ शरीक बहन का भी यही है, मसअ्ला अगर 6 से किया जाता तो हर एक को एक एक मिलता और 4 बचते, इसलिए मसअ्ला उनके सिहाम यानी 2 से कर दिया गया।

मिसाल.2 रद्द के साथ मसअ्ला .3

माँ शरीक बहनें. 2	माँ
2	1

तौज़ीहः— चूंकि माँ शरीक बहनें दो हैं, इस लिये इनका मुक़र्ररा हिस्सा सुलुस् 1/3 है जब कि माँ का हिस्सा छठा है। अब अगर मसअ्ला 6 से किया जाये तो बहनों को छः में से 2 मिलते हैं और माँ को एक, लिहाज़ा उनके मजमूई सिहाम तीन हुए पस बजा'ए उसके कि छः से मसअ्ला करें 3 ही से कर दिया, इस तरह फ़र्ज़ हिस्सा देने के बाद जो कुछ बचा वह भी उन्हीं की तरफ़ रद्द हो गया।

मिसाल.3 रद्द के साथ मसअ्ला.4

बेटी	पोती
3	1

तौज़ीहः— अस्ल मसअ्ला 6 से था जिनमें से निस्फ़ (यानी 3) बेटी का है और छठा यानी एक पोती का है तो कुल हिस्से 4 हुए इन्हीं से मसअ्ला कर दिया गया।

मिसाल.4 रद्द के साथ मसअ्ला. 5

बेटी 2	माँ
4	1

तौज़ीहः— चूंकि बेटियाँ 2 हैं उनको छः का दो तिहाई यानी 4 मिलना है जब कि माँ को एक मिलेगा इस तरह मजमूई सिहाम 5 बनते हैं और उन्हीं से मसअ्ला कर दिया।

मिसाल.5 रद्द के साथ मसअ्ला.5

बेटी	पोती	माँ
3	1	1

मिसाल.6 रद्द के साथ मसअ्ला.5

बहन	माँ शरीक बहनें 2
3	2

मसअ्ला.5:— अगर من يرد عليه (यानी जिस पर रद होता है) की एक जिन्स हो और मन ला युरद्दु अ़लैहि (यानी जिस पर रद्द नहीं होता है) भी हों, तो मन लायुरद्दु अ़लैहि का हिस्सा पहले उसके अक़ल्ले मख़ारिज से दिया जायेगा और इस मख़रज से जो बचेगा उसको मंय्युरद्दु अ़लैहि के रुऊस पर तक़सीम कर दिया जायेगा अब अगर यह बाक़ी उन रुऊस पर पूरा तक़सीम होजाये तब तो ज़र्ब वग़ैरा की ज़रूरत नहीं जैसा कि आगे आयेगा। (आलमगीरी जि.6 स.470 दुर्रेमुख़्तार जि.5 स.547)

मिसाल:1 रद्द के साथ मसअ्ला .4

शौहर	बेटियाँ 3
1	3

तौज़ीहः— जैसा कि आप देख रहे हैं, इस मसअ्ला में शौहर मन लायुरद्दु अ़लैहि में से है जब कि बेटियाँ मंयुरद्दु अ़लैहि में से हैं, अब शौहर के लिये दो मख़रज थे एक निस्फ़ और दूसरा रुबअ् (चौथाई) अक़ल्ले मख़ारिज है। पस हमने 4 से मसअ्ला किया और शौहर का हिस्सा देदिया। अब 3 बचे तो उनको मंयुरद्दु अ़लैहि यानी बेटियों के अ़ददे रुऊस 3 पर तक़सीम कर दिया गया जो पूरा तक़सीम होगया लिहाज़ा मज़ीद किसी अ़मल की ज़रूरत न हीं।

मसअ्ला.6:— अगर मन लायुरद्दु अ़लैहि को उनके अक़ल्ले मख़ारिज से देने के बाद बाक़ीमान्दा(बचे हुए) मंयुरद्दु अ़लैहि के रुऊस पर पूरा तक़सीम न हो बल्कि उसमें और उनके अअ़्दादे रुऊस में निस्बते तवाफ़ुक़ हो तो उनके अ़ददे रुऊस के वफ़्क़ को मन लायुरद्दु अ़लैहि के मख़रज मसअ्ला में ज़र्ब दी जायेगी और हासिल को मख़रज मसअ्ला क़रार दिया जायेगा।

मिसाल.1 रद्द के साथ मसअ्ला.4

शौहर	बेटियाँ 6 (2)
$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{6}$

तौज़ीहः— यहाँ मन ला युरद्दु अ़लैहि में से शौहर है जिसका अक़ल्ले मख़रज 4 है लिहाज़ा मसअ्ला 4 से ही किया गया, और शौहर को एक दे दिया अब 3, छः पर पूरी तरह तक़सीम नहीं होता लिहाज़ा हमने 3 और 6 में निस्बत देखी तो वह तदाख़ुल की है जो हुक्म तवाफ़ुक़ में है, अब बेटियों के रुऊस का अ़ददे वफ़्क़ 2 है, 2 को शौहर के मख़रज मसअ्ला 4 से ज़र्ब दी तो हासिल 8 आया,

फिर इसी दो को शौहर के हिस्से में ज़र्ब दी तो हासिल 2 आया और बेटियों के हिस्से में ज़र्ब दी तो हासिल 6 आया और हर लड़की को एक एक मिला।

मसअला.7:– अगर मन लायुरद्दु अलैहि के देने के बाद बाक़ीमान्दा (बचा हुआ) में और मंयुरद्दु अलैहि के रुऊस में निस्बते तबायुन हो तो कुल अददे रुऊस को मन लायुरद्दु अलैहि के मख़रजे मसअला में ज़र्ब दी जायेगी और हासिल ज़र्ब मख़रजे मसअला होगा।

मिसाल. मसअला. 4, 20ए

शौहर	बेटियाँ.5
1/5	3/15

तौज़ीह:– शौहर का हिस्सा अदा करने के बाद 3 और 5 में तबायुन है लिहाज़ा 5 को 4 में ज़र्ब दिया तो हासिल बीस आया जो मख़रज मसअला बनाया गया है फिर इस 5 को हर फ़रीक़ के हिस्से से ज़र्ब देदी।

मसअला.8:– मसाइले रद्द में चौथी क़िस्म यह है कि मन लायुरद्दु अलैहि के साथ मंयुरद्दु अलैहि की दो जिन्सें हों तो इसका तरीक़ा यह है कि मन लायुरद्दु से बाक़ीमान्दा को मसअला मंयुरद्दु अलैहि पर तक़सीम किया जाये अगर पूरा तक़सीम होजाये तो ज़र्ब की ज़रूरत नहीं और इसकी एक ही सूरत है और वह यह कि बीवी को चौथाई मिलता हो और बाक़ी मंयुरद्दु अलैहि पर असलासन (यानी तीन हिस्सों में) तक़सीम हो रहा हो।

मिसाल. रद्द के साथ मसअला. 4, 48

बीवी	दादियाँ.4	माँ शरीक बहनें .6
1/12	1/12	2/24

तौज़ीह:– यहाँ बीवी को चौथाई दिया गया है और मसअला 4 से किया गया है और मंयुरद्दु का मसअला अलग किया गया है वह इस तरह कि अगर सिर्फ़ दादियाँ और माँ शरीक बहनें होतीं तो मसअला बिर्रद 3 होता जिनमें से 2 बहनों को और एक दादी को मिलता। अब मंयुरद्दु अलैहि का मसअला 3 से है और मन लायुरद्दु अलैहि का हिस्सा देकर 3 बचते हैं लिहाज़ा अब ज़र्ब की ज़रूरत नहीं लेकिन दादियों पर एक पूरा तक़सीम नहीं होता जब कि बहनों पर 2 पूरे तक़सीम नहीं होते, दादियों के सिहाम और अअ्दादे रुऊस में तबायुन है लिहाज़ा उनको अपने हाल पर रखा गया जब कि बहनों के सिहाम और अअ्दादे रुऊस में तवाफ़ुक़ है लिहाज़ा बहनों का अददे वफ़्क़ निकाला गया जो 3 है अब हमारे पास यह अअ्दादे रुऊस हैं 1, 4, 3, जो सब मुतबाइन हैं लिहाज़ा हमने बहनों के अअ्दादे रुऊस के वफ़्क़ का दादियों के कुल अअ्दादे रुऊस में ज़र्ब दिया तो हासिल 12 आया। फिर उस हासिल को मन लायुरद्दु अलैहि के मसअला 4 से ज़र्ब दी तो हासिल अड़तालीस आया फिर उसी बारह से हर फ़रीक़ के हिस्से को ज़र्ब दी तो जो हासिल आया वह हर एक फ़रीक़ का हिस्सा है जैसा कि आप मिसाल में देख रहें हैं।

मसअला.9:– अगर मन लायुरद्दु अलैहि का हिस्सा देने के बाद बाक़ीमान्दा (बचे हुए) मंयुरद्दु अलैहि के मख़रज मसअला पर पूरा तक़सीम न हो तो उसका तरीक़ा यह है कि मंयुरद्दु अलैहि के कुल मसअला को मन लायुरद्दु अलैहि के मसअला में ज़र्ब दें अब जो हासिल होगा वह दोनों फ़रीक़ों का मख़रज मसअला होगा।

मिसाल. बिर्रद मसअला.8×5/40×36/1440 अल'मज़रूब 5ए अल'मज़रूब 36ए

बीवियाँ 4	बेटियाँ 9	दादियाँ 6	
1/5	4/28	1/7	
180/45	1008/112	252/42	
लिकुल्लि वाहिदिन	लिकुल्लि वाहिदिन	लिकुल्लि वाहिदिन	(हर एक के लिये)

तौज़ीह:— उसूली तौर पर यह मसअ्ला 24 से होना था क्योंकि आठवाँ दो तिहाई और छठे के साथ आ रहा है, लेकिन हिस्से बचते थे इस लिये मसअ्ला रद का होगया तो पहले बीवियों को उनके अक़ल्ले मख़ारिज 8 से हिस्सा दिया फिर मंयुरद्दु अ़लैहि का मसअ्ला अलग हल करके देखा तो वह 5 हो रहा है जिस में से 4 बेटियों के हिस्से में आ रहे हैं और एक दादी के, अब बीवियों का हिस्सा निकालने के बाद 7 बचे जो 5 पर पूरे तक़सीम नहीं होते, अब मन लायुरद्दु अ़लैहि के बाक़ीमान्दा 7 और मसअ्ला मंयुरद्दु अ़लैहि 5 में तबायुन होने की वजह से मसअ्ला मनयुरद्दु अ़लैहि 5 को कुल मसअ्ला मन ला युरद्दु अ़लैहि में ज़र्ब दी तो हासिल चालीस आया जो फ़रीक़ैन का मख़रज मसअ्ला है अब उनमें से हर फ़रीक़ का हिस्सा मअ़्लूम करना हो तो उसका तरीक़ा यह है कि मन लायुरद्दु अ़लैहि के सिहाम को मसअ्ला मन लायुरद्दु अ़लैहि में ज़र्ब दें जैसे यहाँ एक को 5 से ज़र्ब दी तो हासिल 5 आया यह मन लायुरद्दु अ़लैहि का हिस्सा है और मन युरद्दु अ़लैहि में से हर फ़रीक़ के हिस्से को मसअ्ला मन लायुरद्दु अ़लैहि के बाक़ीमान्दा से ज़र्ब दी जायेगी तो बेटियों को 4 मिले थे उन्हें जब 7 में ज़र्ब दी गई तो हासिल 28 आया जो बेटियों का मजमूई हिस्सा है, और दादियों के हिस्से को जब सात में ज़र्ब दी तो 7 आया यह दादियों का मजमूई हिस्सा है अब अगर हर फ़रीक़ या बाज़ के हिस्से उनके रुऊस पर पूरी तरह तक़सीम न होते हों तो वही अ़मल दोहराया जायेगा जो तसहीह के बाब में हम बयान कर आये हैं, मस्लन उसी मसअ्ला में बीवियों की तअ्दाद 4 और उनके हिस्से 5 जिनमें तबायुन है इस लिये उन अअ्दाद को यूंही रखा गया। बेटियाँ 9 हैं और उनके हिस्से 28 उनमें भी तबायुन की निस्बत है लिहाज़ा यह भी अपनी जगह रहे और यही हाल दादियों का है अब सिर्फ़ रुऊस के दरम्यान निस्बत तलाश की तो दादियाँ 6 और बीवियाँ 4 हैं। उन में तवाफ़ुक़ बिन्निस्फ़ है लिहाज़ा हमने 4 के निस्फ़ 2 को 6 में ज़र्ब दी तो हासिल 12 आया। और यह अदद बेटियों की तअ्दाद 9 से तवाफ़ुक़ बिस्सुलुस् की निस्बत रखता है लिहाज़ा 12 के सुलुस् 4 को 9 में ज़र्ब दी तो हासिल 36 आया उस को 40 में ज़र्ब दी तो हासिल एक हज़ार चार सौ चालीस आया। फिर उसी मज़रूब से हर फ़रीक़ के हिस्सों को ज़र्ब दी बीवियों के हिस्से 5 को 36 से ज़र्ब दी तो हासिल एक सौ अस्सी आया, जब उसको 4 पर तक़सीम किया तो हर एक को 45 मिला। बेटियों के हिस्सा 28 को जब 36 से ज़र्ब दी तो हासिल एक हज़ार आठ आया। उस को 9 पर तक़सीम किया हर लड़की को 112 मिला फिर दादियों के हिस्से 7 को 36 से ज़र्ब दी तो हासिल दो सौ बावन आया और उस को 6 पर तक़सीम किया तो हर एक का हिस्सा ब्यालीस निकला। (तबईनुलहक़ाइक़ जि.6 स.248)

मुनासख़ा का बयान

यह लफ़्ज़ नस्ख़ से निकला है जिसके मअ़्ना बदलने के हैं और फ़राइज़ की इस्तलाह में इससे मुराद यह है कि मय्यित के तर्का की तक़सीम से क़ब्ल ही अगर किसी वारिस् का इन्तिक़ाल हो जाये तो उसका हिस्सा उसके वारिसों की तरफ़ मुन्तक़िल कर दिया जाये। (आलमगीरी जि.5 स.558)

मसअ्ला.1:— अगर दूसरी मय्यित के वुरसा बिऐनिही वही हैं जो पहली मय्यित के थे और तक़सीम में कोई फ़र्क़ वाक़ेअ् नहीं हुआ है तो एक ही मरतबा तक़सीम काफ़ी होगी क्योंकि तकरार बेकार है।

मिसाल

मसअ्ला.7	
बेटे.2	बेटियाँ.3
4	3

अब उन बेटियों में से अगर कोई मरजाये और उसका कोई वारिस् न हो सिवाए हक़ीक़ी भाई और बहनों के तो अब ज़ाहिर है कि उनके दरम्यान तर्का लिज़्ज़क्रे मिस्लु हज़्ज़िलउनस्यैन للذكر مثل حظ الانثيين की बुनियाद पर तक़सीम किया जायेगा और इस तरह उनके हिस्सों में तक़सीम के एअ्तिबार से कुछ फ़र्क़ न होगा लिहाज़ा बजाए इसके कि हम दोबारा अ़लाहिदा मसअ्ला की तसहीह करें हमने शुरूअ् से माल इस तरह तक़सीम किया कि मरने वाली बेटी को बिलकुल

हमे बड़ी मुसर्रत हो रही है कि अल्लाह त'आला और उसके हबीब सल्लल्लाहु त'आला अलैहि वसल्लम के हुक्म फ़ज़्ल-ओ-करम से और बुज़ुर्गाने दीन सिलसिला-ए-क़ादिरिया बिलख़ुसूस पिराने पीर दस्तगीर हुज़ूर ग़ौस-ए-आज़म शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रादिअल्लाहु त'आला अन्हु के फ़ैज़ से किताब बहार-ए-शरीअत (हिस्सा 11 से 20) हिंदी में पीडीएफ [PDF] में आप की खिदमत में पेश की जा रही है।

ज़माना-ए- क़दीम से अवमुन्नास की इस्लाहे हाल और हिदायते उख़रवी व दुनयवी के लिए हक़ सदाक़त के जाम की फ़राहमी की जाती रही है और ये इलतेज़ाम ख़ालिक़-ए-क़ायनात जल्ला जलालहु ने ब अहसान अपनी मख़लूक़ के लिए फ़रमाया है। अम्बिया व मुर्सलीन के बेहतरीन दौर के बाद उसने यह ख़िदमत अपने मुक़र्रबीन रिज़वानुल्लाह त'आला अलैहिम अजमईन के सुपुर्द की और यह सिलसिला अला हालही जारी व सारि है।

मज़हब-ए-इस्लाम अल्लाह त'आला का पसंदीदा दीन है । ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नही जिसके लिए इस्लाम ने हमे क़ानून न दिया हो ।

आज जिस दौर से हम गुज़र रहे है हमारा मुस्लिम तबका उर्दू की तरफ ध्यान नही दे रहा है और नई नस्ल तो बिल्कुल ही उर्दू से नावाक़िफ़ होती जा रही है । नतीजे के तौर पर दीनी और मज़हबी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और हम अपने हाल को ग़ैर मुंज़बित तरीके पे छोड़े रहते है ।

लिहाज़ा ये किताब हिंदी में लिखी गई है और आप सब की आसानी के लिए हम ने इस किताब को पीडीएफ फ़ाइल में आप की ख़िदमत में पेश किया है।
आप सब से हमारी गुज़ारिश है कि अपनी मसरूफ ज़िन्दगी में से रोज़ाना वक़्त निकाल कर बुज़ुर्गो की तस्नीफ़ करदा किताबो को मुताला में रखें , इंशा अल्लाह त'आला दीन और दुनिया दोनो में मक़बूल होंगे।

दुआओं के तलबगार

वसीम अहमद रज़ा खान और साथी
+91-8109613336

साकित कर दिया। जैसे मिसाले साबिक़ को इस तरह हल करेंगे।

मिसाल: मसअला. 6

बेटे.2	बेटियाँ.2
4	2

यानी अब बेटियाँ बजाए 3 के दो ही हैं और मरने वाली बेटी का तर्का अज़ ख़ुद उसके भाईयों और बहनों पर मुन्क़सिम होगा।

मसअला.2:– अगर दूसरी मय्यित के वुरसा पहली मय्यित के वुरसा से मुख़्तलिफ़ हैं तो इसकी तसहीह का तरीक़ा यह है कि पहले पहली मय्यित का तर्का बयान किये गये उसूलों के मुताबिक़ तक़सीम किया जाये फिर दूसरी मय्यित का तर्का भी ज़िक्र किये गये उसूलों की रौशनी में तक़सीम करें, अब मुनासख़ा का अमल शुरूअ होगा और वह यह है कि दूसरी मय्यित के मसअला की तसहीह और उसके माफ़िलयद (यानी जो हिस्सा उसको पहली मय्यित से मिला है) में तीन हालतों में से कोई हालत होगी (1)या उन दोनों में निस्बते तमासुल होगी (2)या तवाफ़ुक़ होगी।(3)या तबायुन होगी। अगर निस्बते तमासुल है तब तो ज़र्ब की ज़रूरत नहीं बल्कि पहली तसहीह ब'मन्ज़िला अस्ल मसअला के हो जायेगी और दूसरी तसहीह के वुरसा गोया पहली तसहीह के वुरसा बन जायेंगे। इस तरह दोनों मय्यितों के वारिसों का मख़रज मसअला एक ही रहेगा, और अगर निस्बते तवाफ़ुक़ हो तो तसहीहे सानी के अदद वफ़्क़ को पहली तसहीह के कुल में ज़र्ब दी जायेगी और अगर निस्बते तबायुन हो तो तसहीहे सानी को तसहीहे अव्वल में ज़र्ब दी जायेगी। अब जो हासिल आयेगा वह दोनों मसअलों का मख़रज होगा, फिर उन दोनों आख़िरी सूरतों में पहली तसहीह के वुरसा के हिस्सों को दूसरी तसहीह के कुल या वफ़्क़ में ज़र्ब दी जायेगी, जब कि दूसरी तसहीह के वुरसा को माफ़िलयद के कुल या वफ़्क़ में ज़र्ब दी जायेगी। (शरीफ़िया स.91,94)

मसअला.3:– अगर माफ़िलयद और तसहीहे सानी में निस्बते तदाख़ुल हो तो छोटे अदद को किसी से ज़र्ब नहीं दी जायेगी बड़े अदद के वफ़्क़ से ज़र्ब दी जायेगी।

मसअला.4:– अगर दूसरे के बाद तीसरा, चौथा (आगे तक) मरता रहे तो यही उसूल जारी होंगे सिर्फ़ यह ख़याल रहे कि पहली और दूसरी तसहीह का मुबल्लिग़ पहले मसअला की तस्हीह के क़ाइम मक़ाम होगा और तीसरा ब'मन्ज़िला दूसरी तसहीह के होगा, व अला हाज़लक़्यास।

मिसाल.1: बिर्रद मसअला. 4×4/16×2/32×4/128

शौहर	बेटी	माँ
हामिद	करीमा	अज़ीमा
1/4	3/9	1/3/6

2. मसअला.4 तमासुल हामिद

बीवी	बाप	माँ
हलीमा	अम्र	रहीमा
1/2/8	2/4/16	1/2/8

3. मसअला.2, 6 तवाफ़ुक़ बिस्सुलुस करीमा 3,9 (माफ़िल'यद)

बेटी	बेटा	बेटा	नानी
रुक़य्या	ख़ालिद	अब्दुल्लाह	अज़ीमा
2/3/12	2/6/24	2/6/24	1/3

4.

मसअ्ला.2, 4	तबायुन		अज़ीमा.9 (माफ़िलयद)
शौहर	भाई		भाई
अ़ब्दुर्रहमान	अ़ब्दुर्रहीम	(1)	अ़ब्दुलकरीम
1/2	1/9		1/9
18			

अलअह़या — अलमब्लग 128

ह़लीमा	अ़म्र	रहीमा	रुक़य्या	ख़ालिद	अ़ब्दुल्लाह	अ़ब्दुर्रहमान	अ़ब्दुर्रहीम	अ़ब्दुलकरीम
8	16	8	12	24	24	18	9	9

तौज़ी में मुमासलत (मेल) है इस लिये ज़र्ब की कोई ज़रूरत नहीं, और दोनों मसअ्लों का मख़रजः– इस्तिलाह में एक मय्यित के वुरसा को एक बत़न कहते हैं। अब यह मसअ्ला चार बतून पर मुश्तमिल है। बत़ने अव्वल में मसअ्ला रद्द का है। 1/4 हिस्सा शौहर को, 1/2 बेटी को और 1/6 माँ को, ह़स्बे क़ायदा शौहर को अक़ल्ले मख़ारिज यानी 4 से हिस्सा दिया गया। फिर माँ और बेटी का मसअ्ला अलग किया तो 6 से हुआ, उसमें से निस्फ़ यानी 3 बेटी को और छठा यानी 1 माँ को दिया, अब उनके हिस्सों को ब'मन्ज़िला रुऊस के क़रार दिया गया और उन की निस्बत शौहर का हिस्सा अलग करने के बाद बाक़ी मसअ्ला से की तो तबायुन की निस्बत निकली क्योंकि 3 और 4 में तबायुन है फिर चार को चार से ज़र्ब दी तो ह़ासिल 6 आया अब जिन पर रद्द किया जाता है उनके सिहाम को उन लोगों के सिहाम में ज़र्ब दिया जिन पर रद नहीं किया जाता है तो ह़ासिल चार आया और जिन पर रद्द किया जाता है उन के सिहाम को जिन लोगों पर रद्द नहीं किया जाता उनके बाक़ी में ज़र्ब दी यानी 3, तो बेटी को 9 मिले और माँ को 6 मिले, फिर शौहर का इन्तिक़ाल होगया और उसने अपनी दूसरी बीवी और बाप और माँ छोड़े, मसअ्ला चार से किया चौथाई बीवी को दिया और बाक़ी'मान्दा का एक तिहाई माँ को दिया और बाक़ी 2 बत़ौर अ़सूबत (यानी असबा होने की वजह से) बाप को दिये, अब चूंकि मख़रज मसअ्ला सानी 4 और माफ़िलयद 4ज वही सोलह रहा जो पहले था। फिर करीमा का इन्तिक़ाल हुआ उसने, एक बेटी, दो बेटे और नानी छोड़ी, मसअ्ला 6 से हुआ एक बेटी को, एक दादी को मिला और दो दो हर बेटे के हिस्से में आये। अब माफ़िलयद 9 और मसअ्ला 6 में तवाफ़ुक़ बिस्सुलुस है तो छः के वफ़्क़ यानी 2 को पहले मसअ्ला से ज़र्ब दी तो ह़ासिल बत्तीस आया फिर उसी दो को बत़ने नम्बर 2 के वुरसा के हिस्सों में ज़र्ब दी और माफ़िलयद के वफ़्क़ यानी 3 से बत़न न.3 के वुरसा के हिस्सों को ज़र्ब दी। अब अ़ज़ीमा का इन्तिक़ाल हुआ उसने शौहर और दो भाई छोड़े मसअ्ला 2 से हुआ जिनमें एक शौहर को मिला और चूंकि एक दो भाईयों पर पूरा मुन्क़सिम नहीं होता था इस लिए अ़ददे रुऊस को अस्ल मसअ्ला में ज़र्ब दी तो ह़ासिल 4 आया फिर उसी मज़रुब को हर एक के हिस्से में जर्ब दे दी अब माफ़िलयद 9 और मसअ्ला 4 में निस्बते तबायुन है लिहाज़ा 4 को 32 से ज़र्ब दी तो ह़ासिल एक सौ अठ्ठाईस आया फिर उस चार को ऊपर वाले बतून के वुरसा के हिस्सों से ज़र्ब दी और 9 को उसी मय्यित के वुरसा से ज़र्ब दी।

फ़ायदा :– यह ख़याल रहे कि ज़र्ब सिर्फ़ उन्हीं वुरसा के हिस्सा में दी जायेगी जो ज़िन्दा हों और जो मुर्दा होचुके हैं उनको एक मुरब्बअ़ ख़ाना में मह़सूर कर दिया जायेगा (यानी चौकोर ख़ाने में घेर दिया जायेगा) ताकि ज़र्ब देते वक़्त ग़ल्ती का इम्कान न रहे। मुनासख़ा में वुरसा के नाम ज़रूर लिखे जायें ख़्वाह फ़र्ज़ी क्यों न हों इस लिये कि अब उनमें से बाज़ वुरसा का इन्तिक़ाल होगा तो उन के बाहमी रिश्ते के तअ़य्युन में आसानी होगी नीज़ इख़्तितामे अ़मल पर लफ़्ज़े अल अह़याउलमुबलग़ लिखकर जो ज़िन्दा वारिस हों उनके मजमूई ह़सस लिखे जायेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक ही शख़्स कई बतून से मुख़्तलिफ़ हिस्से पाता है मसलन ख़ालिद ने बत़ने अव्वल से 2 बत़ने सानी से 4 बत़ने सालिस से 6 हिस्से पाये तो अब अलअह़या के नीचे उसका नाम लिख कर 12 लिखेंगे,इस तरह अ़मले मुनासख़ा तकमील को पहुँचेगा।

ज़विल अरहाम का बयान

मसअ्ला.1:– अगर्चे ज़विल'अरहाम के मअ्ना मुतलक़ रिश्तेदारों के हैं लेकिन अस्हाबे फ़राइज़ की इस्तिलाह में इस से मुराद सिर्फ़ वह रिश्तेदार हैं जो न तो अस्हाबे फ़राइज़ में से हैं और न ही अ़सबात में से हैं। (आलमगीरी स.854 जि.4 सिराजी स.43, शामी स.396 जि.5)

मसअ्ला.2:– ज़विल अरहाम की चार अक़साम हैं (1)पहली क़िस्म में वह लोग हैं जो मय्यित की औलाद में हों। यह बेटियों या पोतियों की औलाद है, (2)दूसरी क़िस्म यह वह लोग हैं जिन की औलाद ख़ुद मय्यित है यह जद्दे फ़ासिद या जद्दा–ए–फ़ासिदा है ख़्वाह उनकी तादाद कितनी ही क्यों न हो (3) तीसरी क़िस्म यह वह लोग हैं जो मय्यित के माँ बाप की औलाद में हो जैसे हक़ीक़ी भाईयों की बेटियाँ या अ़ल्लाती (बाप शरीक) भाईयों की बेटियाँ और अख़्याफ़ी (माँ शरीक) भाईयों के बेटे, बेटियाँ और हर क़िस्म की बहनों की औलाद। (4)चौथी क़िस्म यह वह लोग हैं जो मय्यित के दादा दादी, नाना, नानी की औलाद में हों, जैसे बाप का माँ शरीक भाई और उसकी औलाद, फूफियाँ और उनकी औलाद, मामूँ और उनकी औलाद ख़ालायें और उनकी औलाद और माँ बाप दोनों या बाप की तरफ़ से चचाओं की बेटियाँ, या उनकी औलाद। (आलमगीरी स.954 जि.6)

मसअ्ला.3:– इनमें तर्तीब यही है कि पहली क़िस्म के होते हुए दूसरी क़िस्म के ज़विल अरहाम वारिस् न होंगे और दूसरी क़िस्म के होते हुए तीसरी क़िस्म के वारिस् न होंगे तीसरी क़िस्म के होते हुए चौथी क़िस्म के वारिस् न होंगे।(आलमगीरी स.954 जि.6 व काफ़ी ब'हवाला आलमगीरी शामी स.396 जि.5)

मसअ्ला.4:– ज़विल अरहाम उसी वक़्त वारिस् होंगे जब कि अस्हाबे फ़राइज़ में से वह लोग मौजूद न हों जिन पर माल दोबारा रद किया जा सकता हो और अ़सबा भी न हो(आलमगीरी स.954 जि.6)

मसअ्ला.5:– इस पर इजमाअ् है कि ज़ौजैन की वजह से ज़विल अरहाम महजूब न होंगे यानी ज़ौजैन का हिस्सा लेने के बाद ज़विल अरहाम पर तक़सीम किया जायेगा। (आलमगीरी स.954 जि.6)

मसअ्ला.6:– पहली क़िस्म के ज़विल अरहाम में मीरास् का ज़्यादा मुस्तहक़ वह है जो मय्यित से अक़रब हो जैसे नवासी, पर'पोती से ज़्यादा मुस्तहक़ है। (आलमगीरी स.954 जि.6)

मसअ्ला.7:– अगर कुर्बे दर्जा (सब का मक़ाम बराबर है) में सब बराबर हैं तो उनमें से जो वारिस् की औलाद है वह ज़्यादा मुस्तहक़ है ख़्वाह वह अ़सबा की औलाद हो या साहिबे फ़र्ज़ की हो जैसे पर'पोती नवासी के बेटे से ज़्यादा मुस्तहक़ है और पोती का बेटा नवासी के बेटे से ज़्यादा मुस्तहक़ है। (काफ़ी ब'हवाला आलमगीरी स.954 जि.6 शामी स.396 जि.5)

मसअ्ला.8:– अगर कुर्ब में सब बराबर हों और उनमें वारिस् की औलाद कोई न हो या सब वारिसों की औलाद हों तो माल सब में बराबर तक़सीम किया जायेगा जब कि तमाम ज़विलअरहाम मर्द हों या तमाम औरत हों और अगर कुछ मर्द हों और कुछ औरतें हों तो للذكر مثل حظ الانثيين के मुताबिक़ तक़सीम होगा। इस हुक्म पर हमारे अइम्मा का इत्तिफ़ाक़ है जब कि इन ज़विलअरहाम के आबा व उम्महाते ज़कूरा व अनूसत की सिफ़त में मुत्तफ़िक़ हों।

मसअ्ला.9:– अगर उसूल की सिफ़ात ज़कूरत व अनूसत (यानी मर्द व औरत होने) के एअ्तिबार से मुख़्तलिफ़ हों तो इमाम अबूयूसुफ़ रहमतुल्लाहि तआ़ला अ़लैहि के नज़्दीक अबदाने फ़ुरूअ् का एअ्तिबार होगा और माल उनके दरम्यान बराबर तक़सीम होगा। बशर्ते कि वह सब मर्द हों या सब औरतें हों और अगर मिले जुले हों तो लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िलउन्सयैन के मुताबिक़ तक़सीम होगा।

मिसाल1: मसअला 3

नवासा	नवासी
2	1

तौज़ीह:– अब चूंकि यहाँ सिफ़ते उसूल मुत्तफ़िक़ है यानी दोनों बेटी की औलाद हैं तो माल की तक़सीम ब'एअ्तिबारे अबदान होगी यानी नवासा मर्द होने की वजह से ब'मन्ज़िला दो औरतों के है गोया कुल 3 वारिस् हुए तो माल के तीन हिस्से कर लिये गये। दो हिस्से नवासे को और एक हिस्सा नवासी को दे दिया गया। (आलमगीरी स.459 जि.6 शामी स.694 जि.5)

मिसाल.2 मसअला

नवासी के बेटे का बेटा (इब्ने इब्न बिन्ते बिन्त)	नवासी की बेटी की बेटी (बिन्ते बिन्ते बिन्ते बिन्त)
2	1

तौज़ीहः— अब चूंकि उसूल दोनों के मुत्तफ़िक़ हैं यानी मुअन्नस हैं तो अब माल वारिसों के अबदान के एअ्तिबार से तक़सीम होगा यानी मर्द को दोगुना और औरत को इकहरा (यानी एक हिस्सा) मिलेगा।

मिसाल : 3 मसअ्ला. 2

नवासी की बेटी (बिन्ते बिन्ते बिन्त)	नवासा की बेटी (बिन्त इब्ने बिन्त)
1	1

तौज़ीहः— इस सूरत में इमाम अबूयूसुफ़ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के नज़्दीक अबदान का एअ्तिबार करते हुए माल उनके दरम्यान आधा–आधा तक़सीम कर दिया जायेगा।

मिसालः 4 मसअ्ला 4

नवासा की बेटी नफ़र 2	नवासी का बेटा एक नफ़र
2	2

तौज़ीहः— इस सूरत में इमाम अबूयूसुफ़ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के नज़्दीक वारिसों के का एअ्तिबार करके नवासी के बेटे को नवासे की दोनों बेटियों के बराबर क़रार देकर, दो नवासी के बेटे को और एक एक नवासे की दोनों बेटियों को दिया जायेगा। (आलमगीरी स.459 जि.6)

फ़ायदाः— ज़विल अरहाम के बारे में इमाम असबीजाबी ने मब्सूत में फ़रमाया कि अबूयूसुफ़ का क़ौल असह (ज़्यादा सहीह) है क्योंकि वह सहल'तर (आसान) है। साहिबे मुहीत का बयान है कि बुख़ारा के मशाइख़ ने इन मसाइल में अबू यूसुफ़ के क़ौल पर ही फ़तवा दिया है।(काफ़ी ब'हवाला आलमगीरी) इस लिये उस किताब में अबू यूसुफ़ का क़ौल ही इख़्तियार किया गया है।

ज़विल अरहाम की दूसरी क़िस्म

मसअ्ला.1:— ज़विल अरहाम की दूसरी क़िस्म वह लोग हैं जिनकी औलाद में मय्यित खुद है जैसे फ़ासिद दादा और दादी उनमें मीरास् का मुस्तहक़ वही होगा जो मय्यित से ज़्यादा क़रीब होगा ख़्वाह वह बाप की जानिब का हो या माँ की जानिब का और क़रीब वाले के होते हुए दूर वाला महरूम रहेगा ख़्वाह यह क़रीब वाला मुअन्नस हो और बईद वाला मुज़क्कर हो। (तहतावी स.399 जि.4)

मिसालः मसअ्ला

नाना	नानी का बाप	दादी का बाप
1	म	म

चूंकि उन तीनों में नाना मय्यित के ज़्यादा क़रीब है इस लिये कुल माल नाना ही को मिलेगा और बाक़ी दोनों महरूम होंगे।

मसअ्ला.2:— अगर यह लोग रिश्तेदारी के क़ुर्ब के एअ्तिबार से बराबर हों तो उनकी छः सूरतें हैं।

(1)उनमें से बाज़ की निस्बत मय्यित की जानिब वारिस् के वास्ते से हो और बाज़ की निस्बत वारिस् के वास्ते से न हो जैसे अब उम्मुलउम यानी नानी का बाप। अब अबुल उम यानी नानाका बाप।

तौज़ीहः— उनमें नानी के बाप की रिश्तेदारी नाना के वास्ते से है वह खुद ज़विलफ़ुरूज़ में से नहीं है बल्कि ज़विलअरहाम में है लेकिन नानी का बाप और नाना का बाप दर्जा में बराबर हैं इस लिए मज़हबे सहीह पर दोनों वारिस् होंगे और वारिस् के ज़रीआ से रिश्तेदारी सबबे तरजीह न होगी(शामी)

(2)उन सब की निस्बत मय्यित की तरफ़ वारिस् के वास्ते से हो जैसे अब उम्मे अब यानी दादी का बाप और जैसे अब उम्मे उम्म यानी नानी का बाप।

तौज़ीहः— दादी के बाप की रिश्तेदारी दादी के ज़रीआ से है और दादी ज़विलफ़ुरूज़ में है उसी तरह नानी के बाप की रिश्तेदारी नानी के ज़रीआ से है वह भी ज़विलफ़ुरूज़ में से है तो दोनों वारिस् होंगे।

(3)उनमें से किसी की निस्बत मय्यित की तरफ़ वारिस् के वास्ते से न हो। जैसे अब अबे उम यानी नाना का बाप व उम्म अबे उम यानी नाना की माँ।

तौज़ीहः— नाना के बाप की रिश्तेदारी नाना के वास्ते से है और नाना ज़विलअरहाम में है यही रिश्ता नाना की माँ का भी है लिहाज़ा दोनों की रिश्तेदारी वारिस् के वास्ते से नहीं है तो दोनों वारिस् हो जायेंगे।

(4)उन सब की मय्यित से रिश्तेदारी मय्यित के बाप की तरफ़ से हो जैसे अब अबे यानी दादी का दादा और उम्म अबे उम्मुल अब यानी दादी की दादी।

(5)उन सब की मय्यित से रिश्तेदारी मय्यित की माँ की जानिब से हो जैसे अब अबिलउम नाना का बाप और जैसे उम्म अबे उम्म नाना की माँ।

(6)उनमें से बाज़ की रिश्तेदारी मय्यित के बाप की जानिब से और बाज़ की रिश्तेदारी माँ की जानिब से हो जैसे अब उम्मुलअब यानी दादी का बाप और अब उम्मुलउम नानी का बाप।

मसअ्ला.3:– जब दर्जा में मसावी ज़विल अरहाम की मय्यित से क़राबत में इत्तिहाद हो मसलन सब मय्यित के बाप की जानिब के रिश्तेदार हों जैसा चौथी सूरत में है या सब की क़राबत मय्यित की माँ की जानिब से हो जैसे पाँचवीं सूरत में है। और जिसके ज़रीआ़ से क़राबत है वह मुज़क्कर व मुअन्नस होने में भी यकसाँ है तो यह ज़विल'अरहाम भी अगर ख़ुद सब मुज़क्कर हों या सब मुअन्नस हों तो सब को बराबर हिस्सा मिलेगा और अगर बाज़ मुज़क्कर हैं और बाज़ मुअन्नस तो लिज़्ज़िक्रे मिस्लु हज़्ज़िलउनसयैन हिस्सा होगा। और अगर जिनके ज़रीआ़ से निस्बत थी उनके मुज़क्कर व मुअन्नस होने में इख़्तिलाफ़ हो तो सबसे पहली जगह जहाँ इख़्तिलाफ़ हुआ था वहाँ मुज़क्करों को दो हिस्से और मुअन्नसों को एक हिस्सा दिया जायेगा। (तहतावी स.399 जि.4 शामी स.695 जि.5 शरीफ़िया स.109) फिर मुज़क्करों के हिस्से को उनके वारिसों में उस तरह तक़सीम किया जायेगा कि सब मुज़क्कर हों या सब मुअन्नस् तो उनके अबदान पर बराबर–बराबर तक़सीम कर दिया जायेगा और अगर कुछ मुज़क्कर हैं और कुछ मुअन्नस तो للذكر مثل حظ الانثيين, इसी तरह मुअन्नसों के हिस्से उन के वारिसों में तक़सीम किये जायेंगे।

चौथी सूरत की यह तीन मिसालें हैं।

नम्बर.1		नम्बर.2		नम्बर.3	
अब अब उम्मुल'अब=अब.	उम्म उम्मुल'अब	उम्म अब उम्मुल'अब=	उम्म उम्मु उम्मुल'अब	अब अब उम्मुल अब=	उम्म अब उम्मुल'अब
यानी दादी का दादा	यानी दादी का नाना	यानी दादी की दादी	यानी दादी की नानी	यानी दादी का दादा	यानी दादी की दादी

तौज़ीहे मिसाल.1:– इस में दादी के दादा और दादी के नाना दोनों की रिश्तेदारी बाप की जानिब से है और दर्जा में भी दोनों बराबर हैं और दोनों मुज़क्कर हैं लेकिन दादी के दादा की क़राबत दादी के बाप की वजह से है और वह मुज़क्कर है और दादी के नाना की क़राबत दादी की माँ की वजह से है और वह मुअन्नस् है लिहाज़ा माल के तीन हिस्से करके दादी के दादा को दो हिस्से और दादी के नाना को एक हिस्सा मिलेगा।

तौज़ीह मिसाल.2:– उसमें दादी की नानी और दादी की दादी दोनों की रिश्तेदारी बाप की जानिब से है और दर्जा में दोनों बराबर हैं और दोनों मुअन्नस् हैं लेकिन दादी की दादी की निस्बत मय्यित की जानिब दादी के बाप के ज़रीआ़ से है और वह मुज़क्कर है और दादी की नानी की निस्बत दादी की माँ के ज़रीआ़ से है और वह मुअन्नस् है लिहाज़ा माल के तीन हिस्से करके दो हिस्से दादी के दादा को और एक हिस्सा दादी की नानी को मिलेगा।

तौज़ीहे मिसाल.3:– दादी का दादा और दादी की दादी दोनों की रिश्तेदारी तो बाप की जानिब से है और दर्जा में भी बराबर हैं और जिसके ज़रीआ़ से क़राबत है वह भी दोनों जगह मुज़क्कर है मगर यह मुज़क्कर व मुअन्नस् होने में मुख़्तलिफ़ हैं लिहाज़ा माल के तीन हिस्से करके दो दादी के दादा को और एक हिस्सा दादी की दादी को दिया जायेगा।

पाँचवीं सूरत की यह तीन मिसालें हैं।

नम्बर.1		नम्बर.2	
अब अब अबुलउम्म	अब अब उम्मुल'उम्म	उम्म अब अबुल'उम्म	उम्म उम्म अबुल'उम
नाना का दादा	नानी का दादा	नानी की दादी	नानी की नानी

नम्बर 3.	
अब अबुल'उम्म	उम्म अबु उम्म
नाना का बाप	नानी की माँ

तौज़ीहे मिसाल.1:– नाना के दादा और नानी का दादा दोनों की रिश्तेदारी माँ की तरफ़ से है और दर्जा में दोनों बराबर हैं और दोनों मुज़क्कर हैं लेकिन ज़रीआ़ क़राबत में इख़्तिलाफ़ है और यह इख़्तिलाफ़ माँ के ऊपर नानी और नाना में हुआ लिहाज़ा वही माल इस तरह तक़सीम किया जायेगा कि नाना को दो हिस्से मिलेगा फिर नाना का हिस्सा उसके दादा को और नानी का हिस्सा उसके

दादा को दिया जायेगा।

तौज़ीहे मिसाल.2:– नाना की दादी और नाना की नानी दोनों की रिश्तेदारी माँ की जानिब से है और दोनों दर्जा में बराबर हैं और दोनों मुअन्नस् हैं लेकिन ज़रीआ क़राबत में इख़्तिलाफ़ है और यह इख़्तिलाफ़ नाना के ऊपर से शुरूअ हुआ नाना की दादी की क़राबत नाना के बाप की वजह से है और नाना के नानी की क़राबत नाना की माँ की वज़ह से है लिहाज़ा नाना की माँ और बाप में पहले माल इस तरह तक़सीम किया जायेगा कि नाना के बाप को दो हिस्से और नाना की माँ को एक हिस्सा दिया जायेगा फिर नाना के बाप का हिस्सा उसकी माँ को नाना की माँ का हिस्सा उस की माँ को देदिया जायेगा।

तौज़ीह मिसाल.3:– नाना का बाप और नानी की माँ दोनों की रिश्तेदारी माँ की जानिब से है और दोनों दर्जा में बराबर हैं मगर मुअन्नस् व मुज़क्कर में मुख़्तलिफ़ हैं लिहाज़ा कोई और वारिस् न होने की सूरत में माल के तीन हिस्से करके नाना के बाप को दो हिस्से और एक हिस्सा नानी की माँ को मिलेगा।

ज़विल अरहाम की तीसरी क़िस्म

मय्यित के भाई बहनों की वह औलादें हैं जो अस्बात व ज़विल फ़ुरूज़ में नहीं हैं मस्लन हर क़िस्म के भाईयों यानी ऐनी (हक़ीक़ी बहन भाई) अल्लाती (ऐसे बहन भाई जिनका बाप एक और मायें मुख़्तलिफ़ हों) अख़्याफ़ी (ऐसे भाई बहन जिनकी माँ एक और बाप मुख़्तलिफ़ हों) भाईयों की बेटियाँ और हर क़िस्म की बहनों के बेटे बेटियाँ और अख़याफ़ी भाईयों के बेटे।

मसअला.1:– उन ज़विलअरहाम में अगर दर्जा में तफ़ावुत हो तो जो ज़्यादा क़रीब होगा अगर्चे मुअन्नस् हो वह वारिस् होगा बईद वाला वारिस् नहीं होगा। (शामी स.695 जि.5 आलमगीरी स.461 जि.6)

मिसाल : **मसअला**

बिन्तुल उख़्त	इब्नु बिन्तुल अख़
बहन की लड़की	भतीजी का लड़का
1	म.

तौज़ीह:– चूंकि भान्जी और भतीजी का लड़का दोनों ज़विल अरहाम की तीसरी क़िस्म में हैं भान्जी क़रीब है इस लिये जब ज़विल अरहाम की क़िस्मे अव्वल और सानी न हो तो क़िस्मे सालिस् में भान्जी वारिस् हो जायेगी भतीजी का बेटा वारिस् नहीं होगा।

मसअला.2:– और अगर दर्जा में सब बराबर हों तो तीन सूरतें होंगी या तो सब वारिस् की औलाद होंगे या कोई वारिस् की औलाद न होगा या बाज़ वारिस् की औलाद होंगे और बाज़ वारिस् की औलाद न होंगे तो अगर बाज़ वारिस् की औलाद हों और बाज़ वारिस् की औलाद न हों तो वारिस् की औलाद मुक़द्दम होगी ग़ैर वारिस् की औलाद पर। (आलमगीरी स.461 शरीफ़िया तहतावी स.399 जि.5)

मिसाल: **मसअला** मय्यित

बिन्तु इब्ने अख़	इब्ने बिन्ते उख़्त
भतीजे की बेटी	भान्जी का बेटा
1	महरूम

तौज़ीह:– भतीजे की बेटी और भान्जी का बेटा दर्जा में दोनों बराबर हैं मगर भतीजा ख़ुद अ़सबा है और भान्जी ज़विलअरहाम में है इस लिये भतीजे की बेटी वारिस् की औलाद होने की वजह से वारिस् होगी और भान्जी का बेटा वारिस् नहीं होगा। ख़्वाह यह बहन भाई जिनकी औलादें यह हैं हक़ीक़ी हों या अ़ल्लाती हों या एक अ़ल्लाती और एक ऐनी हो तीनों सूरतों का यही हुक्म है।(शामी)

मसअला.3:– अगर तीसरी क़िस्म के ज़विल अरहाम सब वारिस् की औलाद हैं तो उसकी भी तीन सूरतें हैं **(1)**सब अ़सबा की औलाद हों **(2)**सब ज़विलफ़ुरूज़ की औलाद हों **(3)**बाज़ अ़सबा की औलाद हों और बाज़ ज़विलफ़ुरूज़ की।

मिसाल.1 बिन्त इब्ने अख़ हक़ीक़ी (सगे भाई की पोती) बिन्त इब्ने अख़े हक़ीक़ी। बिन्त इब्ने अख़े अ़ल्लाती बिन्त इब्ने अख़े अ़ल्लाती (बाप शरीक भाई की पोती)।

मिसाल.2 बिन्ते उख़्ते ऐनी बिन्ते उख़्ते ऐनी (सगी भान्जी) बिन्ते उख़्ते अ़ल्लाती बिन्ते उख़्ते अ़ल्लाती (बाप शरीक बहन की बेटी)

मिसाल.3 बिन्ते अख़े ऐनी, (सगी भतीजी) बिन्ते अख़े अख़्याफ़ी (माँ शरीक भाई की बेटी) बिन्ते अख़े अ़ल्लाती (बाप शरीक भाई की बेटी) और बिन्ते अख़े अख़्याफ़ी।

मसअ्ला.4:– ज़विल अरहाम की तीसरी क़िस्म में जब कोई अ़सबा और ज़विलफ़ुरूज़ की औलाद न हो जैसे बिन्ते बिन्ते अख़ (भाई की नवासी) और जैसे इब्ने बिन्ते अख़ (भाई का नवासा) मसअ्ला 2 और 3 की तमाम सूरतों में जब ज़विलअरहाम दर्जा में मसावात के साथ क़ुव्वत और ज़ोअ्फ़ में भी बराबर हों और मुज़क्कर व मुअन्नस् होने में भी यकसाँ हों तो सबको बराबर हिस्सा मिलेगा और अगर मुज़क्कर व मुअन्नस् होने में मुख़्तलिफ़ हों तो लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िलउनसयैन मिलेगा और अगर क़ुव्वत व ज़ोअ्फ़ में मुख़्तलिफ़ होंगे तो इमाम अबू यूसुफ़ के क़ौल पर जिसको ज़विलअरहाम के बारे में हमने लिया है जो रिश्ते में क़वी होगा वह औला होगा उस से जो रिश्ते में ज़ईफ़ है, यानी हक़ीक़ी भाई की औलादें अ़ल्लाती भाई की औलादों के मुक़ाबले में अदना होंगी और अ़ल्लाती भाई की औलादें अख़्याफ़ी भाई की औलाद से औला होंगी। (शामी स.695 जि.5 आलमगीरी स.461 जि.8)

मसअ्ला.5:– अगर ज़विल अरहाम की तीसरी क़िस्म में अख़्याफ़ी भाई बहनों की औलादें हों और उनसे मुक़द्दम कोई मुस्तहिक़ वारिस् न हो तो मुज़क्कर व मुअन्नस् को बराबर–बराबर हिस्सा मिलेगा उसमें मुज़क्कर को मुअन्नस पर कोई फ़ज़ीलत नहीं होगी। (आलमगीरी जि.6 स.461)

ज़विल अरहाम की चौथी क़िस्म का बयान

मसअ्ला.1:– चौथी क़िस्म के ज़विल अरहाम में वह रिश्तेदार हैं जो मय्यित के दादा, दादी, नाना, नानी, की औलाद में हों जैसे मामूँ, ख़ाला, फूफी, और बाप के माँ शरीक बहन, भाई उसी तरह उन की औलादें और चचा की मुअन्नस् औलादें। (आलमगीरी स.459 जि.6 शरीफ़िया स.115)

मसअ्ला.2:– अगर चौथी क़िस्म में का सिर्फ़ एक ही ज़ू'रहम हो और पहली तीनों क़िस्मों में से कोई न हो तो कुल माल उसी को मिल जायेगा। (आलमगीरी स.462 जि.6 शरीफ़िया स.115)

मसअ्ला.3:– उनकी औलादों में जो मय्यित से ज़्यादा क़रीब होगा वह वारिस् होगा बईद वाला वारिस् नहीं होगा यह क़रीब ख़्वाह बाप की जानिब का हो या माँ की जानिब का और ख़्वाह मुज़क्कर हो या मुअन्नस्। (आलमगीरी स.463 जि.6 शरीफ़िया 117)

मिसाल: 1 मसअ्ला मय्यित

बिन्तुल'अ़म्मति यानी फूफी की बेटी	बिन्तु बिन्तिल'अ़म्मति यानी फूफी की बेटी की बेटी
1	महरूम

मिसाल: 2 मसअ्ला मय्यित

बिन्तुल अ़म्मति यानी फूफी की बेटी	इब्नु बिन्ति'लअ़म्मति यानी फूफी की बेटी का बेटा
1	महरूम

मिसाल: 3 मसअ्ला मय्यित

बिन्तुलख़ाला ख़ाला की बेटी	बिन्तु बिन्तिल'ख़ाला ख़ाला की बेटी की बेटी
1	महरूम

मिसाल: 4 मसअ्ला मय्यित

बिन्तुल ख़ालति ख़ाला की बेटी	इब्नु बिन्तिल ख़ालाति ख़ाला की बेटी का बेटा
1	महरूम

मिसाल: 5 मसअ्ला मय्यित

बिन्तुल'अ़म्मति फूफी की बेटी	बिन्तु बिन्तिल'ख़ालति ख़ाला की बेटी की बेटी
1	महरूम

मिसाल: 6 मसअ्ला मय्यित

बिन्तुल ख़ाला ख़ाला की लड़की	इब्ने बिन्तिलअ़म्मति फूफी की लड़की का लडका
1	महरूम

मुन्दरिजा बाला मिसालों में जो क़रीब था वह वारिस् हुआ और बईद वाला वारिस् न हुआ।

मसअ्ला.4:– इन ज़विल'अरहाम में दर्जा में मसावी चन्द मौजूद हों ख़्वाह सब बाप की जानिब के हों या सब माँ की जानिब के हों या कुछ बाप की जानिब के या कुछ माँ की जानिब के तो उनमें

से जो वारिस् की औलाद होगा वह ज़विल'अरहाम की औलाद के मुकाबले में राजेह होगा यानी वारिस् की औलाद को तर्का मिलेगा और ज़ी'रहम की औलाद को नहीं मिलेगा। (मब्सूत स.30 जि.21)

मिसाल: 1 मसअला मय्यित

बिन्तुल'अ़म चचा की बेटी	बिन्तुल अ़म्मति फूफी की बेटी
1	महरूम

मिसाल: 2 मसअला मय्यित

बिन्तुल'ख़ाल मामू की बेटी	इब्नुल ख़ालति ख़ाला का बेटा
1	2

मिसाल: 3 मसअला.3 मय्यित

बिन्तुल'अ़म चचा की बेटी	इब्नुल'ख़ाल मामू का बेटा
1	महरूम

तौज़ीहे मिसाल.1:– चचा की बेटी और फूफी की बेटी दोनों रिश्ते में मसावी (बराबर) हैं और दोनों की क़राबत भी बाप की त़रफ़ से है लेकिन चचा की बेटी अ़सबा की औलाद है और फूफी की बेटी ज़विल'अरहाम की औलाद है इस लिये कुल माल चचा की बेटी की बेटी को मिलेगा और फूफी की बेटी महरूम होगी।

तौज़ीहे मिसाल.2:– मामूँ की बेटी और ख़ाला का बेटा दोनों रिश्ते में बराबर हैं और दोनों माँ की जानिब से हैं और उनमें वारिस् की औलाद कोई नहीं है इस लिये दोनों वारिस् होंगे तीन हिस्से करके दो हिस्से ख़ाला के बेटे को और एक हिस्सा मामूँ की बेटी को मिलेगा।

तौज़ीहे मिसाल.3:– चचा की बेटी और मामूँ का बेटा दोनों रिश्ते में तो बराबर हैं मगर चचा की बेटी की रिश्तेदारी बाप की जानिब से है और मामूँ के बेटे की रिश्तेदारी माँ की जानिब से है लेकिन चचा की बेटी अ़सबा की औलाद है और मामूँ का बेटा ज़ी'रहम की औलाद है इस लिये चचा की बेटी को कुल माल मिल जायेगा और मामूँ का बेटा महरूम होगा।

मसअ्ला.5:– अगर दर्जे में मसावी सिर्फ़ एक जानिब के ज़विल'अरहाम न हों और उनमें वारिस् की औलाद कोई न हो तो उनमें क़ुव्वते क़राबत भी वजहे तरजीह होगी यानी हक़ीक़ी रिश्तेदार अ़ल्लाती पर राजेह होगी और अ़ल्लाती अख़्याफ़ी पर और अगर दोनों त़रफ़ के ज़विल'अरहाम होंगे तो एक जानिब की क़ुव्वते क़राबत दूसरी जानिब पर अस्र अन्दाज़ नहीं होती बल्कि दो तिहाई हिस्सा बाप की त़रफ़ वालों को और एक तिहाई माँ के त़रफ़ वालों को मिलेगा और एक हैसियत के मसावी ज़विल'अरहाम में हर जगह उस उसूल पर भी अ़मल किया जायेगा लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनस्यैन। (मबसूत स.21 जि.30)

मिसाल:1 मसअला 1. मय्यित

हक़ीक़ी फूफी का बेटा	अ़ल्लाती फूफी का बेटा	अख़्याफ़ी फूफी का बेटा
1	महरूम	महरूम

तौज़ीहे मिसाल.1:– चूँकि तीनों फूफियों के बेटे क़राबत में (यानी रिश्तेदारी के तअल्लुक़ में) बराबर हैं मगर हक़ीक़ी फूफी के बेटे की क़राबत माँ और बाप दोनों जानिब से है इस लिये वह अ़ल्लाती और अख़्याफ़ी फूफियों के बेटों पर राजेह (तरजीह के लायक़) होगा और कुल माल उसको मिल जायेगा और वह दोनों महरूम हो जायेंगे।

मिसाल: 2 मसअला 1 मय्यित

अ़ल्लाती फूफी का बेटा	अख़्याफ़ी फूफी का बेटा
1	महरूम

तौज़ीहे मिसाल.2:– दोनों फूफियों के बेटे दर्जा में बराबर हैं मगर अ़ल्लाती फूफी के बेटे की क़राबत बाप में शिरकत की वजह से है और अख़्याफ़ी फूफी के बेटे की क़राबत बाप की माँ की वजह से है बाप की क़राबत माँ की क़राबत से क़वी है। लिहाज़ा अ़ल्लाती फूफी का बेटा वारिस् होगा अख़्याफ़ी फूफी का बेटा वारिस् नहीं होगा।

मिसाल: 3. मसअला 1. मय्यित

हक़ीक़ी मामूँ का बेटा	अ़ल्लाती मामूँ का बेटा	अख़्याफ़ी मामूँ का बेटा
1	महरूम	महरूम

तौज़ीह मिसाल.3:– तीनों मामूँ के बेटे दर्जा में बराबर हैं और सब की क़राबत माँ की वजह से है लेकिन हक़ीक़ी मामूँ के बेटे की रिश्तेदारी नाना, नानी दोनों की वजह से है और अल्लाती मामूँ के बेटे की क़राबत सिर्फ़ नाना से है और अख़्याफ़ी मामूँ के बेटे की क़राबत सिर्फ़ नानी की वजह से है लिहाज़ा हक़ीक़ी मामूँ का बेटा वारिस् होगा और दूसरे दोनों मामूँ के बेटे महरूम होंगे।

मिस़ाल: 4 मसअ्ला 1. मय्यित

अल्लाती ख़ाला की बेटी	अख़्याफ़ी ख़ाला की बेटी
1	महरूम

तौज़ीह मिसाल.4:– अल्लाती अख़्याफ़ी दोनों ख़ालाओं की बेटियाँ दर्जे में मसावी हैं और दोनों की रिश्तेदारी माँ की जानिब से है लेकिन अल्लाती ख़ाला की बेटी रिश्तेदारी माँ के बाप यानी नाना की वजह से है और अख़्याफ़ी ख़ाला की बेटी की रिश्तेदारी माँ की माँ यानी नानी की वजह से है। बाप की रिश्तेदारी से क़वी (मजबूत) है लिहाज़ा कुल माल अल्लाती ख़ाला की बेटी को मिल जायेगा अख़्याफ़ी ख़ाला की बेटी महरूम होगी।

मिस़ाल: 5 मसअ्ला 3. मय्यित

अल्लाती फूफ़ी का बेटा	हक़ीक़ी मामूँ का बेटा
2	1

तौज़ीहे मिसाल.5:– अल्लाती फूफ़ी का बेटा और हक़ीक़ी मामूँ का बेटा दर्जा में दोनों बराबर हैं लेकिन जिहते क़राबत अलाहिदा अलाहिदा है (रिश्तेदारी का सिल्सिला अलग अलग है) फूफ़ी के बेटे की क़राबत बाप की जानिब से है और सिर्फ़ दादा की वजह से है और मामूँ के बेटे की क़राबत माँ की जानिब से है और उसकी क़राबत नाना, नानी दोनों की जानिब से है तो जिहते क़राबत मुख़्तलिफ़ होने की वजह से मामूँ के बेटे की कुव्वते क़राबत से फूफ़ी का बेटा ज़ोअ्फ़े क़राबत के बावजूद महरूम नहीं होगा।

मसअ्ला.6:– जिहते क़राबत मुख़्तलिफ़ होने के बाद जैसा ऊपर बयान किया गया कुव्वते क़राबत वजहे तरजीह नहीं होती है बल्कि बाप की तरफ़ वाले ज़विल'अरहाम को दो हिस्से और माँ की तरफ़ वाले ज़विल'अरहाम को एक हिस्सा मिलता है फिर बाप की तरफ़ वाले रिश्तेदार एक फ़रीक़ बन जायेंगे और माँ की तरफ़ के रिश्तेदार एक फ़रीक़। उनमें आपस में कुव्वते क़राबत से तरजीह होगी। और हर फ़रीक़ में अगर सिर्फ़ मुज़क्कर या सिर्फ़ मुअन्नस् ज़विल'अरहाम हों तो उनको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा और अगर मुख़्तलिफ़ हों तो लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िलउन्सयैन पर भी अमल होगा।

मिस़ाल:3 मसअ्ला 3×3 त9 मय्यित

हक़ीक़ी फूफ़ी का बेटा	हक़ीक़ी फूफ़ी की बेटी	हक़ीक़ी मामूँ का बेटा	हक़ीक़ी ख़ाला की बेटी
4 (2)	2	2 (1)	1

तौज़ीहे मिसाल.3:– फूफ़ी के बेटे और बेटी की रिश्तेदारी बाप की जानिब से है और मामूँ के बेटे और ख़ाला की बेटी की रिश्तेदारी माँ की जानिब से है इस लिये तीन से मसअ्ला करके दो फूफ़ी की औलाद को एक हिस्सा मामूँ और ख़ाला की औलाद को दिया गया। फिर फूफ़ी की औलाद अलाहिदा एक फ़रीक़ होकर अपना हिस्सा इस तरह तक़सीम करेंगे कि मुज़क्कर को दो हिस्से और मुअन्नस् को एक हिस्सा मिलेगा इसी तरह मामूँ का बेटा और ख़ाला की बेटी एक फ़रीक़ बनकर अपना हिस्सा इस तरह तक़सीम करलेंगे कि मामूँ के बेटे को दो हिस्से और ख़ाला की बेटी को एक हिस्सा मिलेगा इस लिए तीन से तसहीह करके नौ से मसअ्ला होगया उनमें के दो तिहाई यानी छः बाप के फ़रीक़ वालों के हैं वह इस तरह तक़सीम होगये कि चार फूफ़ी के बेटे ने और दो फूफ़ी की बेटी ने लेलिये और माँ की तरफ़ वाले मामूँ के बेटे और ख़ाला की बेटी ने नौ का एक तिहाई यानी तीन इस तरह तक़सीम कर लिया कि दो मामूँ के बेटे ने और एक ख़ाला की बेटी ने ले लिया।

मिस़ाल: 1 मसअ्ला 3×2 त6 मय्यित

अल्लाती फूफ़ी की बेटी	अल्लाती फूफ़ी की बेटी	हक़ीक़ी मामूँ का बेटा	हक़ीक़ी ख़ाला का बेटा
2	2	1	1

तौज़ीहे मिसाल 1:– फूफ़ी और मामूँ ख़ाला की औलादें दर्जा में बराबर हैं और जिहते क़राबत में

मुख़्तलिफ़ हैं इस लिये तीन से मसअला करके दो बाप के क़राबत वाली फूफी की बेटियों को और एक माँ की क़राबत वाले मामूँ और ख़ाला के बेटों को दिया गया। फिर तीन से तसहीह करके मसअला को सहीह कर दिया गया यहाँ माँ की क़राबत मामूँ और ख़ाला क़ुव्वते क़राबत रखते थे मगर उनकी क़ुव्वते क़राबत ने बाप की तरफ़ अ़ल्लाती फूफी की औलाद को महरूम न किया।

मिसाल: 2 मसअला 3 मय्यित

हक़ीक़ी फूफी का बेटा	अ़ल्लाती फूफी का बेटा	अ़ल्लाती मामूँ का बेटा	अख़्याफी ख़ाला की बेटी
2	महरूम	1	महरूम

तौज़ीहे मिसाल.2:– बाप और माँ दोनों जानिब के ज़विल'अरहाम हैं और दर्जा में सब बरबाबर हैं और हक़ीक़ी फूफी का बेटा क़वी क़राबत (मजबूत रिश्तेदारी) रखता है लेकिन जिहत मुख़्तलिफ़ होने की वजह से वह माँ की तरफ़ वाले ज़विल'अरहाम अ़ल्लाती मामूँ के बेटे और अख़्याफ़ी ख़ाला की बेटी को महरूम नहीं करेगा लिहाज़ा तीन हिस्से करके दो हिस्से बाप की तरफ़ वाले ज़विल'अरहाम को और एक हिस्सा माँ की तरफ़ वाले ज़विल'अरहाम को दिया गया फिर हर फ़रीक़ में क़ुव्वते क़राबत ने असर किया तो हक़ीक़ी फूफी के बेटे ने अपने फ़रीक़ का कुल हिस्सा यानी दो सिहाम ले लिया और अ़ल्लाती फूफी का बेटा महरूम होगया इसी तरह माँ की तरफ़ वाले ज़विल'अरहाम में अ़ल्लाती मामूँ के बेटे ने क़ुव्वते क़राबत की वजह से अपने फ़रीक़ का पूरा हिस्सा एक सिहाम लेलिया और अख़्याफ़ी ख़ाला की बेटी को महरूम कर दिया।

मुख़न्नसीन की मीरास् का बयान

अगर्चे इसका मौक़ा शाज़ व नादिर ही आता है ताहम अगर आजाये तो हुक्मे शरअ़ मालूम होना ज़रुरी है इस लिये हम किताब की तकमील के लिये इस बाब को शामिल करना ज़रुरी समझते हैं।

मसअला.1:– मुख़न्नस् वह शख़्स है जिसमें मर्द और औ़रत दोनों के अअ़्ज़ा हों या दोनों में से कोई अ़ज़ू न हो। अगर दोनों अ़ज़ू हों तो यह देखा जायेगा कि वह पेशाब कौनसे अ़ज़ू से करता है अगर मर्दाना अ़ज़ू से पेशाब करता है तो मर्द का हुक्म है और अगर ज़नाना अ़ज़ू से पेशाब करता है तो औ़रत का हुक्म है और अगर दोनों से पेशाब करता है तो यह देखा जायेगा पहले पेशाब कौनसे अ़ज़ू से करता है जिससे पहले पेशाब करेगा उसका हुक्म होगा और अगर दोनों अ़ज़ू से एक साथ पेशाब करता है तो उस को ख़ुन्सा मुश्किल कहते हैं यानी उसके मर्द व औ़रत होने का कुछ पता नहीं चलता उसी के अहकाम यहाँ बयान किये जाते हैं और यह हुक्म उस वक़्त जब कि वह बच्चा है और अगर बुलूग़ की उ़म्र को पहुँच गया और उस को दाढ़ी निकल आई या मर्दों की तरह एहतिलाम हो या जिमाअ़ करने के लाइक़ होजाये तो उसे मर्द माना जायेगा। और अगर उसके पिस्तान ज़ाहिर हुए या माहवारी आई तो औ़रत माना जायेगा और अगर दोनों क़िस्म की अ़लामतें न पाई गई या दोनों क़िस्म की अ़लामतें पाई गई जब भी ख़ुन्सा मुश्किल कहलायेगा।(आलमगीरी स.437 जि.6)

मसअला.2:– ख़ुन्सा मुश्किल का हुक्म यह है कि उसको मुज़क्कर व मुअन्नस् मानकर जिस सूरत में कम मिलता है वह दिया जायेगा और अगर एक सूरत में उसे हिस्सा मिलता है और एक सूरत में नहीं मिलता तो न मिलने वाली सूरत इख़्तियार की जायेगी। (दुर्रेमुख़्तार व शामी स.638 जि.5)

मिसाल: 1 मसअला 5 मय्यित

इब्न	बिन्त	ख़ुन्सा (बसूरते मफ़रूज़ा मुज़क्कर)
2	1	2

मसअला 4 मय्यित

इब्न	बिन्त	ख़ुन्सा (बसूरत मफ़रूज़ा मुअन्नस्)
2	1	1

तशरीह:– अगर ख़ुन्सा को लड़का मानते हैं तो उसे 5 हिस्सों में से दो हिस्से मिलते हैं और अग उसे लड़की मानते हैं तो चार हिस्सों में से एक हिस्सा मिलता है और ज़ाहिर है कि 2/5, 1/4 से ज़्यादा है लिहाज़ा उस को मुअन्नस् वाला हिस्सा यानी 1/4 दिया जायेगा।

मिसाल.2 मसअला.2 मय्यित

ज़ौज	हक़ीक़ी बहन	ख़ुन्सा (बाप की तरफ़ से मफ़रूज़ा भाई)
1	1	महरूम

मसअला.6 तअव्वुल इला.7 मय्यित

जौज	हक़ीक़ी बहन	खुन्सा (बाप की तरफ़ से मफ़रूज़ा बहन)
3	3	1

तशरीहः– अगर खुन्सा को बाप की तरफ़ से भाई क़रार दिया जाये तो वह असबा बनेगा और उस के लिये कुछ न बचेगा इस लिये कि निस्फ़ शौहर का और निस्फ़ हक़ीक़ी बहन का फ़र्ज़ हिस्सा है और असबा को उस वक़्त मिलता है जब ज़विलफ़ुरूज़ से कुछ बचे और जब खुन्सा को बाप की तरफ़ से बहन फ़र्ज़ किया गया तो वह ज़विलफ़ुरूज़ में से है और 6 से मसअला बनाने के बाद निस्फ़ यानी 3 शौहर को मिले और निस्फ़ हक़ीक़ी बहन को और खुन्सा को छठा हिस्सा यानी एक बहनों का दो तिहाई हिस्सा पूरा करने के लिये और मसअला औल होकर 7 से होगया लिहाज़ा खुन्सा को मुज़क्कर मान कर महरूम रखा जायेगा। (शरीफ़िया स.126 आलमगीरी स.437 जि.6)

ह़म्ल की विरासत का बयान

अगर तक़सीमे विरासत के वक़्त बीवी के पेट में बच्चा है तो उसका हिस्सा महफ़ूज़ रखा जायेगा जिस की तफ़सील हस्बे ज़ैल है।

मसअला.1:– बच्चा माँ के पेट में ज़्यादा से ज़्यादा दो साल रह सकता है और कम अज़ कम मुद्दते ह़मल छः माह है।

मसअला.2:– अगर ह़म्ल मय्यित का है और दो साल के दौरान बच्चा पैदा हुआ और औरत ने अभी तक इद्दत ख़त्म होने का इक़रार न किया हो तो यह बच्चा वारिस् भी होगा और उसके माल के और लोग भी वारिस् होंगे और अगर दो साल पूरे होने के बाद बच्चा पैदा हुआ तो यह भी वारिस् नहीं होगा और इसका भी वारिस् कोई नहीं होगा। (शामी स.702 जि.5 सिराजी स.58)

मसअला.3:– ह़म्ल से पैदा होने वाला बच्चा उस वक़्त वारिस् होगा जब कि वह ज़िन्दा पैदा हो या उसका अकस्र हिस्सा ज़िन्दा बाहर हुआ हो और ज़िन्दगी को इस तरह जाना जायेगा कि वह रोये या छींके या कोई आवाज़ निकाले या उसके अअ्ज़ा (जिस्म के हिस्से) ह़रकत करें। (आलमगीरी जि.6 स.456)

मसअला.4:– अगर बच्चा इस तरह पैदा हुआ कि उसका सर पहले निकला तो सीने पर दारो मदार है अगर सीना ज़िन्दा रहकर निकल आया तो वारिस् होगा और सीना निकलने से पहले मर गया तो वारिस् नहीं होगा और अगर पैर पहले निकले हैं तो नाफ़ का एअ्तिबार होगा अगर नाफ़ ज़ाहिर होने तक ज़िन्दा था तो वारिस् होगा वरना नहीं। (सिराजी स.59 आलमगीरी स.456 जि.6)

मसअला.5:– बेहतर तो यह है कि तर्का तक़सीम करने में बच्चे की पैदाइश का इन्तिज़ार कर लिया जाये ताकि हिसाब में कोई तब्दीली न करना पड़े और अगर वुरसा इन्तिज़ार करने को तैयार नहीं हों तो ह़म्ल के अह़काम पर अमल किया जाये।

मसअला.6:– ह़म्ल की दो सूरतें हैं (1)मय्यित का ह़म्ल है (2)मय्यित के एलावा किसी दूसरे रिश्तेदार का ह़म्ल हो जो मय्यित का वारिस् बन सकता हो। अगर मय्यित का ह़मल है तो उसको लड़का फ़र्ज़ करने और लड़की फ़र्ज़ करने की सूरतों में से जिस सूरत में ज़्यादा हिस्सा मिलता है वह हिस्सा महफ़ूज़ रखा जायेगा।

ह़म्ल का हिस्सा निकालने का क़ाइदा

मसअला.7:– एक मर्तबा ह़म्ल को मुज़क्कर मानकर मसअला निकाला जाये और एक मर्तबा ह़म्ल को मुअन्नस् मानकर मसअला निकाला जाये फिर दोनों मसअलों की तसह़ीह़ में अगर तवाफ़ुक़ हो तो हर एक के वफ़्क़ को दूसरे के कुल में ज़र्ब दिया जाये और अगर दोनों तसह़ीह़ में तबायुन हो तो हर तसह़ीह़ को दूसरी तसह़ीह़ में ज़र्ब दे दिया जाये और दोनों सूरतों में ह़ासिल ज़र्ब दोनों मसअलों की तसह़ीह़ क़रार पायेगी और दोनों मसअलों में से हर वारिस् को जो सिहाम मिले हैं उन में भी यह अमल किया जाये कि दोनों मसअलों की तसह़ीह़ में तवाफ़ुक़ होने की सूरत में एक मसअला के वफ़्क़े तसह़ीह़ को दूसरे मसअला में से हर वारिस् के सिहाम में ज़र्ब दी जाये और दोनों तसह़ीहों में तबायुन की सूरत में हर तसह़ीह़ को दूसरी तसह़ीह़ में से हर वारिस् के सिहाम में ज़र्ब

दी जाये अब दोनों मसअ्लों में हर वारिस् के हिस्सों को देखा जाये जो कम हो वह हर वारिस् को उस वक़्त दे दिया जाये और जितना ज़्यादा है वह महफ़ूज़ रखा जायेगा। बच्चा पैदा होने के बाद जो माल महफ़ूज़ रखा गया था उसमें से जिस वारिस् के हिस्से में से काटकर उसे कम दिया गया था उसका हिस्सा पूरा कर दिया जायेगा और अगर वह अपना हिस्सा पूरा लेचुका था तो उस के हिस्से में कोई तब्दीली नहीं होगी और हम्ल से पैदा होने वाला बच्चा अपना हिस्सा ले ले।

मिसाले अव्वल **मसअ्ला.24, 8×27= 216**

अब	उम	ज़ौजा	बिन्त	हम्ल (मफ़रुज़ा लड़का)
4	4	3	13	78
36	36	27	117	
			39	

मसअ्ला तअव्वुल इला 8×27= 216 मय्यित

अब	उम	ज़ौजा	बिन्त	हमल (मफ़रुज़ा लड़की)
4	4	3	8	8
32	32	24	64	64

तौज़ीह :– हम्ल को मुज़क्कर मानने की सूरत में मसअ्ला 24 से था और मुअन्नस मानने की सूरत में मसअ्ला 27 से था और 24 और 27 में तवाफ़ुक़ बिस्सुलुस् है यानी 3 दोनों को तक़सीम कर देता है। इस लिए 24 के वफ़्क़ 8 को 77 में ज़र्ब दिया तो 216 हुआ और 27 के वफ़्क़ 9 को 24 में ज़र्ब दिया जब भी 216 हुये लिहाज़ा अब दोनों मसअ्लों की तस़हीह़ 216 है और हम्ल को मुज़क्कर जानने की सूरत में अ़दद सहीह 24 था उस का वफ़्क़ 8 है लिहाज़ा 8 को दूसरे मसअ्ला की तसहीह 27 में से हर वारिस् को जो सिहाम मिले थे उसको ज़र्ब दिया गया और हम्ल को मुअन्नस जानने की सूरत में तस़हीह़ का अ़दद 27 था उसका वफ़्क़ 9 है इस लिये 9 को दूसरे मसअ्ला में से हर वारिस् के सिहाम को ज़र्ब दिया गया। अब दोनों मसअ्लों में हर वारिस् के हिस्सों को देखा बाप को पहले मसअ्ला में 36 और दूसरे मसअ्ला में 32 सिहाम मिले इस लिए उसको 32 दे दिये जायेंगे और चार सिहाम महफ़ूज़ रखे जायेंगे। इसी त़रह़ माँ को भी पहले मसअ्ला में 36 और दूसरे में 32 सिहाम मिले उसको भी 32 दिये जायेंगे चार सिहाम महफ़ूज़ रखे जायेंगे। बीवी को पहले मसअ्ले में 27 और दूसरे मसअ्ले में 24 सिहाम मिले 24 उसको देदिये जायेंगे और तीन महफ़ूज़ रखे जायेंगे। लड़की को पहले मसअ्ला में 39 और दूसरे मसअ्ला में 64 सिहाम मिले इस लिए 39 दिये जायेंगे और 25 सिहाम महफ़ूज़ रखे जायेंगे। फिर अगर हमल से लड़का पैदा हुआ तो 78 सिहाम जो पहले मसअ्ला में उसे मिले थे उसको दे दिये जायेंगे और बाप के जो 4 सिहाम महफ़ूज़ थे वह उसको और माँ के जो 4 सिहाम महफ़ूज़ थे वह उसको और बीवी के तीन सिहाम महफ़ूज़ थे वह उसको देदिये जायेंगे। इस त़रह़ 216 सिहाम पूरे हो जायेंगे। और अगर हम्ल से लड़की पैदा हुई तो माँ, बाप और बीवी अपना पूरा हिस्सा ले चुके हैं उनको महफ़ूज़ सिहाम से कुछ नहीं मिलेगा लेकिन बेटी के जो 25 सिहाम महफ़ूज़ थे वह उसको देदिये जायेंगे और 64 सिहाम पैदा होने वाली लड़की को दे दिये जायेंगे इस त़रह़ फिर मजमूआ 216 सिहाम पूरा हो जायेगा और अगर हमल से मुर्दा बच्चा पैदा हुआ तो लड़की निस्फ़ माल की मुस्तहक़ थी और उसे 39 सिहाम दिये गये थे लिहाज़ा उस को 69 सिहाम और दे दिये जायेंगे इस त़रह़ उसका कुल हिस्सा 216 का निस्फ़ 108 सिहाम हो जायेगा और माँ और बाप के 4, 4 सिहाम जो काटे गये थे वह उनको दे दिये जायेंगे और 3 सिहाम बीवी के काटे गये थे वह उसको दे दिये जायेंगे.और 9 सिहाम महफ़ूज़ माल में से बचेंगे वह बाप को अस़बा होने की वजह से दे दिये जायेंगे।

मसअ्ला 7×6 तसहीह 42 मय्यित

इब्न	इब्न	बिन्त	हमल मफ़रुज़ा लड़का	ज़ौजा–ए–ख़ुलअ् से मुत़ल्लक़ा बाइना महरूम
2	2	1	2	
12	12	6	12	

मसअला 7×6 तसह 42				
इब्न	इब्न	बिन्त	हमल मफ़रूज़ा लड़की	ज़ौजा खुलअ़ से मुतल्लक़ा बाइना
2/14	2/14	1/7	1/7	

तौज़ीह़:– ह़म्ल को मुज़क्कर मानने की सूरत में मसअ्ला 7 से हुआ था और मुअन्नस मानने सूरत में 6 से और 6 और 7 में तबायुन है इस लिये 7 को दूसरे मसअ्ला की तसहीह 6 में ज़र्ब दिया तो 42 हुये और दूसरे मसअ्ला की तसहीह 6 को 7 में ज़र्ब दिया जब भी 42 हुये इसी त़रह़ पहले मसअ्ला की तसहीह 7 को दूसरे मसअ्ला में से वारिसों के हर हिस्सा में ज़र्ब दिया और दूसरे मसअ्ला की तसहीह 6 को पहले मसअ्ले की तसहीह में हर वारिस् के हिस्से में ज़र्ब दिया तो लड़कों को ह़म्ल मुज़क्कर मानने की सूरत में 12, 12 सिहाम और लड़की को 6 सिहाम मिले और ह़म्ल को मुअन्नस मानने की सूरत में लड़कों को 14, 14 सिहाम और लड़की को 7 सिहाम मिले लिहाज़ा कम वाले हिस्से यानी लड़कों को 12, 12 और लड़की को 6 सिहाम दिये जायेंगे और बाक़ी 12 सिहाम महफ़ूज़ रखे जायेंगे अगर ह़म्ल से लड़का पैदा हुआ तो उसको 12 सिहाम दे दिये जायेंगे वही उसका पूरा हिस्सा था और अगर लड़की पैदा हुई तो उसके हिस्से के 7 सिहाम उस को दे दिये जायेंगे और 2, 2 सिहाम हर लड़के को और एक सिहाम लड़की को देकर उनके हिस्से पूरे कर दिये जायेंगे। इस लिये कि वह अब ज़्यादा के मुस्तहक़ हैं ज़ौजा खुलअ़ से त़लाक़े बाइन हासिल करने की वजह से महरूम रहेगी।

मसअ्ला.5:– अगर मय्यित के एलावा किसी दूसरे का ह़म्ल हो तो मूरिस् की मौत के छः माह या उस से कम में बच्चा पैदा होने से वारिस् होगा और छः माह के बाद पैदा होने से वारिस् नहीं होगा लेकिन अगर छः माह के बाद पैदा हुआ और औ़रत ने इद्दत ख़त्म होने का इक़रार न किया हो और दूसरे वुरसा यह इक़रार करें कि यह ह़म्ल मय्यित की मौत के वक़्त मौजूद था तो छः माह के बाद पैदा होने से भी वारिस् हो जायेगा। (शामी स.702 जि.5 शरीफ़िया स.132 सिराजी स.58 आलमगीरी स455 जि.6)

मसअ्ला.6:– मज़कूरा बाला सूरत में भी वही हुक्म है कि हमल को मुज़क्कर व मुअन्नस मानकर अलाहिदा अलाहिदा दो मसअ्ले बनाये जायेंगे और वुरसा को दोनों मसअ्लों में से जो कम हिस्सा मिलता होगा वह दे दिया जायेगा और बाक़ी महफ़ूज़ रखकर बच्चा पैदा होने के बाद जो सूरत होगी उस पर अमल किया जायेगा। (शामी स.702 जि.5)

मसअ्ला 6×4= 24	मय्यित	हिन्दा
ज़ौज	माँ हामिला	ह़म्ल मफ़रूज़ा मुज़क्कर
3/12	2/8	1/4

मसअ्ला 6 तऊ़ल इला 8×3=24	हिन्दा मय्यित	
ज़ौजा	माँ हामिला	ह़म्ल मफ़रूज़ा मुअन्नस
3/9	2/6	3/9

तौज़ीह़ :– ह़म्ल मुज़क्कर मानने की सूरत में शौहर को 12 सिहाम और ह़म्ल को मुअन्नस मानने की सूरत में 9 सिहाम मिलेंगे लिहाज़ा उसे 9 सिहाम दे दिये जायेंगे और 3 सिहाम महफ़ूज़ रखे जायेंगे माँ को ह़म्ल मुज़क्कर मानने की सूरत में 8 सिहाम और मुअन्नस मानने की सूरत में 6 सिहाम मिलेंगे लिहाज़ा उसे 6 सिहाम दे दिये जायेंगे इस त़रह़ दोनों को 15 सिहाम देने के बाद 9 सिहाम महफ़ूज़ रहेंगे अगर ह़म्ल से लड़की पैदा हुई तो यह 9 सिहाम उसका हिस्सा है उस को दे दिये जायेंगे और शौहर और माँ अपना पूरा हिस्सा ले चुके थे इस लिये कोई तब्दीली नहीं होगी और ह़म्ल से लड़का पैदा हुआ तो यह बच्चा 4 सिहाम का मुस्तहक़ है लिहाज़ा 4 सिहाम उसको दे दिये जायेंगे और तीन सिहाम शौहर को और 2 सिहाम माँ को दे दिये जायेंगे क्योंकि वह उस के मुस्तहक़ हैं और उन्हीं के हिस्से से यह सिहाम महफ़ूज़ किये गये थे। इस मसअ्ला में ह़म्ल को लड़का फ़र्ज़ करने की सूरत में चूंकि

वह भाई है इस लिये असबा होगा और माँ और शौहर हर ज़विलफुरूज़ में से हैं उन दोनों का फ़र्ज़ हिस्सा निकालने के बाद जो बाक़ी बचा वह उसको दे दिया गया और हम्ल को मुअन्नस मानने की सूरत में वह हक़ीक़ी बहन होगी और ज़विलफुरूज़ में होने की वजह से निस्फ़ माल की मुस्तहक़ होगी। लिहाज़ा माँ और शौहर के साथ मिलकर उसके हिस्सा की वजह से औ़ल किया गया और उसे उसका फ़र्ज़ हिस्सा दिया गया वह अस्बियत के हिस्से से ज़्यादा है।

मसअ्ला.7:– हम्ल की उन तमाम सूरतों में हम्ल में एक बच्चा मानकर तख़रीजे मसाइल की गई है इस लिये कि उसी क़ौल पर फ़तवा है लेकिन यह एहतिमाल है हमल से एक से ज़्यादा बच्चा पैदा हों इस लिये तमाम वारिसों की तरफ़ से ज़ामिन लिया जायेगा ताकि अगर ज़्यादा बच्चे पैदा हों तो उन वारिसों से माल वापस दिलाने का वह ज़ामिन ज़िम्मेदार हो। (शामी स.701 शरीफ़िया स.132 सिराजी 58)

मसअ्ला.8:– इन तमाम मसाइल में हिस्सा महफ़ूज़ रखने का हुक्म उन वारिसों के हक़ में है जिनका हिस्सा ज़्यादा से कमी की तरफ़ तब्दील होजाता है और जिनका हिस्सा तब्दील नहीं होता है उनके हक़ में महफ़ूज़ रखने की कोई ज़रूरत नहीं मस्लन दादी, नानी और हामिला ज़ौजा और जिन वारिसों की यह हालत हो कि हम्ल के मुज़क्कर व मुअन्नस होने की सूरतों में से एक सूरत में महरूम होते हैं और एक सूरत में वारिस् होते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिया जायेगा और उनका हिस्सा महफ़ूज़ भी नहीं रखा जायेगा मस्लन भाई और चचा जब हामिला ज़ौजा के साथ हो तो अगर हम्ल से लड़का पैदा हुआ तो यह लोग महरूम रहेंगे और अगर लड़की पैदा हुई तो यह असबा होकर वारिस् हो जायेंगे लिहाज़ा उनके लिये कोई हिस्सा महफ़ूज़ नहीं रखा जायेगा। (शामी स.702 जि.5)

गुमशुदा शख़्स की विरास्त का बयान

मसअ्ला.1:– अगर कोई शख़्स गुम होजाये और उसकी ज़िन्दगी या मौत का कुछ इल्म न हो तो वह शख़्स अपने माल के एअ्तिबार से ज़िन्दा मुतसव्वर होगा यानी उसके माल में विरास्त ज़ारी न होगी मगर दूसरे के माल के एअ्तिबार से मुर्दा शुमार होगा यानी किसी से उसको विरास्त न मिलेगी। (शरीफ़िया 137, सिराजी 62, आलमगीरी स.55 जि.6, शामी 454 जि.3)

मसअ्ला.2:– गुमशुदा शख़्स के माल को माले महफ़ूज़ रखा जायेगा यहाँ तक कि उसकी मौत का हुक्म दे दिया जाये और उसकी मिक़दार साहिबे फ़त्हुलक़दीर की राय में यह है कि मफ़क़ूद की उम्र के सत्तर बरस गुज़र जायें तो क़ाज़ी उसकी मौत का हुक्म देगा और उसकी जो अमलाक हैं वह उन लोगों पर तक़सीम होंगी जो उस मौत के हुक्म के वक़्त मौजूद हैं(शरीफ़ा स.52 फ़त्हुलक़दीर शामी स.457 जि.3)

मसअ्ला.3:– मफ़क़ूद का अपना माल तो पूरा महफ़ूज़ रखा जायेगा ता वक़्ते कि उसकी मौत का हुक्म दिया जाये अगर उस हुक्म से पहले वह वापस आगया तो अपने माल पर क़ब्ज़ा करलेगा और अगर वापस न आया तो जिस वक़्त मौत का हुक्म किया जायेगा उस वक़्त जो वारिस् मौजूद होंगे उन पर तक़सीम कर दिया जायेगा जैसा कि ऊपर बयान हुआ। (शामी स.454 जि.3)

मसअ्ला.4:– मफ़क़ूद के किसी मूरिस् का इन्तिक़ाल हुआ जिसके वारिसों में मफ़क़ूद के एलावा दूसरे भी हैं तो जिन वुरसा का हिस्सा मफ़क़ूद की ज़िन्दगी और मौत से तब्दील नहीं होता है उन को पूरा हिस्सा देदिया जायेगा और जो वारिस् मफ़क़ूद को ज़िन्दा मानने से महरूम होते हैं और मुर्दा होने से वारिस् होते हैं उनका हिस्सा अभी महफ़ूज़ रखा जायेगा ता वक़्ते कि मफ़क़ूद वापस आ जाये या उसकी मौत का हुक्म दिया जाये और जिन वारिसों का हिस्सा मफ़क़ूद को ज़िन्दा मानने की सूरत में कम होता है और मुर्दा मानने की सूरत में ज़्यादा होता है तो उन को कम हिस्सा दे दिया जायेगा और बाक़ी को महफ़ूज़ रखा जायेगा ता वक़्ते कि मफ़क़ूद का हाल मालूम हो। मिसाल ज़ैद का इन्तिक़ाल हुआ और उसकी दो बेटियाँ और एक मफ़क़ूद बेटा और एक पोता और दो पोतियाँ हैं उसमें अगर गुमशुदा बेटे को ज़िन्दा माना जाये तो पोता, पोती महरूम होते हैं और दोनों बेटों को निस्फ़ माल और मफ़क़ूद को निस्फ़ माल मिलता और अगर गुमशुदा को मुर्दा माना जाये तो पोता पोती वारिस् होंगे और दोनों बेटियों को दो तिहाई हिस्सा मिलेगा लिहाज़ा फिल हाल 12 से मसअ्ला करके तीन तीन सिहाम यानी निस्फ़ माल दोनों बेटियों को दे दिया जायेगा और बाक़ी छः सिहाम महफ़ूज़ रखे जायेंगे अगर मफ़क़ूद आगया तो ले लेगा वरना उसकी मौत के हुक्म के

बाद उन छः सिहाम में से दो सिहाम एक एक दोनों लड़कियों को और देकर उनका दो तिहाई हिस्सा पूरा कर दिया जायेगा और बाक़ी चार सिहाम में से दो पोते को और एक एक दोनों पोतियों को दे दिया जायेगा क्योंकि बेटा न होने की सूरत में उसी तरह ज़ैद का माल तक़सीम होता।(शामी स.456)

मुर्तद की विरासत का बयान

मसअ्ला.1:– जब मुर्तद मरजाये, या क़त्ल कर दिया जाये या दारुलहर्ब भाग जाये और क़ाज़ी उस के दारुल हर्ब चले जाने का फ़ैसला देदे, तो जो कुछ उसने इस्लाम की हालत में कमाया था वह उसके मुसलमान वारिसों में तक़सीम होगा और जो कुछ इर्तिदाद के ज़माने में कमाया था वह बैतुल माल में चला जायेगा। (शरीफ़िया स.54 शामी स.414 जि.3 आलमगीरी स.254 जि.2)

मसअ्ला.2:– दारुलहर्ब चले जाने के बा़द जो उसने कमाया है वह बिल इत्तिफ़ाक़ फ़ी है उसे बैतुल माल में जमअ् कर दिया जायेगा।

मसअ्ला.3:– मज़कूरा अहकाम मुर्तद मर्द के थे, लेकिन मुरतद्दा (औ़रत) की तमाम कमाई ख़्वाह किसी ज़माने की हो मुसलमान वारिसों में तक़सीम कर दी जायेगी। (शरीफ़िया स.154)

मसअ्ला.4:– मुरतद मर्द और औ़रत न तो मुसलमान के वारिस होंगे और न ही मुरतद के।(शरीफ़िया स.156)

क़ैदी की विरासत का बयान

मसअ्ला.5:– वह मुसलमान जिसे काफ़िर क़ैद कर के लेगये उसका हुक्म आ़म मुसलमानों जैसा है वह दूसरों का वारिस् होगा और उसके इन्तिक़ाल के बा़द उसके वारिस् उसके माल से तर्का पायेंगे जब तक वह अपने मज़हब पर बाक़ी रहेगा और अगर उसने काफ़िरों की क़ैद में जाने के बा़द मज़हबे इस्लाम को छोड़ दिया तो उस पर वही अहकाम होंगे जो मुर्तद के हैं और अगर उस क़ैदी की मौत व ज़िन्दगी का कुछ इल्म न हो तो उस का हुक्म मफ़क़ूद या़नी गुमशुदा का हुक्म होगा जैसा कि ऊपर मज़कूरा हुआ। (शरीफ़िया स.156)

ख़त्म शुद

وَ صلی اللّٰہُ تَعَالیٰ عَلیٰ خیرِ خلقہٖ و نور عرشہٖ و قاسم رزقہ سید نا و مولانا محمد و علےٰ الہٖ وَ صحبہٖ اجمعین۔برحمتك یا ارحم الراحمین۔

مولفہ :۔ مولانا مفتی وقار الدین مفتی سید شجاعت علی صاحب

हिन्दी अनुवाद

मौलाना मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

नियर दो मीनार मस्जिद एजाज़ नगर, पुराना शहर बरेली,यू0पी0

मो0:–09219132423

15 जनवरी 2012 को तर्जमा मुकम्मल किया गया

बहारे शरीअ़त की हिस्सा 1 से 20 तक की कुछ इस्तिलाहात

हिस्सा अव्वल

इल्मे ज़ाती :– वह इल्म कि अपनी ज़ात से बिग़ैर किसी की अता से हो और यह सिर्फ़ अल्लाह तआला के साथ ख़ास है।

इल्मे अताई :– वह इल्म जो अल्लाह तआला की अता से हासिल हो।

मोअ्जिज़ा :– नबी से बाद दावए नुबुव्वत ख़िलाफ़े अ़क्ल व आदत सादिर होने वाली चीज़ को जिससे सब मुन्केरीन आजिज़ होजाते हैं उसे मोअ्जिज़ा कहते हैं।

मोहकम :– जिसके माना बिलकुल ज़ाहिर हों और वह ही कलाम से मकसूद हों उसमें तावील या तख़्सीस की गुन्जाइश न हो और नस्ख़ और तब्दील का एहतिमाल न हो।

मुतशाबह :– जिस की मुराद अ़क्ल में न आसके और यह भी उम्मीद न हो कि रब तआला बयान फ़रमाये।

इल्हाम :– वली के दिल में बाज़ वक़्त सोते या जागते में कोई बात इल्का होती है (यानी दिल में डाली जाती है) उस को इल्हाम कहते हैं।

वही–ए–शैतानी :– जो शैतान की जानिब से काहिन, साहिर, कुफ़्फ़ार के दिलों में डाली जाती है।

इरहास :– नबी से जो बात ख़िलाफ़े आदत नुबुव्वत से पहले ज़ाहिर हो उसको इरहास कहते हैं।

करामत :– वली से जो बात ख़िलाफ़े आदत हो उसको करामत कहते हैं।

मऊनत :– आम मोमिनीन से जो बात ख़िलाफ़े आदत सादिर हो उसको मऊनत कहते हैं।

इस्तिदराज :– बेबाक फुज्जार या कुफ़्फ़ार से जो बात उनके मुवाफ़िक़ ज़ाहिर हो उसको इस्तिदराज कहते हैं।

इहानत :– बेबाक फुज्जार या कुफ़्फ़ार से जो बात उनके ख़िलाफ़ ज़ाहिर हो उसको इहानत कहते हैं।

शफ़ाअत बिल'वजाहत :– मुस्तशफ़ा इलैहि (जिस से सिफ़ारिश की गई) की बारगाह में शफ़ाअत करने वाले को जो वजाहत (इज़्ज़त और मरतबा) हासिल है उसके सबब शफ़ाअत का कबूल होना शफ़ाअत बिल'वजाहत है।

शफ़ाअत बिल'मोहब्बत :– वह शफ़ाअत जिसकी कबूलियत का सबब मुस्तशफ़ा इलैहि (जिस से सिफ़ारिश की गई) की शफ़ाअत करने वाले से मोहब्बत है।

शफ़ाअत बिल'इज़्न :– इसका माना यह है कि जिसके लिये शफ़ाअत की गई है, शफ़ाअत करने वाले को मुस्तशफ़ा इलैहि के सामने उसकी शफ़ाअत पेश करने की इजाज़त हो।

बरज़ख़ :– दुनिया और आख़िरत के दरम्यान एक और आलम है जिसको बरज़ख़ कहते हैं।

ईमान :– सच्चे दिल से उन सब बातों की तस्दीक़ करना जो ज़रूरियाते दीन से हैं ईमान कहलाता है।

ज़रूरियाते दीन :– इससे मुराद वह मसाइले दीन हैं जिनको हर ख़ास व आम जानते हों जैसे अल्लाह की वहदानियत, अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की नुबुव्वत, जन्नत व दोज़ख़ वग़ैरह।

मातुरीदिया :– अहले सुन्नत का वह गिरोह जो फुरूई अ़काइद में इमामे इल्मुलहुदा हज़रत अबू'मन्सूर मातुरीदी रहमतुल्लाहि तआला अ़लैहि का पैरोकार है। वह मातुरीदिया कहलाता है।

अशाइरा :– अहले सुन्नत का वह गिरोह जो फुरूई अ़काइद में इमाम शैख़ अबुल'हसन अशअ़री रहमतुल्लाहि तआला अ़लैहि का पैरोकार है वह अशाइरा कहलाता है।

शिर्क :– अल्लाह तआला की ज़ात व सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक करना शिर्क कहलाता है।

जिज़्या :– वह शरई महसूल जो इस्लामी हुकूमत अहले किताब से उनकी जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के एवज़ में वसूल करे।

तक़लीद :– किसी के क़ौल व फ़ेअ्ल को अपने ऊपर लाज़िमे शरई जानना यह समझकर कि उसका कलाम और उसका काम हमारे लिये हुज्जत है क्योंकि यह शरई मोहक़्क़िक़ है कि हम मसाइले शरईया में इमामे आज़म अबू'हनीफ़ा रदियल्लाहु तआला अन्हु का क़ौल व फ़ेअ्ल अपने लिये दलील समझते हैं और दलाइले शरईया में नज़र नहीं करते। शरई मसाइल तीन तरह के हैं (1) अ़क़ाइद उनमें किसी की तक़लीद जाइज़ नहीं (2) वह अहकाम जो सराहतन क़ुर्आन पाक या हदीस् शरीफ़ से साबित हों इज्तिहाद को उनमें दख़्ल नहीं, उनमें भी किसी की तक़लीद जाइज़ नहीं जैसे पाँच नमाज़ें, नमाज़ की रकातें, तीस रोज़े वग़ैरह (3) वह अहकाम जो क़ुर्आन पाक या हदीस् शरीफ़ से इस्तिम्बात व इज्तिहाद करके निकाले जायें उनमें ग़ैर मुज्तहिद पर तक़लीद करना वाजिब है।

क़यास :– क़यास का लुग़वी माना है अन्दाज़ा लगाना, और शरीअ़त में किसी फ़रई मसअ्ले को अस्ल मसअ्ले से इल्लत और हुक्म में मिलादेने को क़यास कहते हैं।

बिदअ़त :– वह एअ्तिक़ाद या वह आमाल जो कि हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम के ज़माने हयाते ज़ाहिरी में न हों बाद में ईजाद हुए।

बिदअ़ते मज़मूमा :– जो बिदअ़ते इस्लाम के ख़िलाफ़ हो या किसी सुन्नत को मिटाने वाली हो वह बिदअ़ते सइएआ है।

बिदअ़ते मकरूहा :– वह नया काम जिससे कोई सुन्नत छूट जाये अगर सुन्नते ग़ैर मोअक्कदा छूटी तो यह बिदअ़त

मकरूह तन्ज़ीही है। और अगर सुन्नते मोअक्कदा छूटी तो यह बिदअत मकरूह तहरीमी है।
बिदअते हराम :– वह नया काम जिससे कोई वाजिब छूट जाये यानी वाजिब को मिटाने वाली हो।
बिदअते मुस्तहब्बा :– वह नया काम जो शरीअत में मना न हो और उसको आम मुसलमान सवाब का काम जानते हों या कोई शख़्स उसको नियते ख़ैर से करे जैसे महफ़िले मीलाद वग़ैरह।
बिदअते जाइज़, मुबाह :– हर वह नया काम जो शरीअत में मना न हो और बिग़ैर किसी नियते ख़ैर के किया जाये जैसे मुख़्तलिफ़ किस्म के खाने खाना वग़ैरह।
बिदअते वाजिब :– वह नया काम जो शरअन मना न हो और उसके छोड़ने से दीन में हरज वाक़ेअ़ हो जैसे कि क़ुर्आन के एअ़राब और दीनी मदारिस और इल्मे नहव वग़ैरह पढ़ना।
ख़िलाफ़ते राशिदा :– नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम के बाद ख़लीफ़ए बरहक़ व इमामे मुतलक़ हज़रत सय्यिदिना अबूबक्र सिद्दीक़, उमर फ़ारूक़ फिर हज़रत उस्मान ग़नी, फिर हज़रत मौला अ़ली, फिर छः महीने के लिये हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुम हुए इन हज़रात को ख़ुल्फ़ाए राशेदीन और इनकी ख़िलाफ़त को ख़िलाफ़ते राशिदा कहते हैं।
अ़शरह मुबश्शरह :– वह दस सहाबा जिनको सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उनकी ज़िन्दगी ही में उनको जन्नत की बिशारत दी हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक़, हज़रत उस्माने ग़नी, हज़रत अ़ली मुर्तज़ा, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह, हज़रत ज़ुबैर बिन अ़वाम, हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास, हज़रत सईद बिन ज़ैद, हज़रत अबूउबैदा इब्ने जर्राह रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुम अजमाईन।
ख़ता–ए–मुक़र्रर :– यह वह ख़ताए इज्तिहादी है जिससे दीन में कोई फ़ितना पैदा न होता हो जैसे हमारे नज़्दीक मुक़्तदी का इमाम के पीछे सुरह फ़ातिहा पढ़ना।
ख़ता–ए–मुन्कर :– यह वह ख़ता–ए–इज्तिहादी है जिसके साहिब पर इन्कार किया जायेगा कि उसकी ख़ता बाइसे फ़ितना है।
नज़रे शरई :– नज़्र इस्तिलाहे शरअ़ में वह इबादते मक़सूदा है जो जिन्से वाजिब से हो और वह ख़ुद बन्दे पर वाजिब न हो मगर बन्दे ने अपने क़ौल से उसे अपने ज़िम्मे वाजिब करलिया और यह अल्लाह तआ़ला के लिये ख़ास है इसका पूरा करना वाजिब है।
नज़रे लुग़वी, उर्फ़ी :– औलिया अल्लाह के नाम की जो नज़्र मानी जाती है उसे नज़रे लुग़वी कहते हैं उसका माना नज़राना है जैसे कि कोई अपने उस्ताद से कहे कि यह आप की नज़्र है यह बिलकुल जाइज़ है यह बन्दों की हो सकती है मगर इसका पूरा करना शरअन वाजिब नहीं मस्लन ग्यारहवीं शरीफ़ की नज़्र और बुज़ुर्गाने दीन की फ़ातिहा वग़ैरह।

हिस्सा दोम की इस्तिलाहात

इबादते मक़सूदा :– वह इबादत जो ख़ुद बिज़्ज़ात मक़सूद हो किसी दूसरी इबादत के लिये वसीला न हो मस्लन नमाज़ वग़ैरह।
इबादते ग़ैर मक़सूदा :– वह इबादत जो ख़ुद बिज़्ज़ात मक़सूद न हो बल्कि किसी दूसरी इबादत के लिये वसीला हो।
फ़र्ज़ :– जो दलीले क़तई से साबित हो यानी ऐसी दलील जिसमें कोई शुबह न हो।
दलीले क़तई :– वह है जिसका सुबूत क़ुर्आन पाक या हदीसे मुतावातिरा से हो।
फ़र्ज़े किफ़ाया :– वह होता है जो कुछ लोगों के अदा करने से सबकी जानिब से अदा होजाता है और कोई भी अदा न करे तो सब गुनाहगार होते हैं जैसे नमाज़े जनाज़ा वग़ैरह।
वाजिब :– वह जिसकी ज़रूरत दलीले ज़न्नी से साबित हो।
दलीले ज़न्नी :– वह है जिसका सुबूत क़ुर्आन पाक या हदीसे मुतवातिरा से न हो, बल्कि अहादीसे अहाद या महज़ अक़वाले अइम्मा से हो।
सुन्नत मोअक्कदा :– वह है जिसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने हमेशा किया हो अल बत्ता बयाने जवाज़ के लिये कभी तर्क भी किया हो।
सुन्नते ग़ैर मोअक्कदा :– वह अ़मल जिसपर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने मुदावमत (हमेश्गी) नहीं फ़रमाई और न उसके करने की ताकीद फ़रमाई लेकिन शरीअ़त ने उसके तर्क को नापसन्द जाना हो और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने वह अ़मल कभी किया हो।
मुस्तहब :– वह कि नज़रे शरअ़ में पसन्द हो मगर तर्क पर कुछ नापसन्दी न हो ख़्वाह ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम ने उसे किया या उसकी तर्ग़ीब दी या उ़लमाए किराम ने पसन्द फ़रमाया अगर्चे अहादीस में उसका ज़िक्र न आया।
मुबाह :– वह जिसका करना न करना यकसां हो।
हरामे क़तई :– जिसकी मुमानअ़त दलीले क़तई से लुज़ूमन साबित हो यह फ़र्ज़ का मुक़ाबिल है।
मकरूह तहरीमी :– जिसकी मुमानअ़त दलीले ज़न्नी से लुज़ूमन साबित हो यह वाजिब का मुक़ाबिल है।
इसाअत :– वह मम्नूअ़ शरई जिसकी मुमानअ़त की दलील हराम और मकरूह तहरीमी जैसी तो नहीं मगर उसका करना

बुरा है, यह सुन्नते मोअक्कदा के मुक़ाबिल है।
मकरूह तन्ज़ीही :– वह अ़मल जिसे शरीअ़त नापसन्द रखे मगर अ़मल पर अज़ाब की वईद न हो। यह सुन्नते ग़ैर मोअक्कदा के मुक़ाबिल है।
ख़िलाफ़े औला :– वह अ़मल जिसका न करना बेहतर हो, यह मुस्तहब का मुक़ाबिल है।
हैज़ :– बालिग़ा औ़रत के आगे के मक़ाम से जो ख़ून आ़दी तौर पर निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने के सबब से न हो तो उसे हैज़ कहते हैं।
निफ़ास :– वह ख़ून है कि जो औ़रत के रहम से बच्चा पैदा होने के बाद निकलता है उसे निफ़ास कहते हैं।
इस्तिहाज़ा :– वह ख़ून जो औ़रत के आगे के मक़ाम से किसी बीमारी के सबब से निकले तो उसे इस्तिहाज़ा कहते हैं।
निजासते ग़लीज़ा :– वह निजासत जिसपर फ़ुक़हा का इत्तिफ़ाक़ हो और उसका हुक्म सख़्त हो मसलन गोबर, लीद, पाख़ाना वग़ैरह।
निजासते ख़फ़ीफ़ा :– वह निजासत जिसमें फ़ुक़हा का इख़्तिलाफ़ हो और उसका हुक्म हलका है जैसे घोड़े का पेशाब वग़ैरह।
मनी :– वह गाढ़ा सफ़ेद पानी है जिसके निकलने की वजह से ज़कर की तुन्दी और इन्सान की शहवत ख़त्म होजाती है।
मज़ी :– वह सफ़ेद रक़ीक़ (पतला) पानी जो मुलाअ़बत (दिल्लगी) के वक़्त निकलता है;
वदी :– वह सफ़ेद पानी जो पेशाब के बाद निकलता है।
माज़ूर :– हर वह शख़्स जिसको ऐसी बीमारी हो कि एक वक़्त पूरा ऐसा गुज़र गया कि वुज़ू के साथ नमाज़ फ़र्ज़ अदा न कर सका तो वह माज़ूर है।
मुबाशरते फ़ाहिशा :– मर्द अपने आले को तुन्दी की हालत में औ़रत की शर्मगाह या किसी मर्द की शर्मगाह से मिलाये या औ़रत, औ़रत बाहम मिलायें बशर्ते कि कोई शय हाइल न हो।
आबे जारी :– वह पानी जो तिन्के को बहाकर लेजाये।
निजासत मरईया :– वह निजासत जो ख़ुश्क होने के बाद भी दिखाई दे जैसे पाख़ाना।
निजासते ग़ैर मरईया :– वह निजासत जो ख़ुश्क होने के बाद भी दिखाई दे जैसे पाख़ाना।
माए मुस्तामल :– वह थोड़ा पानी जिससे हदस दूर किया गया हो या दूर हुआ हो या ब'नियते तक़र्रुब इस्तेअ़माल किया गया हो और बदन से जुदा होगया हो अगर्चे कहीं ठहरा नहीं रवानी ही में हो।
इस्तिबरा :– पेशाब करने के बाद कोई ऐसा काम करना कि अगर कोई क़तरा रुका हो तो गिरजाये।
हदसे असग़र :– जिन चीज़ों से सिर्फ़ वुज़ू लाज़िम होता है उनको हदसे असग़र कहते हैं।
हदसे अकबर :– जिन चीज़ों से गुस्ल फ़र्ज़ हो उनको हदसे अकबर कहते हैं।

हिस्सा सोम की इस्तिलाहात

मुर्तद :– वह शख़्स है कि इस्लाम के बाद किसी ऐसे अम्र का इन्कार करे जो ज़रूरियाते दीन से हो यानी ज़बान से कलिमए कुफ़्र बके जिसमें तावीले सहीह की गुन्जाइश न हो यूहीं बाज़ अफ़आ़ल भी ऐसे हैं जिनसे काफ़िर होजाता है मसलन बुत को सजदा करना, मुस्हफ़ शरीफ़ को निजासत की जगह फेंक देना।
शफ़क़ :– शफ़क़ हमारे मज़हब में उस सपेदी का नाम है जो मग़रिब की जानिब में सुर्ख़ी डूबने के बाद जुनूबन, शिमालन सुबह सादिक़ की तरह फैली हुई रहती है।
सुबह सादिक़ :– एक रौशनी है कि मश्रिक़ की जानिब जहाँ से आज आफ़ताब तुलूअ़ होने वाला है उसके ऊपर आसमान के किनारे में जुनूबन, शिमालन दिखाई देती है और बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि तमाम आसमान पर फैल जाती है और ज़मीन पर उजाला होजाता है।
सुबह काज़िब :– सुबह सादिक़ से पहले आसमान के दरम्यान में एक दराज़ सपेदी ज़ाहिर होती है जिसके नीजे सारिक उफ़ुक़ स्याह होता है फिर यह सफ़ेदी सुबह सादिक़ की वजह से ग़ाइब होजाती है उसे सुबह काज़िब कहते हैं।
साया अस्ली :– वह स्याह जो निस्फ़ुन्नहार के वक़्त (हर चीज़ का) होता है।
निस्फ़ुन्नहारे शरई :– तुलूअ़ सुबह सादिक़ से गुरूब आफ़ताब तक के निस्फ़ को निस्फ़ुन्नहार शरई कहते हैं।
निस्फ़ुन्नहारे हक़ीक़ी (उ़र्फ़ी) :– तुलूअ़ आफ़ताब से गुरूब आफ़ताब तक के निस्फ़ को निस्फ़ुन्नहारे हक़ीक़ी कहते हैं।
ज़हवए कुबरा :– निस्फ़ुन्नहारे शरई को ही ज़हवए कुबरा कहते हैं।
वक़्ते इस्तिवा :– निस्फ़ुन्नहार का वक़्त यानी उससे मुराद ज़हवए कुबरा से लेकर ज़वाल तक पूरा वक़्त मुराद है।
ख़त्ते इस्तिवा :– वह फ़र्ज़ी दाइरा जो ज़मीन के बीचो बीच क़ुतबों से बराबर फ़ासिले पर मश्रिक़ से मग़रिब की तरफ़ खींचा हुआ माना गया है जब सूरज उस ख़त पर आता है तो दिन रात बराबर होते हैं।
अ़र्ज़े बलद :– ख़त्ते इस्तिवा से किसी बलद की क़रीब'तरीन दूरी को अ़र्ज़े बलद कहते हैं।
मिस्ले अव्वल :– किसी चीज़ का साया, साया असली के अ़लावा उस चीज़ के एक मिस्ल होजाये।
मिस्ले सानी :– किसी चीज़ का साया, साया असली के अ़लावा उस चीज़ के दो मिस्ल होजाये।

औक़ाते मकरूहा :– यह तीन हैं, तुलूअ़ आफ़ताब से लेकर बीस मिनट बाद तक, ग़ुरूब आफ़ताब से बीस मिनट पहले और निस्फ़ुन्नहार यानी ज़हवए कुबरा से लेकर ज़वाल तक।

साहिबे तर्तीब :– वह शख़्स जिसकी बुलूग़त के बाद से लगातार पाँच फ़र्ज़ नमाज़ों से ज़ाइद कोई नमाज़ क़ज़ा न हुई हो।

तस्वीब :– मुसलमानों को अज़ान के बाद नमाज़ के लिये दोबारा इत्तिला देना तस्वीब है।

शर्त :– वह शय जो हक़ीक़ते शय में दाख़िल न हो लेकिन उसके बिग़ैर शय मौजूद न हो जैसे नमाज़ के लिये वुज़ू वग़ैरह।

ख़ुन्सा मुश्किल :– जिसमें मर्द व औरत दोनों की अ़लामतें पाई जायें। और यह साबित न हो कि मर्द है या औरत।

रुक्न :– वह चीज़ है जिसपर किसी शय का वुजूद मौक़ूफ़ हो और वह ख़ुद उस शय का हिस्सा और जुज़ हो जैसे नमाज़ में रुकूअ़ वग़ैरह।

ख़ुरूज बिसुन्एही :– क़ादा अख़ीरा के बाद सलाम व कलाम वग़ैरह कोई ऐसा फ़ेअ़ल जो मनाफ़ी नमाज़ हो क़स्दन करना।

तअ़दीले अरकान :– रुकूअ़ व सुजूद व क़ौमा व जल्सा में कम से कम एक बार सुब्हानल्लाह कहने की मिक़दार ठहरना।

क़ौमा :– रुकूअ़ के बाद सीधा खड़ा होना।

जल्सा :– दोनों सजदों के दरम्यान सीधा बैठना।

मुहाले आ़दी :– वह शया जिसका पाया जाना आ़दत के तौर पर नामुम्किन हो उसे मुहाले आ़दी कहते हैं मस्लन किसी ऐसे शख़्स का हवा में उड़ना जिसको आ़दतन उड़ते न देखा गया हो।

मुहाले शरई :– वह शय जिसका पाया जाना शरई तौर पर ना'मुम्किन हो उसे मुहाले शरई कहते हैं मस्लन काफ़िर का जन्नत में दाख़िल होना वग़ैरह।

तिवाले मुफ़स्सल :– सूरह हुजरात से सूरह बुरूज तक तिवाले मुफ़स्सल कहलाता है।

औसाते मुफ़स्सल :– सूरह बुरूज से सूरह लम यकुन तक औसाते मुफ़स्सल कहलाता है।

क़िसारे मुफ़स्सल :– सूरह लम यकुन से आख़िर तक क़िसारे मुफ़स्सल कहलाता है।

इदग़ाम :– एक साकिन हर्फ़ को दूसरे मुतहर्रिक हर्फ़ में इस तरह मिलाना कि दानों हुरूफ़ एक मुशद्दद हर्फ़ पढ़ा जाये।

तरख़ीम :– मुनादा के आख़िरी हर्फ़ को तख़्फ़ीफ़न गिरा देना तर्ख़ीम कहलाता है।

ग़ुन्ना :– नाक में आवाज़ लेजाकर पढ़ना।

इज़हार :– हर्फ़ को उसके मख़रज से बिग़ैर किसी तग़य्युर के और ग़ुन्ना के अदा करने को कहते हैं।

इख़्फ़ा :– इज़हार और इदग़ाम की दरम्यानी हालत।

मद्द व लीन :– वाव, य, अलिफ़ साकिन और मा'क़ब्ल की हरकत मुवाफ़िक़ हो तो उसको मद्द व लीन कहते हैं। यानी वाव के पहले पेश और य के पहले ज़ेर, अलिफ़ के पहले ज़बर।

आ़रियत :– दूसरे शख़्स को अपनी किसी चीज़ की मन्फ़अ़त का बिग़ैर एवज़ मालिक करदेना आ़रियत है।

मुदरिक :– जिसने अव्वल रकात से तशह्हुद तक इमाम के साथ (नमाज़) पढ़ी अगर्चे पहली रकात में इमाम के साथ रुकूअ़ ही में शरीक हुआ हो।

लाहिक़ :– वह कि (जिसने) इमाम के साथ पहली रकात में इक़्तिदा की मगर बादे इक़्तिदा उसकी कुल रकातें या बाज़ फ़ौत होगईं।

मस्बूक़ :– वह है कि इमाम की बाज़ रकातें पढ़ने के बाद शामिल हुआ और आख़िर तक शामिल रहा।

लाहिक़ मस्बूक़ :– वह है जिसको कुछ रकातें शुरूअ़ में न मिलीं, फिर शामिल होने के बाद लाहिक़ होगया।

तकबीराते तशरीक़ :– अ़र्फ़ा यानी नवीं ज़िलहिज्जा की फ़ज्र से तेरहवीं की अ़स्र तक हर फ़र्ज़ नमाज़ के बाद बुलन्द आवाज़ के साथ एक बार الله اكبر الله اكبر لا اله الاالله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد पढ़ना।

अ़मले क़लील :– जिस काम के करने वाले को दूर से देखने वाला इस शक व शुबह में पड़ जाये कि यह नमाज़ में है या नहीं तो अ़मले क़लील है।

अ़मले कसीर :– जिस काम के करने वाले को दूर से देखने से ऐसा लगे कि यह नमाज़ में नहीं है बल्कि गुमान भी ग़ालिब हो कि नमाज़ में नहीं है तब भी अ़मले कसीर है।

तस्फ़ीक़ :– सीधे हाथ की उंगलियाँ उलटे हाथ की पुश्त पर मारने को तस्फ़ीक़ कहते हैं।

एअ़तिजार :– सर पेर रूमाल या इमामा इस तरह बान्धना कि दरम्यान का हिस्सा नन्गा रहे तो यह एअ़तिजार है।

इस्बाल :– तहबन्द या पायचे का टख़्नों से नीचे ख़ुसूसन ज़मीन तक पहुँचते रखना इस्बाल कहलाता है।

हिस्सा चहारुम की इस्तिलाहात

शफ़ए अव्वल, शफ़ए सानी :– चार रकात वाली नमाज़ की पहली दो रकात को शफ़ए अव्वल और आख़िरी दो रकात को शफ़ए सानी कहते हैं।

अल'मारूफ़ कल'मशरूत :– यह फ़िक़्ह का एक क़ायदा है कि मारूफ़ मशरूत की तरह है यानी जो चीज़ मशहूर हो वह तयशुदा मुआ़मले का हुक्म रखती है।

अल'मअ़हूद कल'मशरूत :– यह फ़िक्ह का एक क़ायदा है कि मअ़हूद मशरूत की तरह है यानी जो बात सबके ज़हन में हो वह तयशुदा मुआमले का हुक्म रखती है।

वतने असली :– वतने असली से मुराद किसी शख्स की वह जगह है जहाँ उसकी पैदाइश है या उसके घर के लोग वहाँ रहते हैं या वहाँ सुकूनत करली और यह इरादा है कि यहाँ से न जायेगा।

वतने इक़ामत :– वह जगह है कि मुसाफ़िर ने पन्द्रह दिन या उस से ज़्यादा ठहरने का वहाँ इरादा किया हो।

शैख़े फ़ानी :– वह बूढ़ा जिसकी उम्र ऐसी होगई कि अब रोज़ बरोज़ कमज़ोर ही होता जायेगा जब वह रोज़ा रखने से आजिज़ हो यानी न अब रख सकता है न आइन्दा उसमें इतनी ताक़त आने की उम्मीद है कि रोज़ा रख सकेगा (तो शैख़े फ़ानी है)

मुकातब :– आक़ा अपने ग़ुलाम से माल की एक मिक़दार मुक़र्रर करके यह कहदे कि इतना अदा करदे तो आज़ाद है और ग़ुलाम उसको कबूल भी करले तो ऐसे ग़ुलाम को मुकातब कहते हैं।

अय्यामे तशरीक़ :– यौमे नहर (क़ुर्बानी) यानी दस ज़िलहिज्जा के बाद के तीन दिन (11,12,13) को अय्यामे तशरीक़ कहते हैं।

साहिबैन :– फ़िक्ह हन्फ़ी में इमाम अबू'यूसुफ़ और इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआ़ला अलैहिमा को साहिबैन कहते हैं।

असहाबे फ़राइज़ :– इससे मुराद वह लोग हैं जिनका मुअ़य्यन हिस्सा क़ुर्आन व हदीस़ में बयान कर दिया गया है। उनको असहाबे फ़राइज़ कहते हैं।

अस्बा :– इससे मुराद वह लोग हैं जिनका हिस्सा मुक़र्रर नहीं अल'बत्ता असहाबे फ़राइज़ को देने के बाद बचा हुआ माल लेते हैं और असहाबे फ़राइज़ न हों तो मय्यित का तमाम माल उनहीं का होता है।

ज़विल'अरहाम :– क़रीबी रिश्तेदार इससे मुराद वह रिश्तेदार हैं जो न तो असहाबे फ़राइज़ में से हैं और न ही असबात में से हैं।

लहद :– क़ब्र खोदकर उसमें क़िब्ले की तरफ़ मय्यित के रखने की जगह बनाने को लहद कहते हैं।

शुफ़आ़ :– ग़ैर मन्क़ूल जायदाद को किसी शख़्स ने जितने में ख़रीदा उतने ही में उस जायदाद के मालिक होने का हक़ जो दूसरे शख़्स को हासिल होजाता है उसको शुफ़आ़ कहते हैं।

जमाअ़ते नवाफ़िल बित्तदाई :– तदाई का लुग़वी माना है एक दूसरे को बुलाना जमा करना, और तदाई के साथ जमाअ़त का मतलब है कि कम से कम चार आदमी एक इमाम की इक्तिदा करें।

दारुल'हर्ब :– वह दार जहाँ कभी इस्लामी हुकूमत न हुई या हुई और फिर ऐसी ग़ैर क़ौम का तसल्लुत होगया जिसने शआइरे इस्लाम मिस्ल जुमा व ईदैन व अज़ान व इक़ामत व जमाअ़त यक लख़्त उठा दिये और शआइरे कुफ़्र जारी करदिये, और कोई शख़्स अमाने अव्वल पर बाक़ी न रहे और वह जगह चारों तरफ़ से दारुल'इस्लाम में घिरी हुई नहीं तो वह दारुल'हर्ब है।

दारुल'इस्लाम दारुल'हर्ब होने की शराइत :– दारुल'इस्लाम के दारुल'हर्ब होने की तीन शर्तें हैं (1) अहले शिर्क के अहकाम खुल्लम खुल्ला जारी हों और इस्लामी अहकाम बिल्कुल जारी न हों (2) दारुल'हर्ब से उसका इत्तिसाल होजाये (3) कोई मुस्लिम या ज़िम्मी अमाने अव्वल पर बाक़ी न हो।

दारुल'इस्लाम :– वह मुल्क है कि फ़िल'हाल उसमें इस्लामी सल्तनत हो या अब नहीं तो पहले थी और ग़ैर मुस्लिम बादशाह ने उसमें शआइरे इस्लाम मिस्ल जुमा व ईदैन व अज़ान व इक़ामत व जमाअ़त बाक़ी रखे हों तो वह दारुल'इस्लाम है।

सलातुल' अव्वाबीन :– नमाज़े मग़रिब के बाद छः रकात नफ़्ल पढ़ना।

तहिय्यतुल'मस्जिद :– किसी शख़्स का मस्जिद में दाख़िल होकर बैठने से पहले दो या चार रकात नमाज़ पढ़ना।

तहिय्यतुल'वुज़ू :– वुज़ू के बाद अअ़्ज़ा ख़ुश्क होने से पहले दो रकात नमाज़ पढ़ना।

नमाज़े इशराक़ :– फ़ज्र की नमाज़ पढ़कर सूरज निकलने के कम से कम 20 मिनट बाद दो रकात नफ़्ल अदा करना।

नमाज़े चाश्त :– आफ़ताब बलन्द होने से ज़वाल यानी निस्फ़ुन्नहारे शरई तक दो या चार या बारह रकात नवाफ़िल पढ़ना।

नमाज़े वापसी सफ़र :– सफ़र से वापस आकर मस्जिद में दो रकातें अदा करना।

सलातुल्लैल :– एक रात में बाद नमाज़े इशा जो नवाफ़िल पढ़े जायें उनको सलातुल्लैल कहते हैं।

नमाज़े तहज्जुद :– नमाज़े इशा पढ़कर सोने के बाद सुबह सादिक़ तुलूअ़ होने से पहले जिस वक़्त आँख खुले उठकर नवाफ़िल पढ़ना नमाज़े तहज्जुद है।

नमाज़े इस्तिख़ारा :– जिस काम के करने न करने में शक हो उसको शुरूअ़ करने से पहले दो रकात नफ़्ल पढ़ना फिर दुआ–ए–इस्तिख़ारा करना।

सलातुत्तस्बीह :– चार रकात नफ़्ल जिसमें तीन सौ मर्तबा सुब्हानल्लाह वल'हम्दुलिल्लाहि वला'इला'ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना।

नमाज़े हाजत :– कोई अहम मुआमला दरपेश हो तो उसकी ख़ातिर मख़्सूस तरीक़े के मुताबिक़ दो या चार रकात नमाज़ पढ़ना।

सलातुल'असरार (नमाज़े ग़ौसिया):– ग़ौसे आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मन्क़ूल दो रकात नमाज़ जो मग़रिब के बाद किसी हाजत के लिये पढ़ी जाये।

नमाज़े तौबा :– तौबा व इस्तिग़फ़ार की ख़ातिर नवाफ़िल अदा करना।

सलातुर्रग़ाइब :– रजब की पहली शबे जुमा बाद नमाज़े मग़रिब के बारह रकात नफ़्ल मख़्सूस तरीक़े से अदा करना।

सजदए शुक्र :– किसी नेमत के मिलने पर सजदा करना।

हिस्सा पन्जुम की इस्तिलाहात

हाजते अस्लिया :– ज़िन्दगी बसर करने में आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत हो वह हाजते अस्लिया है मसलन रहने का मकान ख़ानादारी का सामान वग़ैरह।

साइमा :– वह जानवर है जो साल के अकसर हिस्से में चरकर गुज़ारा करता हो और उससे मक़सूद सिर्फ़ दूध और बच्चे लेना या फ़र्बा (मोटा) करना हो।

समन :– बाइअ् और मुश्तरी आपस में जो तय करें उसे समन कहते हैं।

क़ीमत :– किसी चीज़ की वह हैसियत जो बाज़ार के निर्ख़ के मुताबिक़ हो उसे क़ीमत कहते हैं।

वक़्फ़ :– किसी शय को अपनी मिल्क से ख़ारिज करके ख़ालिस अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मिल्क करदेना इस तरह कि उसका नफ़ा ख़ुदा के बन्दों में से जिसको चाहे मिलता रहे।

साअ् :– साअ् आठ रित्ल का होता है। दो सौ सत्तर तोले का होता है। तक़रीबन चार किलो एक सौ ग्राम।

रित्ल :– बीस इस्तार का होता है।

इस्तार :– साढ़े चार मिस्क़ाल का होता है।

मिस्क़ाल :– साढ़े चार माशे का वज़न।

माशा :– आठ रत्ती का वज़न।

रत्ती :– आठ चावल का वज़न।

तोला :– बारह माशे का वज़न।

तलाक़े बाइन :– वह तलाक़ जिसकी वजह से औरत मर्द के निकाह से फ़ौरन निकल जाती है।

ख़ुला :– औरत से कुछ माल लेकर इसका निकाह ज़ाइल करदेना ख़ुला कहलाता है।

दैन क़वी :– वह दैन जिसे उर्फ़ में दस्त गर्दा कहते हैं जैसे क़र्ज़, माले तिजारत का समन वग़ैरह।

दैन मुतवस्सित :– वह दैन जो किसी माल ग़ैर तिजारती का बदल हो, मसलन घर का ग़ल्ला या कोई और शय हाजते अस्लिया की बेचडाली और उसके दाम ख़रीदार पर बाक़ी हैं।

दैन ज़ईफ़ :– वह दैन जो ग़ैर माल का बदल हो मसलन बदले ख़ुलअ् वग़ैरह।

आशिर :– जिसे बादशाहे इस्लाम ने रास्ते पर मुक़र्रर करदिया हो कि तुज्जार जो माल लेकर गुज़रें उनसे सदक़ात वुसूल करे।

इजारा :– किसी शय के नफ़ा का एवज़ के मुक़ाबिल किसी शख़्स को मालिक करदेना इजारा है।

इजारा फ़ासिद :– इससे मुराद वह अक़्दे फ़ासिद है जो अपनी अस्ल के लिहाज़ से शरअ् के मुवाफ़िक़ हो मगर उसमें कोई वस्फ़ ऐसा हो जिसकी वजह से (अक़्द) नामशरूअ् हो मसलन मकान किराये पर देना और मरम्मत की शर्त मुस्ताजिर (उजरत पर लेने वाले) के लिये लगाना यह इजारा फ़ासिद है।

ख़्यारे शर्त :– बाइअ् और मुश्तरी का अक़्द में यह शर्त करना कि अगर मन्ज़ूर न हुआ तो बैअ् बाक़ी न रहेगी उसे ख़्यारे शर्त कहते हैं।

दैने मीआदी :– ऐसा क़र्ज़ जिसके अदा करने का वक़्त मुक़र्रर हो।

दैने मोअज्जल :– वह क़र्ज़ जिसमें क़र्ज़ देने वाले को हर वक़्त मुतालबे का इख़्तियार होता है।

अय्यामे मन्हिय्या :– यानी ईदुलफ़ित्र, ईदुल अदहा और ग्यारह, बारह, तेरह ज़िलहिज्जा के दिन कि उनमें रोज़ा रखना मना है इसी वजह से उन्हें अय्यामे मन्हिय्या कहते हैं।

अय्यामे बीज़ :– चाँद की 13, 14, 15 तारीख़ के दिन।

ख़्यारे रूयत :– मुश्तरी का बाइअ् से कोई चीज़ बिग़ैर देखे ख़रीदना और देखने के बाद उस चीज़ के पसन्द न आने पर बैअ् के फ़स्ख़ (ख़त्म) करने के इख़्तियार को ख़्यारे रूयात कहते हैं।

ख़्यारे ऐब :– बाइअ् का मबीअ् को ऐब बयान किये बिग़ैर बेचना या मुश्तरी का समन में ऐब बयान किये बिग़ैर चीज़ ख़रीदना और ऐब पर मुत्तला होने के बाद उस चीज़ के वापस करदेने के इख़्तियार को ख़्यारे ऐब कहते हैं।

ख़िराजे मुक़ासमा :– इससे मुराद यह है कि पैदावार का कोई आधा हिस्सा या तिहाई या चौथाई वग़ैरहा मुक़र्रर हो।

ख़िराजे मुअज्ज़फ़ :– इससे मुराद यह है कि एक मिक़दार मोअय्यन लाज़िम करदी जाये ख़्वाह रूपये या कुछ और जैसे फ़ारूक़े आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु ने मुक़र्रर फ़रमाया था।

ज़िम्मी :– उस काफ़िर को कहते हैं जिसके जान व माल की हिफ़ाज़त का बादशाहे इस्लाम ने जिज़्या के बदले ज़िम्मा लिया हो।

मुस्तामिन :– उस काफ़िर को कहते हैं जिसे बादशाहे इस्लाम ने अमान दी हो।

बीघा :– ज़मीन का एक हिस्सा या टुकड़ा जिसकी पैमाइश उमूमन तीन हज़ार पच्चीस गज़ मुरब्बा होती है

जरीब :– जरीब की मिक़दार अंग्रेज़ी गज़ से 35 गज़ लम्बाई और 35 गज़ चौड़ाई है।

बैअ् वफ़ा :– इसतौर पर बैअ् करना कि जब बाइअ् मुश्तरी को समन वापस करे तो मुश्तरी मबीअ् को वापस करदे।
फ़क़ीर :– वह शख़्स है जिसके पास कुछ हो मगर न इतना कि निसाब को पहुँच जाये या निसाब की मिक़दार हो तो उसकी हाजते अस्लिया में इस्तेअ्माल होरहा हो।
मिस्कीन :– वह है जिसके पास कुछ न हो यहाँ तक कि खाने और बदन छुपाने के लिये उसका मोहताज है कि लोगों से सुवाल करे।
आमिल :– वह है जिसे बादशाहे इस्लाम ने ज़कात और उश्र वुसूल करने के लिये मुक़र्रर किया हो।
ग़ारिम :– इससे मुराद मदयून है (मक़रूज़) हैं यानी उसपर इतना दैन हो कि उसे निकालने के बाद निसाब बाक़ी न रहे।
इब्ने सबील :– ऐसा मुसाफ़िर जिसके पास माल न रहा हो अगरचे उसके घर में माल मौजूद हो।
महरे मोअज्जल :– वह महर जो ख़लवत से पहले देना क़रार पाये।
महरे मोअज्जल :– वह महर जिसके लिये कोई मीआद मुक़र्रर हो।
बनी हाशिम :– इनसे मुराद हज़रत अली व जाफ़र व अक़ील और हज़रत अब्बास व हारिस् बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलादें हैं।
उम्मे वलद :– वह लौन्डी जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ और मौला ने इक़रार किया कि यह मेरा बच्चा है।
सौमे दाऊद अलैहिस्सलाम :– इससे मुराद एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन इफ़तार करना है।
सौमे सुकूत :– ऐसा रोज़ा जिसमें कुछ बात न करे।
सौमे विसाल :– रोज़ा रखकर इफ़तार न करना और दूसरे दिन फिर रोज़ा रखना।
सौमे दहर :– यानी हमेशा रोज़ा रखना।
यौमुश्शक :– वह दिन जो उन्तीसवीं शाबान से मिला हुआ होता है और चाँद के पोशीदा होने की वजह से उस तारीख़ के मालूम होने में शक होता है यानी यह मालूम नहीं होता कि तीस शाबान है या एक रमज़ान। इसी वजह से उसे यौमुश्शक कहते हैं।
मस्तूर :– पोशीदा, मख़्फ़ी वह शख़्स जिसका ज़ाहिर हाल शरअ् के मुताबिक़ हो मगर बातिन का हाल मालूम न हो।
शहादत अलश्शहादत :– इससे मुराद यह है कि जिस चीज़ को गवाहों ने खुद न देखा बल्कि देखने वालों ने उनके सामने गवाही दी और अपनी गवाही पर उन्हें गवाह किया उन्होंने उस गवाही की गवाही दी।
इकराहे शरई :– इकराहे शरई यह है कि कोई शख़्स किसी को सहीह धमकी दे कि अगर तू फ़ुलां काम न करेगा तो मैं तुझे मार डालूँगा या हाथ पाँव तोड़ दूँगा या नाक, कान वग़ैरह कोई उ़ज़ू (बदन का हिस्सा) काट डालूँगा या सख़्त मार मारूँगा और वह यह समझता हो कि यह कहने वाला जो कुछ कहता है कर गुज़रेगा, तो यह इकराहे शरई है।
मस्जिदे बैत :– घर में जो जगह नमाज़ के लिये मुक़र्रर की जाये उसे मस्जिदे बैत कहते हैं।
ज़िहार :– अपनी ज़ौजा या उसके किसी जुज़ या शाइअ् या ऐसे जुज़ को जो कुल से ताबीर किया जाता हो ऐसी औरत से तशबीह देना जो उसपर हमेशा के लिये हराम हो या उसके किसी ऐसे उ़ज़ू से तशबीह देना जिसकी तरफ़ देखना हराम हो, मसलन कहा तू मुझपर मेरी माँ की मिस्ल है या तेरा सर या तेरी गर्दन या तेरा निस्फ़ मेरी माँ की पीठ की मिस्ल है।

हिस्सा छः की इस्तिलाहात

अशहरे हज :– हज के महीने यानी शव्वाल व ज़िलक़ादा दोनों मुकम्मल और ज़ुलहिज्जा के इब्तिदाई दस दिन।
एहराम :– जब हज या उमरा या दोनों की नियत करके तल्बिया पढ़ते हैं तो बाज़ हलाल चीज़ें भी हराम होजाती हैं इस लिये उसको एहराम कहते हैं। और मजाज़न उन बिग़ैर सिली चादरों को भी एहराम कहा जाता है जिनको एहराम की हालत में इस्तेअ्माल किया जाता है।
तल्बिया :– वह विर्द जो उमरा और हज के दौरान हालते एहराम में किया जाता है। यानी "लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक आख़िर तक पढ़ना।
इज़्तिबाअ् :– एहराम की ऊपर वाली चादर को सीधी बग़ल से निकाल कर इसतरह उल्टे कन्धे पर डालना कि सीधा कन्धा खुला रहे।
रम्ल :– तवाफ़ के इब्तिदाई तीन फेरों में अकड़कर शाने हिलाते हुए छोटे–छोटे क़दम उठाते हुए थोड़ी तेज़ी से चलना।
तवाफ़ :– ख़ाना–ए–काबा के गिर्द सात चक्कर या फेरे लगाना एक चक्कर को "शौत" कहते हैं जमा "अशवात"।
मताफ़ :– जिस जगह में तवाफ़ किया जाता है।
तवाफ़े क़ुदूम :– मक्का–ए–मोअज़्ज़मा में दाख़िल होने पर पहला तवाफ़ यह इफ़राद या क़िरान की नियत से हज करने वालों के लिये सुन्नते मोअक्कदा है।
तवाफ़े ज़्यारत :– इसे तवाफ़े इफ़ाज़ा भी कहते हैं। यह हज का रुक्न है इसका वक़्त दस ज़ुलहिज्जा की सुबह सादिक़ से बारह ज़ुलहिज्जा ग़ुरूब आफ़ताब तक है मगर दस ज़ुलहिज्जा को करना अफ़ज़ल है।
तवाफ़े वदाअ् :– हज के बाद मक्का–ए–मुकर्रमा से रुख़्सत होते हुए किया जाता है। यह हर "आफ़ाक़ी हाजी पर वाजिब है।
तवाफ़े उमरा :– यह उमरा करने वालों पर फ़र्ज़ है।

इस्तिलाम :– हजरे असवद को बोसा देना या हाथ या लकड़ी से छूकर हाथ या लकड़ी को चूम लेना या हाथों से उसकी त़रफ़ इशारा करके उन्हें चूम लेना।

सई :– सफ़ा और मरवा के दरम्यान सात फेरे लगाना (सफ़ा से मरवा तक एक फेरा होता है यूं मरवा पर सात चक्कर पूरे होंगे)

रमी :– जमरात (यानी शैतानों) पर कंकरियां मारना।

ह़ल्क़ :– एह़राम से बाहर होने के लिये हुदूदे ह़रम ही में पूरा सर मुन्डवाना।

क़स्र :– चौथाई सर का हर बाल कम से कम उंगली के एक पोरे के बराबर कतरवाना।

मस्जिदे ह़राम :– वह मस्जिद जिसमें का़बा शरीफ़ है।

बाबुस्सलाम :– मस्जिदे ह़राम का वह दरवाज़ा मुबारका जिसमें पहली बार दाखिल होना अफ़ज़ल है और यह पूरब की जानिब वाक़ेअ़् है।

का़बा :– इसे बैतुल्लाह भी कहते हैं यानी अल्लाह तआ़ला का घर यह पूरी दुनिया के वस्त, सेन्टर में वाक़ेअ़् है। और सारी दुनिया के लोग इसी की त़रफ़ रुख करके नमाज़ अदा करते हैं और मुसलमान परवानावार उसका त़वाफ़ करते हैं।

रुक्ने असवद :– जुनूब व मश्रिक़ के कोने में वाक़ेअ़् है इसी में जन्नती पत्थर "हजरे असवद" नसब है।

रुक्ने इराक़ी :– यह इराक़ की सिम्ते शिमाल मश्रिक़ी कोना है।

रुक्ने शामी :– यह मुल्के शाम की सिम्ते शिमाल मग़रिबी कोना है।

रुक्ने यमानी :– यह यमन की जानिब मग़रिबी कोना है।

बाबुल'का़बा :– रुक्ने असवद और रुक्ने इराक़ी के बीच की मश्रिक़ी दीवार में ज़मीन से काफ़ी बलन्द सोने का दरवाज़ा है।

मुल्तज़म :– रुक्ने असवद और बाबुल'का़बा की दरम्यानी दीवार।

मुस्तजार :– रुक्ने यमानी और शामी के बीच में मग़रिबी दीवार का वह हिस्सा जो "मुल्तज़म" के मुक़ाबिल यानी ऐन पीछे की सीध में वाक़ेअ़् है।

मुस्तजाब :– रुक्ने यमानी और रुक्ने असवद के बीच की जुनूबी दीवार यहाँ सत्तर हज़ार फ़िरिश्ते दुआ़ पर आमीन कहने के लिये मुक़र्रर हैं। इसी लिये सय्यिदी आ़ला ह़ज़रत इमाम अह़मद रज़ा ख़ाँ रह़्तुल्लाहि अ़लैहि ने इस मक़ाम का नाम "मुस्तजाब" (यानी दुआ़ की मक़बूलियत का मक़ाम) रखा है।

ह़तीम :– का़बा मुअ़ज़्ज़मा की शिमाली दीवार के पास निस्फ़ दाइरे की शक्ल में फ़सील (यानी बाउन्डरी) के अन्दर का हिस्सा ह़तीम का़बा शरीफ़ ही का हिस्सा है और उसमें दाख़िल होना ऐन का़बतुल्लाह शरीफ़ में दाख़िल होना है।

मीज़ाबे रह़मत :– सोने का परनाला यह रुक्ने इराक़ी व शामी की शिमाली दीवार पर छत पर नसब है इससे बारिश का पानी ह़तीम में निछावर होता है।

मक़ामे इब्राहीम :– दरवाज़ए का़बा के सामने एक कुब्बा में वह जन्नती पत्थर जिस पर खड़े होकर ह़ज़रत सय्यिदुना इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम ने का़बा शरीफ़ की इमारत तामीर की और यह ह़ज़रत सय्यिदुना इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अ़लैहिस्सलाम का ज़िन्दा मोअ़्जिज़ा है कि आज भी उस मुबारक पत्थर पर आप के क़दमैन शरीफ़ैन के नक़्श मौजूद हैं।

बेअ़्रे ज़म'ज़म मक्का मोअ़ज़्ज़मा का वह मुक़द्दस कुआं जो ह़ज़रत इस्माईल अ़लैहिस्सलाम के आ़लमे तुफ़ूलियत (बचपन) में आप के नन्हें नन्हें मुबारक क़दमों की रगड़ से जारी हुआ था। उसका पानी देखना, पीना और बदन पर डालना सवाब और बीमारियों के लिये शिफ़ा है। यह मुबारक कुआं मक़ामे इब्राहीम से जुनूब में वाक़ेअ़् है।

बाबुस्सफ़ा :– मस्जिदे ह़राम जुनूबी दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। जिसके नज़्दीक "कोहे सफ़ा" है।

कोहे सफ़ा :– का़बा मोअ़ज़्ज़मा के जुनूब में वाक़ेअ़् है और यहीं से सई शुरूअ़् होती है।

कोहे मरवा :– कोहे सफ़ा के सामने वाक़ेअ़् है। सफ़ा से मरवा तक पहुँचने पर सई का एक फेरा ख़त्म होजाता है और सातवाँ फेरा यहीं मरवा पर ख़त्म होता है।

मीलैन :– यानी दो सब्ज़ निशान सफ़ा से मरवा की जानिब कुछ दूर चलने के बाद थोड़े थोड़े फ़ासिले पर दोनों त़रफ़ की दीवारों और छत में सब्ज़ लाइटें लगी हुई हैं। इब्तिदा और इन्तिहा पर फ़र्श भी सब्ज़ मारबल का पटा बना हुआ है। इन दोनों सब्ज़ निशानों के दरम्यान सई के दौरान मर्दों को दौड़ना पड़ता है।

मस्आ :– मीलैन अख़्ज़रैन (दोनों हरे मील) का दरम्यानी फ़ासिला जहाँ सई के दौरान मर्द को दौड़ना सुन्नत है।

मीक़ात :– उस जगह को कहते हैं कि मक्का मोअ़ज़्ज़मा जाने वाले आफ़ाक़ी को बिग़ैर एह़राम वहाँ से आगे जाना जाइज़ नहीं, चाहे तिजारत या किसी भी ग़रज़ से जाता हो। यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा के रहने वाले भी अगर मीक़ात की ह़दों से बाहर (मसलन त़ाइफ़ या मदीना मुनव्वरा) जायें तो उन्हें भी अब बिग़ैर एह़राम मक्का मुकर्रमा आना ना'जाइज़ है।

ज़ुल'हुलैफ़ा :– मदीना शरीफ़ से मक्का पाक की त़रफ़ तक़रीबन दस किलो मीटर पर है जो मदीना मुनव्वरा की त़रफ़ से आने वालों के लिये "मीक़ात" है अब इस जगह का नाम अबयारे अ़ली है।

ज़ाते इर्क़ :– इराक़ की त़रफ़ से आने वालों के लिये मीक़ात है।

यलम'लम :– पाकिस्तान व हिन्दुस्तान वालों के लिये मीक़ात है।

जोहफ़ा :– मुल्के शाम की तरफ़ से आने वालों के लिये मीक़ात है।
क़र्नुल'मनाज़िल :– नज्द (मौजूदा रियाज़) की तरफ़ आने वालों के लिये मीक़ात है। यह जगह ताइफ़ के क़रीब है।
मीक़ाती :– वह शख़्स जो मीक़ात की हुदूद के अन्दर रहता हो।
आफ़ाक़ी :– वह शख़्स जो मीक़ात की हुदूद से बाहर रहता हो।
तन्ईम :– वह जगह जहाँ से मक्का मुकर्रमा में क़याम के दौरान उमरे के लिये एहराम बान्धते हैं और यह मकाम मस्जिदुल'हराम से तक़रीबन सात किलो मीटर मदीना मुनव्वरा की जानिब है अब यहाँ मस्जिदे आयशा बनी हुई है। इस जगह को लोग "छोटा उमरा" कहते हैं।
जेअ़राना :– मक्का मुकर्रमा से तक़रीबन छब्बीस किलो मीटर दूर ताइफ़ के रास्ते पर वाक़ेअ़ है यहाँ से भी दौराने क़यामे मक्का शरीफ़ उमरा का एहराम बान्धा जाता है इस मक़ाम को अवाम 'बड़ा उमरा' कहते हैं।
हरम :– मक्का मोअ़ज़्ज़मा के चारों तरफ़ मीलों तक उसकी हुदूद हैं और यह ज़मीन हुरमत व तक़द्दुस की वजह से हरम कहलाती है हर जानिब उसकी हुदूद पर निशान लगे हैं हरम के जंगल का शिकार करना और ख़ुद से पैदा होने वाले दरख़्त और तर घास काटना, हाजी, ग़ैर हाजी सब के लिये हराम है। जो शख़्स हुदूदे हरम में रहता हो उसे "हरमी" या "अहले हरम" कहते हैं।
हिल :– हुदूदे हरम से बाहर मीक़ात तक की ज़मीन को "हिल" कहते हैं इस जगह वह चीजें हलाल हैं जो हरम में हराम हैं जो शख़्स ज़मीने हिल का रहने वाला हो उसे "हिल्ली" कहते हैं।
मिना :– मस्जिदे हराम से पाँच कि0मी0 पर वह वादी जहाँ हाजी साहिबान क़याम करते हैं "मिना" हरम में शामिल है।
जमरात :– मिना में तीन मक़ामात जहाँ कंकरियां मारी जाती हैं पहले का नाम जमरतुल'अक़बा है उसे बड़ा शैतान भी कहते हैं दूसरे को जमरतुल'वुस्ता (मंझला शैतान) और तीसरा को जमरतुल'ऊला (छोटा शैतान) कहते हैं।
अ़रफ़ात :– मिना से तक़रीबन ग्यारह कि0मी0 दूर मैदान जहाँ ज़ुल'हिज्जा को तमाम हाजी साहिबान जमा होते हैं। अरफ़ात हरम से ख़ारिज है।
जबले रहमत :– अरफ़ात का वह मुक़द्दस पहाड़ जिसके क़रीब वुक़ूफ़ करना अफ़ज़ल है।
मुज़्दलफ़ा :– मिना से अ़रफ़ात की तरफ़ तक़रीबन पाँच कि0मी0 पर वाक़ेअ़ मैदान जहाँ अ़रफ़ात से वापसी पर रात बसर करते हैं सुन्नत और सुबह सादिक़ और तुलूअ़ आफ़ताब के दरम्यान कम से कम एक लम्हा वुक़ूफ़ वाजिब है।
महस्सिर :– मुज़्दलफ़ा से मिला हुआ मैदान, यहीं असहाबे फ़ील पर अ़ज़ाब नाज़िल हुआ था। यहाँ से गुज़रते वक़्त तेज़ी से गुज़रना सुन्नत है।
बत्ने उ़रना :– अ़रफ़ात के क़रीब एक जंगल जहाँ हाजी का वुक़ूफ़ दुरुस्त नहीं।
मदआ़ :– मस्जिदे हराम और मक्का मुकर्रमा के क़ब्रिस्तान "जन्नतुल'मुअल्ला" के दरम्यान जगह जहाँ दुआ़ मांगना मुस्तहब है।
दम :– यानी एक बकरा (इसमें नर, मादा, दुंबा, भेड़ कामिल, और गाय, ऊँट का सातवाँ हिस्सा भी शामिल है)
बदना :– यानी ऊँट या गाय। यह तमाम जानवर उन्हीं शराइत के हों जो क़ुर्बानी में हैं।
सदक़ा :– यानी सदक़ा–ए–फ़ित्र की मिक़दार (आज कल के हिसाब से दो किलो तक़रीबन पचास ग्राम गेहूँ या उसका आटा या उसकी रक़म या उसके दुगने जौ या खजूर या उसकी रक़म)
मरज़ुल'मौत :– किसी मर्ज़ के मरज़ुल'मौत होने के लिये दो बातें शर्त हैं। एक यह कि उस मर्ज़ में ख़ौफ़े हलाक व अन्देशाए मौत क़ुव्वत व ग़लबे के साथ हो, दोम यह कि उस ग़लबए ख़ौफ़ की हालत में उसके साथ मौत मुत्तसिल हो अगर्चे उस मर्ज़ से न मरे, मौत का सबब कोई और होजाये।
मुदब्बर :– वह ग़ुलाम जिसकी निस्बत मौला ने कहा कि तू मेरे मरने के बाद आज़ाद है।
हज्जे बदल :– नियाबतन (नायब बनकर) दूसरे की तरफ़ से हज्जे फ़र्ज़ अदा करना कि उसपर फ़र्ज़ को साक़ित करे।
नहर :– ऊँट को खड़ा करके सीने में गले की इन्तिहा पर तकबीर कहकर नेज़ा मारना उसको नहर कहते हैं।
इलमामे सहीह :– मुतमत्तेअ़ का उ़मरा के बाद एहराम खोलकर अपने वतन को वापस जाना।
जुर्मे ग़ैर इख़्तियारी :– अगर बीमारी सख़्त सर्दी, सख़्त गर्मी, फोड़े और ज़ख़्म या जुओं की सख़्त तकलीफ़ की वजह से कोई जुर्म हुआ उसे जुर्मे ग़ैर इख़्तियारी कहते हैं।
चार पहर :– इससे मुराद एक दिन या एक रात की मिक़दार मुराद है मसलन तुलूअ़ आफ़ताब से ग़ुरूब आफ़ताब और ग़ुरूब आफ़ताब से तुलूअ़ आफ़ताब या दोपहर से आधी रात या आधी रात से दोपहर तक।
मोहसर :– जिसने हज या उ़मरा का एहराम बान्धा मगर किसी वजह से पूरा न कर सका उसे मोहसर कहते हैं।
हदी :– उस जानवर को कहते हैं जो क़ुर्बानी के लिये हरम को लेजाया जाये।
मुद :– एक पैमाना जो वज़न में दो रित्ल होता है।
हज्जे क़िरान :– हज व उ़मरा (दोनों) के एहराम की नियत करे उसे क़िरान कहते हैं और इस हज करने वाले को

क़ारिन कहते हैं।

हज्जे तमत्तोअ् :— मक्का मोअ़ज़्ज़मा में पहुँचकर अशहरुल'हज (यकुम शव्वाल से दस ज़िल'हिज्जा) में उमरा करके वहीं से हज का एहराम बान्धे इसे तमत्तोअ् कहते हैं और इस हज करने वाले को मुतमत्तेअ् कहते हैं।

हज्जे इफ़राद :— जिसमें सिर्फ़ हज किया जाता है। उसे हज्जे इफ़राद कहते हैं और इस हज करने वाले को मुफ़रिद कहते हैं।

ज़ादे राह :— तोशा और सवारी उसके माना यह हैं कि यह चीजें उसकी हाजत यानी मकान व लिबास और ख़ानादारी के सामान वग़ैरह और क़र्ज़ से इतनी ज़्यादा हों कि सवारी पर जाये और वहाँ से सवारी पर वापस आये और जाने से वापसी तक अयाल का नफ़क़ा और मकान की मरम्मत के लिये काफ़ी माल छोड़जाये।

जिनायत :— इससे मुराद वह फ़ेअ्ल है जो हरम या एहराम की वजह से मना हो जैसे एहराम की हालत में शिकार करना, हरम में किसी जानवर को क़त्ल करना।

ज़िल'हलीफ़ा :— मदीना मुनव्वरा से तीन मील के फ़ासिले पर एक मक़ाम का नाम है यही ज़्यादा सहीह है।

जिल्दे दोम (हिस्सा 7 से 13) की इस्तिलाहात, हुरूफ़ यानी अक्षरों के एअ्तिबार से

अ,इ से शुरूअ् होने वाले शब्द

इजारह :— किसी शय के नफ़ा के एवज़ के मक़ाबिल किसी शख़्स को मालिक करदेना इजारह है।

उजरते मिस्ल :— किसी को किसी काम की वह उजरत (मज़दूरी) देना जो उस काम के करने वाले को आमतौर पर दीजाती है।

अख़्याफ़ी :— माँ शरीक बहन भाई यानी जिनकी माँ एक हो और बाप अलग–अलग हों।

अरकाने बैअ् :— बैअ् अगर क़ौल से हो तो उसके अरकान ईजाब व क़बूल हैं मसलन एक ने कहा मैंने बेचा, दूसरे ने कहा मैंने ख़रीदा, बैअ् अगर क़ौल से न हो बल्कि फ़ेअ्ल से हो तो चीज़ का लेलेना और देदेना उसके अरकान हैं और यह ईजाब व क़बूल के क़ाइम मक़ाम हैं।

इस्तिबरा :— यानी पेशाब करने के बाद ऐसा काम करना कि अगर क़तरा रुका हो तो गिरजाये।

इस्तिबरा :— मालिक का अपनी लौन्डी से शरीअ़त की मुक़र्रर कर्दा मुद्दत तक जिमा न करना ताकि रहम का नुत्फ़े से ख़ाली होना वाज़ेह होजाये।

इस्तिहाज़ा :— बालिग़ा औरत के आगे के मक़ाम से बीमारी की वजह से जो ख़ून निकलता है उसे इस्तिहाज़ा कहते हैं।

इस्तिस्नाअ् :— कारीगर को फ़रमाइश देकर चीज़ बनवाना, आर्डर पर चीज़ बनवाना।

असहाबे फ़राइज़ :— देखिये ज़विल'फ़ुरूज़।

असील :— जिसपर मुतालबा है यानी मक़रूज़ असील व मकफ़ूल अन्हु है।

इक़ाला :— दो शख़्सों के माबैन जो अ़क़्द हो उसके उठादेने को इक़ाला कहते हैं, इक़ाला में दूसरे को क़बूल करना ज़रूरी है तन्हा एक शख़्स इक़ाला नहीं कर सकता है।

इकराह शरई :— इकाराह (जब्र करना) के माना यह हैं कि किसी के साथ नाहक़ ऐसा फ़ेअ्ल करना कि वह शख़्स ऐसा काम करे जिसको वह करना नहीं चाहता और कभी मुकरेह (मजबूर करने वाले) की जानिब से कोई ऐसा फ़ेअ्ल नहीं किया जाता जिसकी वजह से मुकरह (जिसे मजबूर किया जाये) अपनी मरज़ी के ख़िलाफ़ करे मगर मुकरह जानता है कि यह शख़्स ज़ालिम है जो कुछ कहता है अगर मैंने नहीं किया तो मुझे मार डालेगा इस सूरत में भी इकराह है।

उम्मे वलद :— वह लौन्डी जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ और मौला ने इक़रार किया कि यह मेरा बच्चा है।

अय्यामे तशरीक़ :— दस ज़ुल'हिज्जा के बाद के तीन दिन (11,12,13) को अय्यामे तशरीक़ कहते हैं

अय्यामे मनहिय्या :— ईदुलफ़ित्र, ईदुलअज़हा और ग्यारह, बारह, तेरह ज़ुलहिज्जा के दिन कि उनमें रोज़ा रखना मना है इसी वजह से उन्हें अय्यामे मनहिय्या कहते हैं।

ईजाब व क़बूल :— निकाह (अ़क़्द) करने वालों में से पहले का कलाम ईजाब और दूसरे का क़बूल कहलाता है।

ईला :— शौहर का यह क़सम खाना कि औरत से क़ुर्बत न करेगा।

ईलाए मोअब्बद :— ऐसा ईला जिसमें चार महीने की क़ैद न हो।

ईलाए मोअक़्क़त :— ऐसा ईला जिसमें चार महीने की क़ैद हो

आइसा :— वह औरत ऐसी उम्र को पहुँचजाये कि अब उसे हैज़ नहीं आयेगा।

बाइअ् :— कोई भी चीज़ बेचने वाले को बाइअ् कहते हैं।

बदले ख़ुला :— जो माल ख़ुला के बदले में दिया जाये उसे बदले ख़ुला कहते हैं।

बदले किताबत :— मुकातब (ग़ुलाम) अपनी आज़ादी के लिये मालिक की तरफ़ से मुक़र्रर शुदा जो माल अदा करता है उसे बदले किताबत कहते हैं।

बिक्र :— कुंवारी, बिक्र वह औरत है जिससे निकाह के साथ वती न कीगई हो अगर्चे ज़िना से या किसी और वजह से बुकारत ज़ाइल होगई हो तब भी कुंवारी ही कहलायेगी।

बैतुल'माल :– इस्लामी हुकूमत का खज़ाना जो मुसलमानों की फ़लाह व बहबूद में ख़र्च किया जाता है।

बैअ् :– इस्तिलाहे शरअ् में बैअ् के माना यह हैं कि दो शख़्सों का बाहम माल को माल से एक मख़्सूस सूरत के साथ तबादला करना।

बैअ्'बातिल :– जिस सूरत में बैअ् का कोई रुक्न न पाया जाये या वह चीज़ ख़रीद व फ़रोख़्त के क़ाबिल ही न हो वह बैअ् बातिल है।

बैअ्'तआती :– ऐसी बैअ् जिसमें ईजाब व कबूल के बिगैर, चीज़ लेलेते हैं और कीमत देदेते हैं ऐसी बैअ् को बैअ् तआती कहते हैं।

बैअ्'तल्जिआ :– बैअ् तल्जिआ यह है कि दो शख़्स और लोगों यानी दूसरे लोगों के सामने ब'ज़ाहिर किसी चीज़ को बेचना, ख़रीदना चाहते हैं मगर उनका इरादा उस चीज़ को बेचने, ख़रीदने का नहीं है।

बैअ् सलम :– वह बैअ् है जिसमें समन (कीमत) फ़ौरन अदा करना ज़रूरी हो और मबीअ् (फ़रोख़्त शुदा चीज़) को बाद में ख़रीदार के हवाले करना बेचने वाले पर लाज़िम है।

बैअ् सर्फ़ :– बैअ् सर्फ़ यानी समन को समन के एवज़ बेचना, समन से मुराद आम है चाहे समन ख़ल्क़ी हो सोना चाँदी या गैर ख़ल्क़ी जैसे पैसा, नोट वग़ैरह।

बैअ् ऐना :– उसकी सूरत यह है कि एक शख़्स ने दूसरे से मसलन दस रूपये कर्ज़ मांगे उसने कहा मैं कर्ज़ नहीं दूँगा अलबत्ता यह कर सकता हूँ कि यह चीज़ तुम्हारे हाथ बारह रूपये में बेचता हूँ अगर तुम चाहो ख़रीदलो इसे बाज़ार में दस रूपये में बेचदेना तुम्हें दस रूपये मिल जायेंगे।

बैअ् फ़ासिद :– अगर रुक्ने बैअ् (यानी ईजाब व कबूल या चीज़ के लेने देने में) या महल्ले बैअ् यानी मबीअ् में ख़राबी न हो बल्कि उसके अलावा कोई और ख़राबी हो तो वह बैअ् फ़ासिद है मसलन मबीअ् यानी जो चीज़ बेची उसको ख़रीदने वाले के हवाले करने पर कुदरत न हो वग़ैरह।

बैअ् मुकायज़ा :– इससे मुराद वह बैअ् है जिसमें दोनों तरफ़ ऐन हो यानी तबादला गैर नुकूद के साथ हो मसलन गुलाम को घोड़े के बदले में बेचना।

बैअ् मक :– रुक्ने बैअ् या महल्ले बैअ् (मबीअ्) में ख़राबी न हो बल्कि शरअ् ने किसी और वजह से मम्नूअ् करार दिया हो मसलन जिन लोगों पर जुमा की नमाज़ वाजिब है उन्हें जुमे की अज़ान के शुरूअ् होने से ख़त्मे नमाज़ तक बैअ् करना मकरूह तहरीमी है।

बैअ् मुज़ाबना :– बैअ् मुज़ाबना यह है कि दरख़्त पर लगे हुए फलों को उसी किस्म के दरख़्त से उतारे हुए फलों के एवज़ बेचना मसलन खजूर पर लगी हुई खजूरें पहले से उतारी हुई खजूरों के बदले बेचना।

बैअ् मुलामसा :– ऐसी बैअ् जो महज़ मुश्तरी के सामान छूने से नाफ़िज़ करदी जाये और इख़्तियार भी बाकी न रहे।

बैअ् मुनाबज़ा :– ऐसी बैअ् जिसमें बाइअ् व मुश्तरी बिगैर देखे भाले एक दूसरे की तरफ़ सामान व समन फेंक देते हैं।

बैउल'वफ़ा :– इस तौर पर बैअ् की जाये कि बाइअ् (बेचने वाला) जब समन मुश्तरी (ख़रीदार) को वापस देगा तो मुश्तरी मबीअ् को वापस करदेगा।

बैआना :– बैआना यह है कि ख़रीदार कीमत का कुछ हिस्सा अदा करे और वादा करे कि वह अगर बकिया रकम अदा न कर सके या ख़रीदना न चाहे तो उसकी यह रकम बेचने वाले की होजायेगी। (यानी ज़ब्त होजायेगी)

बीघा :– ज़मीन का एक हिस्सा या टुकड़ा जिसकी पैमाइश तीन हज़ार पच्चीस गज़ मुरब्बा होती है।

पारसा :– मुत्तकी, नेक इस्तिलाहे शरअ् में पारसा उस औरत को कहते हैं जिसके साथ वतीए हराम न हुई हो और न ही उसे इसकी तोहमत लगाई गई हो।

तबविया :– ऐसी लौन्डी जिसका निकाह मालिक ने किसी शख़्स से करके उसी के हवाले करदिया हो और उससे खिदमत न लेता हो।

तहालुफ़ :– किसी मुआमले में मुद्दई व मुद्दआ'अलैहि दोनों का कसम खाना।

तहरीफ़ :– अस्ल अलफ़ाज़ या मआनी में तब्दीली करना अगर अलफ़ाज़ में तब्दीली की हो तो तहरीफ़े लफ़ज़ी और अगर मअ्ना में तब्दीली की हो तो तहरीफ़े मअ्नवी कहते हैं।

तहकीम :– तहकीम के माना हकम बनाना यानी फ़रीकैन अपने मुआमले में किसी को इसलिये मुकर्रर करें कि वह फ़ैसला करे और निज़ाअ् को दूर करदे उसी को पन्च और सालिस् भी कहते हैं।

एक वारिस् बिल'मुकतअ् (यानी कुल हिस्से के बदले) अपना कुछ हिस्सा लेकर तर्का (मीरास) से निकल जाता है कि अब वह कुछ नहीं लेगा उसको तख़ारुज कहते हैं।

तर्का :– वह माल व जायदाद जो मरने वाला दूसरे के हक से ख़ाली छोड़कर मरजाये।

तज़किया :– काज़ी का गवाहों के मुतअल्लिक यह तहकीक करना कि वह आदिल और मोअ्तबर हैं या नहीं तज़किया कहलाता है।

तअ्ज़ीर :– किसी गुनाह पर बगर्ज़े तादीब (अदब देना) जो सज़ा दीजाती है उसको तअ्ज़ीर कहते हैं।

तअ्लीक :– तअ्लीक के मअ्ना यह हैं कि किसी चीज़ का होना दूसरी चीज़ के होने पर मौकूफ़ किया जाये।

तौलिया :– चीज जितनी कीमत में पड़ी उतनी ही क़ीमत की बेचदेना नफ़ा कुछ न लेना।
समन :– ख़रीदार और बेचने वाला आपस में शय की जो कीमत मुक़र्रर करें उसे समन कहते हैं।
समने ख़ल्क़ी :– वह समन है जो इसी लिये (यानी समनियत ही के लिये) पैदा किया गया हो चाहे उसमें इन्सानी बनावट दाख़िल हो या न हो जैसे चाँदी सोना और उनके सिक्के और ज़ेवरात यह सब समने ख़ल्क़ी में दाख़िल हैं।
समने ग़ैर ख़ल्क़ी :– समने ग़ैर ख़ल्क़ी वह चीजें हैं कि समनिय्यत के लिये मख़्लूक़ नहीं (यानी अस्ल में समन नहीं थे) मगर लोग उनसे समन का काम लेते हैं समन की जगह इस्तेअ़्माल करते हैं जैसे नोट, रूपये वग़ैरह उसको समने इस्तिलाही भी कहते हैं।
सय्यिब :– जो औरत कुंवारी न हो उसे सय्यिब कहते हैं।
जरहे मुजर्रद :– जिससे महज़ गवाह का फ़िस्क़ (यानी गवाही के क़ाबिल न होना) बयान करना मक़सूद हो, हक़्क़ुल्लाह या हक़्क़ुल'अ़ब्द का साबित करना मक़सूद न हो।
जरीब :– जरीब की मिक़दार अंग्रेज़ी गज़ से 35 गज तूल (लम्बाई) और 35 गज़ अ़र्ज़ (चौड़ाई) है।
जिज़या :– वह शरई महसूल जो इस्लामी हुकूमत कुफ़्फ़ार से उनकी जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के बदले में वसूल करे।
जुनून :– अ़क़्ल में ऐसे ख़लल होना जिसकी वजह से आदमी के अक़वाल व अफ़आ़ल मामूल के मुताबिक़ न रहें, चाहे यह खलल पैदायशी व फ़ितरी तौर पर हो या बाद में किसी मर्ज़ वग़ैरह की वजह से पैदा होजाये।
जुनूने मुतबक़ :– जुनूने मुतबक़ यह है कि मुसलसल एक माह तक रहे।
हाजिब :– वह शख़्स है जिसकी मौजूदगी की वजह से किसी वारिस् (मय्यित की मीरास् पाने वाले) का हिस्सा कम होजाये या बिलकुल ही ख़त्म होजाये।
हद :– हद एक किस्म की सजा है जिसकी मिक़दार शरीअ़त की जानिब से मुक़र्रर है कि उसमें कमी, बेशी नहीं होसकती।
हद्दे क़ज़फ़ :– किसी पर ज़िना की तोहमत लगाई और गवाहों से साबित न कर सका इस वजह से तोहमत लगाने वाले को जो शरई सजा दीजाती है।
हवाला :– दैन (क़र्ज़) को अपने जिम्मे से दूसरे के ज़िम्मे की तरफ़ मुन्तक़िल करदेने को हवाला कहते हैं।
हैज़ :– बालिग़ा औरत के आगे के मक़ाम से जो ख़ून आ़दी तौर पर निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने के सबब से न हो तो उसे हैज़ कहते हैं।
ख़िराज :– वह वज़ीफ़ा जो मुसलमान हाकिम क़ाबिले ज़राअ़त ख़िराजी ज़मीन पर मुक़र्रर कर देता है।
ख़िराजे मुक़ासमा :– इससे मुराद यह है कि (इस्लामी मम्लिकत की ग़ैर मुस्लिम रिआ़या पर उ़श्र की जगह ज़मीनी) पैदावार का निस्फ़ हिस्सा या तिहाई या चौथाई वग़ैरहा मुक़र्रर हो।
ख़िराजे मोअज़्ज़फ़ :– इससे मुराद यह है कि (इस्लामी मम्लिकत की ग़ैर मुस्लिम रिआ़या पर उ़श्र की जगह) एक मिक़दारे मोअय्यन लाज़िम करदी जाये ख़्वाह रूपये या कुछ और जैसे फ़ारूक़े आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने मुक़र्रर फ़रमाया था।
ख़ुला :– माल के बदले में निकाह ख़त्म करने को ख़ुला कहते हैं।
ख़लवते सहीहा :– मियाँ, बीवी का एक मकान में इस तरह जमा होना कि कोई चीज़ मानेअ़् जिमा न हो।
ख़लवते फ़ासिदा :– मियाँ, बीवी एक जगह तन्हाई में एक जगह जमा हुए मगर कोई मानेअ़् शरई या तब्ई या हिस्सी पाया जाता है तो ख़लवते फ़ासिदा है।
ख़ुन्सा मुश्किल :– जिसमें मर्द व औरत दोनों की अ़लामतें पाई जायें और यह साबित न हो कि मर्द है या औ़रत।
ख़्यारे बुलूग़ :– वह इख़्तियार जो नाबालिग़ को बालिग़ होने पर हासिल होता है कि वह बुलूग़त से पहले किये हुए निकाह को फ़स्ख़ करे या क़ाइम रखे।
ख़्यारे रूयत :– बिग़ैर देखे कोई चीज़ ख़रीदना और देखने के बाद उस चीज़ के पसन्द न आने पर चाहे तो ख़रीदार बैअ़ को फस्ख़ (ख़त्म) करदे उस इख़्तियार को ख़्यारे रूयत कहते हैं।
ख़्यारे शर्त :– बाइअ़् और मुश्तरी को यह हक़ हासिल है कि अ़क़्द में यह शर्त करदें कि अगर मन्ज़ूर न हो तो बैअ़् बाक़ी न रहेगी उसे ख़्यारे शर्त कहते हैं मगर यह इख़्तियार तीन दिन से ज़्यादा का नहीं होसकता।
ख़्यारे इत्क़ :– वह इख़्तियार जो लौन्डी को आज़ाद होने पर हासिल होता है कि वह आज़ाद होने से पहले किये हुए निकाह को चाहे तो फ़स्ख़ करदे चाहे तो क़ाइम रखे।
ख़्यारे ऐब :– बाइअ़् का मबीअ़् को ऐब बयान किये बिग़ैर बेचना या मुश्तरी का समन में ऐब बयान किये बिग़ैर चीज़ ख़रीदना और ऐब पर मुत्तलअ़् होने के बाद उस चीज़ के वापस करदेने के इख़्तियार को ख़्यारे ऐब कहते हैं।
दारुल'इस्लाम :– वह मुल्क है कि फ़िलहाल उसमें इस्लामी सल्तनत हो या अब नहीं तो पहले थी और ग़ैर मुस्लिम बादशाह ने उसमें शआ़इरे इस्लाम मिस्ल जुमा व ईदैन व अज़ान व इक़ामत व जमाअ़त बाक़ी रखे (तो भी दारुल'इस्लाम है)।
दारुल'हर्ब :– वह दार (मुल्क) जहाँ कभी सल्तनते इस्लामी न हुई या हुई और फिर ऐसी ग़ैर क़ौम का तसल्लुत होगया जिसने शआइरे इस्लाम मिस्ल जुमा व ईदैन व अज़ान व इक़ामत व जमाअ़त यक'लख़्त उठा दिये और शआइरे कुफ़्र जारी कर दिये और

कोई शख़्स अमाने अव्वल पर बाक़ी न रहा और वह जगह चारों तरफ़ से दारुल'इस्लाम में घिरी हुई नहीं तो वह दारुल'हर्ब है।
दाइन :– कर्ज़ देने वाला, वह शख़्स जिसका किसी पर दैन हो उसे दाइन कहते हैं।
दियत :– दियत उस माल को कहते हैं जो नफ़्स (जान) के बदले में लाज़िम होता है।
दैन :– जो चीज़ वाजिब फ़िज़्ज़िम्मा हो किसी अक़्द मसलन बैअ़ या इजारह की वजह से या किसी चीज़ के हलाक करने से उसके ज़िम्मे तावान हो या क़र्ज़ की वजह से वाजिब हो उन सब को दैन कहते हैं।
दैन मोअज्जल :– वह दैन जिसके लिये कोई मीआद मुक़र्रर हो।
ज़िम्मी :– ज़िम्मी उस काफ़िर को कहते हैं जिसके जान व माल की हिफ़ाज़त का बादशाहे इस्लाम ने जिज़्या के बदले ज़िम्मा लिया हो।
ज़विल'अरहाम :– करीबी रिश्तेदार, उससे मुराद वह रिश्तेदार हैं जो न तो असहाबे फ़राइज़ में से हैं और न ही असबात में से हैं।
ज़विल'फ़ुरूज़ :– उससे मुराद वह लोग हैं जिनका मीरास में मोअय्यन हिस्सा क़ुर्आन व हदीस और इजमाअ़ उम्मत की रू से बयान कर दिया गया है उनको असहाबे फ़राइज़ कहते हैं।
राहिन :– जो शख़्स अपनी चीज़ किसी के पास गिरवी रखता है उसे राहिन कहते हैं
रब्बुस्सलम :– बैअ़ सलम में ख़रीदार को रब्बुस्सलम कहते हैं।
रब्बुल'माल :– बैअ़ मुज़ारबत का सरमायादार।
रजअ़त :– जिस औरत को रजई तलाक़ दी हो इद्दत के अन्दर उसे उसी पहले निकाह पर बाक़ी रखना।
रज्म :– ज़ानी मर्द या ज़ानिया औरत (जिस के मुतअ़ल्लिक़ रज्म का हुक्म है उस) को मैदान में लेजाकर इस क़द्र पत्थर मारना कि मरजाये।
रुक्न :– किसी शय का रुक्न वह होती है जिससे उस शय की तकमील हो और वह चीज़ उस शय में दाख़िल हो जैसे नमाज़ में रुकूअ़ वग़ैरह।
रहन :– दूसरे के माल को अपने हक़ में अपने पास इस लिये रोक रखना कि उसके ज़रियेअ़ से अपने हक़ को कुल्लन या जुज़्अन हासिल करना मुम्किन हो कभी उस चीज़ को भी रहन कहते हैं जो रखी गई है।
सआयत :– (मेहनत करना कोशिश करना) गुलाम का कुछ हिस्सा आज़ाद होचुका हो और बक़िया की आज़ादी के लिये मेहनत मज़दूरी करके मालिक को क़ीमत अदा कर रहा हो गुलाम के इस फ़ेअ़ल को सआयत कहते हैं।
शुब्ह फ़ेअ़ल या शुब्ह इश्तिबाह :– यानी फ़ेअ़ले हराम हो लेकिन वह उसको हलाल गुमान करके उसका इर्तिकाब कर बैठे मसलन अपनी औरत को तीन तलाक़ें देने के बाद उसके साथ इद्दत में वती करले यह समझकर कि इद्दत के अन्दर वती हलाल है।
शर्त :– वह शय जो हक़ीक़ते शय में दाख़िल न हो लेकिन उसके बिग़ैर शय मौजूद न हो जैसे नमाज़ के लिये वज़ू वग़ैरह।
शिरकत :– शिरकत ऐसे मुआमले का नाम है जिसमें दो अफ़राद सरमाया और नफ़ा में शरीक रहना तय करें।
शिरकते इख़्तियारी :– शिरकते इख़्तियारी यह है कि शरीकैन के फ़ेअ़ल व इख़्तियार से शिरकत हुई हो।
शिरकत बिल'अ़मल :– शिरकत बिल'अ़मल यह है कि दो कारीगर लोगों के यहाँ से काम लायें और शिरकत में काम करें और जो कुछ मज़दूरी मिले आपस में बांट लें, इसी को शिरकत बिल'अब्दान और शिरकते तक़ब्बुल व शिरकते सनाइअ़ भी कहते हैं।
शिरकते जब्री :– शिरकते जब्री यह है कि दोनों का माल बिग़ैर इरादा व इख़्तियार के आपस में ऐसा मिल जाये कि हर एक की चीज़ दूसरे से मुम्ताज़ (जुदा) न होसके या होसके मगर निहायत दिक़्क़त व दुश्वारी के साथ मसलन विरासत में दोनों को तर्का मिला कि एक का हिस्सा दूसरे से मुम्ताज़ नहीं या एक के पास गेहूँ थे दूसरे के पास जौ और वह आपस में मिल गये।
शिरकते अ़क़्द :– शिरकते अ़क़्द यह है कि दो शख़्स बाहम किसी चीज़ में शिरकत का अ़क़्द करें मसलन एक कहे मैं तेरा शरीक हूँ दूसरा कहे मुझे मन्ज़ूर है।
शिरकते इनान :– शिरकते इनान यह है कि दो शख़्स किसी ख़ास नोअ़ की तिजारत, या हर क़िस्म की तिजारत में शिरकत करें मगर हर एक दूसरे का ज़ामिन न हो सिर्फ़ दोनों शरीक आपस में एक दूसरे के वकील होंगे।
शिरकते मुफ़ावज़ा :– शिरकते मुफ़ावज़ा यह है कि हर एक दूसरे का वकील व कफ़ील हो यानी हर एक का मुतालबा दूसरा वसूल कर सकता है और हर एक पर जो मुतालबा होगा दूसरा उसकी तरफ़ से ज़ामिन है और शिरकते मुफ़ावज़ा में यह ज़रूर है कि दोनों के माल बराबर हों और नफ़ा में दोनों बराबर के शरीक हों और तसर्रुफ़ व दैन में भी मसावात हो लिहाज़ा आज़ाद व गुलाम में और नाबालिग़ व बालिग़ में और मुसलमान व काफ़िर में और आ़क़िल व मजनून में और दो नाबालिग़ों में और दो ग़ुलामों में शिरकते मुफ़ावज़ा नहीं होसकती।
शिरकते मिल्क :– शिरकते मिल्क यह है कि चन्द शख़्स एक चीज़ के मालिक हों और बाहम अ़क़्दे शिरकत न हुआ हो।
शिरकते वुजूह :– शिरकते वुजूह यह है कि दोनों बिग़ैर माल अ़क़्दे शिरकत करें कि अपनी वजाहत और आबरू की वजह से दुकानदारों से उधार ख़रीद लायेंगे और माल बेचकर उनके दाम देदेंगे और जो कुछ बाक़ी बचेगा आपस में बांट लेंगे।
शुफ़आ़ :– ग़ैर मन्क़ूल जायदाद को किसी शख़्स ने जितने में ख़रीदा उतने ही में उस जायदाद के मालिक होने का हक़ जो दूसरे शख़्स को हासिल होजाता है उसको शुफ़आ़ कहते हैं।

शफ़ीअ् :– शुफ़आ करने वाला।

शहादत :– किसी हक़ के साबित करने के लिये क़ाज़ी की मज्लिस में लफ़्ज़े शहादत के साथ सच्ची ख़बर देने को शहादत या गवाही कहते हैं।

शहादत अलश्शहादत :– इस से मुराद यह है कि एक शख़्स क़ाज़ी के पास हाज़िर न होसके और वह दूसरे से कहदे कि मैं फ़ुलां मुआमले में इस बात की गवाही देता हूँ, तुम क़ाज़ी के पास मेरी इस गवाही की गवाही देदेना इसी को फ़िक्ह की इस्तिलाह में शहादत अलश्शहादत कहते हैं।

साअ् :– दो सौ सत्तर तोले का होता है। आठ रित्ल का होता है। तक़रीबन चार किलो एक सौ ग्राम का होता है।

सहीहैन:– हदीस् की दो मशहूर किताबें सहीह बुख़ारी व सहीह मुस्लिम।

सलह :– निज़ाअ् दूर करने के लिये जो अक़्द किया जाये उसको सलह कहते हैं।

तालिब :– जिसका मुतालबा है उसको तालिब व मकफ़ूल लहु (दाइन) कहते हैं।

तरफ़ैन :– (किसी भी मुआमले के दो फ़रीक़) ख़रीद व फ़रोख़्त में तरफ़ैन से मुराद बाइअ् और मुश्तरी हैं।

तलाक़ :– निकाह से औरत शौहर की पाबन्द होजाती है उस पाबन्दी को उठादेने को तलाक़ कहते हैं।

तलाक़े बाइन :– वह तलाक़ जिसकी वजह से औरत मर्द के निकाह से फ़ौरन निकल जाती है।

तलाक़े रजई :– वह तलाक़ जिसमें औरत इद्दत के गुज़रने पर निकाह से बाहर हो।

ज़िहार :– अपनी बीवी या उसके किसी हिस्से या ऐसे हिस्से को जो कुल से ताबीर किया जाता हो ऐसी औरत से तशबीह देना जो उस पर हमेशा के लिये हराम हो। मस्लन कहा तू मुझपर मेरी माँ की मिस्ल है या तेरा सर या तेरी गर्दन या तेरा निस्फ़ मेरी माँ की पीठ की मिस्ल है।

आरियत :– दूसरे शख़्स को किसी चीज़ की मनफ़अत का बिग़ैर एवज़ मालिक कर देना आरियत है।

इद्दत :– निकाह ज़ाइल होने या शुब्हे निकाह के बाद औरत का निकाह से मम्नूअ् होना और एक ज़माने तक इन्तिज़ार करना इद्दत है।

उश्र :– ज़रई ज़मीन की पैदावार से जो ज़कात अदा की जाती है (यानी पैदावार का दसवाँ हिस्सा) उसे उश्र कहते हैं।

उश्री ज़मीन :– वह ज़मीन जिसकी पैदावार से उश्र अदा किया जाता है।

असबात :– वह लोग जिनके हिस्से (मीरास् में) मुक़र्रर शुदा नहीं होते अल'बत्ता असहाबे फ़राइज़ से जो बचता है उन्हें मिलता है और अगर असहाबे फ़राइज न हों तो तमाम माल (तर्का) उन्हीं में तक़सीम होजाता है।

असबा बि'नफ़सिही :– इससे मुराद वह मर्द है कि जब उसकी निस्बत मय्यित की तरफ़ की जाये तो दरम्यान में कोई औरत न आये, मस्लन भतीजा वग़ैरह।

अक़्द :– आक़िदैन (निकाह और ख़रीद व फ़रोख़्त वग़ैरह करने वालों) में से एक का कलाम दूसरे के साथ शरअ् के मुताबिक़ इस तरह मुतअल्लिक़ होना कि उसका अस्र महल्ल (मअ्क़ूद'अलैहि) में ज़ाहिर हो।

अक़्दे किताबत :– आक़ा यानी मालिक अपने ग़ुलाम से माल की एक मिक़दार मुक़र्रर करके यह कहदे कि इतना माल अदा करदे तो तू आज़ाद है और ग़ुलाम उसे क़बूल भी करले तो उस क़ौल व क़रार को अक़्दे किताबत कहते हैं।

उक़्र :– औरत के साथ शुब्हे वती से जो महर लाज़िम होता है उसे उक़्र कहते हैं।

अल्लाती :– बाप शरीक बहन, भाई यानी जिनका बाप एक हो और मायें अलग–अलग हों।

इन्नीन :– उस शख़्स को कहते हैं कि उसका उज़्वे मख़्सूस तो हो मगर अपनी बीवी के आगे के मक़ाम में दुख़ूल न कर सके।

ऐब :– ऐब वह है जिससे ताजिरों की नज़र में चीज़ की क़ीमत कम होजाये।

ग़ासिब :– ग़सब करने वाले को ग़ासिब कहते हैं।

ग़बने फ़ाहिश :– सख़्त क़िस्म की ख़्यानत, मुराद ऐसी क़ीमत से ख़रीद व फ़रोख़्त करना जो क़ीमत लगाने वालों के अन्दाज़े से बाहर हो मस्लन कोई चीज़ दस रूपये में ख़रीदी लेकिन उसकी क़ीमत छः, सात रूपये लगाई जाती है कोई शख़्स उसकी क़ीमत दस रूपये नहीं लगाता तो यह ग़बने फ़ाहिश है।

ग़बने यसीर :– ऐसी क़ीमत से ख़रीद व फ़रोख़्त करना जो क़ीमत लगाने वालों के अन्दाज़े से बाहर न हो मस्लन कोई चीज दस रूपये में ख़रीदी कोई शख़्स उसकी क़ीमत आठ बताता है कोई नौ तो कोई दस, तो यह ग़बने यसीर है।

ग़सब :– माले'मुतक़व्विम, मोहतरम, मन्क़ूल यानी ऐसा माल जो शरई लिहाज़ से क़ाबिले क़ीमत और मोहतरम हो एक जगह से दूसरी जगह मुन्तक़िल भी किया जासके उससे जाइज़ क़ब्ज़ा हटाकर नाजाइज़ क़ब्ज़ा करना ग़सब कहलाता है जब कि यह क़ब्ज़ा ख़ुफ़िया न हो।

ग़ुलाम माज़ून :– वह ग़ुलाम जिसके आक़ा ने उसे तिजारत वग़ैरह की आम इजाज़त देदी हो।

ग़ुलाम महजूर :– ऐसा ग़ुलाम जिसे मालिक ने ख़रीद व फ़रोख़्त से रोक दिया हो।

ग़नीमत :– वह माल जो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के ज़रियेअ् ब'ज़ोरे क़ुव्वत (हरबी) काफ़िरों से हासिल किया जाता है।

ग़ैर मोहस्सन :– आज़ाद आक़िल, बालिग़ शख़्स जिसने निकाहे सहीह के साथ वती न की हो।

फ़ार्र बित्तलाक :– वह शख़्स जो अपनी बीवी को उसकी रज़ामन्दी के बिग़ैर अपने तर्के से महरूम करने के लिये मर्ज़ुल'मौत में या ऐसी हालत में जिसमें मौत का क़वी अन्देशा हो तलाक़े बाइन देदे।

फ़ार्रह :– मर्ज़ुल'मौत में या ऐसी हालत में जिसमें मौत का क़वी अन्देशा हो ज़ौजा की जानिब से मर्द व औरत में तफ़रीक़ वाक़ेअ् हो, ताकि उसका शौहर उसके तर्के से महरूम होजाये ऐसी औरत को फ़ार्रह कहते हैं।

फ़र्ज़े किफ़ाया :– फ़र्ज़े किफ़ाया वह होता है जो कुछ लोगों के अदा करने से सबकी जानिब से अदा होजाता है और कोई भी अदा न करे तो सब गुनाहगार होते हैं जैसे नमाज़े जनाज़ा वग़ैरह।

फ़ुज़ूली :– उस शख़्स को कहते हैं जो दूसरे के हक़ में उसकी इजाज़त के बिग़ैर तसर्रुफ़ करे।

फ़क़ीर :– वह शख़्स है जिसके पास कुछ हो मगर न इतना कि निसाब को पहुँच जाये या निसाब की मिक़दार हो तो उसकी हाजतें असलिया में मुस्तग़रक़ हो।

क़त्ले अ़मद :– किसी धारदार आले से क़स्दन क़त्ल करना क़त्ले अमद कहलाता है मसलन छुरी, ख़न्जर, तीर, नेज़ा वग़ैरह से किसी को क़स्दन क़त्ल करना।

क़ज़फ़ :– किसी पर ज़िना की तोहमत लगाना।

क़र्ज़ :– दैन की एक ख़ास सूरत का नाम क़र्ज़ है, जिस को लोग दस्तगर्दां कहते हैं।

क़िसास :– फ़ाइल (यानी ज़ालिम) के साथ वैसा ही सुलूक करना जैसा उसने दूसरों के साथ किया मसलन हाथ काटा तो उसका भी हाथ ही काटा जाये।

क़ज़ा :– लोगों के झगडों और मुनाज़आत के फ़ैसला करने को क़ज़ा कहते हैं।

क़ीमत :– किसी चीज़ के दाम जो उसके मेअ्यार के मुताबिक़ हों और उनमें कमी व बेशी न की जाये।

क़ियमी :– हर वह चीज़ जिसकी मिस्ल बाज़ार में न पाई जाये और समन व क़ीमत के लिहाज़ से उसमें फ़र्क़ हो।

किफ़ालत :– एक शख़्स अपने ज़िम्मे को दूसरे के ज़िम्मे के साथ मुतालबे में जम करदे यानी दूसरे के मुतालबे की ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे लेलेना।

किफ़ालत बिद्दर्क :– बाइअ् की तरफ़ से इस बात की किफ़ालत कि अगर मबीअ् का कोई दूसरा हक़दार साबित हुआ तो समन का मैं ज़िम्मेदार हूँ।

कफ़ू :– कफ़ू का मअ्ना यह है कि मर्द औरत से नसब वग़ैरह में इतना कम न हो कि उससे निकाह औरत के औलिया (रिश्तेदारों) के लिये बाइसे नंग व आर हो।

कफ़ील :– वह शख़्स जो दूसरे के मुतालबे की ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे ले लेता है।

किनाया :– ऐसा कलाम जिसका मुरादी मअ्ना चाहे हक़ीक़ी हो या मजाज़ी ज़ाहिर न हो अगर्चे लुग़वी माना ज़ाहिर हो।

लुक़ता :– उस माल को कहते हैं जो पड़ा हुआ कहीं मिल जाये।

लक़ीत :– लक़ीत उस बच्चे को कहते हैं जिस को उसके घर वाले ने अपनी तन्गदस्ती या बदनामी के ख़ौफ़ से फेंक दिया हो।

माले फ़िय :– वह माल जो मुसलमानों को काफ़िरों से लडाई के बिग़ैर हासिल होजाये चाहे उन्हें जिला वतन करके हासिल हो या सुलह के साथ माले फ़िय कहलाता है।

कुफ़्फ़ार से लड़ाई के बाद जो माल लिया जाता है उसे माले फ़िय कहते हैं।

माले मुतक़व्विम :– वह माल जो जमा किया जा सकता हो और शरअ़न उससे नफ़ा उठाना मुबाह हो।

मबीअ् :– फ़रोख़्त शुदा चीज़

मुतारका :– मर्द का अपनी बीवी के मुतअ़ल्लिक़ यह कहना कि मैंने उसे छोड़देया या उससे वती तर्क करदी या इस तरह के और अल'फ़ाज़ कहना मुतारका है।

मुतून :– मुतून मतन की जमा है इस से मुराद वह किताबें हैं जो नक़्ले मज़हब के लिये लिखी गईं जैसे मुख़्तसरुल'क़ुदूरी।

मिस्ली :– हर वह चीज़ जिसकी मिस्ल बाज़ार में पाई जाये और आमतौर पर समन व क़ीमत के लिहाज़ से उसमें तफ़ावुत न समझा जाता हो।

मजनूँ :– जिसकी अ़क्ल ज़ाइल होगई हो बिला वजह लोगों को मारे गालियां दे शरीअ़त ने उसमें अपनी कोई इस्तिलाहे जदीद मुक़र्रर नहीं फ़रमाई (मजनूँ) वही है जिसे फ़ारिसी में दीवाना उर्दू में पागल कहते हैं।

महारिम :– मोहरिम की जमा है।

मुहाल'बिही :– हवाला में माल को मुहाल'बिही कहते हैं।

मुहाले आ़दी :– वह शय जिसका पाया जाना आदत के तौर पर ना'मुम्किन हो उसे मुहाले आदी कहते हैं मसलन किसी ऐसे शख़्स का हवा में उड़ना जिसको उड़ते न देखा गया हो।

मोहताल अ़लैहि :– जिस पर हवाला किया गया उसको मोहताल अ़लैहि और मुहाल अ़लैहि कहते हैं।

महजूब :– ऐसा वारिस् जिसका हिस्सा किसी दूसरे वारिस् की मौजूदगी की वजह से कम होजाये या बिलकुल ख़त्म होजाये तो उसे महजूब कहते हैं।

महदूद फ़िल'क़ज़फ़ :– वह शख़्स जिस पर क़ज़फ़ क़ाइम की गई हो (यानी किसी पर ज़िना की तोहमत लगाई और सुबूत नहीं देसका इस वजह से उसपर हद मारी गई)।

मोहरिम :– वह शख़्स जिसने हज या उमरे का एहराम बान्धा हो।

मोहरम :– वह रिश्तेदार जिससे निकाह करना क़राबत, रज़ाअ़त या सुसराली रिश्ते की वजह से हमेशा हराम हो।

महरूम :– इससे मुराद वह वारिस् है जो मीरास् से किसी सबब की वजह से शरअ़न महरूम होजाता है मस्लन गुलाम होने की वजह से या मूरिस् का क़ातिल होने की वजह से।

मोहसन :– वह शख़्स जो आज़ाद आक़िल, बालिग़ हो और निकाहे सहीह के साथ वती की हो।

मुहसना :– वह औरत जो आक़िला बालिग़ा आज़ाद हो और निकाहे सहीह के साथ उससे वती भी की गई हो।

मुहील :– मदयून (मकरूज़) को मुहील (हवाला करने) वाला कहते हैं।

मुदब्बिर :– वह गुलाम जिसकी निस्बत मौला ने कहा कि तू मेरे मरने के बाद आज़ाद है या ऐसे अल'फ़ाज़ कहे हों जिन से मौला के मरने के बाद उसका आजाद होना साबित होता हो।

मुदब्बिरा :– ऐसी लौन्डी जिसे मालिक ने यह कहा हो कि मेरे मरने के बाद तू आज़ाद है या ऐसे अल'फ़ाज़ कहे हों जिनसे मौला के मरने के बाद उसका आज़ाद होना साबित होता हो।

मुद्दई :– दावा करने वाला।

मुद्दा'अ़लैहि :– जिस पर दावा किया जाये।

मदयून :– जिसके ज़िम्मे किसी का वाजिबुल'अदा हक़ (दैन) हो तो उसे मदयून (मकरूज़) कहते हैं।

मुराबहा :– कोई चीज़ ख़रीदी और उसपर कुछ ख़र्चे किये फिर क़ीमत और ख़र्चों को ज़ाहिर करके उसपर नफ़ा की एक मिक़दार बढ़ाकर उसको फ़रोख़्त करदेना उसे मुराबहा कहते हैं।

मुराफ़िक़ :– इससे मुराद वह चीजें हैं जो मबीअ़ (ख़रीदी हुई चीज) के ताबेअ़ होती हैं (यानी मबीअ़ के साथ बैअ़ में ज़िमनन शामिल होती हैं) जैसे जूते के साथ तस्मा।

मुराहिक़ :– यानी वह लड़का कि अभी बालिग़ न हुआ, मगर उसके हम उम्र बालिग़ होगये हों उसकी मिक़दार बारह बरस की उम्र है।

मुर्तद :– वह शख़्स है कि इस्लाम के बाद किसी ऐसे अम्र का इन्कार करे जो ज़रूरियाते दीन से हो यानी ज़बान से कलिमा–ए–कुफ़्र बके जिसमें सहीह तावील की गुन्जाइश न हो। यूंही बाज़ अफ़आ़ल भी ऐसे हैं जिनके करने से काफ़िर होजाता है मस्लन बुत को सजदा करना, मुसहफ़ शरीफ़ को निजासत की जगह फेंक देना।(नऊज़ु बिल्लाह)

मुर्तहिन :– जिस शख़्स के पास कोई चीज़ रहन रखी जाये वह मुर्तहिन कहलाता है।

मर्ज़ुल'मौत :– किसी मर्ज के मर्ज़ुल'मौत होने के लिये दो बातें शर्त हैं। एक यह कि उस मर्ज में ख़ौफ़ व हलाक व अन्देशाए मौत कुव्वत व ग़लबा के साथ हो। दोम यह कि उस ग़लबए ख़ौफ़ की हालत में उसके साथ मौत मुत्तस्लि हो अगर्चे उस मर्ज़ से न मरे मौत का सबब कोई और होजाये।

मुज़ारअ़ा :– किसी को अपनी ज़मीन इस तौर पर काश्त के लिये देना कि जो कुछ पैदावार होगी दोनों में मस्लन आधी–आधी या तिहाई, दो तिहाईयां तक़सीम होजायेगी उसको मुज़ारअ़त कहते हैं।

मुस्तामिन :– वह शख़्स है जो दूसरे मुल्क में (जिस में ग़ैर'क़ौम की सल्तनत हो) अमान लेकर गया यानी हरबी दारुल'इस्लाम में या मुसलमान दारुल'कुफ़्र में अमान लेकर गया तो मुस्तामिन है।

मुस्तईर :– आ़रियतन चीज़ लेने वाला।

मस्तुरुल'हाल :– वह शख़्स जिसकी अ़दालत और फ़िस्क़ (यानी नेक व बद होना) लोगों पर ज़ाहिर न हो।

मिस्कीन :– वह शख़्स है जिसके पास कुछ न हो यहाँ तक कि खाने और बदन छुपाने के लिये उसका मोहताज है कि लोगों से सुवाल करे।

मुसल्लम इलैहि :– बैअ़ सलम में चीज़ बेचने वाले को मुसल्लम इलैहि कहते हैं।

मुसल्लम फ़ीह :– जिस चीज़ पर अ़क्दे सलम हो उसको मुसल्लम फ़ीह कहते हैं।

मुशाअ़ :– उस चीज़ को कहते हैं जिसके एक जुज़्वे ग़ैर मोअ़य्यन का यह मालिक हो और दूसरा भी उसमें शरीक हो और दोनों के हुसूल में इम्तियाज़ न हो।

मुश्तरी :– ख़रीदार को मुश्तरी कहते हैं।

मुश्तहात :– क़ाबिले शहवत लड़की जो नौ बरस से कम उम्र की न हो।

मसालेह अ़लैहि :– जिसपर सुलह हुई उसको बदले सुलह या मसालेह अ़लैहि कहते हैं।

मसालेह अ़न्हु :– वह हक़ जो बाइसे निज़ाअ़ था उसको मुसालेह अ़न्हु कहते हैं।

मुज़ारिब :– मुज़ारबत में काम करने वाला।

मुतल्लक़ा रजईया :– वह औरत जिसे रजई तलाक़ दीगई हो।

मअतूह :– बोहरा, जिसकी अक़्ल ठीक न हो तदबीरे मुख़्तिल हो कभी आकिलों की सी बात करे कभी पागलों की तरह मगर मजनूं की तरह लोगों को महज़ बे'वजह मारना, गालियां देता, ईंटें फेंकता न हो।
मुईर :– आरियतन चीज़ देने वाला।
मफ़कूद :– जो ला पता हो।
मफ़कूदुल'ख़बर :– वह शख़्स जिसका कोई पता न हो और यह भी मालूम न हो कि जिन्दा है या मरगया।
मुक़ास्सा :– अदला बदला करना यानी दो शख़्सों का एक दूसरे पर मुतालबा हो और वह बराबर आपस में यह मुआमला तय करलें कि दोनों में से हर एक का जो मुतालबा है वह उसके ज़िम्मे से वाजिबुल'अदा मुतालबे के बदले में होजायेगा।
मक़ज़ूफ़ :– जिसपर ज़िना की तोहमत लगाई गई हो।
मुकातब :– आक़ा अपने गुलाम से माल की एक मिक़दार मुक़र्रर करके यह कहदे कि इतना अदा करदे तो तू आज़ाद है और गुलाम उसको क़बूल भी करले तो ऐसे गुलाम को मुकातब कहते हैं।
मुकातबा :– ऐसी लौन्डी जिसे मालिक ने माल की एक मिक़दार मुक़र्रर करके यह कहा हो कि इतना माल अदा करदे तो तू आज़ाद है और लौन्डी ने उसे क़बूल कर लिया हो।
मकरूह तहरीमी :– जिस की मुमानअत दलीले ज़न्नी से लुज़ूमन साबित हो यह वाजिब का मुक़ाबिल है।
मकफ़ूल बिही :– जिस चीज़ की कफ़ालत की वह मकफ़ूल बिही है।
मकफ़ूल अन्हु :– जिसपर मुतालबा है वह असील व मकफ़ूल'अन्हु (मकरूज) है।
मकफ़ूल लहू :– जिसका मुतालबा है उसको तालिब व मकफ़ूल लहू (दाइन) कहते हैं।
मुल्तक़ित :– गिरी पड़ी चीज़ या लक़ीत के उठाने वाले को मुल्तक़ित कहते है।
मूसी :– वसियत करने वाला यानी जो किसी शख़्स को अपनी वसियत पूरी करने के लिये मुक़र्रर करे।
मूसा'लहू :– जिसके लिये माल वग़ैरह देने की वसियत की जाये उसको मूसा लहू कहते हैं।
मुहायात :– मुहायात यानी एक चीज़ से बारी–बारी नफ़ा उठाना मस्लन दो अफ़राद ने मुश्तरका तौर पर मकान ख़रीदा कि एक साल एक शरीक रिहायश रखे और दूसरे साल दूसरा।
महरे मिस्ल :– औरत के खान्दान की उस जैसी औरत का जो महर हो वह उसके लिये महरे मिस्ल है मस्लन उसकी बहन, फूफी, वग़ैरहा का।
महरे मोअज्जल :– वह महर जो खल्वत से पहले देना क़रार पाये।
महरे मोअज्जल :– वह महर जिसके लिये कोई मीआद मुक़र्रर हो।
नबीज़ :– वह मशरूब जिसमें खजूरें डाली जायें जिससे पानी मीठा होजाये मगर (अअ़ज़ा को) सुस्त करने वाला और नशाआवर न हो, नशाआवर हो तो उसका पीना हराम है।
नजिश :– नजिश यह है कि कोई शख़्स मबीअ़ (बेची जाने वाली चीज़) कह क़ीमत बढ़ाये और ख़ुद ख़रीदने का इरादा न रखता हो इससे मक़सूद यह होता है कि दूसरे गाहक को रग़बत पैदा हो और कीमत से ज़्यादा देकर ख़रीदले और यह हक़ीक़तन ख़रीदार को धोका देना है।
नज़्र, नज़्रे शरई :– नज़्र इस्तिलाहे शरअ़ में वह इबादते मक़सूदा है जो जिन्से वाजिब से हो और वह ख़ुद बन्दा पर वाजिब न हो मगर बन्दा ने अपने क़ौल से उसे अपने ज़िम्मे वाजिब करलिया हो मस्लन यह कहा कि मेरा यह काम होजाये तो दस रकात नफ़्ल अदा करूँगा उसे नज़्रे शरई कहते हैं।
नज़्रे उरफ़ी, नज़्रे लुग़वी :– औलियाअल्लाह के नाम की जो नज़्र मानी जाती है उसे नज़्रे (उरफ़ी और) लुग़वी कहते हैं उसके माना नज़राना है जैसे कोई शागिर्द अपने उस्ताज़ से कहे कि यह आप की नज़्र है यह बिलकुल जाइज़ है यह बन्दों की होसकती है मगर इस का पूरा करना शरअ़न वाजिब नहीं मस्लन ग्याहवीं शरीफ़ की नज़्र और फ़ातिहा बुज़ुर्गाने दीन वग़ैरह।
निफ़ास :– वह ख़ून जो बालिग़ा औरत के रहम से बच्चा पैदा होने के बाद निकलता है उसे निफ़ास कहते हैं।
नफ़क़ा :– वह अख़राजात जो शौहर पर बीवी को देने वाजिब हैं खाना, कपड़े, रिहायश वग़ैरह।
निकाहे शिग़ार :– एक शख़्स ने अपनी लड़की या बहन का निकाह दूसरे से कर दिया और दूसरे ने अपनी लड़की या बहन का निकाह उससे कर दिया और हर एक का महर दूसरे का निकाह है।
निकाहे फ़ासिद :– ऐसा निकाह जिसमें निकाह की शर्तों में से कोई एक शर्त न पाई जाये मस्लन बिग़ैर गवाहों के निकाह करना।
निकाहे फ़ुज़ूली :– वह निकाह जो कोई शख़्स किसी मर्द या औरत का उसकी इजाज़त के बिग़ैर जब कि वह मौजूद न हो किसी दूसरी औरत या मर्द से करदे तो यह निकाह निकाहे फ़ुज़ूली है।
वदीअ़त :– जो माल किसी के पास हिफ़ाज़त के लिये रखा जाये उसे वदीअ़त और अमानत कहते हैं।
वसी :– उस शख़्स को कहते हैं जिसको वसियत करने वाला (मूसी) अपनी वसियत पूरी करने के लिये मुक़र्रर करे।
वसियत :– वसियत करने का मतलब यह है कि बतौर एहसान किसी को अपने मरने के बाद अपने माल या मन्फ़अ़त का

मालिक बनादेना।

वती बिश्शुबह :– शुबह के साथ वती करना यानी औरत हलाल न हो मगर उसे हलाल समझकर वती करना जैसे औरत तलाके मुगल्लज़ा की इद्दत में हो और हलाल समझकर उससे वती करले यह वती बिश्शुबह है।

वक़्फ़ :– किसी शय को अपनी मिल्क से ख़ारिज करके ख़ालिस अल्लाह तआला की मिल्क करदेना इसतरह कि उसका नफ़ा बन्दगाने खुदा में से जिसको चाहे मिलता रहे।

वकील बिल'बैअ् :– चीज़ बेचने का वकील।

वकील बिश्शरा :– चीज़ ख़रीदने का वकील।

वली :– वली वह है जिसका हुक्म दूसरे पर चलता हो दूसरा चाहे या न चाहे।

हिबा :– किसी शख़्स को एवज़ के बिग़ैर किसी चीज़ का मालिक बना देना।

हुन्डी :– उसकी सूरत यह है कि ताजिर को रूपया ब'तौरे कर्ज़ देते हैं कि वह उसको दूसरे शहर में अदा करदेगा या उसके किसी दोस्त या अज़ीज़ को दूसरे शहर में देदेगा मस्लन उस ताजिर की दूसरे शहर में दुकान है वहाँ लिख देगा उसको या उसके अज़ीज़ को वहाँ कर्ज़ का रूपया वसूल होजायेगा।

यमीन :– क़सम, ऐसा अ़क़्द जिसके ज़रीए क़सम खाने वाला किसी काम करने या न करने का पुख़्ता इरादा करता है।

यमीने ग़मूस :– किसी गुज़श्ता काम के मुतअ़ल्लिक़ जानबूझकर झूटी क़सम खाना मस्लन क़सम खाई कि फ़ुलां शख़्स आगया है हालांकि वह अभी तक नहीं आया।

यमीने फ़ौर :– किसी ख़ास वजह से या किसी बात के जवाब में क़सम खाई जिससे उस काम का फ़ौरन करना या न करना समझा जाता है उसको यमीने फ़ौर कहते हैं मस्लन औरत घर से निकलने का इरादा कर रही थी शौहर ने कहा अगर तू निकली तो तुझे तलाक़, उसी वक़्त अगर वह निकली तो तलाक़ होगई और अगर उस वक़्त ठहर गई कुछ देर बाद निकली तो नहीं।

यमीने लग्व :– आदमी गुज़श्ता ज़माने में किसी काम के होने की क़सम खाये और उसका गुमान यह है कि उसी तरह है जिस तरह उसने कहा है जब कि अम्र इसके ख़िलाफ़ हो, यानी अपने गुमान में सच्ची कसम खाये मगर हक़ीक़त में झूटी हो।

यमीने मुरसल :– क़सम में कोई वक़्त मुक़र्रर न किया हो और क़रीने से फ़ौरन करना या न करना न समझा जाता हो तो उसे यमीने मुरसल कहते हैं मस्लन क़सम खाई कि ज़ैद के घर जाऊँगा अब ज़िन्दगी में जब भी गया तो क़सम पूरी होगई और अगर न गया यहाँ तक कि मरगया तो क़सम टूट गई।

यमीने मुन्अ़क़िदा :– आने वाले ज़माने मे किसी काम के करने या न करने की क़सम खाना मस्लन क़सम खाई कि मैं यह काम करूँगा।

यमीने मोअक़्क़त :– वह क़सम जिसके लिये कोई वक़्त एक दिन या कम व बेश मुक़र्रर कर दिया हो मस्लन क़सम खाई कि यह रोटी आज खाऊँगा और आज न खाई तो क़सम टूट गई।

बहारे शरीअ़त तीसरी जिल्द, हिस्सा 14 से 20 तक की इस्तिलाहात

इ और अ से शुरूअ़ होने वाले शब्द

इब्ज़ाअ़ :– तिजारते मुज़ारबत में अगर कुल नफ़ा रब्बुल'माल (माल देने वाले) ही के लिये देना क़रार पाया हो तो उसको इब्ज़ाअ़ कहते हैं।

इजारह :– किसी शय के नफ़ा का एवज़ के मुक़ाबिल किसी शख़्स को मालिक करदेना।

इजारह–ए–फ़ासिद :– अ़क़्दे फ़ासिद (इजारए फासिद) वह है जो अपनी अस्ल के लिहाज़ से शरीअ़त के मुताबिक़ है मगर उसमें कोई वस्फ़ ऐसा है जिसकी वजह से ना'मशरूअ़ है।

इजारह बातिल :– वह इजारह जो अपनी अस्ल ही के लिहाज़ से खिलाफ़े शरअ़ हो।

उजरते मिस्ल :– किसी शख़्स को किसी काम की वह उजरत देना जो उस काम करने वाले को आमतौर पर दीजाती है।

अजीर :– उजरत पर काम करने वाले को अजीर कहते हैं। मुलाज़िम, मज़दूर, नौकर।

अजीरे मुश्तरक :– वह अजीर जो एक से ज़्यादा लोगों का काम करता हो मस्लन धोबी।

एहतिकार :– खाने की चीज़ को इस लिये रोकना (स्टाक करना) कि महंगी होने पर बेचेगा।

अख़्याफ़ी :– माँ शरीक बहन, भाई यानी जिनकी माँ एक हो और बाप अलग अलग हों।

अदिल्ला–ए–अरबा :– वह चार उसूल जिन पर इल्मे फ़िक़्ह की बुनियाद है यानी किताबुल्लाह, सुन्नते रसूलुल्लाह, इज्माए उम्मत और क़यास।

अर्श :– वह माल जो क़त्ल के एलावा में लाज़िम होता है और कभी अर्श और दियत को मुतरादिफ़ (एक ही माना में) भी बोलते हैं।

इस्तिहसान :– एक दलील का नाम है जो क़यास के मुख़ालिफ़ होता है। जब यह क़यास से ज़्यादा मज़बूत हो तो इसी पर अमल किया जाता है इसको इस्तिहसान इसी लिये कहते हैं कि उमूमन यह क़यास से ज़यादा क़वी होता है।

इस्तिदाना :– कोई चीज़ उधार ख़रीदी और माले मुज़ारबत में इस समन की जिन्स से (जो रब्बुल'माल ने दिया है) कुछ

बाक़ी नहीं है।
इस्तिस़नाअ़ :— कारीगर को फ़रमायश देकर चीज़ बनवाना।
असहाबे फ़रायज़ :— इससे मुराद वह लोग हैं जिनका हिस्सा मीरास् में क़ुर्आन व हदीस् और इज्माए उम्मत की रू से मोअय्यन करदिया गया है। उन्हें ज़विल'फ़ुरूज़ भी कहते हैं।
उद़हिया :— मख़्सूस जानवर को मख़्सूस दिन में सवाब की नियत से ज़िबह करना क़ुर्बानी है और कभी उस जानवर को भी उद़हिया और क़ुर्बानी कहते हैं जो ज़िबह किया जाता है।
एअ़तिकाफ़ :— मस्जिद में अल्लाह तआला के लिये (एअ़तिकाफ़ की नियत के साथ) ठहरना।
इक़ाला :— दो शख़्सों के माबैन जो अ़क्द हुआ उसके उठा देने (ख़त्म करदेने) को इक़ाला कहते हैं. इकाला में दूसरे का क़बूल करना ज़रूरी है तन्हा एक शख़्स इकाला नहीं कर सकता।
इकराहे शरई :— किसी के साथ नाहक़ ऐसा फ़ेअ़्ल करना कि वह शख़्स ऐसा काम करे जिसको वह करना नहीं चाहता और कभी मुकरेह (मजबूर करने वाले) की जानिब से कोई ऐसा फ़ेअ़्ल किया जाता है जिसकी वजह से मुकरह (मजबूर किया हुआ) अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करे मगर मुकरह जानता है कि यह शख़्स ज़ालिम है अगर मैंने न किया तो जो कुछ कहता है कर गुज़रेगा इस सूरत में भी इकराह है। इसे लोग जब्र करना भी कहते हैं।
इकराहे ताम :— मार डालने या उज़्व काटने या ज़र्बे शदीद (जिससे जान के तल्फ़ होने का अन्देशा हो) की धमकी दीजाये मसलन कोई किसी से कहता है कि यह काम कर वरना तुझे मारते मारते बेकार करदूँगा इसको इकराहे मुल्जी भी कहते हैं।
इकराहे नाक़िस :— जिसमें इस (मार डालने या उज़्व काटने या ज़र्बे शदीद) से कम की धमकी हो मसलन पाँच जूते मारूँगा या पाँच कोड़े मारूँगा या मकान में बन्द करदूँगा या हाथ पाँव बान्धकर डाल दूँगा इसको इकराहे ग़ैर मुल्जी भी कहते हैं।
उम्मे वलद :— वह लौन्डी जिसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ और मौला (मालिक) ने इक़रार किया कि यह मेरा बच्चा है।
अमानत :— (1) दूसरे शख़्स को अपने माल की हिफ़ाज़त पर मुक़र्रर करदेने को ईदाअ़ कहते हैं और उस माल को वदीअ़त कहते हैं जिसको आमतौर पर अमानत कहा जाता है। (2) अमानत उसे कहते हैं जिस में तल्फ़ पर (ज़ाइअ़ होने पर) ज़मान नहीं होता है आरियत और किराये की चीज़ को भी अमानत कहते हैं मगर वदीअ़त ख़ास उसका नाम है जो हिफ़ाज़त के लिये दी जाती है।
अमरद :— (ख़ूबसूरत लड़का) वह जिसकी दाढ़ी न उगी हो और न ही उस उम्र को पहुँचा हो जिसमें उमूमन दाढ़ी उगती है। जिनकी दाढ़ी निकलकर जब तक पूरे चेहरे पर ख़ूब नुमायां नहीं होजाती वह (अकस़र 22 साल की उम्र तक) उमूमन अमरद होते हैं बाज़ों के पूरे चेहरे पर दाढ़ी नहीं आती तो वह 25 साल या उससे भी ज़ायद उम्र तक अमरद रहते हैं। अमरद के इलावा हर वह मर्द भी अमरद ही के हुक्म में है जिसे देख कर शहवत आती हो और लज़्ज़त के साथ बार बार नज़र उठती हो. लिहाज़ा शहवत आने की सूरत में वह मर्द चाहे बुड्ढा हो उसे क़स्दन देखना हराम है।
अय्यामे तशरीक़ :— दस ज़ुल'हिज्जा के बाद के तीन दिन (11, 12, 13) को अय्यामे तशरीक़ कहते हैं।
अय्यामे मनहिय्या :— ईदुल'फ़ित्र, ईदुल'अदहा और 11, 12, 13 ज़ुल'हिज्जा के दिन कि उनमें रोज़ा रखना मना है इसी वजह से उन्हें अय्यामे मनहिय्या कहते हैं।
अय्यामे नह़र :— क़ुर्बानी का वक़्त दसवीं ज़िल'हिज्जा के तुलूअ़ सुबहे सादिक़ से बारहवीं के ग़ुरूब आफ़ताब तक है यानी तीन दिन दो रातें और इन दिनों को अय्यामे नह़र कहते हैं।
ईजाब व क़बूल :— निकाह (अ़क्द) करने वालों में से पहले का कलाम ईजाब और दूसरे का क़बूल कहलाता है।
ईदाअ़ :— दूसरे शख़्स को अपने माल की हिफ़ाज़त पर मुक़र्रर करने को ईदाअ़ कहते हैं।
ईला :— शौहर का यह क़सम खाना कि बीवी से जिमा न करेगा या चार महीने जिमा न करेगा।
ईलाए मोअब्बद :— ऐसा ईला जिसमें चार महीने की क़ैद न हो।
ईलाए मोअक़्क़त :— ऐसा ईला जिसमें चार महीने की क़ैद हो।

'आ' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

आजिर :— (अ़क्दे इजारह में) मालिक को आजिर कहते हैं।
आम्मा :— वह ज़ख़्म जो दिमाग़ की झिल्ली तक पहुँच जाये।

'ब' से शुरूअ़ होने वाले शब्द

बादिआ :— वह ज़ख़्म जिस में सर की जिल्द कट जाये।
बाइअ़ :— चीज़ बेचने वाले को बाइअ़ कहते हैं।
बिदअ़त :— वह एअ़तिक़ाद या वह अअ़्माल जो कि हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम के ज़मानाए हयाते ज़ाहिरी में न हो बाद में ईजाद हुए।
बिदअ़ते सय्यिआ :— जो बिदअ़त इस्लाम के ख़िलाफ़ हो या किसी सुन्नत को मिटाने वाली हो वह बिदअ़ते सय्यिआ है उसे बिदअ़ते मज़मूमा भी कहते हैं।
बिदअ़ते मकरूहा :— वह नया काम जिससे कोई सुन्नत छूट जाये अगर सुन्नत ग़ैर मोअक्कदा छूटी तो यह बिदअ़त

मकरूहे तन्ज़ीही है और अगर सुन्नते मोअक्कदा छूटी तो यह बिदअते मकरूह तहरीमी है।

बिदअ़ते हराम :– वह नया काम जिससे कोई वाजिब छूट जाये यानी वाजिब को मिटाने वाली हो।

बिदअ़ते मुस्तहब्बा :– वह नया काम जो शरीअ़त में मना न हो और उसको आम मुसलमान सवाब का काम जानते हों या कोई शख़्स उसको नियते खैर से करे जैसे महफ़िले मीलाद वग़ैरह।

बिदअ़ते जाइज़ :– वह नया काम जो शरीअ़त में मना न हो और बिग़ैर किसी नियते खैर के किया जाये जैसे मुख़्तलिफ़ किस्म के खाने खाना वग़ैरह इसे बिदअ़ते मुबाह भी कहते हैं।

बिदअ़ते वाजिब :– वह नया काम जो शरअ़न मना न हो और उसके छोड़ने से दीन में हरज वाकेअ़ हो जैसे कि कुर्आन के एअ़राब और दीनी मदारिस और इल्मे नहव वग़ैरह पढ़ाना।

बिज़ाअ़त :– वह तिजारते मुज़ारबत जिसमें कुल नफ़ा रब्बुल'माल (माल देने वाले) के लिये हो।

बिक्र, बाकिरा :– कुंवारी बिक्र वह औरत है जिससे निकाह के साथ वती न की गई हो अगर्चे ज़िना से या किसी और वजह से बुकारत ज़ाइल होगई हो तब भी कुंवारी ही कहलायेगी।

बोहरा, मअ़तूह :– जिसकी अ़क्ल ठीक न हो।

बैतुल'माल :– इस्लामी हुकूमत का ख़ज़ाना जो मुसलमानों की फलाह व बहबूद में ख़र्च किया जाता है।

बैअ़ :– दो शख़्सों का बाहम माल को माल से एक मख़्सूस सूरत के साथ तबादला करना।

बैअ़ बातिल :– जिस सूरत में बैअ़ का कोई रुक्न न पाया जाये या वह चीज़ ख़रीद व फ़रोख़्त के क़ाबिल ही न हो।

बैअ़ सलम :– वह बैअ़ जिसमें समन (क़ीमत) फ़ौरन अदा करना ज़रूरी हो और मबीअ़ (बेची हुई चीज़) को बाद में ख़रीदार के हवाले करना बेचने वाले पर लाज़िम है।

बैअ़ सर्फ़ :– समन, समन के एवज़ बेचना समन से मुराद आम है चाहे समन ख़ल्क़ी हो जैसे सोना, चाँदी या ग़ैर ख़ल्क़ी जैसे पैसा, नोट वग़ैरह।

'त' 'ت' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

तावील :– लफ़्ज़ को अपने ज़ाहिरी माना से उसके एहतिमाली माना की तरफ़ फेरना जब कि यह एहतिमाल कुर्आन व सुन्नत के मुवाफ़िक़ हो।

तहर्री :– जब किसी मौक़ेअ़ पर हक़ीक़त मालूम करना दुशवार होजाये तो सोचे और जिस जानिब गुमान ग़ालिब हो अमल करे उस सोचने का नाम तहर्री है।

तहिय्यतुल'मस्जिद :– किसी शख़्स का मस्जिद में दाख़िल होकर बैठने से पहले दो या चार रकात नमाज़ पढ़ना।

तहिय्यतुल'वुज़ू :– वुज़ू के बाद अअ़ज़ा ख़ुश्क होने से पहले दो रकात नमाज़ पढ़ना।

तख़ारुज :– (1) एक वारिस् बिल'मुक़्तअ़ (यानी कुल हिस्से के बदले) अपना कुछ हिस्सा लेकर तर्का (मीरास) से निकल जाता है कि अब वह कुछ नहीं लेगा उसको तख़ारुज कहते हैं।

(2) वारिसों में कोई या क़र्ज़ ख़्वाहों में से कोई तक़सीमे तर्का से पहले मय्यित के माल में से किसी मोअ़य्यन चीज को लेना चाहे और उसके एवज अपने हक़ से दस्त'बर्दार होजाये ख़्वाह वह हक़ उस चीज से ज्यादा हो या कम और उस पर तमाम वुरसा या क़र्ज़ ख़्वाह मुत्तफ़िक़ होजायें तो उसका नाम फ़िक़्ह की इस्तिलाह में "तख़ारुज" या "तसालुह" है।

तर्का :– वह माल व जायदाद जो मरने वाला दूसरे के हक़ से ख़ाली छोड़कर मरजाये।

तज़्किया :– गवाहों का आदिल और मोअ़तबर होना।

तअ़रीज़ :– ऐसा कलाम जिसकी मुराद सुनने वाला बिग़ैर सराहत के न समझ सके।

तअ़ज़ीर :– वह सज़ा जो किसी गुनाह पर ब'ग़र्ज़े तादीब दीजाती है।

तकबीराते तशरीक़ :– अरफ़ा यानी नवीं ज़िल'हिज्जा की फ़ज्र से तेरहवीं की अस्र तक हर फ़र्ज़ के बाद बुलन्द आवाज के साथ एक बार "अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इला'ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल'हम्द" पढ़ना।

तौरिया :– ऐसा लफ़्ज़ या फ़ेअ़ल जिसके ज़ाहिरी माना को छोड़कर दूसरा माना मुराद लिया जाये जो सहीह है मसलन किसी को खाने के लिये बुलाया वह कहता है मैंने खाना खालिया। उसके ज़ाहिरी माना यह हैं कि उस वक़्त का खाना खालिया है मगर वह यह मुराद लेता है कि कल खाया है।

तौलिया :– चीज़ जितनी क़ीमत में पड़ी उतनी ही क़ीमत की बेच देना नफ़ा कुछ न लेना।

समन :– ख़रीदार और बेचने वाला आपस में शय की जो क़ीमत मुक़र्रर करें उसे समन कहते हैं।

'ग' 'ج' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

जारेह :– ज़ख़्मी करने वाला।

जारे मुलासिक़ :– वह पड़ोसी जिसके मकान का पिछला हिस्सा दूसरे के मकान में हो।

जानी :– जनायत करने वाला यानी जान और आज़ा को नुक़सान पहुँचाने वाला।

जाइफ़ा :– वह ज़ख़्म जो जौफ़ तक पहुँचे और यह ज़ख़्म पीठ, पेट और सीने में होता है और अगर गले का ज़ख़्म

गिज़ाई नाली तक पहुँच जाये तो वह भी जाइफ़ा है।
जद्दे सहीह :– उस दादा को कहते हैं जिसकी मय्यित की तरफ़ निस्बत में मोअन्नस् का वास्ता बीच में न आये जैसे बाप का बाप और दादा का बाप।
जद्दे फ़ासिद :– उस दादा को कहते हैं जिसकी मय्यित की तरफ़ निस्बत में मोअन्नस् का वास्ता आये जैसे माँ का बाप।
जद्दए सहीहा :– वह दादी जिसकी निस्बत मय्यित की तरफ़ की जाये तो दरम्यान में जद्दे फ़ासिद का वास्ता न आये जैसे बाप की माँ और माँ की माँ।
जद्दए फ़ासिदा :– वह दादी या नानी जिसकी मय्यित की तरफ़ निस्बत में जद्दे फ़ासिद आजाये जैसे नाना की माँ और दादी के बाप की माँ।
जरीब :– जरीब की मिक़दार अंग्रेजी गज़ से 35 गज़ लम्बाई और 35 गज़ चौड़ाई है।
जिज़्या :– वह शरई महसूल (टैक्स) जो इस्लामी हुकूमत कुफ्फार से उसकी जान व माल के हिफाजत के बदले मे वुसूल करे।
जिनायत :– (1) उससे मुराद वह फ़ेअ्ल है जो हरम या एहराम की वजह से मना हो जैसे एहराम की हालत मे शिकार करना हरम में किसी जानवर को क़त्ल करना।
(2) इससे मुराद वह फ़ेअ्ल है जिस से जान या अअ्ज़ा को नुक़सान पहुँचाया जाये।
जुनून :– अक़्ल में ऐसे ख़लल का होना जिसकी वजह से आदमी के अक़वाल व अफ़आल मअ्मूल के मुताबिक़ न रहें चाहे यह ख़लल पैदायशी व फ़ितरी तौर पर हो या बाद में किसी मर्ज़ वग़ैरह की वजह से पैदा होजाये।
जुनूने मुतबिक़ :– वह जुनून (पागलपन) जो कम से कम एक माह तक मुसलसल रहे।
जनीन् :– वह बच्चा जो माँ के पेट में हो।

'ह' 'ح' से शुरूअ् होने वाले लफ़्ज़

हाजिब :– वह शख़्स है जिसकी मौजूदगी की वजह से किसी वारिस् (मय्यित की मीरास् पाने वाले) का हिस्सा कम होजाये या बिल'कुल ही खत्म होजाये।
हारिसा :– जिल्द के उस ज़ख़्म को कहते हैं जिसमें जिल्द पर ख़राश पड जाये मगर ख़ून न छनके।
हज :– एहराम बान्धकर नवीं जिल'हिज्जा को अ़रफ़ात में ठहरने और काबा मोअज़्ज़मा के तवाफ़ का नाम हज है और उसके लिये एक खास वक़्त मुकर्रर है कि उसमें यह अफ़आल किये जायें तो हज है।
हज्जे बदल :– नाइब बनकर दूसरे की तरफ़ से हज फ़र्ज़ अदा करना कि उसपर से फ़र्ज़ को साक़ित करे।
हज्ब :– वारिस् का हिस्सा किसी दूसरे वारिस् की मौजूदगी की वजह से या तो कम होजाये या बिलकुल ही खत्म होजाये।
हज्बे नुक़सान :– वारिस् के हिस्से का किसी दूसरे वारिस् की वजह से कम होजाना।
हज्बे हिरमान :– किसी वारिस् का दूसरे वारिस् की मौजूदगी की वजह से मीरास् पाने से महरूम होजाना।
हज्र :– किसी शख़्स के तसर्रुफ़ाते क़ौलिया (ज़बानी कलामी मुआमलात) रोक देने को हज्र कहते हैं।
हरबी :– वह काफ़िर जिसने मुसलमान से जिज़्या के एवज़ अ़क्दे ज़िम्मा (यानी अपनी जान व माल की हिफ़ाज़त का अ़हद) न किया हो।
हसद :– किसी शख़्स में ख़ूबी देखी उसको अच्छी हालत में पाया उसके दिल में यह आरज़ू है कि यह नेमत उससे जाती रहे और मुझे मिल जाये।
हुकूमते अ़दल :– जिनायात मादूनन्नफ़्स (यानी क़त्ल के एलावा) में से जिनमें क़िसास नहीं और शारेअ् ने कोई अर्श भी मोअय्यन नहीं किया है उनमें जो तावान लाज़िम आता है उसको हुकूमते अ़दल कहते हैं।
हवाला :– दैन (क़र्ज़) को अपने ज़िम्मे से दूसरे के ज़िम्मे की तरफ़ मुन्तक़िल करदेने को हवाला कहते हैं।
हैज़ :– बालिग़ा औरत के आगे के मक़ाम से जो ख़ून आदी तौर पर आता निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने के सबब से न हो तो उसे हैज़ कहते हैं।

'ख़' 'خ' से शुरूअ् होने वाले लफ़्ज़

ख़राज :– (ग़ैर मुस्लिम) पैदावार का कोई आधा हिस्सा या तिहाई या चौथाई वग़ैरह जो मुक़र्रर हो (वह इस्लामी मुल्क को अदा करें)
ख़म्र :– ख़म्र अंगूर की शराब यानी अंगूर का कच्चा पानी जिसमें जोश आजाये और शिद्दत पैदा होजाये कभी हर शराब को मजाज़न ख़म्र कहदेते हैं।
ख़ुन्सा मुश्किल :– जिसमें मर्द व औरत दोनों की अ़लामतें पाई जायें और यह साबित न हो कि मर्द है या औरत।
ख़्यारे बुलूग़ :– बिग़ैर देखे कोई चीज़ ख़रीदना और देखने के बाद उस चीज़ के पसन्द न आने पर चाहे तो ख़रीदार बैअ् को फ़स्ख़ करदे इस इख़्तेयार को ख़्यारे रूयत कहते हैं।
ख़्यारे शर्त :– बाइअ् और मुश्तरी को यह हक़ हासिल है कि अ़क्द में यह शर्त करदें कि अगर मन्ज़ूर न हुआ तो बैअ् बाक़ी न रहेगी उसे ख़्यारे शर्त कहते हैं मगर यह इख़्तेयार तीन दिन से ज़्यादा का नहीं होसकता।

ख़्यारे ऐब :– बाइअ़ का मबीअ़ को ऐब बयान किये बिग़ैर बेचना या मुश्तरी का समन में ऐब बयान किये बिग़ैर चीज़ ख़रीदना और ऐब पर मुत्तलअ़ होने के बाद उस चीज़ के वापस करदेने के इख़्तेयार को ख़्यारे ऐब कहते हैं।

'ग़' 'غ' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

दारुल'इस्लाम :– वह मुल्के है कि फ़िल'हाल उसमें इस्लामी सल्तनत हो या अब नहीं तो पहले थी और ग़ैर मुस्लिम बादशाह ने उसमें शआइरे इस्लाम मिस्ले जुमा व ईदैन व अज़ान व इक़ामत व जमाअ़त बाक़ी रखे (तो भी दारुल'इस्लाम है)

दारुल'हर्ब :– वह दार (मुल्क) जहाँ कभी सल्तनतें इस्लामी न हुई या हुई और फिर ऐसी ग़ैर क़ौम का तसल्लुत होगया जिसने शआइरे इस्लाम मिस्ले जुमा व ईदैन व अज़ान व इक़ामत व जमाअ़त यक'लख़्त उठादिये और शआइरे कुफ़्र जारी करदिये और कोई शख़्स अमाने अव्वल पर बाक़ी न रहा और वह जगह चारों तरफ़ से दारुल'इस्लाम में घिरी हुई नहीं तो वह दारुल'हर्ब है।

दामिआ :– सर की जिल्द के उस ज़ख़्म को कहते हैं जिसमें ख़ून छनक आये मगर बहे नहीं।

दामिया :– सर की जिल्द के उस ज़ख़्म को कहते हैं जिसमें ख़ून बहजाये।

दाइन :– वह शख़्स जिसका किसी पर दैन हो, क़र्ज़, उधार देने वाला।

दियानात :– इससे मुराद वही चीज़ें हैं जिनका तअल्लुक़ बन्दा और रब के माबैन है।

दियत :– उस माल को कहते हैं जो नफ़्स (जान) बदले में लाज़िम होता है।

दैन :– जो चीज़ वाजिब फ़िज़्ज़िम्मा हो किसी अ़क़्द मसलन बैअ़ या इजारा की वजह से या किसी चीज़ के हलाक करने से उसके ज़िम्मे तावान हो या क़र्ज़ की वजह से वाजिब हो, उन सबको दैन कहते हैं।

दैने मोअज्जल :– वह दैन जिसके लिये कोई मीआ़द मुक़र्रर हो।

दैने मीआ़दी :– वह दैन जिसके लिये कोई मीआ़द मुक़र्रर हो।

'ग़' 'غ' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

ज़िम्मी :– ज़िम्मी उस काफ़िर को कहते हैं जिसके जान व माल की हिफ़ाज़त का बादशाहे इस्लाम ने जिज़्या के बदले ज़िम्मा लिया हो।

ज़विल'अरहाम :– क़रीबी रिश्तेदार, इल्मे फ़राइज़ की इस्तिलाह में इससे मुराद वह रिश्तेदार हैं जो न तो असहाबे फ़राइज़ में से हैं और न ही अ़सबात में से हैं उन्हें ज़ी रहम महरम भी कहते हैं।

'ग़' 'غ' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

राहिन :– जो शख़्स अपनी चीज़ किसी के पास गिरवी रखता है उसे राहिन कहते हैं।

रब्बुस्सलम :– बैअ़ सलम में ख़रीदार को रब्बुस्सलम कहते हैं।

रब्बुल'माल :– मुज़ारबत (तिजारत की एक ख़ास क़िस्म) में तिजारत के लिये माल देने वाले को रब्बुल'माल कहते हैं।

रजअ़त :– जिस औरत को रजई तलाक़ दी हो इद्दत के अन्दर उसे उसी पहले निकाह पर बाक़ी रखना।

रज़ाअ़त :– वह बच्चा जिसकी उम्र ढाई साल से कम हो उसका किसी औरत का दूध पीना रज़ाअ़त कहलाता है।

रुक़बा :– किसी को इस शर्त पर चीज़ देना कि अगर मैं तुझसे पहले मरगया तो यह तेरी।

रुक्न :– वह चीज़ जिसके साथ शय का क़ाइम होना दुरुस्त हो जैसे नमाज़ में रुकूअ़ वग़ैरह।

रहन :– दूसरे के माल को अपने हक़ में अपने पास इस लिये रोक रखना कि उसके ज़रियेअ़ से अपने हक़ को पूरे तौर पर या जुज़्वी तौर पर हासिल करना मुम्किन हो, कभी उस चीज़ को भी रहन कहते हैं जो रखी गई है।

रिया व सुम्आ :– रिया यानी दिखावे के लिये काम करना और सुम्आ यानी इस लिये काम करना कि लोग सुनेंगे और अच्छा जानेंगे।

रासुल'माल :– वह माल जो रब्बुल'माल (सरमायादार) ने तिजारत के लिये दिया हो।

'ग़' 'غ' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

सजदए तहिय्यत :– यानी मुलाक़ात के वक़्त बतौरे इकराम किसी को सजदा करना, यह हराम है।

सदल :– कपड़े को कन्धे या सर के ऊपर से इस तरह लटकाना कि उसके दोनों किनारे लटकते रहें।

सिम्हाक़ :– वह ज़ख़्म जो सर की हड्डी के ऊपर की झिल्ली (बारीक खाल) तक पहुँचजाये।

सौत :– एक ख़ाविन्द की दो या दो से ज़्यादा बीवियां आपस में सौत (सौकन) कहलाती हैं।

सोग :– औरत का अय्यामे इद्दत में ज़ेबो ज़ीनत (बनाव श्रृंगार) को तर्क करदेना।

'ग़' 'غ' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

शिजाज :– सर और चेहरे के ज़ख़्मों को शिजाज कहते हैं।

शराब :– लुग़त में पीने की चीज़ को शराब कहते हैं और इस्तिलाहे फ़ुक़हा में शराब उसे कहते हैं जिससे नशा होता है।

शिर्ब :– खेत की आब'पाशी या जानवरों को पानी पिलाने के लिये जो बारी मुक़र्रर करली जाती है उसको शिर्ब कहते हैं।

शर्त :– वह शय जो हक़ीक़ते शय में दाख़िल न हो लेकिन उसके बिग़ैर शय मौजूद न हो जैसे नमाज़ के लिये वुज़ू वग़ैरह।

शिर्क :– अल्लाह तआ़ला की ज़ात सिफ़ात में किसी दूसरे को शरीक करना शिर्क कहलाता है।

शिकार :– शिकार उस वहशी जानवर को कहते है जो आदमियों से भागता हो और बिगैर हीला न पकड़ा जासकता हो और कभी फ़ेअ्ल, जानवर के पकड़ने को भी शिकार कहते हैं।

शिर्कत :– शिर्कत ऐसे मुआमले का नाम है जिसमें दो अफ़राद सरमाया और नफ़ा में शरीक रहना तय करें।

शिर्कते अ़क्द :– दो शख़्स बाहम किसी चीज में शिर्कत का अ़क्द करें मसलन एक कहे मैं तेरा शरीक हूँ दूसरा कहे मुझे मन्जूर है।

शिर्कते इनान :– दो शख़्स किसी ख़ास नोअ् की तिजारत, या हर किस्म की तिजारत में शिरकत करें मगर हर एक दूसरे का ज़ामिन न हो सिर्फ़ दोनों शरीक आपस में एक दूसरे के वकील होंगे।

शिरकते मुफ़ावज़ा :– जिस शिरकत में हर एक शख़्स दूसरे का वकील व कफ़ील हो यानी हर एक का मुतालबा दूसरा वुसूल करसकता है और हर एक पर जो मुतालबा होगा दूसरा उसकी तरफ से जामिन है और शिरकते मुफ़ावज़ा में यह जरूर है कि दोनों के माल बराबर हों और नफ़ा में दोनों बराबर के शरीक हों और तसर्रुफ़ व दैन में भी मसावात हो, लिहाज़ा आज़ाद व गुलाम में और ना'बालिग व बालिग में और मुसलमान व काफ़िर में और आकिल व मजनून में और दो ना'बालिगों में और दो गुलामों में शिरकते मुफ़ावजा नहीं होसकती।

शुफ़आ :– गै़र मन्कूल जायदाद को किसी शख़्स ने जितने में खरीदा उतने ही में उस जायदाद के मालिक होने का हक़ जो दूसरे शख़्स को हासिल होजाता है उसको शुफ़आ कहते हैं।

शफ़ीअ् :– वह (पड़ोसी) शख़्स जिसे शुफ़आ का हक़ हासिल हो।

शहादत :– किसी हक़ के साबित करने के लिये मज्लिसे क़ाज़ी में (यानी क़ाज़ी के सामने) लफ्जे शहादत के साथ सच्ची ख़बर देने को शहादत या गवाही कहते हैं।

शैख़ैन :– सहाबा किराम में शैख़ैन से मुराद हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ और हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हुमा हैं। मुहद्दसीन की इस्तिलाह में शैख़ैन से मुराद इमाम बुख़ारी व इमाम मुस्लिम हैं। फ़ुक़्हा की इस्तिलाह में इससे मुराद इमाम अबू'हनीफा और इमाम अबू'यूसुफ़ रहमतुल्लाहि तआला अ़लैहिम हैं।

'ग' 'ص' से शुरूअ् होने वाले लफ़्ज़

साहिबैन :– इस्तिलाहे फ़ुक़्हा में इससे मुराद इमाम अबू'यूसुफ व इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अ़लैहिमा हैं।

सेहरीज :– बाज़ मकानों में हौज़ बना रखते हैं बरसाती पानी उसमें जमा करलेते हैं और अपने इस्तेअ्माल में लाते हैं अरबी में ऐसे हौज़ को सेहरीज कहते हैं।

सहीहैन :– हदीस् की दो मशहूर किताबें सहीह बुख़ारी व मुस्लिम।

सुलह :– नज़ाअ् (झगड़ा) दूर करने के लिये जो अ़क्द किया जाये उसको सुलह कहते हैं।

'ग' 'ط' से शुरूअ् होने वाले लफ़्ज़

तरफ़ैन :– (किसी भी मुआमले के दो फ़रीक़) ख़रीद व फ़रोख़्त में तरफ़ैन से मुराद बाइअ् और मुश्तरी हैं।

तरफ़ैन :– इस्तिलाहे फ़ुक़्हा में इससे मुराद इमाम अबू'हनीफ़ा और इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अ़लैहिमा हैं।

तलाक़ :– निकाह से औरत शौहर की पाबन्द होजाती है इस पाबन्दी को उठा देने को तलाक़ कहते हैं।

तलाक़े बाइन :– वह तलाक़ जिसकी वजह से औरत, मर्द के निकाह से फ़ौरन निकल जाती है।

तलाक़े रजई :– वह तलाक़ जिसमें औरत इद्दत गुज़रने के पर निकाह से बाहर हो।

तलाक़े मुग़ल्लज़ा :– मर्द का अपनी बीवी को तीन तलाक़ें देना।

तलबे मुवासबा :– जो शख़्स शुफ़आ करना चाहता है जैसे ही उसको उस जायदाद के फ़रोख़्त होने का इल्म हो फ़ौरन उसी वक़्त यह ज़ाहिर करदे कि मैं तालिबे शुफ़आ हूँ।

तलबे तक़रीर, तलबे इशहाद :– शफ़ीअ् (शुफ़अ करने वाला) बाइअ् या मुश्तरी या जायदादे मबीआ (फरोख्त शुदा जायदाद) के पास जाकर गवाहों के सामने यह कहे कि फ़ुलां शख़्स ने यह जायदाद ख़रीदी है और मैं उसका शफ़ीअ् हूँ और उससे पहले मैं तलबे शुफ़आ कर चुका हूँ और अब फिर तलब करता हूँ तुम लोग इसके गवाह रहो।

तलबे तम्लीक :– शुफ़आ करने वाला क़ाज़ी के पास जाकर यह कहे कि फ़ुलां शख़्स ने फ़ुलां जायदाद ख़रीदी है और फ़ुलां जायदाद के ज़रीआ से मैं उसका शफ़ीअ् हूँ वह जायदाद मुझे दिलादी जाये।

'ग' 'ظ' से शुरूअ् होने वाले लफ़्ज़

ज़िहार :– अपनी बीवी या उसके किसी जुज़ व शाइअ् या ऐसे जुज़ को जो कुल से ताबीर किया जाता हो ऐसी औरत से तशबीह देना जो उसपर हमेशा के लिये हराम हो या उसके किसी ऐसे उ़ज़्व से तशबीह देना जिसकी तरफ़ देखना हराम हो मसलन कहा तू मुझपर मेरी माँ की मिस्ल है या तेरा सर या तेरी गर्दन या तेरा निस्फ़ मेरी माँ की पीठ की मिस्ल है।

'ग' 'ع' से शुरूअ् होने वाले लफ़्ज़

आरियत :– दूसरे शख़्स को किसी चीज़ की मन्फ़अ़त का बिग़ैर एवज़ मालिक करदेना आ़रियत है।

आ़क़िद :– अ़क़्द करने वाला।

आ़क़िला :– आ़क़िला वह लोग कहलाते हैं जो क़त्ले ख़ता या क़त्ले शुब्हा अ़मद में ऐसे क़ातिल की तरफ़ से दियत अदा

करते हैं जो उनके मुतअ़ल्लिक़ीन में से है और यह दियत इसा़लतन वाजिब हुई हो।

अ़ब्दे माज़ून :– वह गुलाम जिसके आक़ा ने उसे ख़रीद व फ़रोख़्त की इजाज़त देदी हो।

इद्दत :– निकाह ज़ाइल होने या शुब्हे निकाह के बाद औरत का निकाह से मम्नूअ़ होना और एक ज़माने तक इन्तिज़ार करना इद्दत है।

उ़श्र :– खेती की ज़मीन की पैदावार से जो ज़कात अदा कीजाती है (यानी पैदावार का दसवाँ हिस्सा) उसे उ़श्र कहते हैं (अगर बीसवाँ हिस्सा अदा करना लाज़िम हो तो उसे निस्फ़ उ़श्र कहते हैं)।

उ़श्री ज़मीन :– वह ज़मीन जिसकी पैदावार से उ़श्र अदा किया जाता है।

अ़स़बात :– अ़सबा की जमा यानी वह लोग जिनके हिस्से (मीरास़ में) मुक़र्रर शुदा नहीं अल'बत्ता असहाबे फ़राइज़ से जो बचता है उन्हें मिलता है और अगर अस़हाबे फ़राइज न हों तो तमाम माल (तर्का) उन्ही में तक़सीम होजाता है।

अ़स़बा नसबी :– वह रिश्तेदार हैं जिनके मुक़र्ररा हिस्से नहीं हैं बल्कि असहाबे फ़राइज से अगर कुछ बचता है तो उन्हें मिलता है।

अ़स़बा सबबी :– इससे मुराद वह शख़्स़ है जिसने कोई गुलाम आजाद किया हो और वह गुलाम मरगया हो और गुलाम का कोई रिश्तेदार न हो सिर्फ़ उसको आज़ाद करने वाला शख़्स हो अब उसका आक़ा उसको आज़ाद करने के सबब उसकी मीरास़ का मुस्तहक होगा उनको मौलल'इताक़ा भी कहते हैं।

अ़स़बा बिनफ़सिही :– इससे मुराद वह मर्द है कि जब उसकी निस्बत मय्यित की तरफ़ कीजाये जबकि दरम्यान में कोई औरत न आये, मस़लन भतीजा वग़ैरह।

अ़स़बा बिग़ैरिही :– असबा बिग़ैरिही यह वह चार औरतें हैं जिनका मुक़र्ररा हिस्सा निस्फ़ या दो तिहाई है यह औरतें अपने भाईयों की मौजूदगी में अ़सबा बन जायेंगी।

अ़स़बा मअ़ ग़ैरिही :– अ़सबा मअ़ ग़ैरिही से मुराद वह औरत है जो दूसरी औरत के साथ मिलकर असबा बन जाती है जैसे हक़ीक़ी बहन या बाप शरीक बहन, बेटी होते हुए अ़सबा बन जाती है।

अ़क्द :– आकिदैन (निकाह और खीद व फ़रोख़्त वग़ैरह करने वालों) में से एक का कलाम दूसरे के साथ अज़रूए शरअ़ के इसतरह मुतअ़ल्लिक होना कि उसका अस़र महल (मअ़क़ूद अ़लैहि) में ज़ाहिर हो।

अ़क़ीक़ा :– बच्चा पैदा होने के शुक्रिया में जो जानवर ज़िबह किया जाता है उसको अ़क़ीक़ा कहते हैं।

अ़ल्लाती :– बाप शरीक बहन, भाई यानी जिनका बाप एक हो और मायें अलग–अलग हों।

इ़ल्मुल'फ़राइज़ :– वह इ़ल्म जिसके ज़रिएअ़ मीरास़ के मसाइल मालूम किये जाते हैं।

उ़मरा :– उ़म्र भर के लिये किसी को कोई चीज़ देदेना कि वह मरगया तो वापस लेलूँगा।

इ़न्नीन :– इ़न्नीन उस शख़्स़ को कहते हैं कि उसका उ़ज़्वे मख़्सूस तो हो मगर अपनी बीवी से आगे के मक़ाम में दुख़ूल न करसके, नामर्द।

औ़ल :– औ़ल से मुराद इस्तिलाहे फ़राइज़ में यह है कि मख़्रजे मसअ्ला जब वुरसा के हिस्सों पर पूरा न होता हो यानी हिस्से ज़्यादा हों और मख़्रज का अ़दद हिस्सों के मजमुई अअ़्दाद से कम हो तो मख़्रज मसअ्ला के अ़दद में इज़ाफ़ा करदिया जाता है।

ऐ़ब :– ऐ़ब वह है जिस से ताजिरों की नज़र में चीज़ की क़ीमत कम होजाये।

'ग़' 'غ' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

ग़ासिब ग़स्ब करने वाला :– ग़स्ब करने वाला यानी नाजाइज़ क़ब्ज़ा करने वाला।

ग़िब्ता :– किसी शख़्स़ में ख़ूबी देखी उसको अच्छी हालत में पाया उसके दिल में यह तमन्ना है कि मैं भी वैसा होजाऊँ मुझे भी वह नेअ़्मत मिल जाये यह हसद नहीं इसको ग़िब्ता कहते हैं जिसको लोग रश्क भी कहते हैं।

ग़ब्ने फ़ाहिश :– सख़्त क़िस्म की ख़्यानत, मुराद ऐसी क़ीमत से ख़रीद व फ़रोख़्त करना जो क़ीमत लगाने वालों के अन्दाज़े से बाहर हो मस़लन कोई चीज़ दस रूपये में ख़रीदी लेकिन उसकी क़ीमत छः सात रूपये लगाई जाती है कोई शख़्स उसकी क़ीमत दस रूपये नहीं लगाता तो यह ग़ब्ने फ़ाहिश है।

ग़ब्ने यसीर :– ऐसी क़ीमत से ख़रीद व फ़रोख़्त करना जो क़ीमत लगाने वालों के अन्दाज़ा से बाहर न हो मस़लन कोई चीज दस रूपये में ख़रीदी, कोई शख़्स़ उसकी क़ीमत आठ बताता है कोई नौ तो कोई दस तो यह ग़ब्ने यसीर है।

ग़ुर्रा :– हमल की दियत को ग़ुर्रा कहते हैं और यह पाँच सौ दिरहम है।

ग़स़ब :– माले मुतक़व्विम, मोहतरम, मन्क़ूल यानी ऐसा माल जो शरई लिहाज़ से क़ाबिले क़ीमत और उसका लेना हराम हो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह मुन्तक़िल किया जासके उससे जाइज़ क़ब्ज़े को हटाकर नाजाइज़ क़ब्ज़ा करना ग़सब कहलाता है जबकि यह क़ब्ज़ा हक़ीक़तन न हो।

ग़ुलामे माज़ून :– वह गुलाम जिसके आक़ा ने उसे ख़रीद व फ़रोख़्त की इजाज़त देदी हो।

ग़नीमत :– वह माल जो जिहाद फ़ी'सबीलिल्लाह के ज़रियेअ़ ताक़त के ज़ोर से हरबी काफ़िरों से हासिल किया जाता है।

ग़ीबत :– किसी शख़्स़ के पोशीदा ऐ़ब को (जिसको वह दूसरों के सामने ज़ाहिर होना पसन्द न करता हो) उसकी बुराई करने के तौर पर ज़िक्र करना।

ग़ैर मुस्तामिन :– वह शख़्स है जो दूसरे मुल्क में (जिसमें ग़ैर क़ौम की सल्तनत हो) अमान लिये बिग़ैर गया हो यानी हरबी दारुल'इस्लाम में या मुसलमान दारुल'कुफ़्र में अमान लिये बिग़ैर गया हो।

'ग' 'ف' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

फ़र्ज़े किफ़ाया :– फ़र्ज़े किफ़ाया वह होता है जो कुछ लोगों के अदा करने से सब की जानिब से अदा होजाता है (यानी सब बरीउज़्ज़म्मा होजाते हैं) और कोई भी अदा न करे तो सब गुनाहगार होते हैं जैसे नमाज़े जनाज़ा वग़ैरह।
फ़क़ीर :– वह शख़्स है जिसके पास कुछ हो मगर न इतना कि निसाब को पहुँच जाये या निसाब की मिकदार हो तो उसकी हाजते अस्लिया में मुस्तग़रक़ हो।

'ग' 'ق' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

क़त्ले अ़मद :– किसी धारदार हथयार से क़स्दन क़त्ल करना क़त्ले अमद कहलाता है मस्लन छुरी, ख़न्जर, तीर, नेज़ा वग़ैरह से किसी को क़स्दन क़त्ल करना।
क़त्ले शिब्हे अ़मद :– किसी को क़स्दन क़त्ल करे मगर हथयार या जो चीज़ें हथयार के क़ाइम मक़ाम हैं उनसे क़त्ल न करे मस्लन लाठी से मार डाले।
क़त्ले ख़ता :– ऐसा क़त्ल जो ख़ताअ़न (ग़ल्ती से, भूल से) सरज़द होजाये, ख़ता चाहे फ़ेअ़्ल में हो या गुमान में जैसे शिकार को गोली मारी और किसी इन्सान को जा'लगी या मुरतद समझकर क़त्ल किया लेकिन वह मुसलमान था।
क़त्ल क़ाइम मक़ाम ख़ता (शिब्हे ख़ता) :– (ऐसा फ़ेअ़्ल जिसमें क़ातिल के फ़ेअ़्ले इख़्तियारी को दख़्ल न हो) जैसे कोई शख़्स सोते में किसी पर गिर'पड़ा और वह मरगया या छत से किसी इन्सान पर गिरा और वह मरगया।
क़त्ल बिस्सबब :– (ऐसा क़त्ल जिसका सबब क़ातिल का फ़ेअ़्ल हो मस्लन) किसी शख़्स ने दूसरे की मिल्क में कुआं खोदा या पत्थर रखदिया या रास्ते में लकड़ी रखदी और कोई शख़्स कुएं में गिरकर या पत्थर और लकड़ी से ठोकर खाकर मरगया।
क़र्ज़ :– दैन की एक ख़ास सूरत का नाम क़र्ज़ है, जिसको लोग दस्तगर्दां कहते हैं।
क़सामत :– क़सामत का मतलब यह है कि किसी जगह मक़तूल पाया जाये और क़ातिल का पता न हो और औलियाए मक़तूल अहले मुहल्ला पर क़त्ले अ़मद या क़त्ले ख़ता का दावा करें और अहले मुहल्ला इनकार करें तो इस मुहल्ले के पचास आदमी क़सम खायें कि न हमने उसको क़त्ल किया है और न हम क़ातिल को जानते हैं।
क़िसास :– फ़ाइल (यानी ज़ालिम) के साथ वैसा ही सुलूक करना जैसा उसने (दूसरे के साथ) किया मस्लन हाथ काटा तो उसका भी हाथ ही काटा जाये।
क़ीरात :– क़ीरात अस्ल में निस्फ़ दानिक़ (यानी दिरहम का बारहवां हिस्सा) है।
क़ियमी :– हर वह चीज़ जिसकी मिस्ल बाज़ार में न पाई जाये।

'ग' 'ك' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

कफ़्फ़ारा :– वह सज़ा जो किसी गुनाह की तलाफ़ी के लिये शरअ़न मुक़र्रर होती है जैसे रोज़ों का कफ़्फ़ारा।
कफ़्फ़ारा यमीन :– वह सज़ा जो क़सम तोड़ने पर शरअ़न मुक़र्रर होती है।
कफ़्फ़ारा क़त्ले ख़ता :– ख़ता से किसी को क़त्ल करने से जो कफ़्फ़ारा लाज़िम होता है उसको कफ़्फ़ारा क़त्ले ख़ता कहते हैं।
कफ़ालत :– एक शख़्स अपने ज़िम्मे को दूसरे के ज़िम्मे के साथ मुतालबे में ज़म करदे यानी दूसरे की मुतालबे की ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे लेले।
कफ़ील :– (ज़ामिन) वह शख़्स जो दूसरे के मुतालबे की ज़िम्मेदारी अपने ज़िम्मे लेलेता है।
कलाला :– वह शख़्स जिसके मरने के वक़्त कोई औलाद न हो और माँ, बाप भी न हों।
किनाया :– ऐसा कलाम जिसका मुरादी माना चाहे हक़ीक़ी हो या मजाज़ी ज़ाहिर न हो अगर्चे लुग़वी माना ज़ाहिर हो।
गवाही :– शहादत को गवाही कहते हैं।

'ग' 'ل' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

लहन :– इस्तिलाहे क़ुर्रा में लहन से मुराद तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ना है।
लुक़ता :– उस माल को कहते हैं जो पड़ा हुआ कहीं मिल जाये।
लक़ीत :– लक़ीत उस बच्चे को कहते हैं जिसको उसके घर वाले ने अपनी तंगदस्ती या बदनामी के ख़ौफ़ से फेंकदिया हो।

'ग' 'م' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

माले मुतक़व्विम :– वह माल जो जमा किया जासकता हो और शरअ़न उससे नफ़ा उठाना मुबाह हो।
मुबाह :– इस्तिलाहे शरअ़ में मुबाह उसको कहते हैं जिसके करने और छोड़ने दोनों की इजाज़त हो।
मबीअ़ :– फ़रोख़्त'शुदा चीज़, वह चीज़ जो बेची जारही हो।
मुत'रद्दिया :– वह जानवर जो कुएं में या पहाड़ से गिरकर मरा हो।
मुत'लाहिमा :– वह ज़ख़्म जिसमें सर का गोश्त भी फटजाये।
मुसल्लस :– अंगूर का शीरा जो इस क़दर पकाया जाये कि दो तिहाई ख़ुश्क होजाये और एक तिहाई बाक़ी रहजाये।

मिस्ली :– हर वह चीज़ जिसकी मिस्ल बाज़ार में क़ाबिले शुमार फ़र्क़ के बिग़ैर पाई जाये।

मजनून :– जिसकी अ़क्ल ख़त्म होगई हो बिला वजह लोगों को मारे गालियां दे शरीअ़त ने उसमें कोई अपनी इस्तिलाहे जदीद मुकर्रर नहीं फ़रमाई (मजनून) वही है जिसे फ़ारसी में दीवाना उर्दू में पागल कहते हैं।

महजूब :– ऐसा वारिस् जिसका हिस्सा किसी दूसरे वारिस् की मौजूदगी की वजह से कम होजाये या बिल'कुल ख़त्म होजाये उसे महजूब कहते हैं।

मोहरिम :– वह शख़्स जिसने हज या उ़मरे की नियत से एहराम बान्धा हो।

महरूम :– इस से मुराद वह वारिस् है जो मीरास् से किसी सबब की वजह से शरअ़न महरूम होजाता है मस्लन गुलाम होने की वजह से या मूरिस् का क़ातिल होने की वजह से।

मख़्रज :– इस्तिलाहे फ़राइज़ में मखरज से मुराद वह छोटे से छोटा अदद जिसमें से तमाम वुरसा को बिला कस्र उनके हिस्से तक़सीम किये जासकें।

मुदब्बर :– वह गुलाम जिसकी निस्बत मौला (मालिक) ने कहा कि तू मेरे मरने के बाद उसका आज़ाद होना साबित होता हो।

मुदब्बरा :– ऐसी लौन्डी जिसे मालिक ने यह कहा हो कि मेरे मरने के बाद तू आज़ाद है या ऐसे अल'फ़ाज़ कहे हों जिनसे मौला के मरने के बाद उसका आज़ाद होना साबित होता हो।

मुद्दई :– दावा करने वाला।

मुद्दआ'अ़लैहि :– जिसपर दावा किया जाये।

मदयून :– जिसके ज़िम्मे किसी का वाजिबुल'अदा हक़ (दैन) हो, मक़रूज़।

मुराबहा :– कोई चीज़ ख़रीदी और उसपर कुछ ख़र्चे किये फिर क़ीमत और ख़र्चों को ज़ाहिर करके उसपर एक नफ़ा की मिक़दार बढ़ाकर उसको फ़रोख़्त करदेना उसे मुराबहा कहते हैं।

मुराहिक़ :– वह लड़का जो अभी बालिग न हुआ मगर उसके हमउम्र बालिग होगये हों, उसकी मिक़दार बारह बरस की उम्र है।

मुरतद :– वह शख़्स है कि इस्लाम के बाद किसी ऐसे अम्र का इन्कार करे जो ज़रूरियाते दीन से हो यानी ज़बान से कलिमाए कुफ़्र बके जिसमें तावीले सहीह की गुन्जाइश न हो यूंही बाज़ अफ़आ़ल भी ऐसे हैं जिनके करने से काफ़िर होजाता है मस्लन बुत को सजदा करना, मुस्हफ़ शरीफ़ को निजासत की जगह फेंकदेना। (नऊ़ज़ु'बिल्लाह)

मुरतहिन :– जिस शख़्स के पास कोई चीज रहन रखी जाये वह मुरतहिन कहलाता है।

मर्ज़ल'मौत :– किसी मर्ज के मर्ज़ुल'मौत होने के लिये दो बातें शर्त हैं एक यह कि उस मर्ज में ख़ौफ़े हलाक व अन्देशाए मौत कुव्वत व गल्बे के साथ हो, दोम यह कि उस गलबए ख़ौफ़ की हालत में उसके साथ मौत मुत्तसिल हो अगर्चे उस मर्ज़ से न मरे, मौत का सबब कोई और होजाये।

मरहून :– उस चीज़ को कहते हैं जो गिरवी रखी गई।

मुज़ारअ़त :– किसी को अपनी ज़मीन इस तौर पर काश्त के लिये देना कि जो कुछ पैदावार होगी दोनों में मस्लन निस्फ़ निस्फ़ या एक तिहाई, दो तिहाईयां तक़सीम होजायेगी उसको मुज़ारअ़त कहते हैं।

मुसाबक़त :– चन्द शख़्स आपस में यह तय करें कि कौन आगे बढ़ जाता है जो सबक़त लेजाये उसको यह दिया जायेगा।

मुसाक़ात :– बाग या दरख़्त किसी को इस लिये देना कि उसकी ख़िदमत करे और जो कुछ उससे पैदावार होगी उसका एक हिस्सा काम करने वाले को और एक हिस्सा मालिक को दिया जायेगा उसका दूसरा नाम मुआ़मला भी है।

मुस्ताजिर :– किरायेदार को मुस्ताजिर भी कहते हैं।

मुस्तामिन :– वह शख़्स है जो दूसरे मुल्क में (जिसमें ग़ैर क़ौम की सल्तनत हो) अमान लेकर गया यानी हरबी दारुल'इस्लाम में या मुसलमान दारुल'कुफ़्र में अमान लेकर गया तो मुस्तामिन है।

मुस्तआ़र :– (आ़रियत दी हुई) चीज को मुस्तआ़र कहते हैं।

मुस्तईर :– जिसको चीज़ दीगई वह मुस्तईर है।

मस्तूरुल'हाल :– वह शख़्स जिसकी अ़दालत और फ़िस्क़ (यानी नेक, बद होना) लोगों पर ज़ाहिर न हो।

मिस्कीन :– वह शख़्स है जिसके पास कुछ न हो यहाँ तक कि खाने और बदन छुपाने के लिये उसका मोहताज है कि लोगों से सवाल करे।

मुस्लम इलैहि :– बैअ़् सलम में चीज़ बेचने वाले को मुस्लम इलैहि कहते हैं।

मुस्लम फ़ीह :– जिस चीज़ पर अ़क़्दे सलम हो उसको मुस्लम फ़ीह कहते हैं, मबीअ़्।

मुशाअ़् :– उस चीज़ को कहते हैं जिसके एक जुज़्वे ग़ैर मोअ़य्यन का यह मालिक हो और दूसरा भी उसमें शरीक हो और दोनों के हिस्सों में इम्तियाज़ न हो।

मुश्तरी :– ख़रीदार को मुश्तरी कहते हैं।

मुश्तहात :– क़ाबिले शहवत लड़की जो नौ बरस से कम उम्र की न हो।

मुज़ारिब :– मुज़ारबत में काम करने वाला।

मुज़ारबत :– यह तिजारत में एक किस्म की शिरकत है कि एक जानिब से माल हो और एक जानिब से काम।
मुज़ारबते मुत़लक़ा :– ऐसी मुज़ारबत जिसमें ज़मान व मकान और किस्मे तिजारत की तअ़ईन नहीं होती।
मुतल्लक़ा रजईया :– वह औरत जिसे रजई त़लाक़ दी गई हो।
मअ़तूह :– (बोहरा) जिसकी अ़क़्ल ठीक न हो तदबीरें मुख़्तल (यानी होश व हवास में ख़राबी) हो कभी आ़क़िलों की सी बात करे कभी पागलों की सी मगर मजनूं की त़रह लोगों को महज़ बेवजह मारता गालियां देता ईंटें फेंकता न हो।
मुईर :– जिसकी चीज़ है उसे मुईर कहते हैं।
मग़सूब :– जिस चीज़ पर नाजाइज क़ब्ज़ा हुआ।
मग़सूब मिन्हु :– (ग़सब शुदा चीज़ का) मालिक।
मफ़क़ूदुल'ख़बर :– वह शख़्स़ जिसका कोई पता न हो और यह भी मालूम न हो कि ज़िन्दा है या मरगया है।
मुफ़्लिस :– मुफ़्लिस वह है न उसके पास रूपया है न सामान।
मकरूहे तहरीमी :– जिसकी मुमानअ़त दलीले ज़न्नी से लुज़ूमन स़ाबित हो, यह वाजिब का मुक़ाबिल है।
मकरूहे तन्ज़ीही :– वह अ़मल जिसे शरीअ़त ना'पसन्द रखे मगर उस अ़मल पर शरीअ़त की तरफ़ से अज़ाब की वईद न हो, यह सुन्नते ग़ैर मोअक्कदा के मुक़ाबिल है।
मुकरेह :– मजबूर करने वाला।
मुकरह :– जिसे मजबूर किया जाये।
मकफ़ूल बिही :– जिस चीज़ की कफ़ालत की वह मकफ़ूल बिही है।
मकफ़ूल अ़न्हु :– जिसपर मुत़ालबा है (यानी मक़रूज़) वह असील व मकफ़ूल अ़न्हु है।
मकफ़ूल लहू :– जिसका मुत़ालबा है उसको त़ालिब व मकफ़ूल लहू (दाइन) कहते हैं।
मकील :– नाप से बिकने वाली चीज़ें।
मुल्तक़ित :– गिरी पड़ी चीज़ या लक़ीत़ के उठाने वाले को मुल्तक़ित कहते हैं।
मुनासख़ा :– इल्मे फ़राइज़ की इस्त़िलाह में इससे मुराद यह है कि मय्यित के तर्के की तक़सीम से पहले ही अगर किसी वारिस् का इन्तिक़ाल होजाये तो उसका हिस़्स़ा उसके वारिसों की तरफ़ मुन्तक़िल करदिया जाये।
मन्दूब :– ऐसा फ़ेअ़्ल जिसका करना बाइसे सवाब हो और तर्क करना (यानी छोड़ना) बुरा न हो।
मुनक़्क़िला :– वह ज़ख़्म जिसमें सर की हड्डी टूटकर हट जाये।
मनीहा :– उस जानवर को कहते हैं जो दूसरे ने उसे इसलिये दिया है कि यह कुछ दिनों उसके दूध वग़ैरह से फ़ायदा उठाये फिर मालिक को वापस करदे।
मवात :– वह ज़मीन जो आबादी से फ़ासिले पर हो, न किसी की मिल्क हो और न किसी की हक़्क़े ख़ास हो।
मूजिर :– आजिर को मूजिर भी कहते हैं।
मूदेअ़ :– जिस शख़्स़ ने हिफ़ाज़त के लिये कोई चीज़ किसी के पास रखदी जिसकी चीज़ है उसे मूदेअ़ कहते हैं।
मूदअ़ :– जिसकी हिफ़ाजत में (वदीअ़त शुदा चीज़) दीगई उसे मूदअ़ कहते हैं।
मौज़ून :– वज़न से बिकने वाली चीज़ें।
मूस़ी :– वसि़यत करने वाला यानी जो किसी शख़्स़ को अपनी वसि़यत पूरी करने के लिये मुक़र्रर करे।
मूस़ा बिही :– जिस चीज़ की वसि़यत की जाये वह मूस़ा बिही कहलाती है।
मूस़ा'लहू :– जिसके लिये माल वग़ैरह देने की वसि़यत कीजाये उसको मूस़ा'लहू कहते हैं।
मूदेहा :– वह ज़ख़्म जिसमें सर की हड्डी नज़र आजाये।
मौक़ूज़ह :– वह जानवर जो चोट खाने से मरा हो।
मोअक्किल :– वकील करने वाला।
मौलल'मवालात :– एक शख़्स़ आ़क़िल, बालिग़ किसी के हाथ पर मुशर्रफ़ ब'इस्लाम हुआ उस नो मुस्लिम ने उससे या किसी दूसरे से मवालात की यानी यह कहा कि अगर मैं मरजाऊँ तो मेरा वारिस् तू है और मुझ से कोई जनायत हो तो दियत तुझे देनी होगी उसने क़बूल करलिया यह मवालात स़हीह है इसका नाम मौलल'मवालात है।
मौलल'इताक़ा :– इसे अ़स्बा सबबी भी कहते हैं।
मौहूब :– वह चीज़ जो हिबा (तोहफ़े) में दीजाये।
मौहूब'लहू :– जिसको हिबा दिया जाये उसे मौहूब'लहू कहते हैं।

'न' 'ن' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़

नजश :– कोई शख़्स़ मबीअ़ (बेची जाने वाली चीज़) की क़ीमत बढाये और ख़ुद ख़रीदने का इरादा न रखता हो उससे मक़सूद यह होता है कि दूसरे ग्राहक को रग़बत पैदा हो और क़ीमत से ज़्यादा देकर ख़रीदले और यह हक़ीक़तन ख़रीदार को धोका देना है।

नह्र :– (ऊँट के) हल्क़ के आख़िरी हिस्से में नेज़ा वग़ैरह भोंक कर (दाख़िल करके) रगें काटदेना।
नज़्र :– इस्तिलाहे शरअ़ में वह इबादते मक़सूदा है जो जिन्से वाजिब से हो और वह ख़ुद बन्दे पर वाजिब न हो, मगर बन्दे ने अपने क़ौल से उसे अपने ज़िम्मे उसे वाजिब करलिया हो मसलन यह कहा कि मेरा यह काम होजाये तो दस रकात नफ़्ल अदा करूँगा इसे नज़्रे शरई कहते हैं।
नज़्रे उरफ़ी :– अल्लाह के वलियों के नाम की जो नज़्र मानी जाती है उसे नज़्रे (उरफ़ी और) लुग़वी कहते हैं इसका माना नज़राना है जैसे कोई शागिर्द अपने उस्ताद से कहे कि यह आप की नज़्र है यह बिल कुल जाइज़ है यह बन्दों की होसकती है मगर इसका पूरा करना शरअ़न वाजिब नहीं मसलन ग्यारहवी शरीफ़ की नज़्र और फ़ातिहा बुज़ुर्गाने दीन वग़ैरह।
नज़्रे लुग़वी :– नज़्रे उरफ़ी को नज़्रे लुग़वी भी कहते हैं।
निस्बते तबायुन :– अगर दो मुख़्तलिफ़ अ़दद इस किस्म के हों कि न तो वह आपस में एक दूसरे को काटें (तक़सीम करें) और न ही कोई तीसरा उनको काटे तो उन में निस्बते तबायुन है जैसे 19 और 10.
निस्बते तदाख़ुल :– दो मुख़्तलिफ़ अ़ददों में छोटा अ़दद अगर बड़े को काटदे यानी बड़ा छोटे पर पूरा पूरा तक़सीम होजाये तो उन दोनों में निस्बते तदाख़ुल है जैसे 16 और 4.
निस्बते तमासुल :– अगर दो अ़दद आपस में बराबर हैं तो उन में निस्बते तमासुल है जैसे 4=4 ।
निस्बते तवाफ़ुक़ :– दो मुख़्तलिफ़ अ़ददों में से अगर छोटा बडे को न काटे बल्कि एक तीसरा अ़दद दोनों को काटे तो उन दोनों में निस्बते तवाफ़ुक़ होगी जैसे 8 और 20 कि इन्हें चार काटता है।
नतीहा :– वह जानवर जो किसी जानवर के सींग मारने की वजह से मरगया हो।
निफ़ास :– वह ख़ून जो बालिग़ा औरत के आगे के मकाम से बच्चा पैदा होने के बाद निकलता है।
नफ़क़ा :– नफ़क़ा से मुराद खाना, कपड़ा और रहने का मकान है।
'ग' 'و' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़
वदीअ़त :– जो माल किसी के पास हिफ़ाज़त के लिये रखा जाये उस माल को 'वदीअ़त' और 'अमानत' कहते हैं।
वसी :– वसी उस शख़्स को कहते हैं जिसको वसियत करने वाला (मूसी) अपनी वसियत पूरी करने के लिये मुक़र्रर करे।
वसियत :– बतौर एहसान किसी को अपने मरने के बाद अपने माल या मन्फ़अ़त का मालिक बनादेना।
वसियते वाजिबा :– ज़कात की वसियत और कफ़्फ़ाराते वाजिबा की वसियत और सदक़ा, रोज़ा व नमाज़ की वसियत को वसियते वाजिबा कहते हैं।
वसियते मकरूहा :– जैसे अहले फ़िस्क़ व मअ़सियत के लिये वसियत जब यह गुमान ग़ालिब हो कि वह माले वसियत गुनाह में ख़र्च करेंगे।
वसियते मुबाहा :– जैसे अग़निया यानी मालदारों के लिये वसियत करना।
वसियते मुस्तहब्बा :– वसियते वाजिबा, मकरूहा और मुबाहा के इलावा कोई और वसियत करना वसियते मुस्तहब्बा कहलाता है।
वती बिश्शुबह :– शुबह के साथ वती करना, यानी औरत से वती हलाल न हो मगर उसे किसी वजह से हलाल समझकर वती करना जैसे औरत तलाक़े मुग़ल्लज़ा की इद्दत में हो और हलाल समझकर उससे वती करले यह वती बिश्शुबह है।
वक़्फ़ :– किसी शय (चीज़) को अपनी मिल्क से ख़ारिज करके ख़ालिस अल्लाह तआ़ला की मिल्क करदेना इस तरह कि उसका नफ़ा बन्दगाने ख़ुदा में से जिसको चाहे मिलता रहे।
वली :– वली वह है जिसका हुक्म दूसरे पर चलता हो दूसरा चाहे या न चाहे।
'ग' 'ه' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़
हाशिमह :– वह ज़ख़्म जिसमें सर की हड्डी टूट जाये।
हिब्बह :– तोहफ़ा देना किसी शख़्स को एवज़ के बिग़ैर किसी चीज़ का मालिक बनादेना।
'ग' 'ی' से शुरूअ़ होने वाले लफ़्ज़
यमीन :– क़सम, ऐसा अ़क़्द जिसके ज़रीए क़सम खाने वाला किसी काम के करने या न करने का पुख़्ता इरादा करता है।

बहारे शरीअत हिस्सा 1 से 20 तक के कुछ मुश्किल अलफ़ाज़ और उनके माना

('अ' और 'इ' ।) से शुरूअ् होने वाले शब्द

अबदी : जो हमेशा रहे, **इजमालन** : मुख़्तसरन। **अख़लाके रज़ीला** : बुरी आदतें। **इस्तिहज़ा** : हंसी, मजाक ठठ्ठा करना। **उलुल'अज़्म** : बलन्द व बाला, इज़्ज़त व अज़मत और हौसले वाले। **इन्स** : इन्सान। **अफ़ज़लुल'इबादात** : तमाम इबादतों से अफ़ज़ल। **अकारत** : ज़ायेअ्, बर्बाद। **अदक़** : निहायत मुश्किल। **अंगुश्तरी** : अंगूठी। **अख़बसुन्नास** : लोगों मे ख़बीसतरीन। **इआदा** : दोबारा अदा करना। **अन्देशा** : फ़िक्र, ख़ौफ़, ख़याल। **इत्तिबाअ्** : पैरवी करना। **ओझल** : पोशीदा। **अगल बगल** : आसपास।

ईंधन : जलाने की चीज़। **इदराक** : इहाता करना, पाना, दरयाफ़्त करना। **उलूहियत** : मअ्बूद होना। **अख़लाके फ़ाज़िला** : अच्छी आदतें। **अबुल'बशर** : सब इन्सानों के बाप मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। **इस्लाह'पज़ीर** : इस्लाह कबूल करने वाला। **अहकामे तबलीग़िया** : अहकामे शरीअत। **एअ्तिक़ादे'अज़मत** : क़द्र व मन्ज़िलत का अक़ीदा। **अहकामे तशरीईया** : शरई अहकाम। **अलम** : दर्द। **अजज़ाये अस्लिया** : असली अजज़ा। **अबदुल'अबाद** : हमेशा। **अज़ल** : जो हमेशा से हो। **इल्तिफ़ात** : मुतवज्जेह होना। **इत्तिसाल** : मिलाप। **इम्तियाज़** : फ़र्क़, तर्जीह। **इल्तिज़ाम** : किसी बात को लाज़िम करलेना, ज़रूरी करलेना। **इश्ग़ाल** : काम, मशगूल होना। **अफ़शां** : सोने चाँदी का बुरादा या मुकय्यश की बारीक कतरन।

इस्तेहक़ाक़ : हक़ तलब करना, **इक़ामत** : क़याम करना, ठहरना। **इक़्तिदा–ए–ज़न** : औरतों का मुक़तदी होना। **अदईया** : दुआयें। **इहतमाम** : मुकम्मल करना। **उम्मी** : अनपढ़। हुज़ूर के लिये जब उम्मी बोला जायेगा तो उसके माना होंगे 'जिसने किसी से लिखना पढ़ना न सीखा हो। **एअ्राबी ग़ल्तियां** : ज़बर, ज़ेर, पेश की ग़ल्तियां। **ऊला** : पहला। **अहवाल** : हौल की जमा, ख़ौफ़, घबराहट। **अगर** : एक किस्म की लकडी जो जलाने से ख़ुशबू देती है। **इस्तेहबाब** : मुस्तहब होना। **इफ़ाक़ा** : मर्ज़ में कमी। **इबाहत** : जाइज़ करदेना, मुबाह करदेना। **अव्वल, अव्वल** : शुरूअ् में, आगे आगे। **इस्तिख़फ़ाफ़** : हल्का समझना, हक़ीर समझना। **इर्तिदाद** : मुर्तद होना। **इन्तिशार** : शहवत, तितर बितर होना। **इक्तिफ़ा** : काफ़ी समझना, किफ़ायत करना। **परा** : सफ़। **अजीर** : उजरत पर काम करने वाला। **इस्मे जलालत** : अल्लाह तआला का नाम। **इआनत** : मदद। **इक्तिसार** : इक्तिफ़ा। **इन्हिराफ़** : फिर जाना। **औला** : बेहतर। **असना–ए–ख़ुतबा** : ख़ुतबे के दौरान। **इख़्तिलात** : मेल, जोल। **अंख्यारा** : आँखों वाला। **अज़दहाम** भीड़। **इमामते ज़नां** : औरतों की इमामत। **अफ़वाह** : बे अस्ल बात। **अन्जान** : ना'वाकिफ़। **इज़्न** : इजाज़त। **अय्यामे'नहर** : कुर्बानी के दिन। **औन्धा लेटना** : पेट के बल लेटना। **अपाहिज** : लूला, लंगडा। **औराद** : वज़इफ़। **इआदा** : लौटाना। **अदना** : कम से कम। **अस्तर** : नीचे की तह। **अस्तबल** : घोड़े बान्धने की जगह। **ईमान बिल'ग़ैब** : ग़ैब पर ईमान लाना। **अअ्जूबा** : अजीब चीज़। **असनाफ़** : किस्में। **अब्र** : बादल। **अज़कार** : वज़ाइफ़। **असमा–ए–तय्यिबा** : पाकीज़ा नाम। **अज़कारे तवीला** : बड़े बड़े वज़ाइफ़। **अइज़्ज़ा** अजीज की जमा, रिश्तेदार। **अचकन** : एक लिबास जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है। **उन्स्यैन** : ख़ुसये, फोते। **असनाए अज़ान** : अज़ान के दौरान। **इज़्दहाम** : भीड़। **असनाए नमाज़** : नमाज़ के दौरान। **अबरा** : ऊपर की तह। **उफ़तां व ख़ेज़ां** : गिरत पड़ते, बदहवासी की हालत में। **इत्तिबाए हक़** : हक़ की पैरवी। **इस्तिमदाद** : मदद चाहना। **इज्तिाअ् व फ़िराक़** : मजमा व तन्हाई। **अमरद** : वह लड़का या मर्द जिसको देखने या छूने से शहवत पैदा होती है। **ब'तरीके मसनून** : सुन्नत के मुताबिक़। **औलिय–ए–मय्यित** : मरने वाले के सर'परस्त। **उगलदान** : थूकने का बर्तन। **आतिशज़दगी** : आग लगने। **इज़्न** : इजाज़त, **इग़लाम** : लड़कों के साथ बदफ़ेली करना, **इआनत** : मदद करना, **अम्र** : बात, हुक्म, **अहवत** : ज़्यादा मोहतात। **इआदा किया** : दोहराया। **उमूर** : मुआमलात। **औलिया** : वली की जमा, सरपरस्त। **इन्ज़ाल** : मनी का निकलना। **अरज़ानी** : सस्ताई। **एअ्ज़ाज़** : इज़्ज़त, मरतबा। **अन्देशा** : फ़िक्र, ख़ौफ़, खटका। **असासुल'बैत** : घरेलू सामान। **अपाहिज** : चलने फिरने से माज़ूर। **इत्तिसाल** : मिला हुआ होना। **अन्दामे नहानी** : औरत की शर्मगाह। **इज़ाफ़त** : निस्बत। **उसूल** : यानी माँ, बाप, दादा, दादी वग़ैरह। **इस्तिहज़ा** : मज़ाक़ करना। **असील** : जो अपना मुआमला खुद तय करे। **उन्स्यैन** : ख़ुसिये। **इफ़ाक़ा** : मर्ज़ में कमी। **इख़्तियारे फ़स्ख़** : ख़त्म करने का इख़्तियार। **अस्बाब** : साज़ व सामान। **असरे बद** : बुरा असर। **अक़ल्ल** : सबसे कम। **इर्स** : मीरास। **अंख्यारा** : सहीह नजर वाला। **अग़निया** : मालदार लोग। **असना–ए–मुद्दत** : दौराने मुद्दत। **एहतियाज** : ज़रूरत। **एच, पेच** : मकर व फ़रेब वाली। **उमरा** : अमीर लोग। **इदराक** : समझ'बूझ। **एअ्राज़** : रूगर्दानी करना। **अन्सब** : ज़्यादा मुनासिब। **अदना दर्जा** : कम दर्जा। **अमलाक व अमवाल** : माल व जायदाद। **इज्तिनाब** : किनारा'कशी, एहतिराज। **अकारत** : जायेअ्। **इस्तिब्दाल** : बाहमी तबादला। **असनाए साल** : दौराने साल। **उमूरे ख़ैर** : भलाई के काम। **इम्तिदादे जुनून** : जुनून का तवील होना। **इम्तियाज़** : फ़र्क़। **इमला** : लिखवाना। **ईफ़ा करना** : पूरा करना। **एहतिकार** : ग़ल्ला रोकना, जख़ीरा अन्दोजी करना। **इबरा** : मुआफ़ करना। **अज़'सरे नो** : नये सिरे से। **इमज़ा** : नाफ़िज़ करना। **औसत** : दरम्याना, दरम्यानी। **अन्देशानाक** : ख़तरनाक। **उम्मुल'ख़बाइस** : बुराईयों की जड़। **इत्तिहाम** : तोहमत लगाना। **इन्सिदाद** : रोकथाम। **अतवार** : आदतें। **इक्तिफ़ा** : किफ़ायत, कनाअत। **इन्क़िताअ्** : मुन्क़तेअ् होना। **इन्तिफ़ा** : नफ़ा हासिल करना। **असासा** : माल व असबाब।

असह. : ज्यादा सहीह। **असनाफ़** : अकसाम। **इश्तिबाह** : शक व शुबह। **अबरा** : दोहरे कपड़े की ऊपर वाली तह। **उममे साबिक़ा** : गुजश्ता उम्मतें, पहली उम्मतें। **इस्क़ात** : साकित करना, बरकरार न रखना। **इन्तिसाब** : मन्सूब। **इन्ज़िबात** : पैवस्तगी। **इस्तेहक़ाक़** : किसी का हक साबित होना। **इसालतन** : ब'ज़ाते खुद। **इन्तिक़ाले दैन** : दैन (क़र्ज) की मुन्तक़ली। **इज्तिमाअ़** : इकट्ठा होना। **एहतियात का मुक़तज़ी** : एहतियात का तक़ाज़ा। **अटकल पच्चू** : ऊट पटांग। **अहले शहादत** : जो गवाही देने के काबिल हो। **अमीन** : जिसके पास अमानत रखी जाये। **इतलाफ़े माल** : माल का ज़ाऐअ़ करना। **अम्लाके मुरसला** : वह जायदाद जिसमें मिल्कियत का दावा किया जाये और मिल्कियत का सबब बयान न किया जाये। **अरबाबे हाजत** : जरूरत'मन्द लोग। **अहदुज़्ज़ौजैन** : मियाँ बीवी में से एक। **अशरफ़ी** : सोने का सिक्का। **इख़्तियारे ताम्म** : मुकम्मल इख़्तियार। **अजीर** : उजरत पर काम करने वाला। **इन्बिसात** : खुशी। **अक़रिबा** : अक़ारिब क़रीबी रिश्तेदार। **इज़्न** : इजाज़त। **अहबाब** : दोस्त। **एहतिराज़** : बचना। **उख़रवी** : आख़िरत से मुतअल्लिक़। **अम्र** : बात, हुक्म, मुआमला। **औलिया** : शरई या कानूनी सर'परस्त। **इश्तिग़ाल** : मशगूल होना। **इजाबत** : क़बूल करना। **एहतिमाल** : शक। **इज़ाफ़त** : निस्बत। **इस्तीफ़ा** : पूरा करना। **इन्सिदाद** : रोकथाम। **इख़्तियारे** : फस्ख़ किसी मुआमले को खत्म करने का इख़्तियार। **इलहाह** : मिन्नत समाजत करना। **इस्तेअ़दाद** : क़ाबिलियत। **इफ़रात व तफ़रीत** : कमी, बेशी, गैर मोअतदिल हालात। **अफ़लास** : तंग'दस्ती। **इज़ाला** : जाइल करना, दूर करना, मिटाना। **अअ़रज** : लंगड़ा। **अअ़मश** : कमजोर निगाह वाला। **अहवल** : भेंगा, टेढ़ी आँख वाला। **उलफ़त** : मोहब्बत। **इबहाम** : पोशीदा। **इन्हिदाम** : गिराना, मिस्मार करना। **अन्देशा** : गुमान। **ईसा** : वसियत करना। **अक़रब** : क़रीबी रिश्तेदार। **इर्तिदाद** : मुर्तद होना। **इस्तिक़रा** : तलाश, जुस्तजू, गौर व फ़िक्र। **उचक्का** : उचक लेने वाला, चोर। **उधेड़ना** : खोलना। **इख़्तिराअ़** : मनघड़त। **औराम** : वरम की जमा, सूजन। **अअ़मा** : अन्धा। **इकराम** : इज़्ज़त व एहतिराम। **अआ़जिम** : अजमी लोग, गैर अरबी लोग। **इस्तिग़ासा** : फ़रयाद। **अखाड़ा** : कुश्ती का मैदान। **अबअ़द** : ज्यादा दूर। **अनगिन्त** : बेशुमार। **अकहरी** : यकतरफ़ा।

(आ ا) से शुरूअ़ होने वाले शब्द

आँख के कोये : नाक की तरफ़ आँख का कोना। **आड़ा** : तिर्छा। **आयाते दुआईया व सनाईया** : वह आयत जिनमें दुआओं और अल्लाह तआला की हम्द व सना का जिक्र है। **आबरू** : इज़्ज़त। **आमेज़िश** : मिलावट। **आतिशज़दगी** : आग लगने। **आसाइश** : आराम, सुकून। **आफ़ताब ढलकने** : जवाल पजीर होना। **आहट** : पाँव की आवाज़। **आलाते हर्ब** : लड़ाई के हथयार। **आफ़ताबा** : दस्ता लगा हुआ लोटा। **आलूदा** : नापाक, नजिस, लुथड़ा हुआ। **आंचल** : दोपट्टे का पल्लू। **आजाद कुनिन्दा** : आजाद करने वाला। **आमद व रफ़्त** : आना जाना। **आफ़ते समावी** : कुदरती आफ़त। **आंचल** : दोपट्टे का सिरा, दामन का किनारा। **आढ़त** : एजेन्सी वह जगह जहाँ सौदागरों का माल कमीशन लेकर बेचा जाता है। **आमादा ब'फ़साद** : लड़ाई झगड़े पर तैयार होना। **आतिशकदा** : मजूसियों का इबादतख़ाना। **आढ़ती** : कमीशन लेकर माल बेचने वाला। **आड़** : रुकावट। **आलाम मसाइब** : तकालीफ़। **आफ़त** : मुसीबत। **आलाम** : अलम की जमा रन्ज व ग़म। **आफ़ताब** : सूरज। **आमेज़िश** : मिलावट। **आब'पाशी** : जमीन को पानी देना। **आबरू** : इसमत, इज़्ज़त। **आसारे रुजूलियत** : मर्द होने की निशानियाँ। **आसूदा** : जिसकी भूक मिटचुकी हो।

('ब' ب)से शुरूअ़ होने वाले शब्द

बालाई : ऊपरी। **बेहिस** : जिसको किसी का एहसास न हो, जो हरकत न करसके। **ब'दर्जहा** : बहुत ज्यादा कई दर्जे। **बाज़ पुर्स** : पूछगछ। **बच्ची** : वह बाल जो ठोढ़ी और होन्ठ के बीच में होते हैं। **बेबाक** : बेख़ौफ़, बेहया। **बालाख़ाना** : ऊपर वाला हिस्सा। **बे'गुबार व बुख़ार** : बुख़ारात और गर्द के बिग़ैर। **बराहे जहल** : ना'वाक़िफ़ी, जिहालत की बिना पर। **बन्दिश** : गिरह। **भड़का** : मुश्तइल होना। **ब'गोशे** : दिल तवज्जोह से। **बिदका** : डरकर चौंकना। **बाक़ला** : लोबिया। **भोंक देना** : घोंपना। **बिऐनिही** : इसी तरह। **बिस्तम** : बीस। **बुरहान** : दलील। **ब'नज़रे'हिक़ारत** : तौहीन की नज़र से। **बेआबरूई** : बेइज़्ज़ती। **बराहे इख़्तिसार** : मुख़्तसर करने के लिये। **बरीउज़्ज़म्मा** : ज़िम्मेदारी से बरी। **बेरीश** : दाढ़ी के बिगैर। **बत़** : बतख़। **ब'मुजिब** : मुताबिक़। **बिला तअम्मुल** : बे'सोचे समझे। **बराअ़त** : निजात, छुटकारा। **बार** : बोझ। **बस्ता** : जमा हुआ। **बदले किताबत** : वह माल जिसके बदले मुकातब गुलाम को आज़ादी मिले। **भाल** : बरछी का फल। **बैरून** : बाहर। **बटा** : बल दिया, लपेटा। **बद्दू** : अरब के ख़ाना ब'दोश लोग। **बादयान** : सौंफ़। **बे'दस्त व पा** : हाथ पाँव के बिगैर। **ब'ख़ौफ़े ततवील** : तवालत के ख़ौफ़ से। **बुलाक़** : एक जेवर जो कि नाक में पहनते हैं। **बम** : घोड़ा गाड़ी का बास जिसमें घोड़ा जोता जाता है। **बदले ख़ुला** : वह माल जिसके बदले में निकाह जाइल किया जाये। **बित्तख़्सीस** : खुसूसियत के साथ। **बिला तकल्लुफ़** : बे रोक टोक। **बशाशत** : खुशी। **बजरा** : एक किस्म की गोल और ख़ूबसूरत कश्ती। **बिल'अक्स** : खिलाफ़। **ब'उज़्र** : उज़्र के साथ। **बैअ़ व शिरा** : ख़रीद व फ़रोख़्त। **ब'दिक़्क़त** : मुश्किल से। **बुक़ची** : कपड़ों की छोटी गठरी। **बिलकुल सिम्ते रास** : बिलकुल सर के ऊपर। **बहली का खटोला** : बैलों की छोटी गाड़ी। **तम्लीक** : मालिक बनादेना। **बौल व बराज़** : पेशाब व पाख़ाना। **बहाइम** : चौपाय। **बि'फ़ज़्लिही तआला** : अल्लाह तआला के फ़ज़्ल से। **बुन्दकियां** : छींटे। **बुका** : रोना। **बिला'सौत** : बिगैर आवाज़। **बेश क़ीमत** : ज्यादा क़ीमत। **बय्यन** : वाज़ेह, साफ़। **बेख़ कनी करना** : यानी जड़ काटना। **बुलूग़** : बालिग़ होना। **बद ख़ुल्क़ी** : बद अख़लाक़ी। **बाइसे** नंग व

आर : बे इज़्ज़ती व रुसवाई का सबब। **बयक अक़्द** : एक ही अक़्द के साथ। **ब'दरजहा** : कई गुना, बहुत ज़्यादा। **बादे इत्क़** : आज़ादी के बाद। **ब'नज़रे एहतियात** : एहतियात का लिहाज़ करते हुए। **बुत परस्त** : बुतों की पूजा करने वाला। **बदून** : बिग़ैर। **ब'लफ़्ज़े शहादत** : गवाही के लफ़्ज़ के साथ। **बन** : जंगल। **बिला हाइल** : बिग़ैर आड़ के। **बुग्ज़** : नफ़रत, दुशमनी। **बन्दिश** : बन्धन, गिरह। **बिला क़स्द** : इरादे के बिग़ैर। **बाग** : लगाम। **ब'तीबे ख़ातिर** : ख़ुश दिली से। **ब'मन्ज़िलए ग़स्ब** : ग़स्ब के क़ाइम मक़ाम। **बद मस्त** : नशे में धुत। **बुकारत** : कुंवारापन। **बर बिनाए एहतियात** : एहतियाती तौर पर। **बद ख़ुल्क़** : बुरे अख़लाक़ वाला। **बलाए जान** : जान के लिये मुसीबत। **बुटना लगाना** : उब्टन लगाना। **बेश्तर** : ज़्यादा। **ब'क़दरे किफ़ायत** : जितनी मिक़दार काफ़ी हो। **बद बातिनी** : दिल की बुराई। **बिल'क़स्द** : इरादतन। **बशारत** : ख़ुशख़बरी। **बलादे इस्लामिया** : इस्लामी ममालिक। **बरीउज़्ज़िम्मा** : सुबुकदोश। **बहुतेरे** : बहुत से। **बुशरह** : चेहरा। **बाज़ पुर्स** : पूछ गछ। **बि'ऐनिही** : बिलकुल उसी तरह। **बदूने दावा** : दावा के बिग़ैर। **बिला मीआद** : मुद्दत के बिग़ैर। **बय्यिना** : गवाह। **बराअत** : निजात, छुटकारा। **बान्दी** : लौन्डी। **ब'मुक़तज़ाए कफ़ालत** : किफ़ालत के तक़ाज़े के मुताबिक़। **ब'मन्ज़िलाए बैअ्** : ख़रीद व फ़रोख़्त के क़ाइम मक़ाम। **बि'शर्तिल'एवज़** : बदले की शर्त के साथ। **बद असरात** : बुरे असरात। **बे वक़अती** : बे क़दरी। **बेबाक़** : अदा करदेना। **भेस** : रूप। **बावला** : पागल। **बाइअ्** : फ़रोख़्त करने वाला। **बैते मुअय्यन** : मख़्सूस कमरा। **बदीही बात** : वाज़ेह बात। **बाइसे निज़ाअ्** : झगड़े का सबब। **बेजा** : ना'मुनासिब। **बे महल** : बे मौक़ा। **बखूर करना** : धूनी लेना। **बिला तक़दीम व ताख़ीर** : आगे पीछे किये बिग़ैर।

('प' پ से शुरूअ् होने वाले शब्द)

पैहम : लगातार। **पछताना** : अफ़सोस करना। **पय दर पय** : लगातार। **पायेंती** : क़दमों की जानिब। **पासदारी** : लिहाज़, मुरव्वत। **पैरूए शैतान** : शैतान के पैरूकार। **पायताबा** : जुर्राब। **पाल्ती मारना** : चारज़ानू बैठना। **परागन्दा** : परेशान। **पसे पुश्त** : पीछे। **परगना** : ज़िला का हिस्सा। **पालेज़** : खेत। **पहुँचियां** : एक ज़ेवर जो कलाई में पहना जाता है। **पली** : तेल या घी निकालने का आला। **फुरैरी** : रुई का टुकड़ा। **प्यादा** : पैदल। **प्याल** : चावल का भुस। **पपोटों** : जिस्म का वह हिस्सा जो आँख से मिला होता है। **पयर** : अनाज साफ़ करने की जगह। **पुरसाने हाल** : हाल पूछने वाला, मददगार। **पुश्ते दस्त** : हाथ की उल्टी तरफ़। **पेश्तर** : पहले। **पै'दरपै** : लगातार। **पहलूतिही** : किनाराकशी। **पोस्तीन** : खाल का कोट। **पालकी** : डोली। **पुजारी** : मन्दिर वग़ैरह का पुजारी। **पालेज़** : ख़रबूज़ा, तरबूज़ वग़ैरह का खेत। **पौन्ड** : सोलाह औन्स, आधा किलो कुछ कम वज़न। **पुट्ठे** : जानवर की दुम के ऊपर वाला हिस्सा। **पोत** : सूराख़ वाला शीशे का छोटा दाना जो मोती की तरह होता है। **पारसा** : मुत्तक़ी, परहेज़गार। **पन्च** : हकम, फ़ैसला करने वाला। **परत** : काग़ज़। **परस्तिश** : इबादत करना। **पेड़** : दरख़्त। **परदेस** : दूसरा मुल्क। **पत्तर** : धात की चादर। **पघा** : वह लम्बी रस्सी जो गले से जुदा होने या भटक जाने वाले जानवर के पिछले पाँव में बान्धकर चरने को छोड़ा जाता है। **परनाला** : बालाख़ाने या छत की नाली। **पन्सारी** : देसी दवाईयां, जड़ी'बूटी बेचने वाला। **पेश्तर** : पहले। **पहलूतही** : किनाराकशी। **पछीत** : मकान की पिछली दीवार। **पेड़** : दरख़्त। **पारसाई** : पाकदामनी। **पलाऊ** : पाला हुआ। **पछाड़ना** : ज़मीन पर पटखदेना।

('त' ت से शुरूअ् होने वाले शब्द)

तकफ़ीर : काफ़िर क़रार देना। **अबद** : जो हमेशा रहे। **तन्ईमे क़ब्र** : क़ब्र की नेमतें। **तज़लील** : गुमराह क़रार देना। **तहनशीन होना** : नीचे बैठ जाना। **ब'तकल्लुफ़** : तकलीफ़ उठाकर कोई काम करना। **तुख़्म** : बीज। **तकियादार** : क़ब्रिस्तान की निगरानी करने वाला। **तन्क़ीस** : घटाना, कम करना। **तौक़ीतदाँ** : इल्मे तौक़ीत का जानने वाला। **तअर्रुज़** : सामने आना, रोकना। **तारिक** : छोड़ने वाला। **तजहीज़ व तकफ़ीन** : मुर्दे के कफ़न दफ़्न का इन्तिज़ाम। **तसल्लुत** : ग़ल्बा। **तख़्मीना** : अन्दाज़ा। **तफ़सीक़** : फ़ासिक़ क़रार देना। **तरतील** : हुरूफ़ को ठहर ठहरकर अदा करना। **तहलील** : लाइला'ह इल्लल्लाह पढ़ना। **तज़ल्लुल** : आजिज़ी करना, अपने आप को हक़ीर समझना। **तआरुज़** : दो चीज़ों का आपस में मुख़ालिफ़ होना। **तहते तसर्रुफ़** : इख़्तियार में। **तवंगर** : दौलत, अमीर, मालदार। **तल्फ़** : ज़ाइअ्। **तकान** : थकन। **तुन्दी** : तेज़ी। **तुन्द मिज़ाज** : सख़्त मिज़ाज। **तोशा** : ज़ादे राह। **तिफ़र्क़ा** : फ़र्क़। **तक़लील** : कमी करना। **तफ़ावुत** : फ़र्क़। **तुन्द ख़ू** : सख़्त मिज़ाज। **तर्क** : छोड़ना। **तलफ़्फ़ुज़** : लफ़्ज़ का मुँह से अदा करना। **तहफ़्फ़ुज़** : हिफ़ाज़त। **तवस्सुत** : दरम्याना। **तमव्वुल** : मालदारी, दौलतमन्दी। **तफ़रीक़** : जुदाई। **तम्लीक** : मालिक बनाना। **तसल्लुत** : ग़लबा। **तल्ख़** : बद'मज़ा, कड़वा। **तहालुफ़** : बाहम क़सम खाना। **तसर्रुफ़** : अमल दख़्ल, इस्तेमाल में लाना। **तोशक** : पलंग का बिछौना। **तीन रुबअ्** : चार हिस्सों में से तीन हिस्से। **तशद्दुद** : सख़्ती, ज़्यादती। **तफ़वीज़** : सिपुर्द करना। **तजहीज़ व तकफ़ीन** : मय्यित के कफ़न दफ़न का बन्दोबस्त करना। **तसद्दुक़** : सदक़ा देना। **तदारुक** : तलाफ़ी। **तमस्ख़ुर** : मज़ाक़ उड़ाना। **तोशा** : रास्ते का ख़र्च। **तमामियत** : मुकम्मल होना। **तमत्तोअ्** : लुत्फ़ उठाना, फ़ायदा हासिल करना। **तग़ईरे शरअ्** : शरई हुक्म का बदलना। **तअ्मीम** : आम करना। **तल्फ़** : ज़ाइअ्। **तहम्मुल** : बर्दाश्त। **तमादी** : अरसए'दराज़ **तादीब** : अदब सिखाना। **तकज़ीब** : झुटलाना। **तअद्दुद** : तअ्दाद में ज़्यादा होना। **तज़य्युन** : बनाव श्रंगार। **तौकील** : वकील बनाना। **ताबेअ्** : मातहत। **तुर्शरुई** : बद'मिज़ाजी, ग़ज़बनाक होना। **तअर्रुज़** : बेजा मुदाख़लत। **तहक़ीर** :बेहुरमती, बेअदबी, तौहीन। **तज़किायाए शुहूद** : गवाहों की जांच पड़ताल। **तसादुक़** : एक दूसरे की तस्दीक़ करना। **तफ़ावुत** : फ़र्क़,

इख़्तिलाफ़। **तौलियत** : माले वक़्फ़ की निगरानी करना। **तबर्रोअ़** : एहसान, बख़्शिश। **तनाक़ुज़** : तआरुज़, तज़ाद, इख़्तिलाफ़। **तअ़लीक़ी वज़ीफ़ा** : ऐसा वज़ीफ़ा जो किसी शर्त पर मोअल्लक़ हो। **तिश्ना** : अधूरा, ना'मुकम्मल। **तर्मीम** : तग़ईर व तब्दीली। **तख़य्युल** : तसव्वुर, क़यास। **तकर्रुर** : मुक़र्रर करना। **तवंगर** : मालदार, अमीर। **थोड़े दाम** : मामूली क़ीमत। **ततव्वोअ़** : नफ़्ल के तौर पर। **तशहीर** : एअ़लान करना। **तसरीह** : साफ़ और वाज़ेह। **तमल्लुक** : मालिक बनना। **तग़य्युर** : तब्दीली। **तत्बीक़** : मुताबक़त। **तहकीम** : किसी को हकम बनाना। **तक़ाज़ा** : मुतालबा। **तराज़ी** : बाहमी रज़ामन्दी। **तअ़द्दी** : ज़्यादती। **तर्दीद** : किसी बात को रद करना। **तब्अ़न** : ताबेअ़ होकर। **तसर्रुफ़** : ख़र्च करना। **तसद्दुक़** : सदक़ा देना। **तमामियत** : तमाम होना। **तुज्जार** : ताजिर लोग। **तअ़द्दी** : ज़्यादती, **बेजा** : तसर्रुफ़। **तरद्दुद** : शक व शुबह। **तअ़फ़्फ़ुन** : बदबू। **तक़र्रुब** : नज़्दीकी। **तस्कीन** : इत्मिनान। **तर्कीब** : तदबीर। **तहर्री** : ग़ौर व फ़िक्र। **तग़ाफ़ुल** : बेतवज्जोही। **तमक्कुन** : क़ुदरत, क़ब्ज़ा, मुम्किन होना। **तम्लीक** : मालिक बनाना। **तलफ़** : ज़ाइअ़। **तकज़ीब** : झुटलाना। **तुर्श'रूई** : बद'मिज़ाजी। **तअ़मीम** : आम करना। **तसरीह** : वाज़ेह करना। **तग़य्युर** : तब्दीली। **तिहाई** : तीसरा हिस्सा। **तस्लीम** : सिपुर्द करना। **तग़ईर** : बदल देना। **तक़सीम कुनिन्दगान** : तक़सीम करने वाले। **तकल्लुफ़ात** : नुमायश, ज़ाहिरदारी। **तशब्बोह** : यानी मुशाबहत इख़्तियार करना। **थिरकना** : अअ़ज़ा को हरकत देना। **तादीब** : अदब सिखाना।

('स' ث शब्द से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

ठगना : धोके से कुछ लेलेना। **सिक़ह** : मोअ़तबर। **सिक़ले समाअ़त** : ऊँचा सुनने का मर्ज़। **सुलुस्** : तिहाई, तीसरा हिस्सा। **सुबूते मिल्क** : मिल्कियत का सुबूत। **सिक़ह** : मोअ़तबर, मोअ़तमद। **सालिस्** : फ़ैसला करने वाले। **सानी** : दूसरा।

('ज' ج शब्द से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

जमीअ़ : तमाम। **जाए इमामत** : इमामत की जगह। **जस्त** : छलांग लगाना। **जुज़्दान** : ग़िलाफ़। **जज़अ़ व फ़ज़अ़** : रोना पीटना। **जान कनी** : मौत के लमहात में सांस उखड़ना। **जहल** : बे'इल्मी। **ज़िल्क** : मुश्त'ज़नी। **जुवा** : वह लकड़ी जो गाड़ी या हल के लिये बैलों के कन्धों पर रखी जाती है। **जनाई** : दाई। **जांगुज़ा** : जान घटाने वाला। **जर्रार** : कसीर लश्कर। **जाए'निजासत** : निजासत की जगह। **जुम्बिश** : हरकत। **जौक़ जौक़** : गिरोह के गिरोह। **झिरी** : शिगाफ़। **जदाल** : झगड़ा। **जुमरुक** : कस्टम हाउस। **जहर** : ऊँची आवाज़। **जमरों** : जमरह की जमा मिना में तीन मक़ामात जहाँ कंकरियां मारी जाती हैं। **झूल** : घोड़े के ऊपर डालने का कपड़ा। **जमीअ़ मा'सिवा अल्लाह** : अल्लाह के सिवा कायनात की हर चीज़। **जिला देना** : ज़िन्दा करना। **जद्दी मुनासबत** : आबाई निस्बत। **जुगाली** : हैवानात को अपने चारे को मेअ़्दे में से निकालकर मुँह में चबाना। **जिर्मदार** : जिस्म रखने वाला। **जुनुब** : वह आदमी जिसे जिमा या एहतिलाम की वजह से ग़ुस्ल की हाजत हो। **जब्बारीन** : जब्बार की जमा, ज़ालिम'तरीन। **जवारेह** : इन्सान के हाथ पाँव और दीगर अअ़ज़ा। **जमादात** : जमाद की जमा बे'जान चीजें जैसे धात, पत्थर वग़ैरह। **जुम्लतन** : यकबारगी। **जमघटा** : हुजूम, भीड़। **जमाल** : ख़ूबसूरती। **जारिया** : लौन्डी, कनीज़। **जायदादे** ; मन्कूला वह चीज़ें जिनको दूसरी जगह मुन्तक़िल किया जासकता हो मस्लन सामान वग़ैरह। **जबरन** : ज़बर'दस्ती, मजबूर करके। **जुस्सा** : जसामत, जिस्म। **जहल** : ला'इल्मी। **जायदादे ग़ैर मन्कूला** : वह जायदाद जिसको दूसरी जगह मुन्तक़िल न किया जासकता हो मस्लन ज़मीन, मकान वग़ैरह। **जारूबकश** : झाड़ू लगाने वाला। **जहत** : सिम्त, तरफ़, सबब। **जूदत** : ख़ूबी उ़म्दगी। **जवार** : पड़ोस। **जुम्ला मसारिफ़** : तमाम अख़राजात। **जन्जाल** : मुसीबत। **जायदादे मौक़ूफ़ा** : वक़्फ़ की गई जायदाद। **जहालत** : बेइल्मी। **जिन्स** : क़िस्म। **जार** : पड़ोसी। **जब्र** : ज़बर'दस्ती। **जारेह** : ज़ख़्मी। **जुस्तजू** : तलाश। **झिल्ली** : बारीक खाल। **जायदादे मबीआ** : बेची हुई जायदाद। **जसारत** : जुरअत। **जोतना** : हल चलाना। **जुज़्दान** : वह बस्ता जिसमें क़ुर्आन मजीद रखते हैं। **जिन्से अर्ज़** : ज़मीन की क़िस्म।

('च' چ से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

चोली : ग़िलाफ़। **चाह** : कुआँ। **चुपका** : ख़ामोश। **चन्चल** : शोख़। **छुटाना** : छुड़ाना। **चर्से** : चमड़े का बड़ा डोल। **चुग़ा** : जुब्बा। **चित** : पीठ के बल लेटना। **छिदरे** : फ़ासिले, फ़ासिले से। **चाबुक** : कोड़ा। **चुंगी** : एक तरह का टैक्स। **चुन्धा** : कमज़ोर बीनाई वाला। **चर्सा** : चमड़े का डोल। **चुनाई** : ईंट या पत्थर से दीवार उठाना। **छीज** : कमी। **चालबाज़** : धोकेबाज़। **चलन** : राइज। **छाती** : पिस्तान। **चुग़ा** : जुब्बा, खाल का कोट। **चान्द मारी** : निशाने बाज़ी। **छल्ला** : एक क़िस्म की अंगूठी। **चन्दला** : गन्जा।

('ह' ح से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

हादिस् : अ़दम से वुजूद में आना। **हुदूस्** : वुजूद में आना। **हसना** : नेकी। **हरकात व सकनात** : आदत व अतवार। **हिफ़्ज़े इलाही** अल्लाह तआ़ला की अमान। **हई** : ज़िन्दा। **हिकमते बालिग़ा** : कामिल हिकमत। **हसनात** : नेकियां। **हिकम** : हिकमतें। **हसबे मरातिब** : मरतबे के मुताबिक़। **हिल्लत** : हलाल होना। **हत्तल'वुसअ़** : जहाँ तक होसके। **हिजाब** : पर्दा। **हाइल** : रोक, आड़। **हल्क़** : सर मुन्डाना। **हज्जे मबरूर** : मक़बूल हज। **हामियान** : हामी की जमा, हिमायती। **हक़्क़ुल'अ़ब्द** : बन्दे का हक़। **हत्तल'इम्कान** : जहाँ तक मुम्किन हो। **हाजते ज़ाहिरा** : ज़ाहिरी हाजत। **हश्फ़ा** : आलए'तनासुल की सुपारी। **हुर्मते नमाज़** : कोई ऐसा काम न किया हो जो नमाज़ के ख़िलाफ़ हो। **हरबी** दारुल'हर्ब में

रहने वाला। **हक्क़ानियत** : सच्चाई। **हक़गोई** : सच बोलना। **हरज** : तन्गी, सख़्ती। **हाइज़** : हैज़ वाली औरत। **हज़र** : हालते इक़ामत। **हादसए'अज़ीमा** : बड़ी आफ़त, बड़ा सानिहा। **हमाइल** : गले में डालने की चीज़ छोटे साइज़ का क़ुर्आन जिसे गले में लटकाते हैं। **हदसे अमद** : जानबूझकर बे'वुज़ू होना। **हत्तल'मक़दूर** : जहाँ तक होसके। **हज़ीं** : ग़मगीन। **हदस्** : बे'वुज़ू होना। **हाज़िक़** : अपने फ़न में माहिर, तजर्बेकार। **हुक़्ना** : किसी दवा की बत्ती या पिचकारी पीछे के मक़ाम में चढ़ाना जिससे इजाबत होजाये। **हुरमत** : इज़्ज़त, अज़मत। **हिर्फ़ा** : पेशा, हुनर। **हसब** : ख़ान्दानी मक़ाम व मर्तबा। **हुर्मते निकाह** : निकाह का हराम होना। **हल्क़** : गला। **हुर्रा** : आज़ाद औरत जो लौन्डी न हो। **हद्दे ख़मर** : शराब पीने की शरई सज़ा। **हम्माम** : गुस्लख़ाना, नहाने की जगह। **हम्माल** : बोझ लादने वाला। **हुर्रियत** : आज़ादी। **हाइल** : रुकावट। **हल्फ़** : क़सम। **हक़'तल्फ़ी** : किसी का हक़ मार लेना। **हानिस्** : क़सम तोड़ने वाला। **हुर्मते रिदाअ्** : दूध के रिश्ते की वजह से निकाह का हराम होना। **हक़्क़ुल'अब्द** : बन्दे का हक़। **हिफ़्ज़** : हिफ़ाज़त। **हिरासत** : क़ैद, गिरफ़्तारी। **हिजाब** : पर्दा। **हुक़्ना** किसी दवा की बत्ती या पिचकारी जो रफ़ए क़ब्ज़ या किसी और इलाज के लिये पीछे के मक़ाम में दीजाये। **हब्स** : क़ैद, गिरफ़्तारी। **हुर्र** : आज़ाद। **हुरमत** : हराम होना। **हब्से मदीद** : लम्बी मुद्दत की क़ैद। **हमूला** : बोझ। **हक़्क़े जवार** : हमसायगी का हक़। **हिल्म** : बुर्दबारी। **हल्क़** : गला, मून्डना। **हुर्र** : आज़ाद। **हिफ़्ज़** : हिफ़ाज़त। **हक़्क़े फस्ख़** : मन्सूख़ करना। **हिल्लत** : हलाल होना। **हुसाम** : तेज़ तलवार। **हक़्क़े क़राबत** : रिश्तेदारी का हक़। **हालिक़** : बाल मून्डने वाला। **हिरमान** : महरूमी।

('ख़' خ से शुरूअ् होने वाले शब्द)

ख़फ़ीफ़ : हल्का। **ख़स्फ़** : ज़मीन में धंसना। **ख़ुराफ़ात** : बे'हूदा बातें। **ख़ासिर** : नुक़सान उठाने वाला। **ख़ुसूफ़** : चाँद गिरहन। **ख़ल्क़** : मख़लूक़। **ख़ुल्लत** : बे'पनाह मोहब्बत। **ख़ैरुन्नास** : लोगों में से अच्छा। **ख़ातिर मलहूज़** : लिहाज़ करते हुए। **ख़तरा** : डर, ख़ौफ़। **ख़ुश'ख़्वान** : अच्छी आवाज़ से पढ़ने वाला। **ख़ाम** : कच्ची। **ख़ुर्मा** : खजूर, छुआरा। **ख़लाइक़** : ख़लीक़ा की जमा मख़्लूक़। **ख़ुदरो** : अपने आप उगा हुआ। **ख़ौफ़ और रवा रवी** : ख़ौफ़ व घबराहट। **ख़ुन्सा** : हिजड़ा। **ख़िलक़त** : पैदायशी हैयत। **ख़ुसूमत** : झगड़ा। **ख़ुद्दाम** : ख़ादिम की जमा ख़िदमत करने वाला। **ख़ुशख़ुल्क़** : अच्छे अख़लाक़। **ख़तर** : ख़ौफ़, ख़तरा। **ख़ुनकी** : ठन्डक। **ख़ुराफ़त** : बेहूदा गुफ़्तगू। **ख़ुशख़ुल्क़** : अच्छे अख़लाक़। **ख़सारा** : नुक़सान। **ख़ुरूज** : बाहर निकलना। **ख़िल्क़तन** : पैदायशी तौर पर। **ख़ुम** : शराब का मटका। **ख़िरमन** : ग़ल्ले का ढेर जिस से भुस अलग न किया गया हो। **ख़्यानत** : अमानत में ना'जाइज़ तसर्रुफ़। **ख़ाज़िन** : ख़ज़ान्ची। **ख़्यालाते फ़ासिदा** : बुरे ख़्यालात। **ख़्यार** : इख़्तियार। **ख़फ़ीफ़** : हल्का। **ख़फ़ीफ़ुल'अक़्ल** : कम अक़्ल। **ख़सम** : मद्दे मक़ाबिल। **ख़सीस** : बख़ील, हक़ीर। **ख़ुसूमत** : झगड़ा। **ख़ाइब व ख़ासिर** : महरूम व नुक़सान उठाने वाला। **ख़्यार** : इख़्तियार। **ख़ुरूज** : बाहर निकलना। **ख़्यानत** : अमानत में नाजाइज़ तसर्रुफ़। **ख़ल्त करना** : मिक्स करदेना। **ख़रीफ़** : मौसमे ख़िज़ां। **ख़ारिश्ती** : जिसे ख़ारिश की बीमारी हो। **ख़ुदसिताई** : अपनी तारीफ़ आप करना। **ख़िल्क़ा** : पैदायशी तौर पर। **ख़सारा** : नुक़सान। **ख़ुफ़या** : छुपाकर। **ख़ुसूमत** : झगड़ा। **ख़ाइब व ख़ासिर** : महरूम, और नुक़सान उठाने वाला। **ख़ुदरौ** : क़ुदरती उगने वाला। **ख़लूक़** : एक ख़ुशबू जो अम्बर, मुश्क, काफ़ूर की मिलावट से बनती है। **ख़ारिशी** : जिसे ख़ारिश की बीमारी हो। **ख़िलक़त** : बनावट, पैदायश।

('द' د से शुरूअ् होने वाले शब्द)

दस्त'बस्ता : हाथ बान्धे। **दुश्नाम** : गाली। **दमवी** : जिसमें बहता हुआ ख़ून हो। **दल'दार** : जिसका जिस्म हो। **दल** : जसामत। **दबीज़** : मोटा। **दाई** : बुलाने वाला। **दहशतनाक** : भयानक। **दक्खिन** : जुनूब की सिम्त। **दस्तगाह** : महारत। **दीवान** : अश्आर और इल्मे उ़रूज़ की किताबें। **दुहाई** : किसी को पुकारकर मदद के लिये बुलाना। **दग़ा** : धोका। **दफ़अ्** : दूर करना। **दो'चन्द** : दुगना। **दहन** : मुँह। **दरपेश** : सामने। **दालान** : बरआमदा। **दानिस्ता** : जानबूझकर। **दायें चलाना** : अनाज गाहना। **दर्दआगीं** : दर्द से भरा हुआ। **दहक़ानी** : देहाती, इससे मुराद देहात का रहने वाला नहीं बल्कि जाहिल मुराद है चाहें वह शहरी ही क्यों न हो। **दफ़ीना** : दफ़्न किया हुआ माल। **दुनिया व माफ़ीहा** : दुनिया और जो कुछ इसमें है। **दैन** : क़र्ज़। **दुनिया** : गुज़श्ती दुनिया ख़त्म होने वाली। **दस्ती** : हाथ के ज़रीए। **धान** : चावल। **दरकिनार** : एक तरफ़। **दो चित्तियां** : दो काले नुक़्ते। **दानिस्ता** : जानबूझकर। **दाम** : रूपये, पैसे। **दिक़्क़त** : दुश्वारी। **दालान** : बरआमदा। **धन** : माल व दौलत। **दर्दे ज़ेह** : बच्चा पैदा होने का दर्द। **दिल'बस्तगी** : दिल लगना। **दारुल'क़ज़ा** : अदालत। **दिलैर** : बेख़ौफ़। **दैने मीआदी** : वह दैन जिसकी अदायगी का वक़्त मुअय्यन हो। **धत** : बुरी आदत। **दरबान** : मुहाफ़िज़, चौकीदार। **दिनाअत** : कमीनगी। **दस्त ब'दस्त** : हाथों हाथ यानी नक़द। **दीनदार** : नेक आदमी। **दियानात** : दीनी मुआमलात। **दस्तावेज़** : किसी मुआम्ले का तहरीरी सुबूत। **दस्त'बरीदा** : हाथ कटा हुआ। **दावए सर्क़ा** : चोरी का दावा। **दीनी हमिय्यत** : दीनी जोश व जज़्बा, दीनी ग़ैरत। **दफ़अ़तन** : अचानक। **दलाल** : कमीशन लेकर माल बेचने वाला। **दरकार** : ज़रूरी, मतलूब। **दस्त'गर्दां** : ऐसा क़र्ज़ जो कम मुद्दत के लिये दिया जाये। **दैनदार** : मक़रूज़। **धमक** : किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़। **दुख़ूल** : हम्बिस्तरी, मुजामअत। **दो सुलुस्** : दो तिहाई तीन हिस्सों में से दो हिस्से। **दस्तावेज़** : किसी मुआमले का तहरीरी सुबूत। **दोचन्द** : दोगुना। **दिनाअत** : कमीना'पन। **दवावीन** : दीवान की जमा। **देनदार** : मक़रूज़। **दिक़्क़त** दुश्वारी। **दअ़्वाते मासूरा** : क़ुर्आन व हदीस् से मन्क़ूल दुआयें। **दमसाज़** : राज़दार।

('ड' ڈ से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

डोरा : धागा। **ढकेल** : धक्का देना। **ढेला** : मिट्टी का बड़ा टुकड़ा। **ढाल** : पस्ती।

('ज़' ذ से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

ज़ाकिरीन : ज़िक्र करने वाले। **ज़ुर्रियत** : औलाद, नस्ल। **ज़ी अ़क्ल** : अ़क्लमन्द। **ज़ी वजाहत** : मोहतरम। **ज़ी वजाहत** : साहिबे मर्तबा, मोअ़ज़्ज़। **ज़िल'यद** : क़ाबिज़ क़ब्ज़े वाला। **ज़ीइज़्ज़त** : मोअ़ज़्ज़ज़, मोहतरम। **ज़कर** : आलए तनासुल। **ज़ौक़े इल्मी** : इल्म हासिल करने का शौक़। **ज़िल'यद** : क़ाबिज़। **ज़ाबेह** : ज़िबह करने वाला। **ज़हाबे बसर** : नज़र का ख़त्म होजाना।

('र' ر से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

रफ़ीअ़ : बुलन्द, बड़ी शान वाला। **राहिन** : गिरवी रखने वाला। **रतबुल्लिसान** : बहुत तारीफ़ करने वाला। **रक़ीक़** : पतला। **रुसुल** : रसूल की जमा। **रास्तबाज़** : ईमानदार, दयानतदार। **रतूबत** : तरी, नमी। **रीह** : गैस। **राजेह** : बेहतर, ग़ालिब। **रैंखें** : मन्जन या पानों के रंग के निशान जो दाँतों में पड़जाते हैं। **रफ़ू** : फटी हुई जगह को भरना। **रवादारी** : भागदौड़ रोशनाई लिखने की स्याही। **रौन्दना** : कुचलना। **रिया** : दिखलावा। **रिफ़्स** : फ़हश कलाम। **रियासत** : सरदारी। **रू'बकिब्ला** : क़िब्ले की जानिब। **रोग़न** : पालिश। **रोज़े** : मीसाक़ वह वक़्त जब अल्लाह तआ़ला ने तमाम नबियों से हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि वसल्लम पर ईमान लाने और और हुज़ूर अ़लैहिस्सलाम की नुसरत का पुख़्ता अ़हद लिया। **रबीबा** : परवरिश में ली हुई लड़की, सौतेली माँ। **रज़ील** : घटिया, कमीना। **रुजहान** : मैलान, तवज्जोह। **राहज़नी** : डकैती। **रवादारी** : यकसां बरताव रखना। **रहन** : गिरवी। **रियाज़त** : नफ़्स'कुशी। **राहिब** : ईसाई आ़बिद, पादरी। **रिम** : काग़ज़ के बीस दस्तों का बन्डल। **रू'बरू** : आमने सामने। **रोज़नामचा** : रोज़ाना के हिसाब लिखने का रजिस्टर। **राहिन** : गिरवी रखने वाला। **रक़ीक़** : गुलाम। **रिबवी** : सूदी। **रुश्द** : होशमन्दी। **राइज** : लागू। **राइगां** : ज़ाइअ़। **रबीअ़** : मौसमे बहार। **रिया** : दिखावा। **रूहुल'क़ुदस** : जिब्रील अमीन अ़लैहिस्सलाम। **रुफ़क़ा** : रफ़ीक़ की जमा, दोस्त।

('ज़' ز से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

ज़च्चा'ख़ाना : वह मकाम जहाँ बच्चा पैदा होता है। **ज़ाइर** : ज़्यारत करने वाला। **ज़ारी** : रोना, पीटना। **ज़ल्लत** : लग़ज़िश। **ज़ज्र** : डाट'डपट। **ज़्यादते क़लीला** : थोड़ी ज़्यादती। **ज़ेरे नाफ़** : नाफ़ के नीचे। **ज़मीने मग़सूब** : ऐसी ज़मीन जिसपर ज़ब्र'दस्ती क़ब्ज़ा किया गया हो। **ज़ुव्वार** : ज़्यारत करने वाले। **ज़्यादत** : इज़ाफ़ा। **ज़द व कोब** : मारपीट। **ज़री** : सोने के तार। **ज़न व शौहर** : मियाँ बीवी। **ज़वाले मिल्क** : मिल्कियत का ख़त्म होजाना। **ज़ौज** : ख़ाविन्द। **ज़ौजैन** : मियाँ बीवी। **ज़्यादती** : इज़ाफ़ा। **ज़ीना** : सीढ़ी। **ज़ीनत** : बनाव सिंगार। **ज़ाइल होना** : ख़त्म होना। **ज़वाले मिल्क** : मिल्कियत का ख़त्म होना। **ज़द व कोब** : मारपीट। **ज़ाइर** : ज़्यारत करने वाला। **ज़ख़्म ख़ुर्दा** : ज़ख़्मी।

('स' س से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

सिज्जीन : जहन्नुम में एक वादी का नाम। **सहव** : भूलना। **सरबुरीदा** : सर कटा हुआ। **सुकूत** : ख़ामोशी। **सकत** : ताक़त। **सील** : नर्मी। **सकता** : लम्हाभर के लिये ख़ामोश होना। **साक़ित** : मुआ़फ़। **साई** : कोशिश करने वाला। **सइयेआत** : सइयेआ की जमा है, बुराईयां। **सुन्नते बादिया** : वह सुन्नतें जो फ़र्ज़ के बाद पढ़ी जाती हैं। **सालिम** : पूरा, तमाम। **सुतरा** : आड़। **सन्गिस्तान** : पथरीली ज़मीन। **साबिक़** : पहला, सब्क़त लेजाने वाला। **सब्ब व शितम** : गालियां। **सैलान** : किसी पतली चीज़ या पानी का जारी होना। **सरोकार** : वास्ता, तअ़ल्लुक़। **सराब** : रेतीली ज़मीन की वह चमक जिसपर चाँद, सूरज की चमक से पानी का धोका होता है। **संगदिली** : सख़्त दिली। **सीवन** : सिलाई। **सराय** :मुसाफ़िरों के ठहरने का मकान। **सैल** : पानी का बहाव। **सिआ़यत** : कोशिश, मेहनत। **सपेद दाग़** : बर्स की बीमारी। **सुनने रवातिब** : सुन्नते मोअक्कदा। **साहिर** : जादूगर। **सुकूनत** : रिहायश। **सिक़ाया** : पानी की सबील। **साइलीन** : साइल की जमा सवाल करने वाले। **सिन्न** : उम्र। **सेन्ठा** : सरकन्डा। **सेहबारा** : तीसरी बार। **समझवाल** : समझदार। **सुआ** : मोटी सुई। **सहल** : आसान। **सिपर** : ढाल। **सिम्तुर्रास** : सर से आसमान तक का सीधा ख़त, बुलन्दी का निशान। **सियर** : सीरत की जमा, आदतें। **सालहाए** : गुज़श्ता गुज़रे हुए साल। **सख़्त'ख़ू** : सख़्त मिज़ाज। **सपेद** : दाग़ बर्स की बीमारी। **सलीक़ा** : सलाहियत, अन्दाज़। **सबबे'हुरमत** : हराम होने का सबब। **सिन्न** : उम्र। **सन्झली** : तीसरे नम्बर वाली। **सहवन** : भूलकर। **सरायत** : जज़्ब होना। **सब्ब व शितम करना** : लअ़्न तअ़्न करना, बुरा भला कहना। **सौत** : एक ख़ाविन्द की दो या दो से ज़्यादा बीवियां सौत कहलाती हैं। **सिन्न'रसीदा** : बूढ़ा। **साकित** : ख़ामोश। **सफ़ीहा** : बेवक़ूफ़, अहमक़, नादान। **सुकना** : रहने का मकान। **सुकूनत** : रिहायश। **सन्** : साल। **सिफ़ला** : कमीना, ना'अहल। **सिहाम** : हिस्से। **सक़ाया** : पानी भरकर लाने और पिलाने का काम। **सरेदस्त** : फ़िलहाल। **सम्ई** : शहादत। **सामाने ख़ानादारी** : घरेलू सामान। **सत्तू** : भुने हुए अनाज का आटा। **सबील** : राहगीरों के लिये मुफ़्त पानी पीने का एहतिमाम। **समाहत** : हुस्ने सुलूक। **सलोत्तरी** : घोड़ों का डाक्टर। **सरायत** : जज़्ब करना। **सुकूनत** : रिहायश। **सफ़ीह** : बेवक़ूफ़। **साबिक़** : आगे बढ़ने वाला। **सोख़्तनी** : जलाने के क़ाबिल। **सज़ावार** : मुनासिब। **सद्दे ज़राइअ़** : ऐसी बातों को रोकना जिनके ज़रिए बुराई का ख़तरा हो। **सहल** : आसान।

('श' ش से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

शरकी : मश्रिकी। शफ़ीओं : शफ़ाअत करने वाले। शानों : कन्धे। शनाख़्त : पहचान। शीर'ख़्वारगी : वह उम्र जिसमें बच्चा दूध पीता है। शर्रुन्नास : लोगों में से बुरा। शफ़ीअ़ : शफ़ाअत करने वाला। शयातीन : शरीर लोग। शाक़ : भारी। पेशगोई : किसी बात की पहले ख़बर देना। शिकम : पेट। शोअ्लाज़न : शोला निकालने वाला। शबे असरा : मेअ्राज की रात। शरीर : बुरा। शरारे : चिंगारियां। शामते नफ़्स : नफ़्स की आफ़त। शआइरे'इस्लाम : इस्लाम की निशानियां। शर्मगाहे'ज़न : औरत की शर्मगाह। शारेअ् आम : आम रास्ता। शुत्र : ऊँट। शोर ज़मीन : वह ज़मीन जो खार या शोरे के सबब काश्त के क़ाबिल न हो। शराब ख़्वार : शराब पीने वाला। शल : बेकार। शिकस्त व रीख़्त : टूटफूट। शेवा : तौर तरीक़ा, आदत। शारेअ् आम : आम रास्ता। शग़फ़ : दिलचस्पी। शाहिदैन : दो गवाह। शीर'ख़्वार : दूध पीने वाला बच्चा। शिस : मछली पकड़ने का कांटा। शम : सूंघने की कुव्वत। शारेअ् : ख़ास ख़ास रास्ता।

('स' ص से शुरूअ् होने वाले शब्द)

सर्फ़ : ख़र्च। सिफ़ाते ज़ातिया : ज़ाती सिफ़ात। सदहा : सैकड़ों। सुहुफ़े मलाइका : फ़रिश्तों के सहीफ़े। सवाब : दुरुस्त। सादिर : होना, वाकेअ् होना। सराहतन : ज़ाहिर। सौत : आवाज़। सुदूर : वाकेअ् होना। सिफ़ाते : ज़मीमा। सफ़ी : बरगुज़ीदा। सरीह : वाज़ेह। सलाते वुस्ता : नमाज़े अस्र। सग़ाइर : सग़ीरा की जमा छोटे गुनाह। मुनफ़रिद : सफ़ में अकेला नमाज़ पढ़ने वाला मुक़्तदी। सफ़रा : पीले रंग का कड़वा पानी। सबी : बच्चा। सन्अत : कारीगरी। सालेह विलायत : वली बनने के क़ाबिल। सोहबत : हम्बिस्तरी करना। सराहतन : साफ़, वाज़ेह तौर पर। सर्राफ़ : सुनार सोने का काम करने वाले। सर्फ़ : ख़र्च। सग़ीर : सिन्न कम उम्र। सन्अत : कारीगरी। सूरते मफ़रूज़ा : मिसाल के तौर पर बयान की गई सूरत। सिकाक : लिखने वाला। सोहबत : हम्बिस्तरी। सर्राफ़ : सोने का कारोबार करने वाला। सौत : आवाज़। सहीहुल'जिस्म : सहीह बदन वाला। सबी : बच्चा। सवाब : दुरुस्त। सुदूर : वाकेअ् होना अमल में लाना। सादिर होना : नाफ़िज़ होना।

('द' ض से शुरूअ् होने वाले शब्द)

ज़िद्दैन : दो मुख़ालिफ़ चीज़ें। ज़ईफ़ : कमज़ोर, लाग़र। ज़रर : नुक़सान। ज़ईफ़ुल'ख़लक़त : पैदायशी कमज़ोर। ज़रर : नुक़सान। ज़ियाफ़त : मेहमानी। ज़र्ब : मारना। ज़ारिब : मारने वाला।

('त' ط ظ से शुरूअ् होने वाले शब्द)

ताक़ अदद : वह अदद जो दो पर पूरा तक़सीम न हो। ताहिर : पाक। तबक़ात : दर्जे। तश्त : थाल। ताक़ : मेहराबनुमा जगह जो दीवार में बनाते हैं। तमानियत : तसल्ली। तबक़ : थाल। तारी होना : किसी कैफ़ियत का ग़ल्बा होना। तूल : लम्बाई। तबल : बड़ा ढोल। तश्त : बड़ा बर्तन, बड़ा थाल। ज़न्ने ग़ालिब : ग़ालिब गुमान। तियरा : बदफ़ाली। तुग़राए इम्तियाज़ : बड़ाई की अलामत। ज़र्फ़ : बर्तन।

('अ' ع से शुरूअ् होने वाले शब्द)

इस्मत : पाकदामनी। इत्रफ़रोश : इत्र बेचने वाला। अला हस्बे मरातिब : मर्तबे के मुताबिक़। असा : डन्डा। उयूब : ऐब की जमा। इत्रे तहक़ीक़ : तहक़ीक़ का निचोड़। आलमे अस्बाब : दुनिया जहाँ हर काम का सबब होता हो। आलमे दुनिया : दुनिया। अताए'इलाही : अल्लाह तआला की अता। अक़्ल'रसा : अक़्ल की पहुँच। इल्मे'सुलूक : इल्मे तसव्वुफ़। इन्दल्लाह : अल्लाह के नज़्दीक। इताब : मलामत, गुस्सा, नाराज़गी। अमदन : जानबूझकर। आरियतन : आरिज़ी तौर पर दी हुई चीज़। अक्स : उलट। अम्म : चचा। उश्र : दसवां हिस्सा। उसात : आसी की जमा गुनाहगार लोग। अलल'इतलाक़ : मुतलक़। ऐबदार : जिसमें ऐब हो। अफ़ू : मुआफ़। अबस : फ़ुज़ूल, बेफ़ायदा। औद करना : लौटना। आरिज़ : पेश आने वाला, अर्ज़ करने वाला। अर्ज़ : चौड़ाई। अक्सी : फ़ोटो। आक़िद : अक़्द करने वाला। आजिज़ : कमज़ोर, बेबस। आर : ऐब, बुराई, शर्म, ग़ैरत। अब्दियत : गुलामी। इत्क़ : आज़ादी। इज्ज़ : ना'तवानी। उक़्क़ार : ज़मीन, ग़ैर मन्क़ूला जायदाद। अदावत : दुश्मनी। अर्क़ : रस। अज्मियुन्नस्ल : अरब के इलावा किसी और ख़ान्दान से तअल्लुक़ रखने वाला। अज़ीज़ : रिश्तेदार। इफ़्फ़त : पारसाई, पाकदामनी। अफ़ीफ़ा : पारसा औरत, पाकदामन औरत। उक़ूद : मुआमलात। इलानिया : खुल्लम खुल्ला। उलूक़ : हमल ठहरना। अला'हाज़ल'क़्यास : इसी पर क़्यास करते हुए। अमाइदे वहाबिया : वहाबियों के पेशवा। औद : लौटना। आजिज़ : कमज़ोर। अज़ीज़ : रिश्तेदार। उक़ूद : अक़्द की जमा। अदम मौजूदगी : ग़ैर मौजूदगी। अमदन : जानबूझकर। उयूब : ऐब की जमा। अफ़ीफ़ा : पारसा। उयूब : ऐब की जमा नक़्स। उलूव्वे हिम्मत : बलन्द हिम्मत। उक़ूबात : सज़ायें। अबस : बेकार। आलम : दुनिया। इत्क़ : आज़ादी। अदावत : दुश्मनी।

('ग़' غ से शुरूअ् होने वाले शब्द)

ग़ैब व शहादत : पोशीदा और ज़ाहिर। ग़िलमान : जन्नत के कम'सिन्न ख़ादिम। ग़ैर महरम : जिससे निकाह जाइज़ हो। ग़ुलू : हद से गुज़र जाना, बहुत ज़्यादा मुबालग़ा करना। ग़ैर जहरी : वह नमाज़ें जिनमें पस्त आवाज़ से क़िरात कीजाती है मसलन ज़ुहर व अस्र। ग़रीबुल'वतन : मुसाफ़िर। ग़ैर'मुतनाही : जिसकी कोई हद न हो। ग़ैर सबीलैन : आगे और पीछे के मक़ाम के इलावा। ग़ैबते हब्शा : सरे ज़कर का छुपजाना। ग़ैर'मामून : जिससे अमन न हो, ग़ैर महफ़ूज़, जो क़ाबिले इत्मिनान न हो। ग़ासिब : नाजाइज़ क़ब्ज़ा करने वाला। ग़ुदूद : गिल्टी। ग़ैर मदख़ूला : वह औरत जिससे

सोहबत न की गई हो। ग़ैर मौतूह : वह औरत जिससे सोहबत न की गई हो। ग़ैर क़ाबिले क़िस्मत : जो तक़सीम न होसके। ग़रीम : क़र्ज़ देने वाला। ग़साला : धोवन। ग़सब : नाजाइज़ क़ब्ज़ा। ग़ैबत : ग़ैर मौजूदगी। ग़ुरमा : क़र्ज़'ख़्वाह। ग़लीज़ : नापाक, गन्दा। ग़ैर अम्वाले रिबविया : ग़ैर सूदी माल।

('फ़' ف से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

फ़ुज्जार : फ़ाजिर की जमा, बदकार। **फ़र्दन फ़र्दन** : जुदा जुदा, अलैहिदा अलैहिदा। **फ़ुस्साक़** : फ़ासिक़ की जमा गुनाहगार। **फ़स्ले तवील** : लम्बा फ़ासिला। **फ़हम** : समझ। **फ़सादे बाज़** : बाज़ का फ़ासिद होना। **फ़र्बा** : मोटा, सेहत'मन्द। **फ़र्जे ख़ारिज** : औरत की शर्मगाह का बाहरी हिस्सा। **फ़राख़** : कुशादा। **फ़'लिहाज़ा** : इसी लिये, इसी वजह से। **फ़त्हे बाब** : दरवाज़ा खोलना। **फ़लाहे दुनियवी** : दुनियवी कामयाबी। **फ़सादे कुल** : कुल का फ़ासिद होना। **फ़ाल** : शगुन। **फ़र्जे दाख़िल** : शर्मगाह का अन्दरूनी हिस्सा। **फ़ासिल** : जुदा करने वाला। **फ़स्द का ख़ून लेना** : रग खोलकर फ़ासिद ख़ून निकलवाना। **फ़ुरक़त** : अलैहिदगी, जुदाई। **फ़रबा** : मोटा। **फ़बिहा** : बहुत ख़ूब, बेहतर। **फ़स्ल** : जुदाई। **फ़ज़ए अकबर** : बड़ी सख़्ती, बड़ी घबराहट। **फ़रेफ़्ता** : आशिक़। **फ़हमायश** : नसीहत। **फ़रिस्तादा** : क़ासिद। **फ़र्राश** : वह शख़्स जो फ़र्श बिछाने और रौशनी वग़ैरह करने की ख़िदमत अन्जाम देता है। **फ़स्ख़** : ख़त्म। **फ़ुज़ूलियात** : बेकार और लग्व बातें। **फ़ाक़ा कशी** : भूका रहना। **फ़ुस्साक़** : फ़ासिक़ की जमा बुरे लोग। **फ़ेअ़ले क़बीह** : बुरा काम। **फ़ज़ीहत** : ज़िल्लत, रुसवाई। **फ़हश** : बेहयाई। **फ़ुजूर** : गुनाह। **फ़ुतूर** : ख़राबी। **फ़लाह** : कामयाबी। **फ़हम** : समझ। **फ़रस** : घोड़ा।

('क़' ق से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

क़ुल्फ़ा : उज़्वे तनासुल का सिरा बिग़ैर ख़त्ना किये हुए। **क़दीम** : जो हमेशा से हो। **क़वी'हैकल** : मज़बूत जिस्म, मज़बूत बदन। **क़लई** : सैक़ल (पालिश) किया हुआ। **क़द्र** : मिक़दार। **क़स्दन** : जानबूझकर। **क़र्ज़ख़्वाह** : उधार देने वाला। **क़तए'रहम** : रिश्ता, नाता तोड़ना। **क़रया** : गाँव, देहात। **क़ुव्वत व ज़ोअ़फ़** : ताक़त और जिस्मानी कमज़ोरी। **क़ज़ा** : तक़दीर। **क़ुर्ब** : नज़्दीकी। **क़बीह** : बुरा। **क़िल्लत** : कमी, थोड़ा। **क़ुर्स** : गोल चीज़, टिकिया। **क़ातेअ़ नमाज़** : नमाज़ को तोड़ने वाला। **क़हक़हा** : इतनी आवाज़ से हंसना कि आस पास वाले सुनें। **क़ुफ़्ल** : ताला। **क़ुर्से आफ़ताब** : सूरज की टिकिया। **क़ुब्बा** : गुम्बद। **क़राबत** : रिश्तेदारी। **क़सावते क़ल्बी** : सख़्त दिली। **क़हते'बारां** : बारिश का न होना। **क़ज़ाए शहवत** : शहवत को पूरा करना। **क़ब्लुल'क़ब्ज़** : क़ब्ज़े से पहले। **क़ाबिले शहादत** : गवाही देने के लाइक़। **क़ुर्आ** : क़ुर्आ अन्दाज़ी करना, पर्ची निकालना। **क़ुर्बत** : वती, हम्बिस्तरी। **क़रीबुल'बुलूग़** : बालिग़ होने के क़रीब। **बेक़स्द** : इरादे के बिग़ैर। **क़ासिर** : आजिज़। **क़तई** : यक़ीनी। **क़ुर्शी** : क़ुरैश क़बीले से तअ़ल्लुक़ रखने वाला। **क़स्दन** : इरादतन, जानबूझकर। **क़ाबिले क़िस्मत** : तक़सीम के क़ाबिल। **क़ाबिज़** : क़ब्ज़ा करने वाला। **क़राबत** : क़रीबी रिश्तेदार। **क़ज़ा** : हुक्म, फ़ैसला। **क़र्ज़'ख़्वाह** : क़र्ज़ देने वाला। **क़ज़िफ़** : ज़िना की तोहमत लगाने वाला। **क़रीने क़्यास** : समझ में आने वाला। **क़ुफ़्ल** : ताला। **क़स्द** : इरादा। **क़र्ज़दार** : मक़रूज़। **क़ाबिले इन्तिफ़ा** : नफ़ा उठाने के क़ाबिल। **क़ज़ाए क़ाज़ी** : क़ाज़ी का फ़ैसला। **क़ासिद** : पैग़ाम पहुँचाने वाला। **क़स्दन** : इरादतन। **क़िवाल** : तरमे। **क़ब्ज़े** : समन **क़ीमत** : वुसूल करलेना। **क़दरे किफ़ायत** : इतनी मिक़दार जो उसके लिये किफ़ायत करे। **क़ुव्वते क़राबत** : रिश्ते की मज़बूती। **क़बीह** : बुरा। **क़ज़ाए क़ाज़ी** : क़ाज़ी का शरई फ़ैसला। **क़ुसूर** : कोताही, कमी, ग़ल्ती। **क़ातेअ़** : काटने वाला। **क़रया** : गाँव। **क़सावते क़ल्बी** : दिल की सख़्ती। **क़तील** : मक़तूल। **क़ुव्वत** : ताक़त। **क़य्यिम** : निगरां।

('क' ک से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

कुरेदकर : खुरचकर। **कंकाश** : तलाश। **कबाइर** : कबीरा की जमा, गुनाहे कबीरा। **करख़्त** : सख़्त। **काहिन** : जिन्नों से दरयाफ़्त करके ग़ैब की ख़बरें या क़िस्मत का हाल बताने वाला। **कस्बी औरतें** : बाज़ारी औरतें, बदकार औरतें। **कुशादगी** : वुस्अ़त। **कोढ़ी** : बर्स की बीमारी। **कन्दा** : लिखा हुआ। **किफ़ायत** : काफ़ी होना। **कूंचें** : वह मोटा पट्ठा जो आदमी की एड़ी के ऊपर और चौपायों के टख़्ने के नीचे होता है। **कुसूफ़** : सूरज गिरहन। **कुब** : इन्सान की पीठ का झुकाव। **कन्खियों** : तिर्छी निगाह, निगाह फेरकर देखना। **करीह** : क़ाबिले नफ़रत। **कौन्दा** : बिजली की चमक। **कल'अ़दम** : न होने के बराबर। **कुलफ़त** : रन्ज, तकलीफ़। **कजी** : टेढ़ापन। **कच्चा बच्चा** : वह बच्चा जो हमल की मुद्दत से पहले पैदा होजाये। **कशाइश** : कुशादगी, फ़राख़ी। **कज़्ज़ाब** : बड़े झूटे। **कसीरुल'वुक़ूअ़** : क़स्रत से वाक़ेअ़ होने वाला। **खोट** : मिलावट, नक़्स। **कोख** : पहलू, शिकम, पेट के नीचे की वह जगह जहाँ हड्डी नहीं होती। **कराहते तहरीम** : मकरूह तहरीमी। **कंगन** : कलाई का एक ज़ेवर। **कराहियत** : नफ़रत। **काठी** : घोड़े की ज़ीन। **कमानीदार** : स्प्रिंग वाले। **कुफ़रान** : ना'शुक्री। **कूज़ापुश्त** : कुबड़ा, कुब्बा। **कहगल** : मिट्टी की लिपाई। **कुतुबे शरईया** : तफ़सीर व हदीस वग़ैरह किताबें। **कसमपुर्सी** : ऐसी हालत जिसमें कोई पुरसाने हाल न हो। **कटखना कुत्ता** : बहुत ज़्यादा काटने वाला कुत्ता। **खुटकना** : किसी चीज़ का अगले दाँतों से काटना या तोड़ना। **किफ़ालत** : गारन्टी। **खुर** : जानवरों के पाँव। **कनीज़** : लौन्डी। **कस्ल** : सुस्ती। **कुजा** : कहाँ। **कुदूरत** : नफ़रत। **कूच** : रवानगी। **कोरे घड़े** : मिट्टी के नये मटके। **किफ़ाअत** : कफ़्व होना। **किफ़ालत** : ज़मानत। **काबीन'नामा** : महर'नामा, महरे निकाह की तहरीर। **कुफ़राने नेअ़मत** : नेअ़मत की ना'शुक्री। **कल'अ़दम** : गोया कि है ही नहीं। **कारे इफ़्ता** : फ़तवा देने का काम। **किब्रियाई** : अज़मत, बुज़ुर्गी। **करवट** : पहलू। **कुम्बा** : ख़ान्दान। **कनीज़े मुश्तरक** : ऐसी लौन्डी जिसके मालिक दो या ज़्यादा हों। **कुफ़्व** : हम पल्ला, हसब व

नसब में हमपल्ला। कुंवारी : बिन ब्याही। केरी : छोटा कच्चा आम। कसब : कमाई। कलिमाते दुश्नाम : नाजेबा कलिमात। कमीन : कमीना, नीच। कारिन्दा : कारकुन। कून्डा : नज़ व न्याज़ की रस्म। काज़िब : झूटा। खरे दाम : पूरी कीमत। कोरा कपड़ा : नया कपड़ा। कैली : वह चीजें जो मापकर बेची जाती हैं। कूचा–ए–नाफ़िज़ा : वह गली जिसमें दोनों तरफ़ रास्ता हो। कुचा–ए–सर बस्ता : वह गली जो एक तरफ़ से बन्द हो। कौड़ी : एक किस्म का छोटा सिक्का। कूचा : गली। कचहरी : वह जगह जहाँ मुक़द्दमे की पैरवी हो। कड़ी : शहतीर। कतबह : वह इबारत जो किसी इमारत या क़ब्र पर बतौर यादगार तहरीर या कन्दा हो। काठी : लकड़ी की बनाई हुई नशिस्त जो ज़ीन के मुशाबह लेकिन उससे थोड़ी बड़ी होती है। कहगल : पलस्तर। कुबड़ा : वह शख़्स जिसकी पीठ झुकी हुई हो। कितमाने इल्म : इल्म छुपाना। कोताह : मुख़्तसर। कातिब : लिखने वाला। कस्रे शान : ख़िलाफ़े शान। काज़िब : झूटा। कम फ़हमी : समझ की कमी। कनफ़ : पनाह, हिफ़ाज़त। कस्ल : सुस्ती। कौतल : सजा हुआ घोड़ा। कुन्डा : मिट्टी का बर्तन, परात। कुशादा : वसीअ़। कौसज : छिदरी दाढ़ी वाला। कूबा : एक किस्म का बाजा।

('ग' گ से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

गिरां : तकलीफ़देह, दुश्वार, महंगा। घोड़े आपड़े : घोड़े रौन्द डालें। गोदना : बदन में सुई से सुर्मा या नील भरना। घायल : ज़ख़्मी होना। गाभन : वह जानवर जिसके पेट में बच्चा हो। गच : चूने का पत्थर। गोशों : गोशे की जमा, कोनों। घाईयां : उंगलियों के दरम्यान की जगह। घिन : नफ़रत। घट : कम। गोज़ : वह गन्दी हवा जो मिक़अ़द की राह से बआवाज़ बुलन्द ख़ारिज हो। गिरह : गांठ, गज़ का सोलहवां हिस्सा। गोदी : बन्दरगाह का एक हिस्सा। घुसना : किसी चीज़ में अटकादेना। गुन्दना : एक किस्म की तरकारी जो लहसुन से मुशाबह होती है। गट्टों : टख़्नों। गन्दा दहनी मुँह से बदबू आने की बीमारी। गाभा : पौधों के साथ लगा हुआ कच्चा ताज़ा अनाज। घात : ताक, मौक़ा, दाव। गवाहाने आदिल : आदिल गवाह। गाहे गाहे : कभी कभी। गहने : एक किस्म के ज़ेवरात। गोशमाली : सज़ा के तौर पर कान मरोड़ना। गिरां : महंगा। गुद्दी : गर्दन का पिछला हिस्सा। गोरकुन : क़ब्र खोदने वाला। घाट : चश्मा, पानी निकलने की जगह। गवय्या : गाना गाने वाला। गुरसंगी : भूक। गल्ला : चौपायों का रेवड़। घमन्ड : गुरूर। गुप्फा : गुच्छा। घात : ताक, चाल। गुलफ़ाम : लब, गुलाबी होंट। गच : चूना। घूंसा : मुक्का।

('ल' ل से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

लबकुशाई : बात करना। ला जर्म : लाज़िमी, ज़रूरी। लहन : तरन्नुम, ग़लती। लाग़र : कमज़ोर, दुबला, पतला। लुन्झा : लंगड़ा, लूला। लुआ़ब : थूक। लट्ठे : शहतीर, लकड़ी। लगुन : टब, तश्त। लज़्ज़ात : मज़े लेना। लेसी गई : लेपी गई। लुप : चुल्लू। लंगोट : कम अर्ज़ कपड़ा जो फ़ुक़रा या पहलवान बान्धते हैं। लग़ज़िश : ख़ता। लबरेज़ : भरा हुआ। लंग पाँव का नक़्स। लिथड़ जाना आलूदा होना। लग़वियात बेहूदा बातें। लिबासे फ़ाख़िरा फ़ख़िया लिबास। लग़वियाते फ़लासिफ़ा : फ़लसफ़ियों की बेहूदा और बेकार बातें। लगान : सरकारी महसूल। लिवातत : लड़कों के साथ बद फ़ेअ़ली करना। लुब्स : पहनना। लईम : कमीना, घटिया।

('म' م से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

मुहाल : नामुम्किन। मुहालात : मुहाल की जमा। मुख़्तार : बा इख़्तियार। मिन्जानिबिल्लाह : अल्लाह की तरफ़ से। मफ़ज़ूल : वह शख़्स जिसपर किसी को फ़ज़ीलत दीजाये। मुरसलीन : मुरसल की जमा, अल्लाह की तरफ़ से भेजे गये रसूल। मुहीत : घेरे हुए इहाता किये हुए। मअ़रिफ़ते : ज़ात ज़ात की पहचान। मशिय्यते इलाही : अल्लाह की मर्ज़ी। मा व शुमा : हम और आप। मन्सबे अज़ीम : बड़ा मरतबा। मसावी : बराबर। मुल्कगीरी : मुल्क पर तसल्लुत क़ाइम करना। मलक : फ़िरिश्ता। मुनज़्ज़ा : पाक, ऐबों से बरी। मुतनाही : जिसकी कोई हद हो। मुलूक : सलातीन, बहुत से बादशाह। मफ़क़ूद : नापैद। मजाल : ताक़त, कुदरत। मुतअ़ल्लिक़ीन : तअ़ल्लुक़ रखने वाले। महकूम : इख़्तेयार में। मसालेह : मसलेहतें। मब्गूज़ : क़ाबिले नफ़रत। मरघट : हिन्दुओं के मुर्दे जलाने की जगह। महसूर : घिरा हुआ। मआ़सी : गुनाह। मुसव्वर : तस्वीर किया गया। मुत्तबेईन : पैरवी करने वाले। मसील : हमशक्ल वैसा ही। मन्क़सत : कमी, घटाना, नक़्स। मुक़्तदा : पेशवा, रहनुमा। मुफ़्सिद : झगड़ा करने वाला, बाग़ी। मुआनिद : दुश्मन। मद्दे नज़र : पेशे नज़र, सामने। मोज़ेअ़ फ़र्ज़ : जिस्म का वह हिस्सा जिसका धोना फ़र्ज़ है। मुतवस्सित : दरम्याना। मदारिजे विलायत : विलायत के दर्जे। मुज़य्यन : आरास्ता, सजाया हुआ। मादरज़ाद : पैदायशी। मअ़ : साथ। मुश्ताक़े ज़्यारत : ज़्यारत का शौक़ रखने वाला। मुतवस्सेलीन : नज़्दीकी चाहने वाले। मन्सब : मरतबा। मन व तू : मैं और तू। मुशाहिद : हाज़िर, ज़ाहिर। मुतशक्किल : शक्ल इख़्तेयार करना। मसाइब : मुसीबत की जमा। मक़ाबिर : मक़बरे की जमा, क़ब्रिस्तान। मुद्दईए नुबुव्वत : नुबुव्वत का दावा करने वाला। मुरव्वत : अख़लाक़, इन्सानियत। मदाइह : तारीफ़ें। ला मज़हब : जिसका कोई मज़हब न हो। मामून : महफ़ूज़, बेख़ौफ़। मुल्कदारी : इन्तिज़ामे हुकूमत। मुतसव्विफ़ : बनावटी सूफ़ी। मुन्हसिर : महदूद। मुहीत : घेरने वाला। मस : छूना। मौज़िए निजासत : निजासत की जगह। मानेअ़ : रोकने वाला, रुकावट। मुतरत्तब : तर्तीब दिया हुआ। म्यानी : पाजामा का वह हिस्सा जो पेशाब गाह के क़रीब होता है। मख़्फ़ी अम्र : पोशीदा मुआ़मला। मांझलेना : साफ़ करलेना। मुतयक़्क़िन : यक़ीनी। मीचलीं : बन्द करलीं। मुतनब्बेह : ख़बरदार। मस्दूद : बन्द किया गया। महव : मिटा हुआ। मिस्सी : एक किस्म का मन्जन। मरईया : जिसको देख सकें। मसाहत : ज़मीन की पैमाइश।

मुतजाविज़ : अपनी हद से बढ़ने वाला। **मुन्तबिक़** : मुवाफ़िक़, बराबर। **महाज़ी** : सामने, बराबर। **मुवाजहा** : आमने सामने। **मुरतकिब** : इर्तिकाब करने वाला, किसी फ़ेअ्ल का करने वाला। **मुजर्रब** : आज़माया हुआ। **मोअ़ज़्ज़मे दीनी** दीनी पेशवा। **मुतज़म्मिन** : दाख़िल, शामिल। **मआज़ल्लाह** : अल्लाह की पनाह। **मख़रज** : निकलने की जगह। **मौक़अ़ निजासत** : निजासत गिरने की जगह। **मुक़त्तआत की अंगूठी** : वह अंगूठी जिसपर हुरूफ़ मुक़त्तआत लिखे हुए हों जैसे ـــــا वग़ैरह। **मुजामअ़त** : हम्बिस्तरी करना। **मुर्दा पोस्त** : मुर्दा खाल। **मुतहय्यर** : हैरान। **मुज़ायक़ा** : हरज। **मुत्तसिल** मिला हुआ। **मतली** : जी मतलाना। **मुज़र्रत** : नुक़सान। **मुस्तग़रक़** : घिरा हुआ। **मग़मूम** : ग़मगीन। **मख़्फ़ी** : पोशीदा **मुशारकत** : शरीक होना। **मजमूअ़तन** : मजमूई तौर पर। **मुकर्रर** : दोबारा, बार बार। **मज़िन्नए निजासत** : निजासत का गुमान। **मूजिब** : वाजिब करने वाला। **मुदावमत** : हमेशगी। **मुतमय्यिज़** : इम्तियाज़, जुदा। **मुतजज़्ज़ी** : तक़सीम होना **मुसल्ला** : जायनमाज़। **मुश्तही** : क़ाबिले शहवत लड़का। **मअ़ क़िरात** : क़िरात के साथ। **मुनादी** : पुकारने वाला। **महसूब** : शुमार किया गया। **मोहतम बिश्शान** : निहायत अहम, अ़ज़ीम। **मुराहिक़ा** : वह लड़की जो बालिग़ होने के क़रीब हो। **मुज़्तर** : तकलीफ़ में मुब्तला, मजबूर, परेशान। **माज़ून** : वह ग़ुलाम जिसे तिजारत की इजाज़त दीगई हो। **मतबूअ़** : सरदार, जिसकी पैरवी कीजाये। **मयका** : औरत के वालिदैन का घर। **मूरिस्** : वारिस् करने वाला। **मजूसिया** : आतिश परस्त। **मनफ़अ़त** : नफ़ा, फ़ायदा। **मुज़िर** : नुक़सानदेह। **मब्ग़ूज़** : ना पसन्दीदा। **मुसर्रह** : वाज़ेह। **मअ़दूम होना** : ख़त्म होना। **मख़रूती** : गाजरनुमा। **मोअक्कद** : ताकीद किया गया। **मौज़ए इक़्तिदा** : इक़्तिदा की जगह। **महारिम** : महरम की जमा, जिससे निकाह हमेशा हराम हो। **मुस्तबअ़द** : क़यास से दूर, बईद। **मशरूअ़** : शरीअ़त के मुवाफ़िक़। **मा बक़िय** : बाक़ी। **मरग़ूब** : पसन्दीदा। **मुतमत्तेअ़** : फ़ायदा उठाना। **मुस्तक़र** : ठहरने की जगह। **मरजअ़** : रुजूअ़ करने की जगह। **मुतवातिर** : मुसलसल, लगातार। **मुसाफ़हा** : हाथ मिलाना। **मोहलिक मर्ज़** : वह बीमारी जिसमें जान जाने का अन्देशा हो। **मसारिफ़** : मसरफ़ की जमा, ख़र्च करने की जगह। **मअ़सियत** : ना फ़रमानी, गुनाह। **मदयून** : मक़रूज़। मुजरा जारी किया गया, कटौती। **मअ़दिनी** : वह चीज़ें जो कान से निकलें। **मीआद** : मुद्दत। **मायाए इज़्ज़त** : बाइसे इज़्ज़त। **मुज़बज़ब** : एक ख़्याल पर क़ाइम न रहने वाला। **मोअ़्तदबिही** : बहुतसा, तादाद या मिक़दार में ज़्यादा, क़ाबिले एअ़्तिमाद। **मुतवल्ली** : इन्तिज़ाम करने वाला। **मम्लूक** : मिल्कियत, ग़ुलाम। **मुस्तइद** : तैयार। **मोअ़्तमद** : क़ाबिले एअ़्तिमाद। **मग़ज़** : गिरी, किसी चीज़ का अन्दुरूनी हिस्सा। **मिल्क** : मिल्कियत, मालिक होना। **मसास** : जिस्म के किसी हिस्से को शहवत उभारने के लिये छूना या मलना। **मबीअ़** : बेची गई चीज़। **मुतवस्सितुल हाल** : दरम्यानी हालत। **मेहनताना** : मेहनत का सिला। **मूए बग़ल** : बग़ल के बाल। **मोअ़त्तर** : ख़ुशबू में बसा हुआ। **मोल लेना** : किसी चीज़ को ख़रीदना। **मअ़न** : साथ। **मलाल** : रन्ज, अफ़सोस। **मुआ़नक़ा** : गले मिलना। **मालगुज़ारी** : ज़मीन का लगान। **मोअय्यन** : मुक़र्रर। **मुसल्लम** : पूरा, सब तस्लीम किया गया। **मुफ़्लिस** : ग़रीब। **मेअ़मार** : इमारत बनाने वाला। **मअ़दिन** : कान। **मुद्दई** दावा करने वाला। **मसाना** : जिस्म के अन्दर पेशाब की थैली। **मुआख़ज़ा** : जवाब तलबी, बाज़पुर्स। **मोहतात फ़िद्दीन** : दीन के मुआ़मले में एहतियात करने वाला। **मतलअ़** : तुलूअ़ होने की जगह। **मौला** : आक़ा। **मुक़द्दमाते हज** : हज के मसाइल। **मूज़ियों** : मूज़ी की जमा तकलीफ़ देने वाले। **मस्तूरात** : मस्तूरा की जमा पर्दा नशीन औरतें। **मुतव्विफ़** : तवाफ़ करने वाला। **मुशव्विश** : परेशान। **मामूर** : हुक्म किया गया, मुक़र्रर। **मवानेअ़** : मानेअ़ की जमा। **मुतमव्विल** : मालदार। **मरतूब हवा** : वह हवा जिसमें नमी हो। **मुबादा** : ख़ुदा न ख़्वास्ता। **मजरा** : आदाब बजा लाना, सलाम करना। **महशूर** : हश्र किया गया, क़यामत में उठाया गया। **मन्हर** : नहर (क़ुर्बानी) करने की जगह। **मूचना** : बाल उखेड़ने का आला। **मसंनूई** : मुर्दा सन्ग, सफ़ेद रंग का पत्थर जो दवाओं में काम आता है। **मुज़क्किरा बाला** : ऊपर ज़िक्र किये गये। **मुताबअ़त** : पैरवी। **मुनहरिफ़** : फिरा हुआ। **मुफ़्तरिज़** : फ़र्ज़ पढ़ने वाला। **मुतनफ़्फ़िल** : नफ़्ल पढ़ने वाला। **मन्सूब** : खड़ा। **मौज़ए इहानत** : ज़िल्लत की जगह। **मज़बह** : ज़बह करने की जगह। **मिन जिहतिल इबाद** : बन्दों की तरफ़ से। **मुर्तहिन** : जिसके पास चीज़ गिरवी रखी गई हो। **मुस्तहक़े नार है** : जहन्नम का हक़दार है। **मरहून** : जो चीज़ गिरवी रखी गई है। **मुस्तग़रक़** : घेरे हुए। **मवासात** : ग़मख़्वारी और भलाई। **मुजर्रद** : तन्हा। **मुग़ल्लज़ात** : फ़हश गालियां। **मीज़ान मीज़ान** : बराबर करना। **मुबाहात फ़ख़्र** : मनक़बत बुज़ुर्गाने दीन, औलियाअल्लाह की तारीफ़ के अशआर। **मुबहम** : पोशीदा। **मून्ढे** : कन्धे, शाने। **मौज़ए सुजूद व क़दम का पाक होना** : सजदा और पाँव रखने की जगह का पाक होना। **मुसल्ली** : नमाज़ी। **मेअ़ज़ना** : मीनारा। **मुतल्ला** : सोने से आरास्ता। **मुक़द्दम** : आगे। **मोअ़ल्लक़** : लटका हुआ। **महल्ले सुजूद** : सजदे की जगह। **मवाज़ेअ़** : जगहें। **मुअ़ल्लिमे अजीर** : उजरत पर पढ़ाने वाले। **मोअक्किल** : वह शख़्स जो वकील मुक़र्रर करे, वकील करने वाला। **मदयून का कफ़ील** : मक़रूज़ का ज़ामिन। **मुद्दआ अलैहि** : वह शख़्स जिसपर दावा किया जाये। **मुन्क़तअ़** : जुदा। **मुश्त** : एक मुट्ठी। **मकतूब इलैहि** : जिसे ख़त पहुँचा। **मुख़्रिबे अख़लाक़** : अख़लाक़ को बिगाड़ने वाली। **मुग़र्रक़** : सोना चाँदी में लिपा हुआ। **मुतहक़्क़क़** : साबित शुदा, तहक़ीक़ शुदा। **मिल्क** : मिल्कियत। **मोअक्किल** : वकील बनाने वाला। **मुतअ़य्यन** : मोअय्यन किया हुआ, मुक़र्रर किया हुआ। **मुन्किर** : इनकार करने वाला। **मक़तूअ़** : कटा हुआ। **मजूसिया** : आग की पूजा करने वाली। **मटका** : मिट्टी का बड़ा घड़ा। **मीआद** : मुद्दत। **महसूब** : शुमार किया गया, शुमार किया हुआ। **मन्झली** : दरम्यानी। **मौला** : मालिक, आक़ा। **मोअक्कद** : ताकीद किया गया, जिसकी ताकीद की गई हो। **मअ़यूब** : ऐब वाला। **मोअक्किला** : वकील बनाने वाली। **मदख़ूला** : ऐसी औरत जिससे

सोहबत की गई हो। **मुतबन्ना** : मुँह बोला बेटा। **मुत्तक़िया** : परहेज़गार औरत। **मज्लिसे अक़्द** : वह जगह जहाँ अक़्द हो। **मदयूना** : वह औरत जो मक़रूज़ हो। **मजहूल** : नामअ़लूम। **मदार** : इन्हिसार। **मूए ज़ेरे नाफ़** : नाफ़ के नीचे के बाल। **मअ़न** : फ़ौरन, साथ ही। **मुतबादिर** : जल्द ज़हन में आने वाला। **मुआवज़ा** : बदला। **मुत'फ़रिक़** : जुदा जुदा। **मख़्फ़ी** : पोशीदा। **मुन्तसब** : मन्सूब। **मक़तूउज़्ज़कर** : जिसका उज़्वे मख़्सूस कटा हुआ हो। **मुतकफ़्फ़िल** : किफ़ालत करने वाला। **मुक़िर** : इक़रार करने वाला। **मफ़लूज** : फ़ालिज की बीमारी वाला। **मअ़बूदाने बातिल** : झूटे ख़ुदा। **मुतजाविज़** : हद से बढ़ने वाला। **मरजूम** : जिसको रज्म किया गया (पत्थर मारकर हलाक किया गया)। **मुतनब्बेह** : ख़बरदार। **मुनहमिक** : कामिल तवज्जोह से किसी काम में लगा हुआ। **मुअ़न'वन** : मुख़्लस। **महाज़ात** : एक चीज़ का दूसरी चीज़ के सामने या बराबर में होना। **मन्कूहा** : बीवी। **मअ़रूफ़** : मशहूर। **मुत्तहम** : जिसपर तोहमत लगाई गई हो। **मम्लूक** : गुलाम। **मुन्तफ़ी** : ख़त्म। **मसारिफ़** : मसरफ़ की जमा, ख़र्च करने की जगह, ख़र्चे। **मसाफ़त** : दूरी। **माह ब'माह** : माहाना। **मुज़िर** : नुक़सान देने वाला। **मुक़ारिन** : मिलाहुआ। **मुस्तमिर** : जारी। **मस्ख़रापन** : मस्ख़रे की तरह हरकतें या बातें करना। **मुकल्लफ़** : जिसपर शरई अहकाम की पाबन्दी लाज़िम हो। **मुरब्बी** : परवरिश करने वाला। **मुहासिरा** : चारों तरफ़ से घेरा डालना। **मसाइब** : तकलीफ़ें। **मामून** : अमन में, महफ़ूज़। **मुसालेह** : फ़लाह व बहबूद। **मजहूलुन्नसब** : जिसका बाप मालूम न हो। **मारूफ़ुन्नसब** : जिसका बाप मालूम हो। **मुसाफ़रत** : हालते सफ़र। **मुन्क़तअ़** : ख़त्म। **मुस्तग़रक़** : डूबा हुआ। **मुन्हदिम** : होगई गिरगई। **मुक़ीम** : क़याम करने वाला, ठहरने वाला। **मुतआरिज़** : एक दूसरे के मुख़ालिफ़। **मिन'वजह** : एक वजह से। **मक़दूरुत्तस्लीम** : चीज़ को दूसरे के सिपुर्द करने पर क़ादिर होना। **मुबादला** : बाहमी तबादला। **मुसहफ़ शरीफ़** : कुर्आन मजीद। **मस्तूल** : जहाज़ या कश्ती का सुतून। **मरूर** : गुज़रना। **मसाना** : जिस्म के अन्दर पेशाब की थैली। **मुक़रिज़** : क़र्ज़ देने वाला। **मुजीज़** : इजाज़त देने वाला। **मुतफ़र्रिद** : अकेला, तन्हा। **माल व मता** : सामान व दौलत वग़ैरह। **मज़ामीर** : मुँह से बजाये जाने वाले बाजे। **मामूर** : जिसे हुक्म दिया गया हो। **मुआख़ज़ा** : गिरफ़्त, पकड़। **मम्नूउत्तसर्रुफ़** : जिसको मुआमलात तै करने से रोक दिया गया हो। **मूजेह** : वजाहत करने वाला। **मुहासिल** : आमदनी, नफ़ा। **मअ़क़ूल** : मिक़दार, मुनासिब मिक़दार। **मुज़ायक़ा** : क़बाहत, हरज। **मसर्रत** : ख़ुशी। **मुक़य्यद** : क़ैद किया हुआ क़ैदी। **मुत्तसिलन** : साथ ही, वक़्फ़ा के बिग़ैर। **मन्जन** : दाँत साफ़ करने वाला पावडर। **मुन्शी** : हिसाब किताब रखने वाला। **मुसालहत** : बाहमी सुलह। **मुस्तक़रिज़** : क़र्ज़ लेने वाला। **महल्ले बैअ़** : वह चीज़ जिसपर ख़रीद फ़रोख़्त का हुक्म लग सके। **मअ़क़ूद'अलैहि** : जिस चीज़ पर अक़्द किया जाये। **महमूद** : तारीफ़ किया गया। **मौज़ून** : मुनासिब। **मोअ़्तमद'अलैहि** : क़ाबिले एअ़्तिमाद। **मुतनाज़अ़'फ़ीहा** : जिस मुआमला में झगड़ा हो। **मदायनात** : क़र्ज़ का लेन,देन। **मज़्मूना** : तावान दिया हुआ। **मकतूब** : लिखा हुआ। **मौक़ूफ़'अलैहिम** : जिनपर जायदाद वग़ैरह वक़्फ़ की गई हो। **म्यान** : न्याम। **मुहाल** : जिसका पायाजाना मुम्किन ही न हो। **मरहून** : गिरवी रखी हुई चीज़। **मुज़ारेअ़** : काश्तकार। **महसल** : ख़ुलासा। **मिल्के ग़ैर** : दूसरे की मिल्क। **मोअ़्तद्दा** : इद्दत गुज़ारने वाली। **मुन्कर** : जिसका इन्कार किया गया हो। **मुश्तहात** : वह लड़की जो क़ाबिले शहवत हो। **मुतर्जिम** : एक ज़बान की बात दूसरी ज़बान में बयान करने वाला, तर्जमान। **मुक़्तसिर** : थोड़े पर क़नाअ़त करने वाला। **मुहीत** : घेरने वाला। **मुफ़्लिस** : नादार, मोहताज। **मुक़ल्लिद** : तक़लीद करने वाला। **मुर्ज़िआ** : दूध पिलाने वाली औरत। **मुराफ़आ** : अपील। **मुन्किर** : इन्कार करने वाला। **मग़सूब** : ग़सब की हुई चीज़। **मुनादा** : जिसे पुकारा गया हो। **मरसूम** : आदत के मुताबिक़। **मुत'बर्रेअ़** : एहसान करने वाला, भलाई करने वाला। **मुन्तक़िम** : बदला लेने वाला। **मुसम्मा** : नाम रखा गया। **मुत'नाक़िज़** : मुख़ालिफ़। **मुनाज़अ़त** : झगड़ा। **मुस्तसना** : जिसे मक़सूद से ख़ारिज करदिया गया हो। **मुस्ताजिर** : ठेकेदार। **मजूसी** : आग की इबादत करने वाला। **मज़रूआ ज़मीन** : काश्त की हुई ज़मीन। **मुज़हिर** : ज़ाहिर करने वाला। **मौलिद** : जाए'पैदायश, वतन। **मुस्तहकम** : मज़बूत। **मुआलिज** : डाक्टर। **मकतूब'इलैहि** : जिसकी तरफ़ ख़त लिखा गया। **मुअ़ल्लेमीन** : सिखाने वाले, रहनुमाई करने वाले। **मुजाहदा** : रियाज़त करना, निहायत लगन से इबादत कररना। **मुज़मर** : पोशीदा। **मईशत** : रोज़गार। **मअ़यूब** : ऐब वाला। **मदख़ूला** : ऐसी औरत जिससे सोहबत की गई हो। **मज्लिसे अक़्द** : वह मज्लिस जिसमें अक़्द हो। **मजहूल** : ना'मालूम। **मुश्तरी** : ख़रीदार। **मुजरा** : कटौती। **मुज़र्रत** : नुक़सान, जिसमानी तकलीफ़। **मुज़ारेअ़** : काश्तकार। **मुन्केरीन** : इन्कार करने वाल। **मुन्हदिम होगया** : गिरगया। **मशफ़ूआ** : शुफ़आ की हुई जायदाद। **मज़ाहिबे बातिला** : इस्लाम के इलावा दीगर मज़हब। **मानेअ़ सेहत** : सहीह होने में रुकावट। **मोहरकन** : अंगूठी बनाने वाला। **मानेअ़** : मना करने वाला। **मुख़्बिर** : ख़बर देने वाला। **मरग़ूबफ़ीह** : जिसमें दिलचस्पी हो। **मुत्तहम** : जिसपर तोहमत लगाई गई हो। **मनीज़ा** : हुक़्क़े की नली। **मुज़निया** :वह औरत जिससे ज़िना किया गया हो। **मुन्जिया** : अज़ाबे इलाही से निजात दिलाने वाली। **मोअ़्तकिफ़** : एअ़्तिकाफ़ करने वाला। **मुतहारेबैन** : बाहम लड़ने वाले, जंग करने वाले। **मक़तूउल'उन्फ़** : जिसकी नाक कटी हो। **मक़तूउल'यद** : जिसका हाथ कटा हो। **मादूनन्नफ़्स** : क़त्ल से कम। **सुक्कान** : रहने वाले। **मन्जूर'बिही** : जिसकी मिन्नत मानी गई। **मुसर्रह** : सराहत किया गया। **मुतजब्बिरीन** : जब्र करने वाले। **मौज़ए एहतियात** : एहतियात की जगह। **मआल** : अन्जाम। **मुबाफ़** : कपड़े की पट्टी जो औरतें बालों की चोटी पर लगाती हैं। **मुन्तफ़ेअ़'बिहा** : जिस से नफ़ा हासिल किया जाये। **ममासलत** : बराबरी। **मज़रूब** : मारा हुआ। **मुसालहत** : सुलह। **मुस्कित अलैहि** : जिसपर

गिरा है। **महज़ून** : ग़मगीन। **मुहीत** : ईहाता किये हूए। **मुर्जीज़** : इजाज़त देने वाला। **महासिल** : आमदनी।

('न' ن से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

नज़ाफ़त : सफ़ाई। **नाक़ा** : ऊँटनी। **नसीम** : सुबह की ठन्डी हवा। **नेअ़मते उज़मा** : बड़ी नेअ़मत। **ना'ख़तनाशुदा** : जिसका ख़तना न हुआ हो। **नरकुल** : सरकन्डा। **नादिरन** : कमयाब, उम्दा। **निस्यान** : भुल चूक। **ना'गवार** : ना'पसन्द। **नुत्क़** : गुफ़्तगू, गोयाई। **ना'आशना** : ना'वाकिफ़। **ना'गहानी** : इत्तिफ़ाक़िया। **ना'गुफ़्ता'बिही** : जिसका न कहना बेहतर हो। **निस्फ़ अ़शर** : बीसवां हिस्सा। **नन्ग व आर** : शर्म व हया। **नाग़ा** : ग़ैर हाज़िरी। **नोअ़ इख़्तियार** : एक तरह का इख़्तियार। **नुसरत** : मदद। **नियाज़मन्द** : मोहताज, आजिज़ी व इन्किसारी का इज़हार करने वाला। **नाश** : लाश। **नेक'ज़नी** : अच्छा गुमान। **नाज़ुकी** : नर्मी। **निगहदाश्त** : हिफ़ाज़त, निगरानी। **निगाह ख़ीरा होना** : बहुत रौशन और बहुत चमकती हुई चीज़ पर नज़र करने से आँख का पूरा न खुलना। **नथना** : नाक का पूरा सूराख़। **नादिम** : शर्मिन्दा। **नादिर** : कमयाब। **ना'मस्मुअ़** : न सुना गया। **नानबाई** : रोटी पकाने वाला। **नायाब** : कमयाब, नादिर। **नशेब व फ़राज़** : पस्ती व बलन्दी, उतार चढ़ाव। **निरी** : ख़ालिस। **निछावर** : निसार, बिखेरना। **नियाबतन** : क़ाइम मक़ाम। **नुमू** : ज़्यादती। **नफ़क़ा** : रोटी, कपड़े वग़ैरह का ख़र्च। **निहाल** : खुशहाल। **नसरानी** : ईसाई। **नाखुनगीर** : नाखुन'तराश। **नवाक़िज़े वुज़ू** : वुज़ू तोड़ने वाली चीजें। **ना'गवार** : ना'पसन्द। **नाफ़िज़** : लागू। **नामी** : बढ़ने वाला। **नग** : नगीना। **नशिस्त व बरख़ास्त** : उठना बैठना। **नेक चलन** : बा'अख़लाक़ और अच्छे किरदार वाला। **नुकूल** : क़सम से इन्कार। **निस्फ़न निस्फ़** : आधा अधा। **ना'मस्मूअ़** : ना'क़ाबिले समाअ़त। **नामआवरी** : शोहरत। **नामबुर्दा** : जिसका नाम लिया जाचुका है। **नर्द** : चौसर की गोट या शतरन्ज का मोहरा। **नफ़क़ए इद्दत** : इद्दत गुज़ारने का ख़र्च। **निर्ख़** : भाव। **नादार** : गरीब। **नातिक़** : बोलने वाला। **नेक'बख़्त** : खुशनसीब। **नासिख़** : मन्सूख़ करने वाला। **नाचार** : मजबूरन। **निगहदाश्त** : देख भाल। **नादिहन्द** : अदायगी में टाल मटोल करने वाला। **नहूसत** : बुरा असर। **ख़्वास्तगारी** : चाहत। **ना'महरम** : ग़ैर महरम। **नमूद** : नुमायश, दिखावा। **नुकूद** : नक़दी सोना, चाँदी, रूपये वग़ैरह। **नक़ीह** : कमज़ोर। **नौबत** : नक़्क़ारा। **नंग** : शर्म रुसवाई, ज़िल्लत। **नोअ़** : क़िस्म। **नक़्ज़** : तोड़ना। **नकेल** : ऊँट की मुहार। **नुकूल** : क़सम से इन्कार। **नफ़क़ाए इद्दत** : इद्दत गुज़ारने का ख़र्चा। **नाक़िस** : ना'मुकम्मल। **नफ़र** : चन्द आदमियों का गिरोह। **नुक़बा** : क़ौम के सरदार। **नस्ब करना** : लगाना।

('व' و से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

वस्ल : मिला हुआ होना। **वग़ैरहुम** : और उनके इलावा। **वहदानियत** : अल्लाह का एक होना। **वक़अ़त** : क़द्र व मन्ज़िलत, इज़्ज़त। **वारिद** : पहुँचा। **वहशत** : घबराहट। **वली अबअ़द** : दूर का रिश्ते वाला। **वसाइत** : वास्ते की जमा। **वाफ़िर** : ज़्यादा। **वुसअ़त** : कुशादगी, गुन्जाइश। **वग़ैरहा** : और उसके इलावा। **वजाहत** : इज़्ज़त, एहतिराम। **वुक़ूए किज़्ब** : झूट का वाक़ेअ़ होना। **वरअ़** : परहेज़गार। **वासिल** : पहुँचना। **वज़अ़ क़तअ़** : शकल व सूरत। **वली अक़रब** : सबसे ज़्यादा नज़्दीक का रिश्तेदार। **वसीक़ा** : दस्तावेज़, इक़रारनामा। **वाजिबुल'अदा** : जिसकी अदायगी ज़रूरी हो। **वराअ़ वराअ़** : पीछे पीछे। **वाजिबुल'हिफ़्ज़** : जिसका याद करना ज़रूरी हो। **वाजिबुल'वुजूद** : जिसका वुजूद ज़रूरी हो। **वसातत** : वास्ता। **वज़ए हमल** : बच्चा जनना। **वक़्ते मोअ़य्यन** : मुक़र्ररह वक़्त। **वक़्फ़े मोअब्बद** : हमेशा के लिये वक़्फ़। **विलायत** : सरपरस्ती। **वकील बिल'खुसूमा** : मुक़दमे की पैरवी का वकील। **वजाहत** : मरतबा। **वलदुज़्ज़िना** : ज़िना से पैदा होने वाला। **वुरसा** : वारेसीन। **वहम** : गुमान। **वाजिबी किराया** : राइज किराया जो उमूमन लिया जाता है। **वबा** : आम मौत, कसरत से मौत का वाक़ेअ़ होना। **वदीअ़त** : अमानत। **वहशी** : जानवर। **वुजूद व अ़दम** : किसी चीज़ का होना या न होना। **वीराना** : ग़ैर आबाद जगह। **वसमा** : नील के पत्ते जिनसे ख़िज़ाब तैयार करते हैं। **वाज़ेअ़** : रखने वाला।

('ह' ہ और य से शुरूअ़ होने वाले शब्द)

हुनूद : हिन्दू। **हैबतनाक** : ख़ौफ़नाक। **हादी** : हिदायत देने वाला। **हुनूज़** : अभी तक। **हैयते'ऊला** : पहली सूरत। **हिबा करदेना** : तोहफ़े में देना। **हमातन** : बिलकुल, तमाम। **हिलाल** : पहली रात का चाँद। **हैअत** : बनावट। **हमराही** : साथी। **हल्की क़िरात** : मुख़्तसर क़िरात। **हड़** : एक दवा का नाम। **हैकल** : हार, शान व शौकत। **हिज्र** : जुदाई। **हतके हुरमत** : ज़िल्लत व रुसवाई। **हदियतन** : ब'तौर तोहफ़ा। **हज़यान** : बेहूदा बातें। **हलाक कुनिन्दा** : हलाक करने वाला। **हैबतनाक** : ख़ौफ़नाक। **हलचल** : घबराहट। **हज़्ल** : मज़ाक़। **हिबा** : तोहफ़ा। **यौमुत्तर्विया** : आठवीं ज़िलहिज्जा का दिन। **यक चश्म** : एक आँख वाला, काना। **यक्का** : घोड़ा गाड़ी। **यमीन** : क़सम। **यकसां** : बराबर। **यौमिया** : रोज़ाना। **यौमुल'क़ब्ज़** : क़ब्ज़े के दिन। **यौमे अदहा** : क़ुर्बानी का दिन। **यौम** : दिन।

अनुवादक

मुहम्मद अमीनुल क़ादरी बरेलवी

निकट दो मीनार मस्जिद, एजाज़नगर,

पुराना शहर बरेली

मो0:– 09219132423

तफ़सीली फ़ेहरिस्त बहारे शरीअ़त हिस्सा 11 से 20

वकील बिल'ख़ुसूमा और वकील बिल'क़ब्ज़ का बयान। 219

चौदहवाँ हिस्सा 319

रुजूअ़ के मसाइल

पानी पीने का बयान

वलीमा व ज़ियाफ़त का बयान

ख़तना का बयान 648

ज़ीनत का बयान 649

नाम रखने का बयान 653